# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2012

## निर्णय-सूची


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| एन. डी. नायर **बनाम** जार्ज मार्टिन और एक अन्य | 128 |
| चन्द्र पाल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य | 12 |
| जग्गू और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य | 104 |
| नमो नारायण उपाध्याय और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य | 22 |
| बलजिन्दर सिंह **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 161 |
| मुकेश नट **बनाम** राज्य | 112 |
| मोहम्मद मुर्तजा मोहम्मद मोसिन शेख **बनाम** महाराष्ट्र राज्य | 147 |
| राघवेन्द्र सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य | 78 |
| राजवीर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य | 88 |
| राम बहादुर धोबी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य | 1 |
| राम विलास चौहान और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य | 69 |
| राम सिंह और अन्य **बनाम** हरियाणा राज्य | 133 |
| विक्रांत और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य | 97 |
| संतोष उपाध्याय **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (देखिए - पृष्ठ संख्या 22) | |
| सोमा राम **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 170 |


## संसद् के अधिनियम


| | |
|---|---|
| मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ | (1) – (5) |

जनवरी - मार्च, 2012 (संयुक्तांक)

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

**प्रधान संपादक** | **संपादक**
अनूप कुमार वार्ष्णेय | डा. एम. सी. पांडेय

**महत्वपूर्ण निर्णय**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)** – धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी बाल साक्षी का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित नहीं किया गया है तो उसके विश्वासोत्पादक और विश्वसनीय परिसाक्ष्य को इस एकमात्र आधार पर खुल्लम-खुल्ला अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उस साक्षी का नाम नहीं है ।

**मुकेश नट** बनाम **राज्य** 112

**संसद् के अधिनियम**

**मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ** (1) – (5)

**पृष्ठ संख्या 1 – 186** **(2012) 1 दा. नि. प.**

**विधि साहित्य प्रकाशन**
**विधायी विभाग**
**विधि और न्याय मंत्रालय**
**भारत सरकार**

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जनवरी - मार्च, **2012** (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या **1 – 186**)

**संपादक-मंडल**

श्री विनोद कुमार भसीन,
सचिव, विधायी विभाग

डा. संजय सिंह,
अपर सचिव (प्रशा.), विधायी विभाग

डा. आर. डी. मीना, संयुक्त सचिव
राजभाषा खंड

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

डा. प्रीती सक्सेना, प्रोफेसर,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
विधि संकाय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्राचार्य,
विधि विभाग, गुरू गोविद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव,
राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पाण्डेय,
संपादक

---

**सहायक संपादक** : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

**उप-संपादक** : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, गोबिन्द लाल बतरा, एम. पी. सिंह, जसवन्त सिंह और बी. के. भटनागर

---

**कीमत : डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

**© 2012 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

---

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा................................. द्वारा मुद्रित ।

## विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)**

– धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी बाल साक्षी का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित नहीं किया गया है तो उसके विश्वासोत्पादक और विश्वसनीय परिसाक्ष्य को इस एकमात्र आधार पर खुल्लम-खुल्ला अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उस साक्षी का नाम नहीं है ।

**मुकेश नट** बनाम **राज्य** 112

– धारा 167(2) – जमानत पर छोड़ा जाना – मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को तभी जमानत पर छोड़ा जा सकता है जब अभियुक्त के विरुद्ध धारा 167(2) के अधीन नियत अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल न किया गया हो और अभियुक्त ने उक्त धारा का अवलंब लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत पर छोड़े जाने और जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया हो ।

**चन्द्र पाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 12

– धारा 190(1)(ग) – अपराध का संज्ञान – मजिस्ट्रेट को अपराध किए जाने के बारे में लिखित या मौखिक या अपनी निजी जानकारी पर भी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है क्योंकि आवेदनों के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भारतीय दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराध किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई अतः मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अपराधों के अधीन संज्ञान लिया जाना न केवल न्यायोचित है बल्कि पूर्णतः सही है ।

**राम विलास चौहान और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 69

– धारा 204 – समन आदेश – यदि सुसंगत सामग्री के परिशीलन के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि मामले में

**पृष्ठ संख्या**

आगे कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है तो वह संहिता की धारा 204 के अधीन समन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है ।

**राम विलास चौहान और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 69

– धारा 227 – अभियुक्त का उन्मोचन – यदि पुनरीक्षणकर्ताओं के अपराध करने में लिप्त होने का अभिलेख पर एक ही साक्ष्य है कि उसे आहत व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखा गया और अंतिम बार देखे जाने की बात अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त रूप से सिद्ध नहीं की गई है तो पुनरीक्षणकर्ता अपराध से उन्मोचित किए जाने के हकदार हैं ।

**राम बहादुर धोबी और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 1

– धारा 349 – साक्षी या दस्तावेज पेश कराने की दंड न्यायालय की शक्तियां – यदि अभियुक्त के पास न्यायालय में समय से चालान रिपोर्ट न पेश करने और न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होने का भी समाधानप्रद स्पष्टीकरण है और यह स्पष्टीकरण धारा 349 में उपबंधित युक्तियुक्त प्रतिहेतु के प्रवर्ग में आता है तो अभियुक्त को उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध करना और दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है ।

**राघवेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 78

– धारा 482 [सपठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21] – अधिनिर्णय की विधिमान्यता – लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश में डिक्री की सभी बातें और लक्षण होते हैं, इसलिए मात्र इस कारण कि विपक्षी पक्षकार आदेश का पालन करने में असफल रहता है, लोक अदालत

पृष्ठ संख्या

द्वारा पारित अधिनिर्णय अस्तित्वहीन नहीं हो जाएगा ।

**एन. डी. नायर** बनाम **जार्ज मार्टिन और एक अन्य** 128

– धारा 482 और 190(1)(ख) – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां – जहां मजिस्ट्रेट मृत्युकालिक कथन सहित अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है वहां उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों पर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता ।

**विक्रांत और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 97

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)**

– धारा 147, 148, 323, 324/149, 325/149, और 302/149 तथा धारा 99 – सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में घोर उपहति और हत्या कारित किया जाना – संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् – ऐसे मामलों में जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो, वहां अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विधि को अपने हाथ में लेकर विवादित भू-भाग से परिवादी पक्षकार को बलपूर्वक बेकब्जा करने के आशय से क्षति और हत्या कारित करने पर उन्हें संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता ।

**नमो नारायण उपाध्याय और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 22

– धारा 300 अपवाद 4 और 304 भाग II – यदि अचानक झगड़ा होने पर धैर्य खोने के कारण पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या

पृष्ठ संख्या

अप्रायिक रीति से कोई अपराध किया गया हो तो अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध होगा न कि हत्या का अपराध ।

**राजवीर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 88

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, अभियुक्तों के बताने पर आक्रामक आयुधों की बरामदगी तथा मृतक की हत्या कारित करने के लिए अभियुक्तों का हेतु होने की बात युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो जाने पर अभियुक्तों को दोषी ठहराना न्यायसंगत और उचित है ।

**राम सिंह और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य** 133

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – हत्या – यदि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहता है कि अपराध कारित किए जाने के ठीक पूर्व अभियुक्त और मृतका को साथ-साथ देखा गया और अभियुक्त ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसकी पत्नी (मृतका) को कैसे क्षतियां पहुंचीं और न ही मृत्यु के हेतुक के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया तो यह ठोस परिस्थिति गठित करता है कि अभियुक्त अपराध (हत्या) करने का दायी था ।

**मुकेश नट** बनाम **राज्य** 112

– धारा 302/149 – सामान्य उद्देश्य और हत्या – मामले की परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य और अभिलेख से यह प्रकट होने पर कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना नहीं था और न ही वे संभाव्य जानते थे कि हत्या कारित की जा सकती है, इसलिए ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मृतक की हत्या करने वाले अभियुक्त के अलावा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को धारा

पृष्ठ संख्या

149 की सहायता से धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।

**नमो नारायण उपाध्याय और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 22

– धारा 304 भाग I और भाग II – यदि हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है तो यह अपराध उक्त धारा के भाग I के अंतर्गत आएगा किंतु यदि अपराध मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया जाता है तो यह भाग II के अधीन आएगा चाहे इस बात की जानकारी हो कि कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है ।

**राजवीर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 88

– धारा 361 और 363 – विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण – जहां अभियुक्त स्वयं को बालक के पिता के कारखाने का कर्मकार बताकर बालक को घर से ले जाता है और तलाशी के दौरान अभियुक्त द्वारा बालक की पहचान की जाती है वहां अभियुक्त के विरुद्ध अप्राप्तवय को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध साबित होने के कारण वह धारा 363 के अधीन दोषी ठहराए जाने का दायी है ।

**मोहम्मद मुर्तजा मोहम्मद मोसिन शेख** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 147

– धारा 364-क – फिरौती के लिए व्यपहरण – यदि अभियोजन के पास यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा फिरौती की मांग की गई या भुगतान के तरीके या भुगतान के स्थान के बारे में बताया गया तो अभिलेख पर किसी साक्ष्य के आशय में अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

**मोहम्मद मुर्तजा मोहम्मद मोसिन शेख** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 147

पृष्ठ संख्या

– धारा 376 और 342 – बलात्संग – सदोष परिरोध – यदि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त रूप से यह साबित किया है कि अभियुक्तों द्वारा सदोष परिरोध कर पीड़िता के साथ संभोग किया गया है तो अपराध की गंभीरता और ऐसी रीति, जिसमें पीड़िता की सर्वाधिक कीमती और अमूल्य प्रतिष्ठा को लूटा गया जो उसके सतीत्व पर अमिट दाग छोड़ देता है, को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दस वर्ष का दंडादेश न्यायसंगत और उचित है ।

**जग्गू और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 104

– धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा समर्थित अभिलेखों से यह प्रतीत होता हो कि कुछ गलतफहमी के कारण दोनों पक्षकार एक दूसरे से वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर अलग-अलग रह रहे थे और अभियोजन क्रूरता के अपराध के आवश्यक तत्वों को साबित करने में असफल रहा हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।

**बलजिन्दर सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 161

**स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)**

– धारा 20(ख)(ii)(बी) – विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी – दोषसिद्धि – न्यायालयिक प्रयोगशाला की सकारात्मक विश्लेषण रिपोर्ट और शासकीय साक्षियों के विश्वासप्रद कथनों से अभियुक्त से बरामद विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी साबित हो जाने पर उसकी दोषसिद्धि उचित है और उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

**सोमा राम** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 170

– धारा 50 – व्यक्तियों की तलाशी – जहां विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी किसी थैले, ब्रीफकेस या आधान से होती

**पृष्ठ संख्या**

है वहां किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं से हुई बरामदगी को मानव शरीर से हुई बरामदगी के रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि इन्हें अलग नाम दिया गया है और ये उसी रूप में पहचानने योग्य हैं और ऐसी स्थिति में धारा 50 लागू नहीं होगी ।

**सोमा राम** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 170

# सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आर्काक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं का वार्िक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्िक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका वार्िक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्िक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

**विधि साहित्य प्रकाशन**

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105**

## विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

| | पुस्तक का नाम | लेखक | पृष्ठ सं. | कीमत (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत का विधिक इतिहास | श्री सुरेन्द्र मधुकर | 410 | 30.00 |
| 2. | माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि | डा. एन. पी. परांजपे | 371 | 40.00 |
| 3. | वाणिज्य विधि | डा. आर. एल. भट्ट | 630 | 108.00 |
| 4. | अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण) | श्री शर्मन लाल अग्रवाल | 357 | 40.00 |
| 5. | अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) | डा. एस. सी. खरे | 273 | 115.00 |
| 6. | मानव अधिकार | डा. शिवदत्त शर्मा | 340 | 120.00 |
| 7. | दण्ड प्रक्रिया संहिता | न्या. महावीर सिंह | 840 | 200.00 |

**पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।**

| | पुस्तक का नाम | लेखक | पृष्ठ सं. | मूल दर (₹) | संशोधित दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संविदा विधि (द्वितीय संस्करण) | डा. रामगोपाल चतुर्वेदी | 552 | 275.00 | 137.00 |
| 2. | श्रम विधि (तृतीय संस्करण) | श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा | 658 | 452.00 | 226.00 |
| 3. | चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण) | डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया | 969 | 293.00 | 146.00 |
| 4. | आधुनिक पारिवारिक विधि | श्री राम शरण माथुर | 767 | 429.00 | 214.00 |
| 5. | भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) | संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे | 209 | 225.00 | 112.00 |
| 6. | हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण) | डा. रवीन्द्र नाथ | 617 | 425.00 | 212.00 |
| 7. | भारतीय दंड संहिता | डा. रवीन्द्र नाथ | 696 | 741.00 | 370.00 |
| 8. | भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण) | श्री माधव प्रसाद वाशिष्ठ | 272 | 165.00 | 82.00 |
| 9. | प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण) | डा. कैलाश चन्द्र जोशी | 635 | 200.00 | 100.00 |
| 10. | विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण) | डा. एस. के. कपूर | 414 | 311.00 | 155.00 |
| 11. | विधि शास्त्र | डा. शिवदत्त शर्मा | 501 | 580.00 | 377.00 |


# विधि साहित्य प्रकाशन

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

## राम बहादुर धोबी और अन्य

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 4 जनवरी, 2011

**न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 227 – अभियुक्त का उन्मोचन – यदि पुनरीक्षणकर्ताओं के अपराध करने में लिप्त होने का अभिलेख पर एक ही साक्ष्य है कि उसे आहत व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखा गया और अंतिम बार देखे जाने की बात अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त रूप से यह सिद्ध नहीं की गई है तो पुनरीक्षणकर्ता अपराध से उन्मोचित किए जाने के हकदार हैं ।**

पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 पेशे से पत्रकार है और पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 उसका सगा छोटा भाई है । पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और 4 प्रत्यर्थी सं. 2 के कुटुंब के मित्र हैं और पुनरीक्षणकर्ता सं. 5 उसका ड्राइवर है । पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम लिमिटेड, कानपुर देहात से वर्ष 1996 में फाइनेंस कराकर जीप ली थी । उक्त जीप टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई थी और उक्त जीप के लिए यू पी 77-6959 नम्बर आबंटित किया गया था । तारीख 14 अगस्त, 1998 को श्री राम बहादुर धोबी पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 ने पुलिस थाना, भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात में यह अभिकथन करते हुए शिवराम धानुक, विरोधी पक्षकार सं. 3 के पुत्र सुरेश के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी कि उसकी पूर्वउल्लिखित जीप विरोधी पक्षकार सं. 3 के पुत्र सुरेश द्वारा चुरा ली गई है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध मामला सं. 2007/98 पूर्वउल्लिखित सुरेश के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में पुनरीक्षणकर्ता सं. 2, 3 और 4 को तथ्य के साक्षियों के रूप में नामित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान शिवराम धानुक विरोधी पक्षकार सं. 3 सहित कई

साक्षियों की परीक्षा की जिसने तारीख 16 अगस्त, 1998 को यह कथन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपना कथन अभिलिखित करवाया कि उसका पुत्र सुरेश सरदार दया सिंह नाम के व्यक्ति की मारुति चलाया करता था और सुरेश सरदार दया सिंह के स्वामित्व वाली जीप में ड्राइवर के रूप में भाड़े पर रखा गया था किंतु वह वापस नहीं आया और उसे यह संदेह हुआ कि कुछ बदमाशों ने उसकी जीप को लूट लिया है और उसके पुत्र की हत्या कर दी । विरोधी पक्षकार सं. 3 शिवराम धानुक के कथन की प्रति इस पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र पर उपाबंध 3 के रूप में फाइल की गई है । विरोधी पक्षकार सं. 3 के कहने पर अपराध मामला सं. 2007/98 का अन्वेषण सीबीसीआईडी को अंतरित कर दिया गया था और अंततः सीबीसीआईडी के अन्वेषक अधिकारी श्री आर. के. शर्मा, निरीक्षक ने अपराध मामला सं. 2007/98 में तारीख 4 सितंबर, 1999 को जांच की और अंतिम रिपोर्ट पूरी करने के पश्चात् प्रस्तुत कर दी थी । उसी दिन उसने दंड संहिता की धारा 182 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के विरुद्ध अभियोजन चलाने की सिफारिश की थी । तारीख 21 सितंबर, 1999 को श्री पी. के. शर्मा, निरीक्षक सीबीसीआईडी ने स्वयं उस घटना के बारे में एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जो पुनरीक्षणकर्ताओं और दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात के विरुद्ध अपराध मामला सं. 2007/98 की विषयवस्तु है जिसे दंड संहिता की धारा 364/120-ख के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(10) और धारा 4 (शपथपत्र पर उपाबंध 5) के अधीन अपराध मामला सं. 421/1999 दर्ज किया गया । 2007 के दांडिक मामला सं. 4462, राज्य बनाम दया सिंह और अन्य वाले मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामाबाई नगर द्वारा तारीख 25 अक्तूबर, 2010 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ताओं के उन्मोचित होने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था । पुनरीक्षणकर्ताओं ने उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियोग चलाने की प्रकृति और अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री से पुनरीक्षणकर्ताओं की सहअपराधिता और अपराध में भागीदार होने के बारे में केवल संदेह प्रकट होता है या उनकी दोषिता के बारे में गंभीर

संदेह पैदा होता है । अभिलेख पर उपलब्ध केवल साक्ष्य से अपराध के किए जाने के बारे में पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के शामिल होने को दर्शित करता है, इस बारे में आहत का साक्ष्य यह है कि अभियुक्त के संग अंतिम बार देखा गया था । तथापि, सुरेश कुमार के कथन से यह प्रकट होता है कि आहत पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ मकान से चला गया था और उसे मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के नजदीक जीप सं. यू पी 77-6959 चलाते हुए पुनः देखा गया था जिसमें पांच व्यक्ति बैठे और सुरेश कुमार ने उनके बैठे होने के बारे में उनकी पहचान नहीं की और आहत सुरेश ने साक्षी सुरेश कुमार को यह बताया था कि वह सरदारजी के यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान पर ले जा रहा था । उसके कथन में ऐसा कोई अभिकथन भी प्रकट नहीं हुआ है कि पांच व्यक्ति जो जीप में यात्रा कर रहे थे जिसे आहत सुरेश द्वारा चलाया जा रहा था, पुनरीक्षणकर्ता थे । इस प्रकार, पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के संबंध में अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य पुनरीक्षणकर्ताओं के अभियोजन चलाने के लिए अपना महत्व को देता है क्योंकि आहत पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ देखा गया था तथा वह पांच-छह व्यक्तियों के साथ बाद में पुनः देखा गया था जिनकी अभियोजन पक्ष आज तक शिनाख्त कराने में समर्थ नहीं हुआ है । प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल पुनरीक्षणकर्ता सं. 1, 4 और 5 के विरुद्ध अभिलेख पर किसी अपराध में फंसाने वाले सामग्री/साक्ष्य को प्रकट करने में भी विफल हुआ है । न्यायालय का यह मत है कि निचला न्यायालय पुनरीक्षणकर्ताओं को उन्मोचित करने से इनकार करके मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार करने में पूरी तरह से विफल हुआ है । न्यायालय की यह राय है कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और अपास्त किए जाने योग्य है । विचारण न्यायालय द्वारा मामले में पुनः विचार करना अपेक्षित है । (पैरा 19, 20 और 21)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | (2010) 2 एस. सी. सी. 398 : **पी. विजयन** बनाम **केरल राज्य और अन्य** ; | 8 |
| [2009] | (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 87 : **संगी ब्रदर्स (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **संजय चौधरी** । | 13 |

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2010 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 4912.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

**पुनरीक्षणकर्ता की ओर से** सर्वश्री एस. एस. राठोर और कपिल राठोर

**प्रत्यर्थी पक्षकार की ओर से** श्री राधे श्याम, अपर सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण** – पुनरीक्षणकर्ताओं की ओर से विद्वान् काउंसेल, विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से श्री राधेश्याम, सरकारी अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अपर अधिवक्ता को सुना ।

2. 2007 के दांडिक मामला सं. 4462, राज्य बनाम दया सिंह और अन्य वाले मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामाबाई नगर द्वारा तारीख 25 अक्तूबर, 2010 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ताओं के उन्मोचित होने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था ।

3. मामले के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 पेशे से पत्रकार है और पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 उसका सगा छोटा भाई है । पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और 4 प्रत्यर्थी सं. 2 के कुटुंब के मित्र हैं और पुनरीक्षणकर्ता सं. 5 उसका ड्राइवर है ।

4. पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त और विकास निगम लिमिटेड, कानपुर देहात से वर्ष 1996 में फाइनेंस कराकर जीप ली थी । उक्त जीप टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई थी और उक्त जीप के लिए यू पी 77-6959 नम्बर आबंटित किया गया था । तारीख 14 अगस्त, 1998 को श्री राम बहादुर धोबी पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 ने पुलिस थाना, भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात में यह अभिकथन करते हुए शिवराम धानुक, विरोधी पक्षकार सं. 3 के पुत्र सुरेश के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी कि उसकी पूर्वउल्लिखित जीप विरोधी पक्षकार सं. 3 के पुत्र सुरेश द्वारा चुरा ली गई है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध मामला सं. 2007/98 पूर्वउल्लिखित सुरेश के विरुद्ध

रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में पुनरीक्षणकर्ता सं. 2, 3 और 4 को तथ्य के साक्षियों के रूप में नामित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान शिवराम धानुक विरोधी पक्षकार सं. 3 सहित कई साक्षियों की परीक्षा की जिसने तारीख 16 अगस्त, 1998 को यह कथन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपना कथन अभिलिखित करवाया कि उसका पुत्र सुरेश सरदार दया सिंह नाम के व्यक्ति की मारुति चलाया करता था और सुरेश सरदार दया सिंह के स्वामित्व वाली जीप में ड्राइवर के रूप में भाड़े पर रखा गया था किंतु वह वापस नहीं आया और उसे यह संदेह हुआ कि कुछ बदमाशों ने उसकी जीप को लूट लिया है और उसके पुत्र की हत्या कर दी । विरोधी पक्षकार सं. 3 शिवराम धानुक के कथन की प्रति इस पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र पर उपाबंध 3 के रूप में फाइल की गई है । विरोधी पक्षकार सं. 3 के कहने पर अपराध मामला सं. 2007/98 का अन्वेषण सीबीसीआईडी को अंतरित कर दिया गया था और अंततः सीबीसीआईडी के अन्वेषक अधिकारी श्री आर. के. शर्मा निरीक्षक ने अपराध मामला सं. 2007/98 में तारीख 4 सितंबर, 1999 को जांच की अंतिम रिपोर्ट पूरी करने के पश्चात् प्रस्तुत कर दी थी । उसी दिन उसने दंड संहिता की धारा 182 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के विरुद्ध अभियोजन चलाने की सिफारिश की थी । तारीख 21 सितंबर, 1999 को श्री पी. के. शर्मा निरीक्षक सीबीसीआईडी ने स्वयं उस घटना के बारे में एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जो पुनरीक्षणकर्ताओं और दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात के विरुद्ध अपराध मामला सं. 2007/98 की विषयवस्तु है जिसे दंड संहिता की धारा 364/120-ख के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(10) और धारा 4 (शपथपत्र पर उपाबंध 5) की धारा 4 के अधीन अपराध मामला सं. 421/1999 दर्ज की थी ।

5. तारीख 14 सितंबर, 1999 की अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भोगनीपुर के समक्ष तारीख 24 दिसंबर, 2002 को विरोध याचिका फाइल की जिसे उनके द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2003 को इस निदेश के साथ आदेश पारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि आगे मामले का अन्वेषण सीबीसीआईडी द्वारा किया जाए ।

6. तथापि, अपराध मामला सं. 2007/98 में आगे अन्वेषण किए जाने

के बावजूद भी अन्वेषक अधिकारी ने अपराध मामला सं. 421/1999 में अन्वेषण जारी रखा था और पुनरीक्षकर्ताओं तथा दो अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364/120-ख और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन तारीख 29 अगस्त, 2003 को अपराध मामला सं. 421/1999 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । अपराध मामला सं. 421/1999 में प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र को पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा आवेदन सं. 3533-04 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन) पेश करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है जिसका इस न्यायालय द्वारा तारीख 22 सितंबर, 2010 के आदेश से निपटारा कर दिया गया था । उसमें यह निदेश दिया गया कि पुनरीक्षणकर्ता निचले न्यायालय के समक्ष उन्मोचित होने के लिए आवेदन पेश करें जिसकी अवधि 45 दिन होगी या उन्मोचित होने के आवेदन का जब तक निपटारा न कर दिया जाए पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्यवाही नहीं की जाएगी, आगे कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का निदेश दिया गया । उस आक्षेपित आदेश के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा निचले न्यायालय के समक्ष उन्मोचित होने का आवेदन फाइल किया गया था जिसे तारीख 22 सितंबर, 2010 के इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में खारिज कर दिया गया ।

7. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यद्यपि सम्पूर्ण साक्ष्य अन्वेषण के दौरान एकत्र किया गया था और इसका मूल्यांकन करने पर इसे सही होना स्वीकार किया गया तब केवल दो विचार मामले में संभव हैं, पुनरीक्षणकर्ताओं की दोषिता के बारे में और उनमें से संदेह को केवल गंभीर संदेह से प्रभेद किया गया है और निचले न्यायालय से पुनरीक्षणकर्ताओं को उन्मोचित किए जाने की ईप्सा की गई है तथा निचले न्यायालय द्वारा प्रतिकूल मत अपनाया गया है जो पूर्णतया विधि के विरुद्ध है । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में **पी. विजयन** बनाम **केरल राज्य और अन्य**[1] का अवलंब लिया ।

8. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल ने दूसरी यह दलील दी कि शिवराम विरोधी पक्षकार सं. 2, उसका बड़ा पुत्र राम नरेश और आहत की पत्नी श्रीमती मालती, विरोधी पक्षकार सं. 3 की पत्नी श्री रामश्री और राम नरेश की पत्नी पान कुमारी तथा हनुमंत के कथनों से जो अन्वेषण के

---

[1] (2010) 2 एस. सी. सी. 398.

दौरान अभिलिखित किए गए थे, से केवल यह साक्ष्य प्रकट हुआ है कि जो पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 सरबजीत सिंह और सत्यजीत सिंह के विरुद्ध है, यह है कि तारीख 17 जुलाई, 1998 को उन्होंने इस बहाने से सुरेश को मकान से लिया था कि उसे जीप सं. यू पी 77-6959 से कुछ यात्रियों को आगरा ले जाना है और इसके पश्चात् वह घर से जाने के पश्चात् वापस नहीं लौटा । आहत सुरेश को सुरेश कुमार द्वारा पुनः देखा गया था जिसका कथन धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया था, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वह तारीख 17 जुलाई, 1998 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के नजदीक चाय पी रहा था तब उसने जीप देखी जिसे आहत सुरेश द्वारा चलाया जा रहा था जो भोगनीपुर की ओर से आ रही थी जिसमें 5-6 व्यक्ति थे जिनके बैठने के बारे में उसे पता नहीं है । सुरेश कुमार ने आगे अपने कथन में यह भी कहा है कि उसके द्वारा आहत सुरेश कुमार से पूछताछ की गई थी । उसने उसे यह बताया था कि वह सरदारजी तो आगरे के यात्रियों को ले जा रहा था और इस प्रकार आहत का साक्ष्य दो व्यक्तियों के संग अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ अंतिम बार देखा गया, इनकी दोषसिद्धि के प्रयोजन के लिए अल्प रूप से सुसंगत होगा क्योंकि आहत पुनरीक्षणकर्ताओं के साथ देखे जाने के पश्चात् उसे पुनः सुरेश कुमार द्वारा पांच अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः देखा गया था जिन्हें वह आगरा ले जा रहा था ।

9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि जहां तक पुनरीक्षणकर्ता सं. 1, 4 और 5 का संबंध है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अभिलेख पर सम्पूर्ण रूप से कोई सामग्री नहीं है और इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ताओं के उन्मोचित होने के आवेदन को खारिज करने का आक्षेपित आदेश पूर्णतया कायम रखे जाने योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है ।

10. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने अंत में यह दलील दी कि विरोधी पक्षकार सं. 3 की ओर से पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध आक्षेपित दांडिक अभियोजन चलाना असद्भावपूर्वक है और पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 द्वारा विरोधी पक्षकार सं. 3 के पुत्र के विरुद्ध चोरी रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें पुनरीक्षणकर्ता सं. 2, 3 और 4 साक्षियों के रूप में नामित किए गए थे ।

11. प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से विद्वान् काउंसेल राधेश्याम ने यह दलील दी है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या कमी प्रकट नहीं होती है जिसपर इस न्यायालय द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना

आवश्यक हो ।

12. उन्होंने यह भी दलील दी कि उन्मोचित होने के आवेदन के विचार करने के प्रक्रम पर इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दोषसिद्धि की संभावना के बारे में राय विरचित करें और केवल प्रथमदृष्ट्या मामला बनना दिखाई देता है और यदि अभिलेख पर प्रकट सामग्री में अपराध किए जाने के बारे में प्रबल संदेह प्रकट होता हो तब अभियुक्त के मामले में शामिल होना प्रकट होता हो तब न्यायालय ने उसके उन्मोचित होने को अस्वीकार करके पूर्णतया न्यायसंगत कार्य किया है और आरोप विरचित करने की कार्यवाही करने के लिए भी न्यायसंगत कार्य किया है । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में **संगी ब्रदर्स (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **संजय चौधरी**[1] वाले मामले का अवलंब लिया ।

13. मैंने पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल को सुना तथा आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर लाई गई अन्य सामग्रियों का परिशीलन किया चूंकि मामले के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया गया है, इसलिए मैं उन मानदंडों का सीधे रूप से परीक्षा करने के लिए अग्रसर होता हूं जिसमें न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन उन्मोचित होने के आवेदन पर विचार किया ।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के प्रक्रम पर न्यायाधीश ने केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य को अंतरित किया है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं । यह आधार पर्याप्त होने के बारे में पुलिस द्वारा अभिलिखित साक्ष्य की प्रकृति या न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेज को विचार में लेता हूं जिससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त के विरुद्ध संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट होती हैं जिस पर उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते हैं । यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अधीन आरोप विरचित करेगा ।

15. उच्चतम न्यायालय ने **पी. विजयन** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 10 में जो मत व्यक्त किया है उसे पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल द्वारा अंगीकार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

---

[1] (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 87.

"10. दोनों पक्षकारों के दावे के गुणागुण पर विचार करने से पूर्व यह लाभदायक होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 का उल्लेख करें जो निम्नलिखित हैं –

'227. उन्मोचन – यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।' "

16. यदि किसी मामले में दो मत संभव हों और उनमें से एक पर संदेह उत्पन्न होता है जो गंभीर संदेह से प्रभेद प्रकट करता है तब विचारण न्यायाधीश अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए सशक्त होगा और इस प्रक्रम पर वह इस बात पर विचार नहीं करेगा कि क्या विचारण दोषसिद्ध या दोषमुक्ति के आधार पर समाप्त होगा । इसके अतिरिक्त, "अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है" शब्दों से स्पष्टतया यह दर्शित हुआ है कि न्यायाधीश अभियोजन के कहने पर आरोप विरचित करने के लिए मात्र डाकघर नहीं है किंतु उसे यह निर्धारण करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक विवेक प्रयोग करना चाहिए कि क्या अभियोजन द्वारा विचारण किए जाने के लिए मामला बनता है । इस तथ्य का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मामले के पक्ष-विपक्ष या साक्ष्य के महत्व और उसके संतुलन तथा संभावनाओं पर विचार करें जो विचारण प्रारंभ करने के पश्चात् न्यायालय का वास्तविक कृत्य है ।

17. उच्चतम न्यायालय ने **संगी ब्रदर्स (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227, 229 और 245 के परिधि की परीक्षा करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"13. इन तीनों धाराओं का प्रयोग किए जाने के लिए अंगीकार की गई शब्दावली का विश्लेषण करने के पश्चात् यह (अंतुले वाला मामला) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भिन्नताओं के बावजूद भी इस प्रक्रम पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिस पर न्यायालय से आरोपों को विरचित करने के प्रश्न तथा प्रथमदृष्ट्या

मामले की कसौटी को लागू किए जाने के बारे में विचार करने की अपेक्षा की जाए ।

14. वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां उच्च न्यायालय को आरोप विरचित करने के आदेश पर हस्तक्षेप करना चाहिए । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा ठीक ही यह दलील दी गई है, यद्यपि अपराध किए जाने के बारे में प्रबल संदेह है और अभियुक्त के शामिल होने के बारे में आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय के पास पर्याप्त आधार है । इस प्रक्रम पर संभावित दोषसिद्धि के बारे में राय बनाना आवश्यक नहीं । यदि ऐसा है तो उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और इसे अपास्त किया जाता है । अपील मंजूर की जाती है ।"

18. इस प्रकार **पी. विजयन** (उपरोक्त) और **संगी ब्रदर्स (इन्दौर) प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निरुपित विधिक प्रतिपादना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् जो कुछ प्रकट हुआ है यह है कि उन्मोचित होने के आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश को यह अवधारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करना अपेक्षित है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के लिए पेश किए गए मामले पर कार्यवाही की जानी चाहिए और इस तथ्य का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मामले के पक्ष-विपक्ष पर विचार करना चाहिए या साक्ष्य और संभाव्यताओं के प्रमाणिक मूल्य पर विचार करना चाहिए । यदि तथ्यों से अपराध किए जाने और अभियुक्त के शामिल होने के बारे में प्रबल संदेह पैदा होता हो तब न्यायालय अभियुक्त व्यक्तियों को उन्मोचित करने से इनकार किए जाने के लिए पूर्णतया न्यायसंगत कार्य करेगा और उनके विरुद्ध आरोप विरचित करने के निदेश देगा । यदि अभिलेख पर प्रकट सामग्री के आधार पर दो मत संभव हैं और उनमें से केवल एक पर संदेह उत्पन्न होता है जो अभियुक्त की दोषिता के बारे में गंभीर संदेह पर विभेद प्रकट करता है तब विचारण न्यायाधीश अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए सशक्त होगा ।

19. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियोग चलाने की प्रकृति और अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री से पुनरीक्षणकर्ताओं की सह-अपराधिता और अपराध में भागीदारी होने के बारे में केवल संदेह प्रकट होता है या उनकी

दोषिता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है । अभिलेख पर उपलब्ध केवल साक्ष्य से अपराध के किए जाने के बारे में पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के शामिल होने को दर्शित करता है, इस बारे में आहत का साक्ष्य यह है कि अभियुक्त के संग अंतिम बार देखा गया था । तथापि, सुरेश कुमार के कथन से यह प्रकट होता है कि आहत पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ मकान से चला गया था और उसे मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के नजदीक जीप सं. यू पी 77-6959 चलाते हुए पुनः देखा गया था जिसमें पांच व्यक्ति बैठे और सुरेश कुमार ने उनके बैठे होने के बारे में उनकी पहचान नहीं की और आहत सुरेश ने साक्षी सुरेश कुमार को यह बताया था कि वह सरदारजी के यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान पर ले जा रहा था । उसके कथन में ऐसा कोई अभिकथन भी प्रकट नहीं हुआ है कि पांच व्यक्ति जो जीप में यात्रा कर रहे थे जिसे आहत सुरेश द्वारा चलाया जा रहा था, पुनरीक्षणकर्ता थे । इस प्रकार, पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के संबंध में अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य पुनरीक्षणकर्ताओं के अभियोजन चलाने के लिए अपना महत्व खो देता है क्योंकि आहत पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ देखा गया था तथा वह पांच-छह व्यक्तियों के साथ बाद में पुनः देखा गया था जिनकी अभियोजन पक्ष आज तक शिनाख्त कराने में समर्थ नहीं हुआ है ।

20. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल पुनरीक्षणकर्ता सं. 1, 4 और 5 के विरुद्ध अभिलेख पर किसी अपराध में फंसाने वाले सामग्री/साक्ष्य को प्रकट करने में भी विफल हुआ है ।

21. पूर्वोक्त कारणों पर मेरा यह मत है कि निचला न्यायालय पुनरीक्षणकर्ताओं को उन्मोचित करने से इनकार करके मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार करने में पूरी तरह से विफल हुआ है । मेरी यह राय है कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और अपास्त किए जाने योग्य है । विचारण न्यायालय द्वारा मामले में पुनः विचार करना अपेक्षित है ।

22. पुनरीक्षण के इस आवेदन को मंजूर किया जाता है और 2007 के दांडिक मामला सं. 4462, दया सिंह बनाम राज्य और अन्य वाले मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामाबाई नगर द्वारा तारीख 25 अक्तूबर, 2010 को पारित किए गए आदेश को अपास्त किया जाता है । निचले न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को पेश करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसरण में पुनरीक्षणकर्ताओं के उन्मोचित आवेदन का विनिश्चय करें ।

23. आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर या जब तक उन्मोचित आवेदन का विनिश्चय नहीं कर लिया जाता, किसी प्रकार भी पूर्व में पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

---

**(2012) 1 दा. नि. प. 12** **इलाहाबाद**

## चन्द्र पाल

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 5 जनवरी, 2011

**न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 167(2) – जमानत पर छोड़ा जाना – मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को तभी जमानत पर छोड़ा जा सकता है जब अभियुक्त के विरुद्ध धारा 167(2) के अधीन नियत अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल न किया गया हो और अभियुक्त ने उक्त धारा का अवलंब लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत पर छोड़े जाने और जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया हो ।**

यह मामला श्रीमती नेमश्री, पत्नी सोमपाल द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर आधारित है जो दंड संहिता की धारा 307 और 302 के अधीन 2010 के अपराध मामला सं. 648 में धर्मपाल, चन्द्रपाल, बृजपाल और ओंकार द्वारा उसके पति सोमपाल की हत्या किए जाने के संबंध में, उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 12 जुलाई, 2010 को पुलिस थाना विथारी चैनपुर, जिला बरेली में पूर्व उल्लिखित चार व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी । पुनरीक्षणकर्ता चन्द्रपाल जो पूर्वोक्त मामले में अभियुक्तों में से एक है, उसे तारीख 27 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया गया था और तारीख 28 जुलाई, 2010 को कारागार भेजा गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए 90 दिन की अवधि अनुबद्ध की गई है जिसे तारीख 26 अक्तूबर, 2010 को पूरा

किया गया था किंतु कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह प्रार्थना करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली के समक्ष आवेदन पेश किया गया था जिसमें जमानत बंधपत्र भी तैयार किए गए थे और इस प्रकार, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा क्योंकि अन्वेषक अधिकारी द्वारा अनुबद्ध अवधि के अंतर्गत कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के लिए पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अभिलेख पर लाई हुई सामग्रियों से यह प्रकट हुआ है कि पुनरीक्षणकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त होने के लिए अपने अधिकार को प्रवर्तन करवाने हेतु जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है । तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को उसमें यह अभिकथन किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन अनुबंध अवधि के अंतर्गत कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । उक्त आवेदन पर उसी दिन पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई गई थी । पुनरीक्षणकर्ता का जमानत आवेदन जिसे तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को कोर्ट मोहरी द्वारा दो रिपोर्टों के साथ शपथपत्र सहित उपाबंध सं. 4 के साथ फाइल किया गया है जिसमें यह अभिप्रमाणित किया गया है कि आरोप पत्र 2.00 बजे अपराह्न प्राप्त किया गया था जबकि दूसरी रिपोर्ट इस आशय की है कि कोई आरोप पत्र फाइल किया गया था । तथापि, अधिकारी या कर्मचारी का पदनाम जिन्होंने पूर्वोक्त रिपोर्ट बनाई थी, प्रकट नहीं किया गया है । शपथपत्र में भी इसे अधिकारी या कर्मचारी के पदनाम से पुनरीक्षण में इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है जिन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के जमानत आवेदन पर टिप्पण/रिपोर्ट दी है, उसमें 27 अक्तूबर, 2010 तक कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया है और उस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जमानत आवेदन पर तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को कोर्ट मोहर्रिर द्वारा दी गई रिपोर्ट की सत्यता को किसी प्रकार चुनौती नहीं दी है कि आरोप पत्र 2.00 बजे अपराह्न प्राप्त किया गया है । उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह

विधिक स्थिति प्रकट हुई है कि जहां आरोप पत्र अनुबद्ध अवधि के अंतर्गत फाइल नहीं किया गया है और अभियुक्त ने जमानत पर निर्मुक्त होने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई आवेदन पेश किया है तथा जमानत बंधपत्र देने का प्रस्ताव किया है, तब ऐसे मामले में यद्यपि संबंधित मजिस्ट्रेट अभियुक्त के जमानत के आवेदन पर कोई आदेश पारित करने में विफल हो जाता है और उसे लंबित रख देता है और उसी बीच में यदि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन उसके अप्रतिरोध्य अधिकार अभियुक्त को उपगत हो जाता है और उसकी जमानत पर निर्मुक्त होने का यह अधिकार समाप्त नहीं होगा । इसी प्रकार यदि कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन अपने अधिकार को प्रवर्तन करवाने में विफल होता है और अनुबंध अवधि के पश्चात् आरोप पत्र पेश किया जाता है तब ऐसे मामले में अभियुक्त को उपगत होने वाला अप्रतिरोध्य अधिकार समाप्त हो जाएगा और उसके जमानत आवेदन पर संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसरण में ही गुणागुण पर विचार किया जाएगा । न्यायालय की यह राय है कि निचले न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर पुनरीक्षणकर्ता को निर्मुक्त करने से इनकार किए जाने पर कोई गलती नहीं की है क्योंकि वह तारीख जिसको पुनरीक्षणकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन अपने अधिकार को प्रवर्तन में लाने के लिए बल दिया है तब आरोप पत्र पहले ही फाइल कर दिया गया था । (पैरा 15, 13 और 16)

## अनुसृत निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2001] | (2001) 42 ए. सी. सी. 952 (एस. सी.) : **उदय मोहन लाल आचार्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 10 |
| [1994] | (1994) 31 ए. सी. सी. 702 (एस. सी.) : **संजय दत्त** बनाम **राज्य माध्यम सी. बी. आई. मुम्बई (II)** । | 11 |

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2010 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 5346.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

**पुनरीक्षणकर्ता की ओर से** श्री संतोष कुमार पांडे

**विरोधी पक्षकार की ओर से** अपर सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण** – पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल तथा राज्य के विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना ।

2. यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर पुनरीक्षणकर्ता को निर्मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था ।

3. मामले के संक्षेप में तथ्य जैसाकि पुनरीक्षण के ज्ञापन के साथ फाइल किए गए शपथपत्र में प्रकट किए गए हैं और जो इस पुनरीक्षण आवेदन का विनिश्चय करने के लिए सुसंगत हैं कि श्रीमती नेमश्री पत्नी सोमपाल द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर आधारित है जो दंड संहिता की धारा 307 और 302 के अधीन 2010 के अपराध मामला सं. 648 में धर्मपाल, चन्द्रपाल, बृजपाल और ओंकार द्वारा उसके पति सोमपाल की हत्या किए जाने के संबंध में, उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 12 जुलाई, 2010 को पुलिस थाना विथारी चैनपुर, जिला बरेली में पूर्व उल्लिखित चार व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी । पुनरीक्षणकर्ता चन्द्रपाल जो पूर्वोक्त मामले में अभियुक्तों में से एक है, उसे तारीख 27 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया गया था और तारीख 28 जुलाई, 2010 को कारागार भेजा गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए 90 दिन की अवधि अनुबद्ध की गई है जिसे तारीख 26 अक्तूबर, 2010 को पूरा किया गया था किंतु कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह प्रार्थना करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली के समक्ष आवेदन पेश किया गया था जिसमें जमानत बंधपत्र भी तैयार किए गए थे और इस प्रकार, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा क्योंकि अन्वेषक अधिकारी द्वारा अनुबद्ध अवधि के अंतर्गत कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के लिए

पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया ।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पुनरीक्षणकर्ता के लिए 90 दिन की अवधि के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करने से वह निरुद्ध किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है तथा विद्वान् मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर पुनरीक्षणकर्ता की जमानत आवेदन को खारिज करके प्रत्यक्ष गलती की है कि आरोप पत्र उस तारीख को पेश किया गया था जब पुनरीक्षणकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन अपने अधिकार को बल दिया था ।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि विहित की गई अवधि के पश्चात् आरोप पत्र फाइल करने के दिन को पुनरीक्षणकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर छोड़े जाने के लिए अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था जिसे अपरिहार्य रूप से समाप्त नहीं किया जाएगा जिसे उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन परिकल्पित अवधि के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट फाइल न करने से प्राप्त कर लिया था ।

6. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने इसके विपरीत यह दलील दी कि आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी तरह से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है । निचले न्यायालय ने अभिलेख पर प्रकट सम्पूर्ण सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 167(2) का परंतुक वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध उसी दिन आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिस दिन उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक का अवलंब लिया था ।

7. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि अनुबद्ध अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करने में अभियोजन पक्ष के एकमात्र विफल होने पर वास्तव में अभियुक्त निरोध से जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का हकदार है जब तक कि उसे ऐसी स्थिति में अपरिहार्य प्रोद्भूत अधिकार प्राप्त न हो जाएं, मामले में विहित अवधि के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसे जमानत बंधपत्र देने का प्रस्ताव दिया गया ।

8. उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि कोई अभियुक्त जमानत पर

निर्मुक्त होने के लिए कोई आवेदन पेश नहीं करता है तो ऐसे तथ्य के होते हुए भी कि आरोप पत्र अनुबद्ध अवधि के अंतर्गत फाइल नहीं किया गया है, तब वह आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार नहीं होगा जैसाकि वर्तमान मामले में प्रकट है ।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों की अति सावधानीपूर्वक परीक्षा की है और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर लाई गई अन्य सामग्रियों का भी परिशीलन किया है ।

10. जहां तक इस मुद्दे पर विधि का संबंध है, उस बारे में मत को **उदय मोहन लाल आचार्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्थापित किया गया है । उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त मामले में यह प्रश्न विचार के लिए उठा था कि क्या ऐसी स्थिति में जहां अभियोजन पक्ष अनुबद्ध अवधि के अंतर्गत चालान फाइल करने में विफल हुआ था और अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त होने के लिए अपने अपरिहार्य अधिकार को बल दिया था और जमानत बंधपत्र पेश करने का प्रस्ताव दिया था किंतु उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पूर्व इस न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया गया था तब क्या अभियुक्त को अनुबद्ध अवधि के भीतर चालान को फाइल न करने के कारण अपरिहार्य अधिकार प्राप्त हो गया था, आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् उसके अधिकार को समाप्त समझा गया ।

11. **उदय मोहन लाल आचार्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने **संजय दत्त** बनाम **राज्य माध्यम सी. बी. आई., मुम्बई (II)**[2] वाले मामले में सांविधानिक न्यायपीठ के विनिश्चय करने के पश्चात् तथा उसी पर आधारित अन्य विनिश्चय जिनमें निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए गए हैं, उनके आधार पर बहुमत से मत व्यक्त किया । पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 4 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया :–

> "1. धारा 167 की उपधारा (2) के अधीन वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन भेजा जाता है जबकि

[1] (2001) 42 ए. सी. सी. 952 (एस. सी.).

[2] (1994) 31 ए. सी. सी. 702 (एस. सी.).

पुलिस अपराध का अन्वेषण कर रही है तब क्या ऐसी अभिरक्षा में अभियुक्त को प्राधिकृत रूप से निरुद्ध किया जा सकता है जैसाकि मजिस्ट्रेट ठीक समझे जो अवधि कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न होगी ।

2. धारा 167 की पूर्वोक्त उपधारा (2) के परंतुक के अधीन मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निरुद्ध करने का प्राधिकार रख सकता है अन्यथा पुलिस अभिरक्षा 90 दिन से अधिक नहीं होगी जहां अन्वेषण मृत्यु के दंडनीय अपराध से संबंधित है, या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से दंडनीय है तथा कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है ।

3. यथास्थिति, 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तब विहित अवधि के अंतर्गत अन्वेषण पूरे न किए जाने के कारण अन्वेषण अभिकरण द्वारा त्रुटि होने पर अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्ति होने के लिए उसके पक्ष में अप्रतिरोध्य अधिकार उद्भूत होता है और अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है यदि वह मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रूप में जमानत देने की तैयारी करता है ।

4. जब अभियुक्त द्वारा इस संबंध में जमानत आवेदन फाइल किया जाता है कि वह विनिर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत अन्वेषण पूरे न किए जाने के कारण अन्वेषण अभिकरण की ओर से त्रुटि होने पर उसके पक्ष में अभिकथित अप्रतिरोध्य अधिकार उद्भूत होता है, मजिस्ट्रेट/न्यायालय अपना समाधान किए जाने के पश्चात् तत्काल उस आवेदन का निपटारा करेगा कि वास्तव में अभियुक्त 90 दिन की अवधि से या 60 दिन की अवधि से अभिरक्षा में रहा है जैसाकि विनिर्दिष्ट किया गया है और अन्वेषण अभिकरण द्वारा कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया है । मजिस्ट्रेट/न्यायालय की ओर से ऐसी त्वरित कार्रवाई अभियोजन पक्ष को इस बात के लिए समर्थ नहीं बनाएगी कि इससे अधिनियम के उद्देश्य विफल हो गया है । अब यह विधायी आज्ञा है कि अनुबद्ध अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा न किए जाने पर अन्वेषण अभिकरण की ओर से त्रुटि होने के कारण अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त हो जाना चाहिए ।

5. यदि अभियुक्त जमानत पत्र देने में असमर्थ हो जाता है जैसाकि मजिस्ट्रेट द्वारा निदेश दिया गया है तब धारा 167 का स्पष्टीकरण (1) और उपधारा (2) का परंतुक को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए, पैरा (क) विनिर्दिष्ट अवधि के परे भी अभियुक्त की निरंतर अभिरक्षा को अप्राधिकृत नहीं करेगी और इसलिए, यदि उक्त अवधि के दौरान अन्वेषण पूरा हो जाता है और आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है तब तथाकथित अभियुक्त का अप्रतिरोध्य अधिकार समाप्त हो जाएगा ।

6. **संजय दत्त** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त (यदि पहले ही उपलभ्य रही है) तो उससे यह अर्थ निकाला जाएगा जब अभियुक्त निदेश के अनुसार आवेदन फाइल करता है और जमानत देने की तैयारी करता है । दूसरे शब्दों में धारा 167 की उपधारा (2) के परंतुक का पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर यदि निदेशानुसार अभियुक्त जमानत के लिए आवेदन फाइल करता है तथा जमानत देने के लिए भी प्रस्ताव पेश करता है तब यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को अप्रतिरोध्य अधिकार उपलब्ध है यद्यपि न्यायालय ने उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया तथा जमानत के निबंधनों और शर्तों को उपदर्शित नहीं किया तब अभियुक्त ने जमानत बंधपत्र नहीं दिया ।"

12. "उपलभ्य" अभिव्यक्ति के पूर्वोक्त निर्वचन के साथ यदि अभियुक्त द्वारा अप्रतिरोध्य अधिकार उपलभ्य होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया है तब ऐसा अधिकार समाप्त नहीं समझा जाएगा और आवश्यक रूप से यदि अभियुक्त धारा 167 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश करके जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है परंतु मजिस्ट्रेट ने उस आवेदन को खारिज करके गलती की है और तब अभियुक्त ने उच्चतर न्यायालय में आवेदन पेश किया है और जबकि यह मामला आरोप पत्र को फाइल किए जाने के बारे में विचार के लिए उच्चतर न्यायालय के समक्ष लंबित रहा है, अभियुक्त का तथाकथित अप्रतिरोध्य अधिकार तदुपरि समाप्त नहीं होगा और दूसरी ओर अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त कर देना चाहिए । ऐसा अभियुक्त जो अपने अप्रतिरोध्य अधिकार के प्रवर्तन में जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है तथापि, धारा 209 के अनुसरण में आरोप पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किए जाने के लिए पेश किया जाना है तथा मजिस्ट्रेट जमानत के संबंध में संहिता के

उपबंध के अध्यधीन तथा जमानत को रद्दकरण के उपबंध के अध्यधीन अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किए जाने के मामले में विचार करना चाहिए । जबकि **मोहम्मद इकबाल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसरण में जमानत पहले ही मंजूर कर ली गई थी ।

13. उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह विधिक स्थिति प्रकट हुई है कि जहां आरोप पत्र अनुबंध अवधि के अंतर्गत फाइल नहीं किया गया है और अभियुक्त ने जमानत पर निर्मुक्त होने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई आवेदन पेश किया है तथा जमानत बंधपत्र देने का प्रस्ताव किया है, तब ऐसे मामले में यद्यपि संबंधित मजिस्ट्रेट अभियुक्त के जमानत के आवेदन पर कोई आदेश पारित करने में विफल हो जाता है और उसे लंबित रख देता है और उसी बीच में यदि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन उसके अप्रतिरोध्य अधिकार अभियुक्त को उपगत हो जाता है और उसकी जमानत पर निर्मुक्त होने का यह अधिकार समाप्त नहीं होगा । इसी प्रकार यदि कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन अपने अधिकार को प्रवर्तन करवाने में विफल होता है और अनुबंध अवधि के पश्चात् आरोप पत्र पेश किया जाता है तब ऐसे मामले में अभियुक्त को उपगत होने वाला अप्रतिरोध्य अधिकार समाप्त हो जाएगा और उसके जमानत आवेदन पर संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसरण में ही गुणागुण पर विचार किया जाएगा ।

14. अब मैं इस बारे में परीक्षा करता हूं कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनरीक्षणकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है या नहीं ।

15. अभिलेख पर लाई हुई सामग्रियों से यह प्रकट हुआ है कि पुनरीक्षणकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर निर्मुक्त होने के लिए अपने अधिकार को प्रवर्तन करवाने हेतु जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है । तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को उसमें यह अभिकथन किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन अनुबंध अवधि के अंतर्गत कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । उक्त आवेदन पर उसी दिन पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई गई थी । पुनरीक्षणकर्ता का जमानत आवेदन जिसे तारीख 27 अक्तूबर, 2010

को कोर्ट मोहर्रिर द्वारा दो रिपोर्टों के साथ शपथपत्र सहित उपाबंध सं. 4 के साथ फाइल किया गया है जिसमें यह अभिप्रमाणित किया गया है कि आरोप पत्र 2.00 बजे अपराह्न प्राप्त किया गया था जबकि दूसरी रिपोर्ट इस आशय की है कि कोई आरोप पत्र फाइल किया गया था । तथापि, अधिकारी या कर्मचारी का पदनाम जिन्होंने पूर्वोक्त रिपोर्ट बनाई थी, प्रकट नहीं किया गया है । शपथपत्र में भी इसे अधिकारी या कर्मचारी के पदनाम से पुनरीक्षण में इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है जिन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के जमानत आवेदन पर टिप्पण/रिपोर्ट दी है, उसमें 27 अक्तूबर, 2010 तक कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया है और उस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जमानत आवेदन पर तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को कोर्ट मोहर्रिर द्वारा दी गई रिपोर्ट की सत्यता को किसी प्रकार चुनौती नहीं दी है कि आरोप पत्र 2.00 बजे अपराह्न प्राप्त किया गया है ।

16. इस प्रकार, मेरी यह राय है कि निचले न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन जमानत पर पुनरीक्षणकर्ता को निर्मुक्त करने से इनकार किए जाने पर कोई गलती नहीं की है क्योंकि वह तारीख जिसको पुनरीक्षणकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन अपने अधिकार को प्रवर्तन में लाने के लिए बल दिया है तब आरोप पत्र पहले ही फाइल कर दिया गया था ।

17. दांडिक पुनरीक्षण आवेदन गुणागुण रहित है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

---

## नमो नारायण उपाध्याय और अन्य

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य

तथा

## संतोष उपाध्याय

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 4 फरवरी, 2011

**न्यायमूर्ति इम्तियाज़ मुर्तजा और न्यायमूर्ति (सुश्री) जयश्री तिवारी**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 147, 148, 323, 324/149, 325/149 और 302/149 तथा धारा 99 – सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में घोर उपहति और हत्या कारित किया जाना – संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् – ऐसे मामलों में जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो, वहां अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विधि को अपने हाथ में लेकर विवादित भू-भाग से परिवादी पक्षकार को बलपूर्वक बेकब्जा करने के आशय से क्षति और हत्या कारित करने पर उन्हें संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता ।**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/149 – सामान्य उद्देश्य और हत्या – मामले की परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य और अभिलेख से यह प्रकट होने पर कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना नहीं था और न ही वे संभाव्य जानते थे कि हत्या कारित की जा सकती है, इसलिए ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मृतक की हत्या करने वाले अभियुक्त के अलावा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 149 की सहायता से धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।**

मामले के तथ्यों के अनुसार घटना गांव बिगही, पुलिस थाना बांसदीह रोड, जिला बलिया में स्थित उस विवादग्रस्त खेत में घटी थी जिस पर दोनों पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । अभियोजन पक्षकथन के

अनुसार, घटना के दिन अर्थात् तारीख 6 मई, 2001 को पूर्वाह्न में लगभग 11.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी नमो नारायण उपाध्याय और अन्य अभियुक्त व्यक्ति एक ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादग्रस्त खेत में आए और खेत की जुताई करने के दृढ़ आशय से खेत में बोई हुई प्याज की फसल को उखेड़ना आरंभ कर दिया और जब शिकायतकर्ता और उसके साथ मौजूद व्यक्तियों द्वारा अभियुक्तों-अपीलार्थियों के इस कार्य का विरोध किया गया, तो उन्होंने पहले तो गंदी-गंदी गालियां दीं और उसके बाद शिकायतकर्ता और उसके साथ मौजूद अन्य व्यक्तियों पर लाठी और बल्लम से हमला कर दिया । इसी बीच, नमो नारायण नामक अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से संतोष उपाध्याय नामक अभियुक्त-अपीलार्थी को उकसाया कि शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दे और इस उकसावे पर पूर्वोक्त संतोष उपाध्याय ने शिकायतकर्ता के पिता पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई । तारीख 6 मई, 2001 को अपराह्न में लगभग 12.45 बजे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, बांसदीह ने अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण समाप्त होने पर पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/147, 325/147, 324/149, 307/149, 504, 506 और 302/149 के अधीन आरोप विरचित किए । सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/147, 324/149, 325/149 के अधीन दोषसिद्ध करने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन भी दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – परिसाक्ष्यों पर इनके सभी गुण-दोष के आधार पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल की इस दलील में कोई सार नहीं है कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक पर हमला संपत्ति के अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था । तीनों साक्षियों की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी किंतु कोई ऐसी बात निकलकर नहीं आई जिससे इस तथ्य का सुझाव मिलता हो कि अभियुक्तों ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग

किया था । प्रतिपरीक्षा में साक्षियों से यह बात कही गई थी कि उन्हें क्षतियां अभियोजन द्वारा यथा दावाकृत स्थान की बजाय किसी अन्य स्थान पर पहुंची थीं । यदि यह उपधारणा भी कर ली जाए कि शिकायतकर्ता पक्ष विवादग्रस्त भू-खंड पर किसी हक के बिना काबिज था, तो भी अभियुक्तों के लिए कानून को अपने हाथ में लेकर बलपूर्वक उन्हें नाकाबिज करना उचित नहीं था । उनके पास समुचित विधिक प्रक्रिया का अवलंब लेने का विकल्प था । भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में यह परिकल्पित है कि "उन दशाओं में, जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है" । (पैरा 36)

अपीलार्थियों को कलिका तिवारी की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । धारा 149 अपराध कारित करने के समय विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी बनाती है । इस प्रकार यह धारा एक विनिर्दिष्ट और भिन्न अपराध सृजित करती है । दूसरे शब्दों में, यह धारा विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का उस जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किए गए विधिविरुद्ध कृत्यों के लिए आन्वयिक या प्रतिनिधिक दायित्व सृजित करती है । तथापि, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व केवल विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में किए गए कृत्यों या ऐसे अपराधों तक विस्तारित है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे । धारा 149 के दो भाग हैं । धारा के प्रथम भाग में जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किए जाने का उल्लेख है जबकि द्वितीय भाग सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उस अपराध के किए जाने की संभाव्य जानकारी होने के संबंध में है । द्वितीय भाग में अनुध्यात जानकारी का अर्थ अपराध कारित होने की मात्र संभाव्यता की जानकारी होना नहीं है । यह जानकारी युक्तियुक्त रूप से संभाव्य होनी चाहिए । ऐसी जानकारी जमाव की प्रकृति, इसके सामान्य उद्देश्य, इसके सदस्यों द्वारा लिए हुए आयुधों के प्रकार और वास्तविक झगड़े के समय और उसके पूर्व उनके व्यवहार से प्राप्त की जा सकती है । अधिक विस्तार से चर्चा करते हुए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया गया अपराध ऐसा अपराध होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया है । अपराध को प्रथम भाग के अंतर्गत लाने के लिए, अपराध उस विधिविरुद्ध जमाव के

सामान्य उद्देश्य के साथ अव्यवहित रूप से संबद्ध होना चाहिए जिसका अभियुक्त सदस्य था । भले ही कारित किया गया अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर करने में न किया गया हो, तो भी यह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपराध ऐसा था जिसके कारित होने के बारे में सदस्य संभाव्य जानते थे और धारा के द्वितीय भाग में यही अपेक्षित है । वह प्रयोजन जिसके लिए जमाव के सदस्यों ने कार्य आरंभ किया या प्राप्त करना चाहते थे, वह उद्देश्य है । यदि सभी सदस्यों द्वारा इच्छित उद्देश्य एकसमान है, तो उस उद्देश्य की जानकारी, जिसको पूरा किया जा रहा है, सभी सदस्यों द्वारा सांझा की जाती है और उनकी इस बारे में सामान्य सहमति है कि उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाना है तथा अब यह जमाव का सामान्य उद्देश्य है । उद्देश्य मानव मस्तिष्क में रहता है और यह एक केवल मनोदशा होने के कारण कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है और आशय की तरह इसका निष्कर्ष सामान्यतः उस कृत्य से और उसके परिणाम से निकाला जाना चाहिए जो कि व्यक्ति कारित करता है । यद्यपि परिस्थितियों से ऐसा कोई संक्षिप्त सूत्र या नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता जिनसे सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष निकाला जा सकता हो, तो भी जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा लिए हुए आयुधों तथा घटना के समय या पूर्व या पश्चात् के व्यवहार से युक्तियुक्त रूप से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है । धारा के द्वितीय भाग में प्रयुक्त शब्द "जानते थे" का अर्थ संभाव्यता से कुछ अधिक विवक्षित है और इस शब्द को "जानकारी रही होगी" के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है । सकारात्मक जानकारी होना आवश्यक है । जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब सामान्यतः यह ऐसा अपराध होगा जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे । तथापि, इससे प्रतिकूल तथ्य सत्य नहीं हो जाता है और ऐसे मामले हो सकते हैं जो द्वितीय भाग के अंतर्गत आते हों किंतु प्रथम भाग के अंतर्गत नहीं । धारा 149 के दोनों भागों के बीच की भिन्नता की अनदेखी या अभिलोपन नहीं किया जा सकता है । प्रत्येक मामले में अवधारित किया जाने वाला यह मुद्दा होगा कि क्या कारित किया गया अपराध प्रथम भाग के अंतर्गत आता है या यह ऐसा अपराध था जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे और यह अपराध द्वितीय भाग के अंतर्गत आता है । तथापि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो प्रथम भाग के अंतर्गत आते हों, किंतु सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया गया अपराध

सामान्यतः, द्वितीय भाग के अंतर्गत आए अर्थात् ऐसा अपराध जिसका किया जाना पक्षकार सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे । उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह परीक्षण करने के लिए कि क्या विद्वान् काउंसेल की दलीलों में कोई सार है या नहीं, साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की है । वास्तविक घटना के बारे में अभिलेख से यथा प्रकटित साक्ष्य यह है कि अभियुक्तों ने विपदग्रस्त व्यक्तियों पर लाठी और भाले से हमला किया और उसके पश्चात् कोई हमला नहीं किया गया । अभिलेख से यह भी उल्लेखनीय है कि जब कलिका तिवारी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया तो उस पर किसी भी अभियुक्त ने हमला नहीं किया और उसी समय केवल संतोष उपाध्याय, जो ट्रैक्टर चला रहा था, ने कलिका तिवारी को ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचल दिया । इसलिए न्यायालय की यह राय है कि प्रकट तथ्यों के आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अन्य सभी अभियुक्त यह जानते थे कि कलिका तिवारी की संतोष उपाध्याय द्वारा हत्या की जा सकती है । इसलिए केवल संतोष उपाध्याय ही कलिका तिवारी की हत्या करने के लिए दायी होगा क्योंकि विधिविरुद्ध जमाव का यह सामान्य उद्देश्य नहीं था कि किसी व्यक्ति की हत्या की जाए और न ही वे यह जानते थे कि मृत्यु कारित किए जाने की संभावना है । सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषमुक्त किया गया है । जहां तक कलिका तिवारी की हत्या करने के लिए संतोष उपाध्याय को उकसाने वाले भाग का संबंध है, यह दलील दी गई है कि उकसाहट एक कमजोर किस्म का साक्ष्य होता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे कलिका तिवारी की हत्या करने के लिए संतोष उपाध्याय के दायित्व के साथ जोड़ने के लिए बाईबिल के सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पूर्व विनिश्चयों पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात् न्यायालय की यह अप्रतिरोध्य राय है कि अपीलार्थी नमो नारायण की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है क्योंकि यह अनुमेय है कि यह संतोष उपाध्याय, जिसने कलिका तिवारी की उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की थी, की व्यक्तिगत भूमिका थी । (पैरा 43, 44, 45, 50, 51 और 53)

## अवलंबित निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | (2010) 6 एस. सी. सी. 673 :<br>**बालराजे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| [2009] | (2009) 10 एस. सी. सी. 684 :<br>**बलवंतभाई बी. पटेल** बनाम **गुजरात राज्य** ; | 51 |
| [2008] | (2008) 16 एस. सी. सी. 529 :<br>**मेरानाड़ु** बनाम **राज्य** ; | 49 |
| [2006] | (2006) 2 एस. सी. सी. 450 :<br>**राधा मोहन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 56 |
| [2004] | (2004) 4 एस. सी. सी. 205 :<br>**चरण सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 46 |
| [2003] | (2003) 10 एस. सी. सी. 414 :<br>**मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह** ; | 39 |
| [2003] | (2003) 10 एस. सी. सी. 66 :<br>**सुरिन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ; | 45 |
| [1998] | (1998) 6 एस. सी. सी. 554 :<br>**आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **थाकिडिराम रेड्डी और अन्य** ; | 55 |
| [1991] | (1991) सप्ली. (2) एस. सी. सी. 437 :<br>**शेरे** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 47 |
| [1977] | (1977) 1 एस. सी. सी. 733 :<br>**मुसा खान** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 48 |
| [1973] | (1973) 1 एस. सी. सी. 714 :<br>**बाजवा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** । | 52 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 3200 और इसके साथ 2003 की दांडिक अपील सं. 3268.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** सर्वश्री अशोक कुमार शुक्ला, सतीश त्रिवेदी, रोशन खान, जगदीश सिंह सेंगर, एम. पी. यादव और (श्रीमती) अबीदा सय्यैद (न्याय मित्र)

**प्रत्यर्थी की ओर से** सर्वश्री अशोक कुमार राय, रविन्द्र नाथ राय और धर्मेन्द्र राय, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इम्तियाज़ मुर्तजा ने दिया ।

**न्या. मुर्तजा –** उपरोक्त दोनों अपीलें 2001 के सेशन विचारण सं. 269 में विशेष न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 7, बलिया द्वारा तारीख 3 जुलाई, 2003 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और धारा 147 के साथ पठित धारा 323 तथा धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और दो-दो वर्ष का कारावास भोगने और दो-दो सौ रुपए के जुर्माने और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक-एक वर्ष का और साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है । अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने और पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक-एक वर्ष का और साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है । सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलने का आदेश किया गया है ।

2. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखाने वाला दद्दन जी तिवारी नामक व्यक्ति है । मृतक, शिकायतकर्ता का पिता कलिका तिवारी है । घटना गांव बिगही, पुलिस थाना बांसदीह रोड, जिला बलिया में स्थित उस विवादग्रस्त खेत में घटी थी जिस पर दो पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, घटना के दिन अर्थात् तारीख 6 मई, 2001 को पूर्वाह्न में लगभग 11.00 बजे अपीलार्थी नमो नारायण उपाध्याय और अन्य अभियुक्त व्यक्ति एक ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादग्रस्त खेत में आए और खेत की जुताई करने के दृढ़ आशय के साथ खेत में बोई हुई प्याज की फसल को उखेड़ना आरंभ कर दिया और जब शिकायतकर्ता और उसके साथ मौजूद व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थियों के इस कार्य का विरोध किया गया, तो उन्होंने पहले तो गंदी-गंदी गालियां दीं और उसके बाद शिकायतकर्ता पर लाठी और बल्लम से हमला कर दिया । इसी बीच, अपीलार्थी नमो नारायण आगे आया और संतोष को उकसाया कि

शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दे और इस उकसावे पर पूर्वोक्त संतोष ने ट्रैक्टर, जो लाल रंग का था, चालू किया और शिकायतकर्ता के पिता, मृतक पर चढ़ा दिया और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई । आगे यह भी अभिकथित है कि घटना गांव के बहुत सारे लोगों द्वारा देखी गई थी, जिनमें राजनाथ तिवारी और विजय नारायण तिवारी भी सम्मिलित थे । यह भी अभिकथन किया गया है कि घटना कारित करने के पश्चात् अभियुक्त ट्रैक्टर पर अपने गांव कृपालपुर की ओर भाग गए ।

3. तारीख 6 मई, 2001 को अपराह्न में लगभग 12.45 बजे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, बांसदीह ने अन्वेषण आरंभ किया । प्रारंभ में उसने प्रथम इत्तिलाकर्ता दद्दन जी तिवारी और उसके भाई मदन जी तिवारी का कथन अभिलिखित किया और उप निरीक्षक जगदीश यादव, कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल राम अवध प्रजापति, कांस्टेबल दिनेश कुमार के साथ घटनास्थल का दौरा किया । उसके निदेश पर उप निरीक्षक जगदीश यादव द्वारा मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई, जो प्रदर्श क-2 है । शव को मुहरबंद किया गया और शव-परीक्षा के लिए कांस्टेबल लल्लन सोनकर और कांस्टेबल अवधेश बिहारी को सौंपा गया । उसने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को भी चिकित्सीय उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा । उसने घटनास्थल से रक्तरंजित और सादा मिट्टी एकत्रित की । और उनका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया, जो प्रदर्श क-14 है । प्रथम इत्तिलाकर्ता और उसके भाई मदन जी तिवारी की मौजूदगी में स्थल नक्शा (प्रदर्श क-15) तैयार किया गया । उसने महेन्द्रा ट्रैक्टर को बरामद किया जो सूर्य देव तिवारी के मकान के अंदर खड़ा था और जिसका अगला दायां पहिया गायब था तथा ट्रैक्टर का बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-3) तैयार किया । उसने उस स्थान का भी स्थल नक्शा (प्रदर्श क-16) बनाया जहां से ट्रैक्टर को बरामद किया गया था । तारीख 7 मई, 2001 को शिव नंद यादव को गिरफ्तार किया गया । आनंद नामक एक अभियुक्त, जो गूंगा और बहरा था, को लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और अपराह्न के 7.05 बजे रिपोर्ट सं. 21 द्वारा पुलिस को सौंपा गया (प्रदर्श 17) । थाना भारसाधक अधिकारी ने इस अभियुक्त को प्रदर्श क-18 द्वारा गिरफ्तार किया और उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा । जिला अस्पताल, बलिया में क्षतिग्रस्त धर्मेन्द्र तिवारी का कथन अभिलिखित किया गया । तारीख 8 मार्च, 2001 को साक्षी राम नाथ तिवारी और विजय नारायण तिवारी का कथन अभिलिखित किया गया । तारीख 10 मई,

2001 को दद्दन जी तिवारी और धर्मेन्द्र तिवारी की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 जोड़ी गई । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के लिए सुसंगत कागजात, आर. आई. को पत्र, नमूना मुहर, फोटो लाश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र तैयार किए, जो प्रदर्श क-19 से क-22 हैं । अन्वेषण समाप्त होने पर पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श क-23 है । आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/147, 325/147, 324/149, 307/149, 504, 506 और 302/149 के अधीन आरोप विरचित किए ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल दस साक्षियों की परीक्षा कराई । अभि. सा. 1 दद्दन जी तिवारी, अभि. सा. 2 धर्मेन्द्र तिवारी, अभि. सा. 3 विजय नारायण तिवारी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, अभि. सा. 4 डा. डी. राय है जिसने कलिका तिवारी के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, अभि. सा. 5 डा. के. सी. राय है जिसने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का एक्स-रे परीक्षण किया था, अभि. सा. 6 जगदीश यादव है जिसने मृत्यु-समीक्षा की कार्यवाहियां की थी, अभि. सा. 7 कांस्टेबल लल्लन प्रसाद सोनकर है जो शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए ले गया था, अभि. सा. 8 डा. सी. आई. रज़ा है जिसने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का परीक्षण किया था, अभि. सा. 9 मिरजा अहमद खान है जिसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को साबित किया और अभि. सा. 10 उप निरीक्षक मोहम्मद सय्यैद है जो मामले का अन्वेषक अधिकारी था ।

5. प्रतिरक्षा पक्ष ने आरोपों से इनकार किया और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

6. सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की और इसीलिए यह अपील फाइल की गई है ।

7. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सतीश त्रिवेदी जिनकी श्री एम. पी. यादव और डा. अबीदा सय्यैद द्वारा सहायता की गई तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्रीमती उषा किरण को सुना ।

8. अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल ने विचारण न्यायालय के

निष्कर्षों की आलोचना अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर की कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है और सेशन न्यायाधीश ने ऐसे साक्षियों के परिसाक्ष्यों का गलत रूप से अवलंब लिया है जिनकी मौजूदगी अत्यधिक संदेहास्पद है और यह भी दलील दी कि सेशन न्यायाधीश ने सभी अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन गलत रूप से दोषसिद्ध किया है । अपीलार्थी संतोष उपाध्याय की ओर से उपसंजात काउंसेल ने यह दलील दी कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थियों की है और कलिका तिवारी सभी न्यायालयों में मुकदमा हार चुका है । अंत में उसने यह दलील दी कि यह मामला अचानक प्रकोपन का है और अपीलार्थी ने अपने संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था । इसके विपरीत, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर जोर दिया ।

9. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का अवलोकन किया जाए ।

10. प्रथम इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 1 दद्दन जी तिवारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि गांव की पश्चिम-दक्षिण दिशा की ओर डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर उसकी एक एकड़ 24 बीघा कृषि भूमि स्थित है जिसका राजस्व आरज़ी सं. 888 है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय नाथूरनी तिवारी और सूरज देव तिवारी तथा श्याम सुन्दर उपाध्याय के बीच कुछ राजस्व मामला चल रहा था । उसके दादा की मृत्यु के पश्चात् कलिका तिवारी मामला लड़ रहा था और इस मुकदमेबाजी के कारण श्याम सुन्दर उपाध्याय, नमो नारायण उपाध्याय और उसके परिवार के सदस्य तनातनी में थे । आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया गया कि ऊपर उल्लिखित खेत में नमो नारायण और अन्य उस भूमि का 62 दशमलव भाग बलपूर्वक कब्जे में लेना चाहते थे जो आयुक्त, वाराणसी के समक्ष लंबित मुकदमेबाजी की विषयवस्तु थी । आगे यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि संतोष उपाध्याय ने उक्त 62 दशमलव माप की भूमि में प्याज और गेहूं की फसल बोई हुई थी । जो भूमि उनके कब्जे में थी, उसमें प्याज और गेहूं की फसल बोई हुई थी । आगे यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि घटना के दिन पूर्वाह्न में लगभग 11.00 बजे वह, उसका पिता कलिका तिवारी, भाई मदन जी तिवारी और धर्मेन्द्र तिवारी अपने भू-खंड से प्याज खोदने के लिए गए ।

खेत में पहुंचने पर उन्होंने नमो नारायण उपाध्याय, श्याम सुन्दर उपाध्याय, राधेश्याम उपाध्याय, संतोष उपाध्याय तथा एक लड़का जो गूंगा था और जिसका नाम वह नहीं जानता है और उनके समूह के ही संजय उपाध्याय और शिवानंद यादव को देखा जो लाठी और भाले से लैस थे तथा ट्रैक्टर का प्रयोग करके प्याज खोदने में लगे थे, जिस पर इस साक्षी, उसके पिता, भाई मदन और धर्मेन्द्र ने प्याज न खोदने के लिए कहा । उनकी बात पर ध्यान देने की बजाय अपीलार्थी नमो नारायण ने शिवानंद यादव जो भाले से लैस था, श्याम सुन्दर जो डंडे से लैस था, राधेश्याम तथा गूंगा (गूंगा बहरा लड़का) और संजय जो डंडे से लैस थे और संतोष उपाध्याय जो ट्रैक्टर की सीट पर था, को इस साक्षी, उसके पिता, भाई मदन और धर्मेन्द्र पर हमला करने के लिए उकसाया । उसके पिता को भाले की क्षतियां पहुंची और नीचे गिर गया । उसके पश्चात् नमो नारायण ने संतोष को उकसाया कि उसके पिता को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दे । संतोष, जो जुताई करने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था, उसने ट्रैक्टर उसके पिता पर चढ़ा दिया और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उसके पिता के अतिरिक्त, उसके भाई मदन तिवारी को भी भाले से कारित की गई क्षतियां पहुंची जबकि उसे और उसके भाई को लाठी से कारित क्षतियां पहुंची । यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि घटना विजय तिवारी और राजनाथ तिवारी द्वारा देखी गई थी । ट्रैक्टर का अगला एक पहिया टूटा हुआ था । अभियुक्त ट्रैक्टर सहित अपने गांव कृपालपुर चले आए । घटना के पश्चात् वह और उसका भाई मदन तिवारी अपने मकान पर आए और रिपोर्ट लिखवाई जो मुक्तेश्वर तिवारी द्वारा लिखी गई और उसे पढ़ने के पश्चात् उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए, जो प्रदर्श क-1 है । उसने पुलिस थाना, बांसदीह रोड में रिपोर्ट दर्ज कराई । उसका कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उसके पिता के शव की मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई और शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए प्रेषित किया गया । उसे उसके भाई मदन तिवारी और धर्मेन्द्र सहित जिला अस्पताल, बलिया भेजा गया और उन्हें वहां दाखिल किया गया और चिकित्सीय परीक्षण किया गया ।

11. इस साक्षी ने गांव में अपनी मौजूदगी को स्पष्ट करते हुए प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 4 मई, 2001 को वह छुट्टी पर अपने गांव आया था । खेत, जिसमें घटना घटी थी, उसके गांव से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खेत का राजस्व सं. 888 है । इस साक्षी ने यह बात स्वीकार की कि उसने अपनी रिपोर्ट में भी इसी संख्यांक का उल्लेख किया था और उसने फिर यह स्पष्ट किया कि उस समय उसे

संख्यांक ज्ञात नहीं था और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया था । उसने यह कथन किया कि घटना के पश्चात् उसका कथन उसी दिन पुलिस थाने में अभिलिखित किया गया था । उसे यह स्मरण नहीं है कि उसने खेत का संख्यांक 888 के रूप में उल्लेख किया था या नहीं । इसके बाद उसने पुनः यह कहते हुए अपनी बात में सुधार किया कि उसने खेत का संख्यांक बताया था और फिर यह कहा कि यदि उसके कथन में इस संख्यांक का उल्लेख नहीं किया गया था तो वह इसका कारण नहीं बता सकता । विवादग्रस्त खेत के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसके कुटुंब और अभियुक्तों के बीच एक मुकदमेबाजी चल रही थी । उसने यह भी कथन किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादग्रस्त खेत में अभियुक्त संतोष ने बेनामी के माध्यम से 62 दशमलव भूमि ली थी या नहीं । आगे यह भी कथन किया गया है कि राजस्व मामला संतोष द्वारा भू-खंड सं. 888 के संबंध में फाइल किया था और उसका पिता मामले की पैरवी कर रहा था । इस साक्षी ने मुकदमेबाजी की प्रकृति के बारे में और इस तथ्य के बारे में भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि भू-खंड सं. 888 में 62 दशमलव माप की भूमि की बाबत संतोष का नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट था या नहीं । उसने आगे यह कथन किया कि उसने रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि उसके दादा की मृत्यु के पश्चात् उसका पिता कलिका तिवारी उक्त मामले की पैरवी कर रहा था और इस साक्षी ने आगे यह स्पष्टीकरण दिया कि यदि इस तथ्य का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता और इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि उसने यह तथ्य पुलिस को भी बताया था । इस साक्षी ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि राजस्व मामले में नमो नारायण पक्षकार था या नहीं किंतु उसने स्पष्ट किया कि वह भी उसके परिवार का सदस्य है । उसने इस बात से भी अनभिज्ञता जाहिर की कि राजस्व मामले में राधेश्याम भी पक्षकार था या नहीं । वह नहीं जानता कि श्याम सुन्दर उपाध्याय अदरंग से पीड़ित था और अशक्त था या नहीं । तथापि, उसने यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि श्याम सुन्दर उपाध्याय चलने-फिरने के लिए पूर्ण योग्य था । इस साक्षी ने इस बात से जोरदार रूप से इनकार किया कि राधे श्याम चल-फिर नहीं सकता था । उसने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि अभियुक्त आनंद गूंगा बहरा है और मंद बुद्धि का व्यक्ति है । इस साक्षी ने इस तथ्य के बारे में भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि क्या उस समय संजय सेवा में था या नहीं किंतु उसने यह प्रकथन किया कि वह घटनास्थल पर मौजूद था । उसे वह

कारण मालूम नहीं कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र क्यों फाइल नहीं किया गया था । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया था कि उक्त खेत में नमो नारायण और अन्य व्यक्ति उसकी 62 दशमलव भूमि का बलपूर्वक कब्जा ले रहे थे किंतु उसने उसी समय यह स्पष्ट किया कि उसे उक्त खेत से संबंधित तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है । यह कथन किया गया है कि भू-खंड सं. 888 का कुल क्षेत्र एक एकड़ और 24 दशमलव है । संतोष द्वारा उक्त खेत में पश्चिम-उत्तर दिशा में 62 दशमलव क्षेत्र में से 6 दशमलव क्षेत्र में प्याज उगाई हुई थी जबकि 56 दशमलव क्षेत्र में गेहूं बोई हुई थी । उसने स्पष्ट किया कि उसकी भूमि का यही टुकड़ा था जो विवादग्रस्त था और आयुक्त के न्यायालय में अभी मामला लंबित था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि प्याज बोने के समय वह मौजूद नहीं था किंतु उसने कथन किया कि प्याज खोदने के समय वह खेत में गया था और वहां पूर्वाह्न के लगभग 11.00 बजे पहुंचा था । जब वे खेत में पहुंचे तो उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को उनके खेत में लगे प्याज खोदते हुए देखा और उस समय तक वे खेत के एक छोटे से क्षेत्र में प्याज खोद चुके थे । इस साक्षी ने यह बात स्वीकार की कि अन्वेषक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर उसके साथ आया था और उसने अन्वेषक अधिकारी को वह स्थान दिखाया था जहां प्याज खोदे जा रहे थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि राजस्व मामला नथुनी तिवारी, सूरज देव तिवारी और अभियुक्त संतोष के बीच चल रहा था । श्याम सुन्दर, नमो नारायण और राधेश्याम सभी एक ही कुटुंब के सदस्य हैं । इस साक्षी ने इस बात से अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि कुटुंब का विभाजन हो रखा था या नहीं । उसने यह कथन किया कि अन्वेषक अधिकारी घटना के दिन घटनास्थल पर अपराह्न में लगभग 12.00 बजे पहुंचे थे और अन्वेषक अधिकारी ने कुछ टिप्पण तैयार किया था किंतु इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि उक्त टिप्पण पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराए गए थे । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त प्याज ट्रैक्टर चलाकर खोद रहे थे । खोदी गई प्याज की मात्रा लगभग दो गट्ठी बताई गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उस समय जब वह और उसके कुटुंब के सदस्य अपने खेत से प्याज खोदने में व्यस्त थे, तब अभियुक्त व्यक्ति भी वहां खेत में पहुंचे और उनके पहुंचने से पूर्व वह और उसके कुटुंब के सदस्य पहले ही प्याज की कुछ मात्रा खोद

चुके थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने यह तथ्य अन्वेषक अधिकारी को बताया था और बताए जाने पर अन्वेषक अधिकारी ने कुछ टिप्पण बनाया था किंतु उसने उक्त टिप्पण पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराए थे । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्तों की संख्या सात थी और एक अभियुक्त कटाही निवासी शिवानंद यादव था जबकि शेष अभियुक्त कृपालपुर के हैं और अभियुक्तों में से दो अभियुक्त भाला लिए हुए थे और ट्रैक्टर संतोष द्वारा चलाया जा रहा था जबकि शेष अभियुक्त लाठी लिए हुए थे । उसने यह भी कथन किया कि खेत में ट्रैक्टर चलाना आरंभ करने से पूर्व अभियुक्तों ने उसके पिता पर हमला किया था और साथ ही गालियां भी दी थीं । इस साक्षी ने यह कथन किया कि वह उसके पिता पर लाठी से पहुंची क्षतियों को नहीं गिन सका था । तथापि, उसने यह कथन किया कि उसके पिता को कमर पर दाईं ओर भाले की दो-तीन क्षतियां पहुंची थीं ।

12. तारीख 20 अगस्त, 2002 को जारी रही प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया कि सबसे पहले जब ट्रैक्टर पर उसकी दृष्टि पड़ी, वह उसके खेत से दस मीटर की दूरी पर था और उस समय अभियुक्त संतोष पूर्व-दक्षिण दिशा में स्थित अपने खेत की जुताई कर रहा था । उसने पहली बार उसे कब देखा, पहले तो इस साक्षी ने यह कथन किया कि संतोष अपने खेत की जुताई नहीं कर रहा था किंतु शीघ्र ही उसने यह कहते हुए अपनी बात में सुधार किया कि वह नहीं जानता कि किसके खेत की जुताई की जा रही थी । उसने स्पष्ट किया कि घटना संतोष के प्याज के खेत में नहीं घटी थी अपितु उसके प्याज के खेत में घटी थी । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि 62 दशमलव खेत, जिसमें संतोष ने प्याज बोई हुई थी, के अतिरिक्त कोई अन्य खेत नहीं था जिसमें प्याज बोई हुई थी अपितु उक्त फसल उसके 6 दशमलव खेत में थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसका पिता बल्लम और लाठियों से कारित क्षतियां पहुंचने के पश्चात् उस खेत में गिर गया था जिसका राजस्व सं. 888 है और जो पश्चिम-उत्तर दिशा के कोने में है और जिसमें प्याज की फसल बोई हुई थी तथा अन्वेषक अधिकारी ने उक्त खेत से रक्त-रंजित और सादा मिट्टी एकत्रित की थी । उसने यह भी कथन किया कि इसी खेत में ट्रैक्टर का पहिया निकल कर अलग हो गया था और जिसे अभियुक्त ले गए थे । इस साक्षी ने यह बात स्वीकार की कि रिपोर्ट में पहिया टूटने के तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था और उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि उस समय वह बहुत अधिक भयभीत था । उसने यह भी कथन किया कि

अन्वेषक अधिकारी को इस तथ्य का उल्लेख किया गया था किंतु इस साक्षी ने यह नहीं बताया कि क्या अन्वेषक अधिकारी द्वारा इस तथ्य को नोट किया गया था या नहीं और यदि नोट नहीं किया गया था तो उसे नहीं पता कि नोट क्यों नहीं किया गया । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने वकील द्वारा दिए गए परामर्श के कारण ट्रैक्टर का पहिया टूटकर अलग होने के तथ्य का उल्लेख किया है । उसने इस बात से भी इनकार किया कि घटना के समय ट्रैक्टर चालू हालत में नहीं था । इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने यह विनिर्दिष्ट नहीं किया था कि अभियुक्तों में से कौन डंडा लिए हुए था और उनमें से किस के पास लाठी थी । इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि उसने अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह उल्लेख किया था कि शिवानंद यादव और नमो नारायण भाला लिए हुए थे और इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि यदि इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता । उसने इस बात से इनकार किया कि उस समय तक वह इस बात के लिए आश्वस्त नहीं था कि अभियुक्तों में से कौन भाला लिए हुए था । उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में उन भूमिकाओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया था कि भाले की क्षति किसने कारित की थी । उसका कथन अन्वेषक अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में अभिलिखित किया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसने अन्वेषक अधिकारी द्वारा कथन अभिलिखित करते समय उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया था जिन्हें भाला से कारित क्षतियां पहुंची थीं और यदि इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है तो इसका कारण वह नहीं बता सकता । उसने यह कथन किया कि वह घटनास्थल से चलने के पश्चात् वह लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर पूर्वाह्न में लगभग 11.00 बजे अपने मकान पर पहुंचा था और उसके पश्चात् पूर्वाह्न में लगभग 11.30 बजे अपने मकान से पुलिस थाने के लिए चला था और अपराह्न में लगभग 12.45 बजे पुलिस थाने पहुंचा था । उसने यह भी कथन किया कि वह पुलिस थाने अपने भाई और मुक्तेश्वर तिवारी, जिसने रिपोर्ट भी लिखी थी, के साथ गया था । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसे और उसके भाई मदन जी तिवारी को पुलिस थाने से चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था अपितु पुलिस थाने में औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी उसके और उसके भाई के साथ पुलिस थाने से रवाना हुआ था और अपराह्न के लगभग 1.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था और उस समय खोदे हुए प्याज और

जुताई किया गया खेत पाया गया था और वहां पर ट्रैक्टर के टायरों की पट्टियों के चिन्ह भी थे । इस साक्षी ने ट्रैक्टर चलाकर खोदे गए प्याज और खेत तथा उसके पिता के ट्रैक्टर से कुचले गए शव को भी दिखाया था । इस साक्षी ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि अन्वेषक अधिकारी ने पूर्वोक्त तथ्यों को नोट किया था या नहीं । यह साक्षी घटनास्थल से अन्वेषक अधिकारी और अन्य व्यक्तियों के साथ पुलिस थाने चला आया था । वह नहीं बता सकता कि शव को ले जाया गया था या नहीं । उसने इस बात से इनकार किया कि घटना उस रीति में घटित नहीं हुई थी जो कि रिपोर्ट में उल्लिखित है । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसे और अन्य व्यक्तियों को कहीं और तथा अन्य परिस्थितियों में क्षतियां पहुंची थीं । उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त व्यक्तियों को पुलिस के साथ मिलीभगत से मिथ्या रूप से फंसाया गया है । इस बात से भी इनकार किया गया कि पुलिस ने उसकी और उसके भाई मदन जी की क्षतियों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है ।

13. अभि. सा. 2 धर्मेन्द्र तिवारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन जब वह, उसका पिता कलिका तिवारी, भाई मदन जी तिवारी और दद्दन जी अपने खेत में बोए हुए प्याज खोदने में लगे थे, तब उन्होंने देखा कि गांव कृपालपुर के नमो नारायण उपाध्याय, श्याम सुन्दर उपाध्याय, राधे-श्याम उपाध्याय, संतोष उपाध्याय, गूंगा, संजय उपाध्याय और गांव कटाही का शिवानंद यादव लाठी और डंडों से लैस होकर घटनास्थल पर आए और खेत से बलपूर्वक प्याज खोदने लगे । जब उन्होंने उनका विरोध किया तो नमो नारायण नामक अभियुक्त ने अभियुक्त श्याम सुन्दर, राधेश्याम, संजय उपाध्याय, गूंगा, और शिवानंद यादव को उसके पिता, भाई मदनजी तिवारी और दद्दन तिवारी पर लाठी और भाले से हमला करने के लिए उकसाया । उसके पिता और भाई मदन जी तिवारी और दद्दन तिवारी को भाले से कारित क्षतियां पहुंची जो नमो नारायण और शिवानंद द्वारा चलाया गया था । भाले से कारित क्षति पहुंचने के पश्चात् उसका पिता खेत में गिर गया और उसी समय नमो नारायण ने संतोष, जो ट्रैक्टर चला रहा था, को उकसाया कि उसके पिता के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे और इस उकसाहट पर संतोष उपाध्याय ने तेज गति से ट्रैक्टर चलाया जिसके साथ जोत जुड़ी हुई थी और उसके पिता पर चढ़ा दिया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई । इस साक्षी ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्तों द्वारा घटना में उस पर और उसके भाई पर भी हमला किया गया था और उन्हें क्षतियां पहुंची थीं ।

घटना विजय नारायण तिवारी और राजनाथ तिवारी द्वारा भी देखी गई थी । वह (साक्षी) विजय नारायण और राजनाथ के साथ अपने पिता के शव के पास रुक गया था जबकि मदन तिवारी और दद्दन तिवारी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने चले गए थे । उसका और उसके भाई मदन तथा दद्दन का जिला अस्पताल, बलिया में चिकित्सीय परीक्षण किया गया था । घटना के अगले दिन पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में उसका कथन अभिलिखित किया गया था ।

14. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) में एक सोसायटी में कार्यरत था और वह वहां पर अपनी पढ़ाई भी कर रहा था । गांव में आने से पूर्व वह राष्ट्रीय विद्यालय, जगदालपुर से सातवीं कक्षा की परीक्षा में बैठा था । उसने यह कथन किया कि वह बचपन से ही छत्तीसगढ़ में रह रहा था और वह घटना से लगभग एक दिन पूर्व ही गांव में आया था । उसने यह भी कथन किया कि वह एक प्राइवेट सोसायटी में सेवारत था और उसने औपचारिक रूप से कोई छुट्टी नहीं ली थी । उसका घटना के दिन अपराह्न में 6.05 बजे राजकीय अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण किया गया था । अपनी क्षति के संबंध में उसने यह कथन किया कि उसकी बाएं पैर की मध्यमा अंगुली टूट गई थी और उसकी पीठ पर भी क्षति पहुंची थी और वहां पर कालस थी । उसने यह स्पष्ट किया कि पुलिस थाने में प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट उसकी मौजूदगी में नहीं लिखी गई थी । उसने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि उसके भाई ने रिपोर्ट घर पर तैयार की थी या नहीं । वह नहीं बता सकता कि उसके भाई ने रिपोर्ट में उसके नाम का या उसकी क्षतियों के बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया था । घटना के अगले दिन जिला अस्पताल, बलिया में एक्स-रे परीक्षण किया गया था । इस साक्षी ने विवादग्रस्त खेत के अवस्थान और उसके माप तथा विवादग्रस्त खेत से सटे खेत के ब्यौरे के बारे में भी कथन किया । उसने विवादग्रस्त खेत में बोई हुई फसल के बारे में भी ब्यौरा दिया । उसने यह भी कथन किया कि पुलिस घटना वाले दिन ही घटनास्थल पर आई थी । उसने यह भी कथन किया कि जब पुलिस घटनास्थल पर आई थी, गेहूं की फसल पहले ही काटी जा चुकी थी और खेत में प्याज की फसल थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि गेहूं की फसल काटते समय विवाद पैदा हुआ था । इस साक्षी ने माना कि संतोष का भू-खंड सं. 888 में अपना खेत था किंतु यह किस दिशा में स्थित था, यह नहीं बता सकता । उसे संतोष के खेत

के क्षेत्र की जानकारी नहीं है । उसने इस बात की जानकारी होने से भी इनकार किया कि संतोष और नमो नारायण इकट्ठे रहते थे या अलग-अलग मकानों में रहते थे और इस साक्षी ने आगे यह स्पष्ट किया कि चूंकि वे अलग-अलग गांव के हैं और उसने अभियुक्तों के मकान नहीं देखे हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि घटना से पूर्व वह अभियुक्तों को नहीं जानता था । उसने यह कथन किया कि घटना के दिन वह अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्वाह्न में 10.30 या 10.45 बजे प्याज खोदने में लगा था और वे चार व्यक्ति थे । खुदाई लगभग दस मिनट की गई थी और जो कुछ प्याज खोदे गए थे, उन्हें खेत में एक स्थान पर इकट्ठा किया गया था । उन्होंने प्याज लगभग 10 मिनट खोदे थे और उसके बाद वे खेत में एक जगह एकत्रित हुए थे । प्याज खेत के उस भाग से खोदे गए थे जो चाक रोड की तरफ उत्तरी दिशा में स्थित है और यही घटनास्थल भी है । उसने यह कथन किया कि उसने अन्वेषक अधिकारी को इस तथ्य का उल्लेख किया था और यदि अन्वेषक अधिकारी द्वारा इस तथ्य को लिखा नहीं गया था तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता है । उसने आगे यह भी कथन किया कि उस दिन वह अपने पिता कलिका तिवारी, भाई मदन तिवारी और दद्दन जी के साथ उनके खेत से निकाले गए प्याज इकट्ठा कर रहा था । उसे वह कारण ज्ञात नहीं है कि अन्वेषक अधिकारी ने उसके कथन में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया । वह नहीं जानता कि श्याम सुन्दर उपाध्याय लकवा का रोगी था या नहीं किंतु वह घटना के समय मौजूद था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि श्याम सुन्दर उपाध्याय लकवा का रोगी होने के कारण अपने टांगों पर खड़ा तक नहीं हो सकता था और इस साक्षी ने यह कथन किया कि श्याम सुन्दर उपाध्याय वहां लाठी लिए हुए खड़ा था । इस साक्षी ने यह नहीं देखा कि वह लाठी के सहारे खड़ा था या नहीं । श्याम सुन्दर तिवारी का कद लगभग पांच फुट है और उसका रंग गेहुंआ है । संजय भी वहां मौजूद था और इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसे जानकारी नहीं है कि वह सेना में सेवारत है या नहीं । उसे यह जानकारी नहीं है कि संजय उपाध्याय को आरोप पत्रित किया गया था या नहीं । अभियुक्त गूंगा बोल नहीं सकता किंतु वह बहरा नहीं है । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसके पास गूंगे से बात करने का कोई कारण नहीं था । उसने यह कथन किया कि सभी अभियुक्त उनके खेत से प्याज खोद रहे थे और उन्होंने अभियुक्तों को प्याज खोदने से मना किया था । आरंभ में इस साक्षी ने यह कथन किया कि अभियुक्त उनके खेत की दक्षिणी दिशा से प्याज उखेड़ रहे थे किंतु

फिर उसने यह कहते हुए अपनी बात में सुधार किया कि वे उत्तर-पश्चिम दिशा से उखेड़ रहे थे और इसके बाद उसने पुनः कथन किया कि वे ट्रैक्टर जोतकर प्याज उखेड़ रहे थे तथा केवल एक व्यक्ति प्याज उखेड़ रहा था और अन्य अभियुक्त प्याज नहीं उखेड़ रहे थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने केवल वही तथ्य बताए थे जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा पूछे गए थे । उसने अन्वेषक अधिकारी को अपने कथन में यह बताया था कि राधेश्याम, संतोष उपाध्याय और गूंगा, जिसका नाम वह नहीं जानता है, तथा संजय उपाध्याय और उनके गुट का शिवानंद यादव लाठी, भाले लेकर एक साथ आए और उनके खेत से बलपूर्वक प्याज उखेड़ने लगे और यदि इस तथ्य का उल्लेख उसके कथन में नहीं है तो इसका कारण वह नहीं बता सकता । संजय उपाध्याय अपने हाथ में लाठी लिए हुए था किंतु वह उसके द्वारा कारित किए गए प्रहारों की संख्या नहीं बता सकता । उसके पिता को दो या तीन क्षतियां पहुंची थीं । जब उसके पिता को लाठी की पहली क्षति पहुंची तब वह चाक रोड के उत्तर-पूर्व दिशा में था । लाठी की पहली क्षति पहुंचने पर उसका पिता नीचे नहीं गिरा था किंतु वह भाले की क्षति पहुंचने पर नीचे गिर गया था । वह चाक रोड के नजदीक गिरा था । इस साक्षी ने अन्वेषक अधिकारी को यह बताया था कि उसका पिता नमो नारायण और शिवानंद यादव द्वारा भाले से कारित की गई क्षति पहुंचने के पश्चात् नीचे गिर गया था । यदि इस तथ्य का उसके कथन में उल्लेख नहीं किया गया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता । अन्वेषक अधिकारी ने उससे उन व्यक्तियों के नाम नहीं पूछे थे जो लाठी लिए हुए थे और जो भाला लिए हुए थे, इसलिए उसने विनिर्दिष्ट नहीं किया था । उसने अन्वेषक अधिकारी को यह नहीं बताया था कि संजय ने लाठी से उसके पिता पर हमला किया था और इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा उससे इस बारे में नहीं पूछा गया था । वह संजय उपाध्याय द्वारा कारित किए गए लाठी के प्रहारों की संख्या नहीं बता सकता है । ट्रैक्टर घटना के समय घटनास्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में दस मीटर की दूरी पर था । केवल उसके पिता को ट्रैक्टर से क्षति पहुंची थी और किसी को नहीं और इस साक्षी ने आगे यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने उन पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी किंतु लगभग उसी समय ट्रैक्टर का दायां पहिया निकल कर अलग हो गया और अभियुक्त व्यक्ति निकला हुआ पहिया लेकर ट्रैक्टर सहित भाग गए । प्रश्न किए जाने पर इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि खेत में ट्रैक्टर के तीन पहियों के टायरों के चिन्ह छूटे थे

या चार पहियों के । जब अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर आए थे तब उसे ट्रैक्टर के पहियों के चिन्ह दिखाए गए थे । इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके भाई और अन्य ग्रामवासियों ने अन्वेषक अधिकारी का ध्यान ट्रैक्टर के पहियों के चिन्हों की ओर आकर्षित किया था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि यह घटना यथा उल्लिखित रीति में घटित नहीं हुई थी । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने कानूनी राय लेने के पश्चात् एक मनगढ़ंत बयान दिया था । उसने आगे इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्तों को चले आ रहे वैमनस्य के कारण और साथ ही उन पर दबाव बनाकर शरणागत करने के लिए मिथ्या रूप से फंसाया गया है । इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि क्षतियां कहीं और अलग रीति में कारित हुई थीं और अभियुक्तों को मिथ्या रूप से नामित किया गया है ।

15. अभि. सा. 3 विजय नारायण तिवारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन वह अपने गांव के राज नारायण तिवारी के साथ चाक रोड पर जा रहा था और जब वह कलिका तिवारी के खेत के निकट पहुंचा तो उन्होंने देखा कि कलिका तिवारी के खेत में बोई हुई प्याज की फसल को नमो नारायण, राधे श्याम, श्याम सुन्दर, संजय उपाध्याय, संतोष उपाध्याय और शिवानंद यादव और एक व्यक्ति जो गूंगा था, द्वारा खोदा जा रहा था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि नमो नारायण और शिवानंद भाला लिए हुए थे जबकि संतोष के अतिरिक्त अन्य अभियुक्त लाठी लिए हुए थे । संतोष ट्रैक्टर चला रहा था । इसी बीच, कलिका तिवारी, दद्दन, मदन और धर्मेन्द्र ने अभियुक्तों का विरोध किया, जिस पर अभियुक्तों ने उन पर हमला कर दिया । इस साक्षी ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि हमले के परिणामस्वरूप कलिका तिवारी, मदन, दद्दन और धर्मेन्द्र को क्षतियां पहुंचीं । उसने सही-सही यह बताया कि कलिका तिवारी और मदन को भाले से कारित क्षतियां पहुंचीं जबकि दद्दन और मदन को लाठी से कारित क्षति पहुंची । भाला की क्षति पहुंचने के पश्चात् कलिका तिवारी भूमि पर गिर गया । इसी बीच, नमो नारायण ने उसे ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के लिए संतोष को उकसाया और उसने ट्रैक्टर को कलिका तिवारी पर चढ़ा दिया और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उसके बाद अभियुक्त ट्रैक्टर सहित अपने मकान की ओर भाग गए । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके अतिरिक्त राजनाथ तिवारी द्वारा घटना देखी गई थी । घटना के पश्चात् मदन और दद्दन रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गए जबकि

यह साक्षी, राजनाथ और धर्मेन्द्र कलिका तिवारी के शव की देखभाल करने के लिए वहीं रुक गए । मुक्तेश्वर तिवारी, रामजी तिवारी, सुरेन्द्र तिवारी और राजू सिंह और अन्य सहित बहुत सारे व्यक्ति घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस थाना, बांसदीह रोड की पुलिस अपराह्न में 1.45 बजे से 2.00 बजे के बीच घटनास्थल पर आई । अन्वेषक अधिकारी ने कलिका तिवारी के शव की मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और सुरेन्द्र तिवारी, मुक्तेश्वर तिवारी, राजू सिंह और रामजी तिवारी के साथ-साथ इस साक्षी ने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट को प्रमाणित किया, जो प्रदर्श क-2 के रूप में चिन्हित है । उसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी इस साक्षी और राजू के साथ ट्रैक्टर की तलाश में गया जो मुवाली उपाध्याय की परती भूमि पर खड़ा था । अन्वेषक अधिकारी ने ट्रैक्टर को एक बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-3) के अधीन अभिगृहीत किया, जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित किए गए । अन्वेषक अधिकारी ने इस साक्षी से भी घटना के बारे में परिप्रश्न किए थे ।

16. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसका मकान कलिका तिवारी के मकान से 100 गज दूर है । उसने यह भी कथन किया कि कलिका तिवारी के छह पुत्र हैं । इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि उसका विवाह गांव जनेरही में गोपाल पांडे के घर हुआ है । उसने यह भी कथन किया कि कलिका तिवारी के किसी भी पुत्र का विवाह न तो गोपाल पांडे के परिवार में और न ही गांव जनेरही में किसी के यहां हुआ था । उसने यह स्पष्ट किया कि वह पेशे से कृषक है । घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी को स्पष्ट करते हुए इस साक्षी ने यह कथन किया कि घटना के दिन वह अपने भाई राज नारायण तिवारी को मोटरसाइकिल पर भोजन देने के लिए जा रहा था जो उस समय उस स्थान से, जहां घटना घटी थी, 20 बीघा की दूरी पर एक भाड़े के ट्रैक्टर से गिरजा सिंह के खेत की जुताई कर रहा था और गिरजा सिंह अपने खेत में मौजूद था किंतु वह (साक्षी) घटनास्थल पर ही अटक गया और भोजन नहीं पहुंचा सका तथा उसके बाद भोजन सहित अपने मकान पर वापस आ गया । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि वह घटनास्थल पर तीन-चार घंटे रुका था । उसने यह भी कथन किया कि गिरजा सिंह का खेत घटनास्थल से दिखाई पड़ता है । उसने आगे यह भी कथन किया कि घटनास्थल के आसपास कोई अन्य ट्रैक्टर नहीं देखा गया था । उसने यह

भी कथन किया कि उसने संतोष का ट्रैक्टर देखा था जिस पर कोई पंजीकरण संख्यांक नहीं था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने संतोष के ट्रैक्टर को पहले उत्तरी दिशा में वहां खड़े देखा था जहां प्याज बोए हुए थे । उस समय यह साक्षी चाक रोड की पश्चिम दिशा में खड़ा था । उसने यह कथन किया कि घटना के दिन अन्वेषक अधिकारी दोपहर के लगभग 2.00 बजे पहुंचा था और जब वह वहां पहुंचा तो उसने स्थल नक्शा तैयार किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने उसे वह स्थान दिखाया था जहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी । प्रश्न किए जाने पर इस साक्षी ने यह कथन किया कि यदि अन्वेषक अधिकारी ने वह स्थान नहीं दिखाया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने वह स्थान भी दिखाया था जहां संतोष का ट्रैक्टर खड़ा था । घटना के दिन कलिका तिवारी प्याज के खेत की पश्चिमी दिशा में मौजूद था । सुसंगत समय पर ट्रैक्टर और कलिका तिवारी के बीच दो-तीन कदम की दूरी थी । प्याज की फसल को कलिका तिवारी नहीं गोड़ रहा था अपितु वह नमो नारायण था जो पूर्वी दिशा में प्याज गोड़ रहा था । उस समय, जब घटना घटी, प्याज को इकट्ठा नहीं किया गया था अपितु बिखरी पड़ी थी और यह पुलिस के पहुंचने तक बिखरी पड़ी रही थी और पुलिस द्वारा उसी दशा में प्याज देखे गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि संतोष चाक रोड की उत्तरी दिशा से ट्रैक्टर लाया था और जब ट्रैक्टर को उस स्थान तक लाया गया था जहां कलिका तिवारी खड़ा था, तब ट्रैक्टर के पहिए से खेत में 2 इंच गहरे चिन्ह बन गए थे । अपराध कारित करने के पश्चात् ट्रैक्टर को पश्चिमी दिशा से ले जाया गया था । ट्रैक्टर के पहियों के नीचे प्याज की फसल कुचल गई थी । आगे यह भी कथन किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी ने ट्रैक्टर के टायरों के चिन्ह देखे थे । तथापि, इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि यदि अन्वेषक अधिकारी ने टायरों के चिन्हों को और उस फसल को, जो ट्रैक्टर द्वारा कुचल दी गई थी, नहीं दिखाया है तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता । इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अन्वेषक अधिकारी को यह बताया था कि वह घटनास्थल पर मोटरसाइकिल से आया था और यदि इस बात को उसके कथन में उल्लिखित नहीं किया गया तो वह स्पष्ट नहीं कर सकता कि क्यों नहीं किया गया ? ट्रैक्टर के साथ फलक जुड़े हुए थे और विवादग्रस्त खेत में प्रवेश करते समय अभियुक्त संतोष ने ट्रैक्टर को लगभग 4 या 5 बार खेत के चारों ओर दौड़ाया था और इसके परिणामस्वरूप फसल नष्ट हो गई थी । इस साक्षी ने स्पष्ट किया कि अधिकांश फसल

को उखेड़ दिया गया था और अन्वेषक अधिकारी ने स्वयं फसल की दशा को देखा था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसका गांव उस गांव से तीन किलोमीटर दूर पड़ता है जहां घटना घटी थी और वह अभियुक्तों को पहले से ही जानता था । उसने यह स्पष्ट किया कि जब नमो नारायण ने कलिका तिवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए उकसाया तो वह कुछ दूर तक भागा और उसके पश्चात् गिर गया किंतु अन्य व्यक्ति चाक रोड की ओर भाग आए । तथापि, उसने यह कथन किया कि अन्य व्यक्ति जो चाक रोड की ओर भागकर आ गए थे उन पर हमला नहीं किया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि ट्रैक्टर की पश्चिमी दिशा की ओर कलिका तिवारी, दद्दन, मदन और धर्मेन्द्र खड़े थे । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपराध कारित होते हुए नहीं देखा था और कलिका तिवारी के पुत्र के साथ उसकी नातेदारी होने के कारण जो उसका साढ़ू (पत्नी की बहिन का पति) है, मिथ्या रूप से अभिसाक्ष्य दे रहा है । उसने इस बात से भी इनकार किया कि वह अपने भाई को भोजन देने के लिए नहीं गया था और यह भी कि उसका भाई उस दिन गिरजा सिंह के खेत की जुताई के काम में नहीं लगा था ।

17. अभि. सा. 4 डा. डी. राय है जिसने तारीख 7 मई, 2001 को पूर्वाह्न में लगभग 11.00 बजे मृतक कलिका तिवारी के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी और मृत्यु-पूर्व की निम्नलिखित क्षतियां पाई थी :–

1. दाईं छाती के श्रोणी के ठीक ऊपर दाएं श्रोणीय किनारे पर 4 से. मी. x 3 से. मी. x वाहिका तक गहरा छिन्न घाव । किनारे छोटे तथा लाल रंग के हैं ।

2. क्षति सं. 1 के ऊपर 6 से. मी. x 3 से. मी. x वाहिका तक गहरा छिन्न घाव । किनारे पैने और लाल रंग के हैं ।

3. दाईं जांघ पर 10 से. मी. x 2 से. मी. x वाहिका तक गहरा छिन्न घाव ।

4. छाती के सामने के भाग पर नीले रंग की 10 से. मी. x 2 से. मी. के क्षेत्र में बहुत-सारी खरोंच ।

5. 5 से. मी. x 4 से. मी. के क्षेत्र में........ नीले रंग की बहुत-सारी खरोंच ।

6. चेहरे पर खोपड़ी के दाईं ओर.....नीले रंग की 10 से. मी. x

10 से. मी. के क्षेत्र में बहुत-सारे अपकर्षित नील ।

18. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अभिसाक्ष्य दिया कि क्षति सं. 1, 2 और 3 चाकू या गंडासे से कारित नहीं की जा सकती थीं क्योंकि वे अधिक गहरी नहीं थी । उसने यह राय व्यक्त की कि चाकू और गंडासे से 2-3 से. मी. से अधिक गहरी क्षति कारित नहीं होती है । उसने यह भी कथन किया कि वह इस कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं दिखा सकता और वह केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह अभिसाक्ष्य दे रहा है । गंडासे से कारित की गई क्षति की गहराई बल पर निर्भर करती है और गंडासे से शरीर का अंग काटकर अलग किया जा सकता है । क्षति सं. 4 किसी भारी वस्तु से जोर से रगड़ने पर कारित की जा सकती है । क्षति सं. 5 और 6 किसी कठोर वस्तु से रगड़ने पर कारित की जा सकती है । क्षति सं. 4 पत्थर जैसी किसी भारी वस्तु से कारित की जा सकती है और मृत्यु होने में 3-4 घंटे की अवधि हो सकती है । शव-काठिन्य ग्रीष्म ऋतु में शीघ्र पारित हो जाता है ।

19. अभि. सा. 5 डा. के. सी. राय, विकिरण-विज्ञानी जिला अस्पताल, बलिया ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मदन तिवारी का परीक्षण किया था और निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

1. सिर पर दाएं कान के लगभग 13 से. मी. ऊपर तर्कुरूप में 6 से. मी. x 0.5 से. मी. x खोपड़ी तक गहरा छिन्न घाव । रक्त के ताजे थक्कों सहित किनारे स्पष्ट रूप से कटे हुए । खोपड़ी का एक्स-रे किया गया ।

2. बाएं कान के लगभग 1 से. मी. ऊपर कनपटी पर 3.5 से. मी. x 0.5 से. मी. x मांसपेशी तक अत्यधिक रक्त बहता हुआ गहरा छिन्न घाव । किनारे स्पष्ट रूप से कटे हुए और घाव तर्कुरूप में हैं ।

3. बाएं कंधे के शीर्ष पर 7 से. मी. x 6 से. मी. के क्षेत्र में बहुत-सारी खरोंच देखी गई ।

4. छाती के पीछे की ओर बाईं तरफ बाएं कंधे पर हड्डी के एक्स-रे में 13 से. मी. x 1.5 से. मी. का लाल रंग का नील ।

20. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि उसने एक्स-रे रिपोर्ट पुलिस के दबाव में गलत रूप से तैयार की थी ।

21. अभि. सा. 5 उप निरीक्षक जगदीश यादव है । उसने अभिसाक्ष्य

दिया कि वह तारीख 6 मई, 2001 को पुलिस थाना, बांसदीह रोड, बलिया में उप निरीक्षक के रूप में तैनात था । उस दिन उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 302, 504 और 506 के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 98 के संबंध में कलिका तिवारी के शव की मृत्यु-समीक्षा, प्रदर्श क-2, थी । उसने थाना भारसाधक अधिकारी मोहम्मद सय्यद के निदेश पर मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने मृत्यु-समीक्षा कार्यवाहियों से संबंधित सुसंगत कागजात तैयार किए थे । इस साक्षी ने यह प्रमाणित किया कि प्ररूप 13 उसके हस्तलेख में हैं, जो कि प्रदर्श क-9 के रूप में चिन्हित है ।

22. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुलिस थाने से अपराह्न में 12.45 बजे रवाना हुआ था । शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए तारीख 6 मई, 2001 को प्रेषित किया गया था । इस साक्षी ने प्रदर्श क-2 में दिए गए समय अपराह्न 12.45 बजे पर किसी प्रकार का ऊपरिलेखन होने की बात से इनकार किया । यह साक्षी वह समय नहीं बता सकता जब शव को पुलिस थाना, बांसदीह में लाया गया था । इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि प्रदर्श क-2 घटनास्थल पर तैयार नहीं की गई थी ।

23. अभि. सा. 7 कांस्टेबल लल्लन प्रसाद सोनकर है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 6 मई, 2001 को वह पुलिस थाना, बांसदीह रोड में कांस्टेबल के रूप में तैनात था । उसे थाना भारसाधक अधिकारी मोहम्मद सय्यद द्वारा कलिका तिवारी का शव मुहरबंद दशा में सौंपा गया था । उसे और अवधेश बिहारी को शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए सौंपा गया था । वह शव को पुलिस लाइन में लाया था और उसके पश्चात् शव को सुसंगत कागजातों सहित डाक्टर को सौंपा गया था । इस अवधि के दौरान उसने किसी भी व्यक्ति को शव को छूने के लिए अनुज्ञात नहीं किया था । मरणोत्तर परीक्षा के पश्चात् मृतक के कपड़े और सुसंगत कागजात पुलिस थाने लाए गए थे और शव को परिवार के सदस्यों को सौंप दिया था ।

24. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने शव को पुलिस थाने में अपराह्न में 2.15 बजे प्राप्त किया था और पुलिस थाने अपराह्न में लगभग 6.15 बजे पहुंचा था और मरणोत्तर परीक्षा के पश्चात् उसने कागजात अपराह्न में लगभग 4.00 या 5.00 बजे प्राप्त किए थे और इन वह कागजातों को पुलिस थाने में अपराह्न में 7-8 बजे लाया था ।

25. अभि. सा. 8 डा. सी. आई. रज़ा, आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी,

जिला अस्पताल, बलिया ने धर्मेन्द्र तिवारी का चिकित्सीय परीक्षण किया था और उसने निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

1. बाएं प्रबाहु की बाईं कलाई पर और बाएं हाथ पर 15 से. मी. x 6 से. मी. की अपकर्षित नीलयुक्त सूजन (लाल रंग की) । कलाई और बाएं हाथ सहित बाएं प्रबाहु का एक्स-रे किया गया ।

2. बाएं पैर पर 9 से. मी. x 11 से. मी. की अपकर्षित नीलयुक्त सूजन ।

3. छाती के पीछे की ओर ऊपरी भाग पर लाल रंग का द्वितरफा 29 से. मी. x 0.75 से. मी. x 0.75 से. मी. का इक्योपेरेल्ड लिनियर नील ।

26. इस साक्षी ने उसी दिन दद्दनजी तिवारी का भी चिकित्सीय परीक्षण किया था और निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

1. दाएं कान के लगभग 13 से. मी. ऊपर सिर के दाएं ओर खून के ताजा थक्कों सहित 7 से. मी. x 0.75 से. मी. x खोपड़ी तक गहरा विदीर्ण घाव । खोपड़ी का एक्स-रे किया गया ।

2. दाईं निचले प्रबाहु सहित दाएं हाथ पर 17 से. मी. x 8 से. मी. की अपकर्षित नीलयुक्त सूजन । दाएं प्रबाहु सहित दाएं हाथ का एक्स-रे किया गया ।

3. बाएं कटि क्षेत्र में पश्च भाग पर 7 से. मी. x 2 से. मी. का अपकर्षित नील ।

4. छाती पर दाईं तरफ पश्च भाग पर 7 से. मी. x 7 से. मी. की बहुत-सारी खरोंचें ।

27. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने क्षतिग्रस्त को एक्स-रे कराने का परामर्श दिया था किंतु उसे कोई पूरक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी । क्षति सं. 1 और 2 ईंट या पत्थर पर गिरने के कारण कारित हो सकती थी । क्षति सं. 3 दातून जैसी पतली लकड़ी या रस्सी से कारित की जा सकती थी । इस साक्षी ने यह कथन किया कि धर्मेन्द्र चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वयं अपने आप आया था और उसे किसी कांस्टेबल द्वारा नहीं लाया गया था । प्रदर्श क-9 पर कोई मुहर नहीं है और अपराध संख्यांक भी उल्लिखित नहीं है । उसने यह राय व्यक्त की कि मदन की क्षति सं. 1 और 2 चाकू से कारित की जा सकती थी । इस

साक्षी ने यह कथन किया कि क्षति सं. 1 की एक्स-रे रिपोर्ट उसके समक्ष नहीं है । यह राय व्यक्त की गई कि मदन की क्षति सं. 3 को किसी पत्थर से कारित किया जाना संभव है और एक्स-रे रिपोर्ट उसके समक्ष नहीं है । क्षति सं. 4, 13 से. मी. की है और किसी डंडे से कारित की जा सकती है । दद्दन की क्षति सं. 3, 4 और 2 किसी पत्थर से टकराने पर कारित हो सकती है । क्षति सं. 2 डंडे से कारित की जा सकती है । क्षति सं. 1 पत्थर से कारित की जा सकती है । क्षतियां कारित होने की अवधि आठ घंटे पहले की हो सकती हैं । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की मिथ्या स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार की गई थी ।

28. अभि. सा. 9 कांस्टेबल मिरज ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह तारीख 6 मई, 2001 को पुलिस थाना, बांसदीह में हैड कांस्टेबल के रूप में तैनात था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि दद्दनजी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 और 302 के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 98 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की थी, जो कि प्रदर्श क-12 है और इस साक्षी ने इस रिपोर्ट को साबित किया । तारीख 6 मई, 2001 को अपराह्न में 12.45 बजे की गई प्रविष्टि सं. 19 इस साक्षी के हस्तलेख में है और इसकी प्रति प्रदर्श क-13 के रूप में चिन्हित है ।

29. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि शिकायतकर्ता के साथ मदन तिवारी आया था और कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ नहीं आया था । विशेष रिपोर्ट उसी दिन अपराह्न में 1.35 बजे भेजी गई थी । अन्वेषक अधिकारी पुलिस थाने में रिपोर्ट सं. 14 द्वारा अपराह्न में 12.45 बजे पहुंचा था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि रिपोर्ट पूर्वदिनांकित थी ।

30. अभि. सा. 10 उप निरीक्षक मोहम्मद सय्यद मामले का अन्वेषक अधिकारी था और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह सुसंगत समय पर पुलिस थाना, बांसदीह रोड में थाना भारसाधक अधिकारी के रूप में तैनात था और दद्दनजी तिवारी द्वारा पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 और 302 के अधीन 2001 का अपराध मामला सं. 98 रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

31. उसने अन्वेषण आरंभ किया और सबसे पहले उसने प्रथम

इत्तिलाकर्ता दद्दनजी तिवारी और उसके भाई मदनजी तिवारी का कथन अभिलिखित किया और उसके पश्चात् उप निरीक्षक जगदीश यादव, कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल राम अवध प्रजापति, कांस्टेबल दिनेश कुमार के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुआ । उसके निदेश पर उप निरीक्षक जगदीश यादव द्वारा मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई, जो प्रदर्श क-2 है । शव को मुहरबंद किया गया और कांस्टेबल लल्लन सोनकर और कांस्टेबल अवधेश बिहारी राय को सौंपा गया । उसने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को भी जिला अस्पताल भेजा । उसने घटनास्थल से रक्तरंजित और सादा मिट्टी एकत्रित की और उसका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया, जो प्रदर्श क-14 के रूप में चिन्हित है । प्रथम इत्तिलाकर्ता और उसके भाई मदनजी तिवारी की मौजूदगी में स्थल नक्शा तैयार किया गया, जो प्रदर्श क-15 है । उसने महेन्द्रा ट्रैक्टर बरामद किया जो सूर्य देव तिवारी के मकान के अन्दर खड़ा था और जिसका अगला दाहिना पहिया गायब था और इसका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया, जो प्रदर्श क-3 के रूप में चिन्हित है । उसने उस स्थान का भी स्थल नक्शा बनाया जहां से ट्रैक्टर बरामद किया गया था, जो प्रदर्श क-16 के रूप में चिन्हित है । तारीख 7 मई, 2001 को शिवानंद यादव को गिरफ्तार किया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त आनंद जो गूंगा है को जनता द्वारा पकड़ा गया था और पुलिस थाने में सौंपा गया था और इस तथ्य को अपराह्न में 7.05 बजे रिपोर्ट सं. 21 में प्रविष्ट किया गया था । रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श क-17 के रूप में चिन्हित है । पूर्वोक्त अभियुक्त आनंद को सम्यक् रूप से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श क-18 के रूप में चिन्हित है । इस अभियुक्त को गूंगा उपनाम देकर चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था । क्षतिग्रस्त धर्मेन्द्र तिवारी का कथन जिला अस्पताल, बलिया में अभिलिखित किया गया था । तारीख 8 मार्च, 2001 को साक्षी राम नाथ तिवारी और विजय नारायण तिवारी का कथन अभिलिखित किया गया । तारीख 10 मई, 2001 को दद्दन जी तिवारी और धर्मेन्द्र तिवारी की एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 जोड़ी गई । मरणोत्तर परीक्षा के लिए सुसंगत कागजात, आर. आई. को पत्र, नमूना मुहर, फोटो लाश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित पत्र तैयार किए गए, जो प्रदर्श क-19 से 22 के रूप में चिन्हित हैं । अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् उसने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श क-23 के रूप में चिन्हित है ।

32. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि खेत जहां

घटना घटित हुई थी का संख्यांक 888 है जो मौजा बीघाही सिवान में स्थित है । वह नहीं बता सकता कि अभियुक्त संतोष का भू-खंड संख्यांक 888 में हिस्सा था या नहीं । वह क्षेत्र भी नहीं बता सकता जिसमें प्याज बोई हुई थी । उसने पुलिस थाने में दद्दनजी तिवारी का कथन अभिलिखित किया था और उसने खेत के संख्यांक का उल्लेख नहीं किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दद्दनजी तिवारी ने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया था कि उसके दादा की मृत्यु के पश्चात् उसका पिता कलिका तिवारी मामले की पैरवी कर रहा था । अन्वेषण के दौरान उसने श्याम सुन्दर को देखा था किंतु वह उसकी आयु नहीं बता सकता । इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि श्याम सुन्दर लकवा का रोगी था किंतु वह चल सकता था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि श्याय सुन्दर बिना सहारे के नहीं चल सकता था । इस साक्षी ने गूंगे अभियुक्त का कथन उसके द्वारा किए इशारों की भाषा के आधार पर अभिलिखित किया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि अभियुक्त संजय उपाध्याय सेना में सेवारत था । उसने यह स्पष्ट किया कि इस अभियुक्त को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उसकी मौजूदगी के बारे में संदेह होने के कारण आरोपपत्रित नहीं किया गया था । जब यह साक्षी घटनास्थल पर आया तब प्याज एक स्थान पर इकट्ठे किए हुए नहीं पाए गए थे । उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसने स्थल नक्शे में उस स्थान को चिन्हित किया है जहां थैले में भरकर प्याज रखे हुए थे और वह स्थान पश्चिमी दिशा में है । उसने यह भी कथन किया कि उसने वह स्थान चिन्हित नहीं किया था जहां घटना के समय प्याज रखे हुए थे और इस साक्षी ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि उसने स्थल नक्शे में खेत में ट्रैक्टर चलाए जाने के तथ्य का उल्लेख नहीं किया था । उसने यह भी कथन किया कि उसने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि टायरों के चिह्न मौजूद हैं जिससे दर्शित होता है कि खेत में खाली ट्रैक्टर दौड़ाया गया था किंतु उसी समय उसने यह कथन किया कि उसने खेत में टायरों के चिन्ह देखे जाने के तथ्य का उल्लेख किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने जुताई किए गए प्याज का बरामदगी ज्ञापन तैयार नहीं किया था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने ऐसा कोई कथन अभिलिखित किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दो अभियुक्त भाले से लैस थे । उसने यह भी कथन किया कि स्थल नक्शे में वह स्थान चिन्हित नहीं किया गया था जहां ट्रैक्टर का टूटा हुआ पहिया

गिरा था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि दद्दन ने इस आशय का कोई कथन किया था कि ट्रैक्टर के टूटे हुए पहिए को अभियुक्तों द्वारा ले जाया गया था या किसी अभियुक्त के पास भाला था या उनके पक्ष के किसी व्यक्ति को भाले की कोई क्षति पहुंची थी । वह घटनास्थल पर दोपहर में लगभग 2.00 बजे पहुंचा था । इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका पुलिस थाने से प्रस्थान करने का समय मामला डायरी में उल्लिखित नहीं है । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन किया कि रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् दद्दन और मदन को कांस्टेबल रामदास यादव के साथ सदर अस्पताल भेजा गया था किंतु यह साक्षी वह समय नहीं बता सकता कि वे कब गए थे । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि धर्मेन्द्र ने इस आशय का कथन किया था कि पूर्वाह्न में लगभग 11.00 बजे वह अपने पिता कलिका तिवारी, भाई मदन तिवारी और दद्दनजी तिवारी के साथ अपने खेत से प्याज खोद रहा था । इस साक्षी ने इस बात का भी खंडन किया कि उसके समक्ष ऐसा कोई कथन किया गया था कि राधे श्याम उपाध्याय, संतोष और उनके परिवार का एक गूंगा, जिसका नाम वह नहीं जानता और गांव कटही का शिवानंद यादव इकट्ठा हुए और वे लाठी और भाले से लैस होकर खेत में आए और जबरदस्ती प्याज खोदने लगे । उसने यह भी खंडन किया कि धर्मेन्द्र ने इस आशय का कोई कथन किया था कि नमो नारायण और शिवानंद द्वारा भाले से कारित की गई क्षतियां पहुंचने के पश्चात् उसका पिता कलिका तिवारी नीचे गिर गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, साक्षी विजय नारायण तिवारी वहां मौजूद था और इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि वह यह कथन इस आधार पर कर रहा है कि उसका नाम मृत्यु-समीक्षा के साक्षी के रूप में मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित है । इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था और यह तथ्य मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट या स्थल नक्शे में उल्लिखित नहीं किया गया है कि विजय नारायण की मोटरसाइकिल वहां थी । उसने इस बात से भी इनकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था और संपूर्ण कार्यवाही पुलिस थाने में पूरी की गई थी ।

33. सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त आनंद **उर्फ** गूंगा के संबंध में दोषमुक्ति का निर्णय अभिलिखित किया जबकि अन्य अभियुक्तों अर्थात् नमो नारायण उपाध्याय, राधे श्याम उपाध्याय, संतोष उपाध्याय और शिवानंद यादव की बाबत

दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया और प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 323, 325, 324 और 302 के अधीन दोषसिद्ध किया । तथापि, सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504 और 506 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

34. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गई प्रथम दलील यह है कि वह भू-खंड, जिसमें अभिकथित रूप से घटना घटी थी, अपीलार्थी पक्ष का था और अभियोजन पक्ष ने बलपूर्वक प्याज उखेड़ कर घटना को प्रकोपित किया था । यह भी दलील दी गई है कि अपीलार्थियों ने संपत्ति के अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कार्य किया था ।

35. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल की उपरोक्त दलील के संबंध में हमने अभिलेख पर के साक्ष्य की संवीक्षा की है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यथा प्रकटित अभियोजन का पक्षकथन यह है कि घटना भू-खंड सं. 888 में घटी थी जिसकी 62 दशमलव भूमि संतोष के कब्जे में थी और जिसमें गेहूं और प्याज की फसल बोई हुई थी । अभि. सा. 1 के कथन से यह स्पष्ट है कि इस भू-खंड के विषय में उसके परिवार और अभियुक्तों के बीच एक मुकदमेबाजी चली आ रही थी । तथापि, उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि घटना उस समय घटी जब अभियुक्त प्याज की फसल उखेड़ रहे थे जिसका उन्होंने विरोध किया और अभियुक्तों ने, जो विभिन्न प्रकार के आयुधों से लैस थे, हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई और क्षतिग्रस्त साक्षियों को क्षतियां पहुंचीं । अभि. सा. 2 धर्मेन्द्र तिवारी ने भी अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य का समर्थन किया । उसका अभिसाक्ष्य सारांश रूप में यह है कि अभियुक्त विभिन्न प्रकार के आयुधों के साथ भू-खंड पर आए, जहां प्याज की फसल बोई हुई थी और प्याज उखेड़ने शुरू कर दिए और जब उन्होंने विरोध किया तो नमो नारायण उपाध्याय के उकसावे पर श्याम सुन्दर उपाध्याय, राधे श्याम उपाध्याय, संतोष उपाध्याय, गूंगा, संजय उपाध्याय और शिवानंद यादव ने उसके पिता, भाई, माता और दद्दन पर लाठी और भाले से हमला करने लगे । उसका पिता और भाई मदन, नमो नारायण और शिवानंद यादव द्वारा भाले से कारित क्षतियां पहुंचने पर भूमि पर गिर गए और नमो नारायण के उकसाने पर संतोष उपाध्याय ने उसके पिता कलिका तिवारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया तथा उसे (साक्षी) भी अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के कारण घटना में क्षतियां पहुंचीं । अभि.

सा. 3 विजय नारायण तिवारी ने भी अभियोजन के पक्षकथन का सभी तात्विक पहलुओं पर समर्थन किया और अभि. सा. 1 और 2 के परिसाक्ष्य की पुष्टि की ।

36. परिसाक्ष्यों पर इनके सभी गुण-दोष के आधार पर विचार करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल की इस दलील में कोई सार नहीं है कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक पर हमला संपत्ति के अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था । तीनों साक्षियों की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी किंतु कोई ऐसी बात निकलकर नहीं आई जिससे इस तथ्य का सुझाव मिलता हो कि अभियुक्तों ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था । प्रतिपरीक्षा में साक्षियों से यह बात कही गई थी कि उन्हें क्षतियां अभियोजन द्वारा यथा दावाकृत स्थान की बजाय किसी अन्य स्थान पर पहुंची थीं । यदि यह उपधारणा भी कर ली जाए कि शिकायतकर्ता पक्ष विवादग्रस्त भू-खंड पर किसी हक के बिना काबिज था, तो भी अभियुक्तों के लिए कानून को अपने हाथ में लेकर बलपूर्वक उन्हें नाकाबिज करना उचित नहीं था । उनके पास समुचित विधिक प्रक्रिया का अवलंब लेने का विकल्प था । भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में यह परिकल्पित है कि "उन दशाओं में, जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है" ।

37. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गई अगली दलील इस संबंध में है कि किसी भी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभि. सा. 2 धर्मेन्द्र तिवारी घटना के समय मौजूद था क्योंकि पहली बात तो यह कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसके नाम का उल्लेख नहीं है और दूसरी बात यह कि वह गांव में नहीं रहता है । इसी प्रकार का उठाया गया अगला प्रश्न यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि अभि. सा. 2 धर्मेन्द्र तिवारी को क्षतियां पहुंची थीं और यह भी दलील दी गई कि वास्तव में इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करने के लिए गढ़ा गया है ।

38. हमने इस दलील पर विचार किया है और इस संबंध में साक्ष्य का परिशीलन किया है । इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि अभि. सा. 2 घटना के समय मौजूद था और उसे भी क्षति पहुंची थी, किंतु हमारे सुविचारित राय

में केवल यह आधार इतना मजबूत नहीं हो सकता है जिससे कि घटना के समय पर उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से नकारा जा सके । यह वास्तविकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सभी साक्षियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि इत्तिलाकर्ता ने केवल दो व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया है और यह भी उल्लेख किया है कि घटना को गांव विघाही के बहुत सारे व्यक्तियों ने देखा था । अभि. सा. 2 भी गांव विघाही का रहने वाला है । यह पता लगाने के लिए कि क्या अभि. सा. 2 घटना के समय मौजूद था या नहीं, हमने उसके परिसाक्ष्य पर विचार किया है और हमारी राय में उसका परिसाक्ष्य अडिग रहा है तथा इस कारण से उसका परिसाक्ष्य पूरी तरह विश्वासोत्पादक है । अभि. सा. 2 ने अपने परिसाक्ष्य में घटना का पूरी सच्चाई से वर्णन किया है । उसके अभिसाक्ष्य का सार यह है कि अभियुक्तों ने उसके पिता, मदनजी और दद्दन पर लाठी और भाले से हमला किया था । उसने यह भी प्रमाणित किया है कि उसके पिता को भाले की क्षति पहुंची थी और वह भूमि पर गिर गया था तथा उसके भाई पर नमो नारायण और शिवानंद द्वारा हमला किया गया था । उसके बाद नमो नारायण के उकसाने पर संतोष उपाध्याय द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर से उसके पिता कलिका तिवारी को कुचल दिया गया । उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से भी होती है, जिसके अनुसार इस साक्षी का चिकित्सीय परीक्षण तारीख 6 मई, 2001 को अपराह्न में 6.45 बजे अभि. सा. 8 डा. सी. आई. रज़ा द्वारा किया गया था और उसे तीन क्षतियां पहुंची हुई थीं । उसकी क्षतियों का एक्स-रे भी किया गया था और विकिरण-विज्ञानी को बाएं पैर के मध्यमा पंजे के अंगुलिश्लाका की निकटवर्ती हड्डी के आधार का अस्थिभंग पाया था । इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की यह दलील कि अभि. सा. 2 धर्मेन्द्र तिवारी की मौजूदगी संदेहास्पद है, सारहीन है ।

39. उपरोक्त दलील के संबंध में हम **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मान सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत करना चाहेंगे, जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

> "अभि. सा. 8 के साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उजागर की गई एक परिस्थिति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में

---

[1] (2003) 10 एस. सी. सी. 414.

इस साक्षी के नाम का उल्लेख न होना है । चत्तर लाल **बनाम** राजस्थान राज्य [(2003) 6 एस. सी. सी. 397] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा कथित अनुसार – ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं है और वह साक्षी है, जबरदस्ती संदिग्ध नहीं बन जाता है । ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है कि सभी साक्षियों, विशिष्ट रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उपदर्शित होने चाहिएं । जैसाकि इस न्यायालय द्वारा श्री भगवान **बनाम** राजस्थान राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 296] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के नाम का उल्लेख न होने मात्र से अभियोजन का पक्षकथन कमजोर नहीं हो जाता है ।"

40. उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि ऊपर अवलोकन किया गया है, कि अभि. सा. 2 ने बहुत ही सच्चाई से अभिसाक्ष्य दिया है और उसका परिसाक्ष्य पूरी तरह विश्वासोत्पादक है और इसके अतिरिक्त इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उसे भी घटना में गंभीर क्षतियां पहुंची थीं, हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की इस दलील में कोई सार नहीं है कि इस साक्षी की मौजूदगी संदेहास्पद है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह साक्षी एक क्षतिग्रस्त साक्षी है और उसने सभी तात्विक पहलुओं पर अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है और इसलिए हमारा यह मत है कि सेशन न्यायाधीश ने उसके परिसाक्ष्य का ठीक ही अवलंब लिया है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी किंतु उसकी विश्वसनीयता को अधिक्षेप करने के लिए कुछ भी प्रकट नहीं किया जा सका ।

41. न्यायालय के समक्ष दी गई अगली दलील यह है कि सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थियों की दोषमुक्ति का निर्णय अभिलिखित किया है और कलिका तिवारी की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन सभी अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधिक रूप से संधार्य नहीं है । यह दलील दी गई है कि कलिका तिवारी की मृत्यु विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के परिणामस्वरूप नहीं हुई थी अपितु यह संतोष उपाध्याय का व्यक्तिगत कृत्य था जिसने कलिका तिवारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, इसलिए सभी अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के

अधीन दोषसिद्धि विधि में असंधार्य है । यह भी दलील दी गई है कि नमो नारायण उपाध्याय पर उकसाने की भूमिका गलत रूप से मढ़ी गई है । यदि उसका कलिका तिवारी की हत्या करने का कोई आशय रहा होता तो जब कलिका तिवारी क्षतियां पहुंचने के पश्चात् भूमि पर गिर गया था तब उसके लिए उस आयुध से, जो वह लिए हुए था, कुछ और प्रहार करना बहुत आसान था । उसने उस पर हमला करने का कोई प्रयास नहीं किया विशिष्ट रूप से जब प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा हमले का प्रतिरोध नहीं किया जा रहा था । अपीलार्थी नमो नारायण ने भी आहतों पर हमला किया था और उसे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया था किंतु सेशन न्यायाधीश ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया था । इसलिए संतोष उपाध्याय के सिवाय सभी अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्धि विधिक रूप से संधार्य नहीं है ।

42. हमने न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों का भी अवलोकन किया है ।

43. अपीलार्थियों को कलिका तिवारी की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है ।

44. धारा 149 अपराध कारित करने के समय विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी बनाती है । इस प्रकार यह धारा एक विनिर्दिष्ट और भिन्न अपराध सृजित करती है । दूसरे शब्दों में, यह धारा विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का उस जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किए गए विधिविरुद्ध कृत्यों के लिए आन्वयिक या प्रतिनिधिक दायित्व सृजित करती है । तथापि, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व केवल विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में किए गए कृत्यों या ऐसे अपराधों तक विस्तारित है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे ।

45. धारा 149 के दो भाग हैं । धारा के प्रथम भाग में जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किए जाने का उल्लेख है जबकि द्वितीय भाग सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उस अपराध के किए जाने की संभाव्य जानकारी होने के संबंध में है । द्वितीय भाग में अनुध्यात जानकारी का अर्थ अपराध कारित होने की मात्र संभाव्यता की

जानकारी होना नहीं है । यह जानकारी युक्तियुक्त रूप से संभाव्य होनी चाहिए । ऐसी जानकारी जमाव की प्रकृति, इसके सामान्य उद्देश्य, इसके सदस्यों द्वारा लिए हुए आयुधों के प्रकार और वास्तविक झगड़े के समय और उसके पूर्व उनके व्यवहार से प्राप्त की जा सकती है । और विस्तार से चर्चा करते हुए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया गया अपराध ऐसा अपराध होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया है । अपराध को प्रथम भाग के अंतर्गत लाने के लिए, अपराध उस विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के साथ अव्यवहित रूप से संबद्ध होना चाहिए जिसका अभियुक्त सदस्य था । भले ही कारित किया गया अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर करने में न किया गया हो, तो भी यह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपराध ऐसा था जिसके कारित होने के बारे में सदस्य संभाव्य जानते थे और धारा के द्वितीय भाग में यही अपेक्षित है । वह प्रयोजन जिसके लिए जमाव के सदस्यों ने कार्य आरंभ किया या प्राप्त करना चाहते थे, वह उद्देश्य है । यदि सभी सदस्यों द्वारा इच्छित उद्देश्य एकसमान है, तो उस उद्देश्य की जानकारी, जिसको पूरा किया जा रहा है, सभी सदस्यों द्वारा साझा की जाती है और उनकी इस बारे में सामान्य सहमति है कि उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाना है तथा अब यह जमाव का सामान्य उद्देश्य है । उद्देश्य मानव मस्तिष्क में रहता है और यह एक केवल मनोदशा होने के कारण कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है और आशय की तरह इसका निष्कर्ष सामान्यतः उस कृत्य से और उसके परिणाम से निकाला जाना चाहिए जो कि व्यक्ति कारित करता है । यद्यपि परिस्थितियों से ऐसा कोई संक्षिप्त सूत्र या नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता जिनसे सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष निकाला जा सकता हो, तो भी जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा लिए हुए आयुधों तथा घटना के समय या पूर्व या पश्चात् के व्यवहार से युक्तियुक्त रूप से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है । धारा के द्वितीय भाग में प्रयुक्त शब्द "जानते थे" का अर्थ संभाव्यता से कुछ अधिक विवक्षित है और इस शब्द को "जानकारी रही होगी" के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है । सकारात्मक जानकारी होना आवश्यक है । जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब सामान्यतः यह ऐसा अपराध होगा जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे । तथापि, इससे प्रतिकूल तथ्य सत्य नहीं हो जाता है और ऐसे मामले हो सकते हैं जो द्वितीय भाग के अंतर्गत

आते हों किंतु प्रथम भाग के अंतर्गत नहीं । धारा 149 के दोनों भागों के बीच की भिन्नता की अनदेखी या अभिलोपन नहीं किया जा सकता है । प्रत्येक मामले में अवधारित किया जाने वाला यह मुद्दा होगा कि क्या कारित किया गया अपराध प्रथम भाग के अंतर्गत आता है या यह ऐसा अपराध था जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे और यह अपराध द्वितीय भाग के अंतर्गत आता है । तथापि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो प्रथम भाग के अंतर्गत आते हों, किंतु सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किए गए अपराध सामान्यतः, द्वितीय भाग के अंतर्गत आएंगे अर्थात् ऐसे अपराध जिनका किया जाना पक्षकार सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे । उच्चतम न्यायालय द्वारा भी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की परिधि से संबंधित विभिन्न विनिश्चयों में विचार किया गया है । इस मुद्दे पर प्रथम मामला **सुरिन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाला मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "किसी आपराधिक कृत्य में जहां इसे कारित करने में कई व्यक्ति ग्रस्त या संबद्ध हैं, वे अपने-अपने निजी कृत्यों के लिए भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकते हैं । निस्संदेह, जब ऐसा आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो यह कार्य अकेले उसी ने किया है । यदि 'विधिविरुद्ध' जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा । यह तथ्य कि उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को गलती से दोषमुक्त भी कर दिया गया है और ऐसी दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई है, स्वतः ही अन्य अभियुक्त (अभियुक्तों) की दोषसिद्धि में रुकावट नहीं बनेगा । समान रूप से, ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप घटना में कथित रूप से अंतर्ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति की दोषसिद्धि उनकी वास्तविक भूमिका के

[1] (2003) 10 एस. सी. सी. 66.

बिना ही अपने आप नहीं हो जाती है और आपराधिक दायित्व का सामान्य और मूलभूत सिद्धांत यह है कि केवल वही व्यक्ति, जो अपराध कारित करता है, दोषी ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा सिवाय उन मामलों के जहां विधि में उस सीमा तक प्रतिनिधिक दायित्व की संकल्पना को मान्यताप्राप्त है और वह भी तब जब किसी प्रस्तुत मामले में इसके लिए शर्तों का विद्यमान होना कड़ाई से दर्शित किया गया हो ।"

46. इस मुद्दे पर दूसरा मामला **चरण सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाला मामला है । उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

"भारतीय दंड संहिता की धारा 149 आन्वयिक दायित्व पर आधारित है जो इसके लागू होने के लिए अति आवश्यक है । इस धारा में सामान्य उद्देश्य पर बल दिया गया है न कि सामान्य आशय पर । किसी विधिविरुद्ध जमाव में मात्र मौजूदगी से किसी व्यक्ति को तब तक दायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो और वह उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक हो । जहां किसी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, वहां धारा 149 की सहायता से अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । अवधारित करने के लिए निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या जमाव में पांच या अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे और क्या उक्त व्यक्तियों का धारा 141 में यथा विनिर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्य था । यह बात विधि की एक सामान्य प्रतिपादना के रूप में अधिकथित नहीं की जा सकती है कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके बारे में किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का अभिकथन किया गया है, कोई स्पष्ट कृत्य साबित नहीं हो जाता, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी जमाव का सदस्य है । केवल जो बात अपेक्षित है वह यह है कि ऐसे व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि जमाव विधिविरुद्ध है और धारा 141 की परिधि के अंतर्गत आने वाला कोई कृत्य कारित होने की संभावना है । 'उद्देश्य' शब्द से अभिप्रेत प्रयोजन या पूर्व चिंतन है और इसे 'सामान्य' बनाने के लिए इसमें सभी व्यक्तियों की सहभागिता होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में, उन सभी

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 205.

व्यक्तियों का उद्देश्य सामान्य होना चाहिए जो जमाव का गठन करते हैं, अर्थात् यह उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों की जानकारी में होना चाहिए और इसकी सम्मति दी हो । सामान्य उद्देश्य परस्पर विमर्श करने के पश्चात् अभिव्यक्त सहमति द्वारा गठित किया जा सकता है, किंतु यह बात नितांत आवश्यक नहीं है । यह जमाव के सभी या कुछ व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रक्रम पर बनाया जा सकता है और अन्य सदस्य केवल मात्र इसमें सम्मिलित हो जाएं और इसे धारण कर लें । उद्देश्य एक बार गठित हो जाने पर यह आवश्यक नहीं है कि यह उसी रूप में जारी रहे । इसे किसी भी प्रक्रम पर उपांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है या परित्याग किया जा सकता है । धारा 149 में यथा उपसंजात अभिव्यक्ति 'सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में' का कड़ाई से अर्थान्वयन 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' अभिव्यक्ति के समान किया जाना चाहिए । यह उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर सामान्य उद्देश्य से अव्यवहित रूप से जुड़ा होना चाहिए । उद्देश्य की समानता होना आवश्यक है तथा यह हो सकता है कि उद्देश्य केवल एक विशिष्ट प्रक्रम तक ही विद्यमान रहे और उसके पश्चात् नहीं । विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों में उद्देश्य की समानता एक निश्चित बिंदु तक हो सकती है और उससे परे उनका उद्देश्य भिन्न-भिन्न हो सकता है और अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जो किया जाना संभाव्य है उसके बारे में प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित ज्ञान, न केवल उसकी अपनी जानकारी के अनुसार अपितु उद्देश्य की समानता में उसकी सहभागिता की सीमा के अनुसार, अलग-अलग हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का प्रभाव उसी जमाव के भिन्न-भिन्न सदस्य पर भिन्न-भिन्न हो सकता है ।"

47. इस मुद्दे पर तीसरा विनिश्चय **शेरे** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

"4. .........किंतु जब बहुत सारे व्यक्तियों के विरुद्ध एक सामान्य अभिकथन हो, वहां न्यायालय ऐसे अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को दोषसिद्ध करने में स्वाभाविक रूप से

---

[1] (1991) सप्ली. (2) एस. सी. सी. 437.

हिचकिचाता है । इसलिए हमें कोई ऐसी युक्तियुक्त परिस्थिति का पता लगाना चाहिए जो आश्वस्त करती हो । इस दृष्टिकोण से ऊपर वर्णित केवल नौ अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित होगा जिनकी मौजूदगी को न केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रक्रम से ही लगातर उल्लिखित किया गया है अपितु उन पर स्पष्ट कृत्यों का आरोप भी लगाया गया है ।"

48. पुनः **मुसा खान** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

"5. ........... इस प्रकार कोई न्यायालय यह उपधारणा करने के लिए हकदार नहीं है कि कोई या प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में यह साबित किया गया है कि वह किसी समय एक उपद्रवी भीड़ के नजदीक मौजूद था या उसमें सम्मिलित हुआ था या इसके क्रियाकलापों के दौरान किसी प्रक्रम पर इसे छोड़ दिया था और भीड़ द्वारा आरंभ से लेकर अंत तक किए गए प्रत्येक कृत्य के लिए विधि के अनुसार दोषी है, या ऐसी भीड़ के प्रत्येक सदस्य को आरंभ से ही उन अविधिक क्रियाकलापों की प्रकृति का अवश्य ही पूर्वानुमान और चिन्तन था जिसमें जमाव के सदस्य बाद में अंतर्वलित होंगे । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मामले में यह अवश्य साबित होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न केवल किसी प्रक्रम पर अपितु सभी महत्वपूर्ण प्रक्रमों पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था और इन सभी प्रक्रमों पर जमाव के उद्देश्य में सहभागीदार था ।"

49. **मेरानाडु** बनाम **राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधिविरुद्ध जमाव के "सामान्य उद्देश्य" का अवधारण करने के लिए जो विधिक स्थिति अभिनिर्धारित की है, वह इस प्रकार है :–

"विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का अवधारण करने के लिए, विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का हमले के पूर्व और हमले के समय और उसके पश्चात् का आचरण और अपराध का हेतुक कुछ सुसंगत बातें हैं । घटना के किसी विशिष्ट प्रक्रम पर विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा लिए हुए आयुधों और घटनास्थल पर या उसके निकट

---

[1] (1977) 1 एस. सी. सी. 733.

[2] (2008) 16 एस. सी. सी. 529.

सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है । विधि के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव के सभी मामलों में इसके द्वारा कार्रवाई किया जाना या इसका सफल रहना आवश्यक है । धारा 141 के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि कोई जमाव, जो इकट्‌ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा । यह आवश्यक नहीं है कि आशय या प्रयोजन, जो किसी जमाव को एक विधिविरुद्ध जमाव ठहराने के लिए आवश्यक है, शुरूआत में ही विद्यमान हो । विधिविरुद्ध आशय गठित करने का समय तात्विक नहीं है । कोई जमाव, जो इसके इकट्‌ठा होने के समय या इसके पश्चात् कुछ समय तक भी विधिपूर्ण है, बाद में विधिविरुद्ध बन सकता है । दूसरे शब्दों में, यह घटना के दौरान घटनास्थल पर तत्काल ही विकसित हो सकता है ।"

50. उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने यह परीक्षण करने के लिए कि क्या विद्वान् काउंसेल की दलीलों में कोई सार है या नहीं, साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की है । वास्तविक घटना के बारे में अभिलेख से यथा प्रकटित साक्ष्य यह है कि अभियुक्तों ने विपदग्रस्त व्यक्तियों पर लाठी और भाले से हमला किया और उसके पश्चात् कोई हमला नहीं किया गया । अभिलेख से यह भी उल्लेखनीय है कि जब कलिका तिवारी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया तो उस पर किसी भी अभियुक्त ने हमला नहीं किया और उसी समय केवल संतोष उपाध्याय, जो ट्रैक्टर चला रहा था, ने कलिका तिवारी को ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचल दिया । इसलिए हमारी यह राय है कि प्रकट तथ्यों के आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अन्य सभी अभियुक्त यह जानते थे कि कलिका तिवारी की संतोष उपाध्याय द्वारा हत्या की जा सकती है । इसलिए केवल संतोष उपाध्याय ही कलिका तिवारी की हत्या करने के लिए दायी होगा क्योंकि विधिविरुद्ध जमाव का यह सामान्य उद्देश्य नहीं था कि किसी व्यक्ति की हत्या की जाए और न ही वे यह जानते थे कि मृत्यु कारित किए जाने की संभावना है । सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषमुक्त किया गया है ।

51. जहां तक कलिका तिवारी की हत्या करने के लिए संतोष उपाध्याय को उकसाने वाले भाग का संबंध है, यह दलील दी गई है कि

उकसाहट एक कमजोर किस्म का साक्ष्य होता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे कलिका तिवारी की हत्या करने के लिए संतोष उपाध्याय के दायित्व के साथ जोड़ने के लिए बाईबिल के सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त पहलू पर कुछ मामलों का उल्लेख किया जा सकता है और इस संबंध में प्रथम मामला **बलवंतभाई बी. पटेल** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाला मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "हम इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि जब क्षतिग्रस्त पक्षकार को पहुंची क्षतियों की संख्या अभियुक्तों की संख्या से मेल नहीं खाती या अनुकल्पतः दूसरे पक्ष की ओर से यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को फंसाने के प्रयास में हमले के शिकार व्यक्ति को पकड़ लिए जाने या उकसाने के अभिकथन सर्वदा किए जाते हैं ।"

52. इस मुद्दे पर दूसरा मामला **बाजवा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाला मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "विद्वान् काउंसेल द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य की हमने सावधानीपूर्वक और गंभीरता से परीक्षा की है क्योंकि इस जैसे मामलों में जहां गुटबाजी होती हैं, वहां दोषी व्यक्तियों के साथ निर्दोष व्यक्तियों को भी सम्मिलित करने की प्रवृत्ति रहती है और न्यायालयों के लिए ऐसे खतरे से बचना बहुत ही कठिन होता है । दोषी के साथ निर्दोष को आरोपित करने की जोखिम के विरुद्ध एकमात्र वास्तविक रक्षोपाय स्वीकार्य साक्ष्य पर जोर देना है जो कुछ मायने में ऐसे अभियुक्तों को फंसाता हो और न्यायालय की अंतश्चेतना का समाधान करता हो ।"

53. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा उपर्युक्त विनिश्चयों पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात् हमारी यह अप्रतिरोध्य राय है कि अपीलार्थी नमो नारायण की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है क्योंकि यह अनुमेय है कि यह संतोष उपाध्याय, जिसने कलिका तिवारी की उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की थी, की व्यक्तिगत भूमिका थी ।

---

[1] (2009) 10 एस. सी. सी. 684.

[2] (1973) 1 एस. सी. सी. 714.

54. संतोष उपाध्याय की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अंत में यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार यदि इस बात पर विचार किया जाए कि घटना कुछ कहासुनी के पश्चात् घटी थी और अपीलार्थी ने अचानक प्रकोपन के अधीन अपराध कारित किया था, अपीलार्थी संतोष उपाध्याय का मामला अधिक से अधिक भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आता है । मामले पर समग्रता से विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि इस दलील में कोई सार नहीं है विशिष्ट रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार सभी अभियुक्तों ने घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् प्याज उखाड़ने आरंभ कर दिए और जब अभियुक्तों के इस कार्य का विरोध किया गया तो क्षतिग्रस्त पर हमला कर दिया गया और जब कलिका तिवारी क्षतियां पहुंचने पर नीचे गिर गया तो अपीलार्थी संतोष उपाध्याय ने उसे ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचल दिया । अभिलेख से यह मान लिया गया है कि कलिका तिवारी की ओर से कोई प्रकोपन नहीं दिया गया था । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि आपराधिक मानव वध तब हत्या नहीं है यदि यह पूर्व-चिंतन के, गर्मागर्मी में अचानक हुई लड़ाई में, अचानक हुए झगड़े में और अपराधी द्वारा असम्यक् फायदा लिए बिना या बर्बर रीति अथवा अप्रायिक रीति में कार्य किए बिना कारित की गई है । यहां इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी का कृत्य निश्चित रूप से एक बर्बर कृत्य था जिसमें यह बात अंतर्वलित है कि मृतक को उस समय ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचल दिया गया जब वह क्षतिग्रस्त होकर भूमि पर गिर गया था । हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आता है ।

55. अंत में, यह प्रश्न विचार के लिए शेष रह जाता है कि क्या अपीलार्थी संतोष उपाध्याय को किसी विनिर्दिष्ट आरोप के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है ? निस्संदेह, अपीलार्थी को सीधे-सीधे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित नहीं किया गया है । उसे अन्य अभियुक्तों के साथ हत्या कारित करने के लिए धारा 302/149 के अधीन आरोपित किया गया है । अभियोजन का पक्षकथन आरोप विरचित करने के प्रक्रम से लेकर बिल्कुल स्पष्ट है । आरोप पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संतोष

उपाध्याय ने कलिका तिवारी की उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी । उपरोक्त के संबंध में, हम **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **थाकिडिराम रेड्डी और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट करना चाहेंगे जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 464 की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से यह उपबंध है कि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश तब तक केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई, लोप या अनियमितता थी, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण **वस्तुतः** न्याय नहीं हो पाया है । उक्त धारा की उपधारा (2) में वह प्रक्रिया अधिकथित की गई है कि जो अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपनाई जाएगी यदि उसकी यह राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है । हमारे प्रयोजन के लिए संहिता की अन्य सुसंगत धारा 465 है और इस धारा में अधिकथित है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश किसी अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों में किसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण तब तक न तो उलटा जाएगा और न ही परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है । इस धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि यह अवधारित करने में कि क्या इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या यह आपत्ति कार्यवाही के किसी पूर्वतर प्रक्रम में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी ।"

56. इस मुद्दे पर अगला मामला **राधा मोहन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाला मामला है । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 को ध्यान में रखते हुए

[1] (1998) 6 एस. सी. सी. 554.

[2] (2006) 2 एस. सी. सी. 450.

अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय के लिए किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था, तब तक दोषसिद्ध करना संभव नहीं है जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है । यह राय बनाने के लिए कि क्या न्याय नहीं हुआ है, इस बात की जांच करना सुसंगत होगा कि क्या अभियुक्त को उस अपराध के मूलभूत संघटकों की जानकारी थी जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया जा रहा है और क्या उसके विरुद्ध जिन तथ्यों को सिद्ध किया जाना ईप्सित था, उसे स्पष्ट रूप से बता दिए गए थे और क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का ऋजु अवसर मिला था या नहीं ।"

57. पुनः, **बालराजे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

"27. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित होने और अपीलार्थी के सिवाय सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के पश्चात् आरोप कायम नहीं रखे जा सकते हैं । हम उक्त दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । जैसाकि राधा मोहन सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 को ध्यान में रखते हुए अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय के लिए किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कोई आरोप विरचित नहीं किया गया, तब तक दोषसिद्ध करना संभव है जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है ।

28. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा कराए गए साक्षियों, जिनके परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया गया है, ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने मृतक पर चाकू से हमला किया था । अपीलार्थी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा में उससे एक विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया था और वह अपराध के मूलभूत संघटकों के बारे में उसे जानकारी दी गई थी तथा उसके विरुद्ध साबित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे बताया गया था । इस प्रकार, उसे हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड

[1] (2010) 6 एस. सी. सी. 673.

संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

29. यह विधि भलीभांति सुस्थापित है कि भले ही सह-अभियुक्तों की इस आधार पर दोषमुक्ति अभिलिखित की गई है कि अतिरंजनाएं और बढ़ा-चढ़ाकर की गई बातें मौजूद हैं, तो भी यदि किसी अन्य अभियुक्त की बाबत तर्कपूर्ण, विश्वसनीय और सत्य साक्ष्य पाया जाता है तो उसकी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है । केवल यह तथ्य कि साक्षी मृतक के नातेदार हैं, उनके साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है ।"

58. उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि दोषित के रूप में किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के सार पर विचार करना चाहिए न कि तकनीकियों पर और उसका मुख्य सरोकार यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त का ऋजु विचारण किया गया था, क्या वह जानता था कि उसका किस बात के लिए विचारण किया जा रहा है, क्या उसके विरुद्ध सिद्ध किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे ऋजुतापूर्ण और स्पष्ट रूप से बता दिया गया था और क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का पूर्ण और ऋजु अवसर दिया गया था । उक्त मामले में, उच्चतम न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप विरचित करने में त्रुटि के बावजूद क्योंकि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था इसलिए कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

59. प्रस्तुत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था किंतु बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह उल्लिखित है कि संतोष उपाध्याय ने विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कलिका तिवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी । उसका काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था और साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का पूर्ण अवसर दिया गया था । उसकी भूमिका के संबंध में साक्षियों की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए उसके कथन में उसकी भूमिका को विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करने वाले प्रश्न सं. 6 को उसके समक्ष रखा गया था । इसलिए संतोष उपाध्याय की ओर से काउंसेल यह नहीं बता सके कि क्या उसकी प्रतिरक्षा में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ।

60. ऊपर उल्लिखित कारणों से, उपरोक्त अपीलों का निम्नलिखित अनुसार विनिश्चय किया जाता है ।

2003 की दांडिक अपील सं. 3200 (नमो नारायण उपाध्याय, राधे श्याम उपाध्याय और शिवानंद यादव) इस सीमा तक उपांतरण के साथ भागतः मंजूर की जाती हैं कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन उनकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है । जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/147, 324/149 और धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश का संबंध है, उनकी पुष्टि की जाती है । उपरोक्त सभी अपीलार्थी जमानत पर हैं । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया को निदेश दिया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/147, 324/149 और धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए और हमारे द्वारा पुष्टि किए गए दंडादेशों को भुगतने के लिए उन्हें तुरंत अभिरक्षा में लिया जाए ।

अपीलार्थी संतोष उपाध्याय द्वारा फाइल की गई 2003 की दांडिक अपील सं. 3268 इस सीमा तक उपांतरण के साथ खारिज की जाती है कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है । जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/147, 324/149 और धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन दिए गए शेष दंडादेशों का संबंध है, उनकी विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत अनुसार पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी संतोष उपाध्याय कारागार में है । उसे विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेशों को भुगतने के लिए वहीं रखा जाएगा ।

61. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आज से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित न्यायालय को अनुपालन के लिए भेजी जाए ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.

## राम विलास चौहान और अन्य

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 25 फरवरी, 2011

**न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 190(1)(ग) – अपराध का संज्ञान – मजिस्ट्रेट को अपराध किए जाने के बारे में लिखित या मौखिक या अपनी निजी जानकारी पर भी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है क्योंकि आवेदनों के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भारतीय दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराध किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई अतः मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अपराधों के अधीन संज्ञान लिया जाना न केवल न्यायोचित है बल्कि पूर्णतः सही है ।**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 204 – समन आदेश – यदि सुसंगत सामग्री के परिशीलन के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि मामले में आगे कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है तो वह संहिता की धारा 204 के अधीन समन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है ।**

पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 राम विलास चौहान और माधव नाम के व्यक्तियों को तारीख 25 मार्च, 2001 को पुलिस थाना चाकिया के पुलिस द्वारा उनके घरों से उन्हें अभिरक्षा में लिया गया था और उन्हें पुलिस थाने में बंद रखा गया था । मजिस्ट्रेट से संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाने के लिए अनुरोध किया गया था । मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में पुलिस थाना चाकिया की पुलिस ने तारीख 27 मार्च, 2001 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि पूर्वोक्त राम विलास चौहान और गिरधर चौहान 2001 के पूर्वोक्त अपराध मामला सं. 33 में अभियुक्त हैं और न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि उन्हें अभिरक्षा में लें । पुनरीक्षणकर्ता ने मजिस्ट्रेट को यह सूचित करते हुए तारीख 27 मार्च, 2001 को एक अन्य आवेदन पेश किया कि उसका पति (राम विलास चौहान) और ससुर (माधव) को उनके घरों से तारीख 25 मार्च, 2001 को लगभग 12.00 बजे दोपहर में अभिरक्षा में लिया गया था और उन्हें पुलिस थाने में अवैध रूप से बंद करके निरुद्ध किया गया था । इसलिए, उसने यह अनुरोध किया कि उसके आवेदन में किए गए अभिकथनों के सत्यापन के लिए अधिवक्ता

आयुक्त की नियुक्ति की जाए । तद्नुसार, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने श्री बचन सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया था और पुलिस थाने जाने के लिए उनसे अपेक्षा की गई थी तथा इस आवेदन में किए गए अभिकथन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । श्री बचन सिंह पुलिस थाना चाकिया पर गया और तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात् उन्होंने तारीख 27 मार्च, 2001 को अपनी रिपोर्ट (उपाबंध सं. 6) पेश की । श्री बचन सिंह की रिपोर्ट के अनुसार तारीख 27 मार्च, 2001 को लगभग 1.10 बजे अपराह्न उपरोक्त राम विलास चौहान और गिरधर चौहान पूर्वोक्त पुलिस थाने में पुलिस हवालात में पाए गए थे । श्री बचन सिंह अधिवक्ता द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 190(1)(ग) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले में संज्ञान लिया और दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों के बारे में प्रत्यर्थी सं. 3 के लिए आदेशिका जारी की गई क्योंकि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया था कि पूर्वोक्त दो व्यक्तियों को पुलिस हवालात में अवैध रूप से निरुद्ध किए जाने के कारण और उनके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों के लिए मिथ्या मामले का रजिस्ट्रीकरण प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 3 ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में पूर्वोक्त दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया था जिसने उक्त पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करके मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त कर दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि तारीख 26 मार्च, 2001 के आवेदन में कथित तथ्यों के सत्यापन के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए कोई उपबंध नहीं था, इसलिए, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश उचित नहीं है । आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – पूर्वोक्त उपबंधों का परिशीलन करने से पूर्णतया यह प्रकट है कि मजिस्ट्रेट उपरोक्त तीन रीतियों में से किसी को ग्रहण करके किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है । उसके पास अपराध को गठित करने वाले तथ्यों के परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है । उसके पास ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की शक्ति है । परिवाद और पुलिस रिपोर्ट से अलग मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति या अपनी स्वयं की जानकारी से प्राप्त सूचना पर संहिता की धारा 190(1)(ग) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है कि ऐसा अपराध किया गया, इसलिए, मजिस्ट्रेट के पास किसी

अपराध को किए जाने के संबंध में कोई सूचना जो लिखित या मौखिक में हो सकती है या स्वयं की जानकारी होने पर किसी अपराध का संज्ञान लेने हेतु व्यापक शक्ति है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए तारीख 26 मार्च, 2001 और तारीख 27 मार्च, 2001 का आवेदन जिसे पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों के किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना है । इसलिए, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 190(1)(ग) के अधीन ऐसी सूचना पर दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों का संज्ञान लेकर पूरी तरह न्यायसंगत कार्य किया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट का उस सीमा तक का आदेश न केवल पूर्णतया सही है बल्कि संहिता की धारा 190(1)(ग) की परिधि के अंतर्गत भी आता है । (पैरा 9)

जहां तक समन आदेश को पारित किए जाने का संबंध है, संहिता की धारा 204 के उपबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए, समन आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए कि क्या मामले पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं । यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि मामले पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तब वह संहिता की धारा 204 के अधीन समन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है । इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि क्या मामले पर कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं या नहीं । मजिस्ट्रेट के पास अपने द्वारा प्राप्त की गई सूचना के समर्थन में सामग्रियों (साक्ष्य) पर विचार करना चाहिए । अतः, समन आदेश पारित करने के पूर्व विद्वान् मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यता है कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा किए गए अभिकथनों में सच्चाई का पता लगाने तथा ऐसे अभिकथनों की पुष्टि हेतु सुसंगत सामग्रियों के बारे में निष्कर्ष निकालने हेतु जांच करनी चाहिए । अतः, सूचना की पुष्टि के लिए सुसंगत सामग्रियों को प्राप्त किए बिना समन आदेश पारित करना उचित नहीं है । जहां तक अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट की सुसंगतता का संबंध है, उस पर यह दलील नहीं दी जा सकती कि उसकी कोई सुसंगतता नहीं है । अधिवक्ता आयुक्त तारीख 27 मार्च, 2001 को संबंधित पुलिस थाने पर गया और यह निष्कर्ष निकाला कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और 2 और पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के पिता पुलिस हवालात में थे और इस तथ्य की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी । इस तरह पूर्वोक्त अधिवक्ता आयुक्त पुलिस हवालात में पूर्वोक्त व्यक्तियों के अभिकथित निरोध का महत्वपूर्ण साक्षी है । इस प्रकार, विद्वान् सेशन न्यायाधीश का यह मत है कि

विद्वान् अधिवक्ता आयुक्त रिपोर्ट असंगत है, सही प्रतीत नहीं होती है । अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने से पूर्व विद्वान् मजिस्ट्रेट से क्या अपेक्षा की गई थी, अधिवक्ता आयुक्त के कथन में अभिलिखित किया गया था और ऐसी रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या सच्चाई प्रकट हुई है । ऐसा न करके विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट का अवलंब लेकर समन आदेश पारित करके न्यायसंगत कार्य नहीं किया था । अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट मामले में साक्ष्य का एक तात्विक टुकड़ा है, उसका इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं है । यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट की ओर से अभिकथनों की सच्चाई का सत्यापन करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त को तैनात किया जाना केवल पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा अपने आवेदनों में किए गए अभिकथनों की पुष्टि के लिए सुसंगत साक्ष्य को एकत्रित करने का कार्य था । इस प्रकार, विद्वान् मजिस्ट्रेट का पूर्वोक्त अधिवक्ता को आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का विनिश्चय पूर्णतः सही है, इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश की मताभिव्यक्तियां विधि में तर्कसंगत नहीं हैं । (पैरा 10)

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2001 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1409.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

**पुनरीक्षणकर्ताओं की ओर से** श्री सी. के. पारिख

**राज्य की ओर से** सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी** – पुनरीक्षणकर्ताओं की ओर से श्री सी. के. पारिख तथा प्रत्यर्थियों की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. प्रत्यर्थी सं. 3 राम बाली यादव उप-निरीक्षक ने सभी प्रत्यर्थियों की ओर से प्रति-शपथपत्र फाइल किया और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता की ओर से मामले में प्रतिनिधित्व किया गया, इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 3 को वैयक्तिक रूप से सुना जाना आवश्यक नहीं है ।

3. पुनरीक्षणकर्ताओं ने इस पुनरीक्षण आवेदन के माध्यम से 2001 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 40, राम बाली यादव बनाम राज्य वाले मामले में सेशन न्यायाधीश चन्दौली, द्वारा तारीख 10 मई, 2001 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है जहां पर विद्वान् सेशन

न्यायाधीश ने पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 की ओर से तारीख 26 मार्च, 2001 को पेश किए गए आवेदन पर श्री मनोज कुमार शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) द्वारा तारीख 27 मार्च, 2009 के आदेश को अभिखंडित किया गया ।

4. श्री सी. के. पारिख ने यह निवेदन किया है कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 श्रीमती शकुंतला देवी ने यह अभिकथन करते हुए पुलिस थाना चाकिया, जिला चन्दौली में 2001 के अपराध मामला सं. 33 पर तारीख 26 मार्च, 2001 को आवेदन पेश किया कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 राम विलास चौहान और माधव नाम के व्यक्तियों को तारीख 25 मार्च, 2001 को पुलिस थाना चाकिया के पुलिस द्वारा उनके घरों से उन्हें अभिरक्षा में लिया गया था और उन्हें पुलिस थाने में बंद रखा गया था । मजिस्ट्रेट से संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाने के लिए अनुरोध किया गया था । मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में पुलिस थाना चाकिया की पुलिस ने तारीख 27 मार्च, 2001 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि पूर्वोक्त राम विलास चौहान और गिरधर चौहान (पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और 2) 2001 के पूर्वोक्त अपराध मामला सं. 33 में अभियुक्त हैं और न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि उन्हें अभिरक्षा में लें । पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 ने मजिस्ट्रेट को यह सूचित करते हुए तारीख 27 मार्च, 2001 को एक अन्य आवेदन पेश किया कि उसका पति (राम विलास चौहान) और ससुर (माधव) को उनके घरों से तारीख 25 मार्च, 2001 को लगभग 12.00 बजे दोपहर में अभिरक्षा में लिया गया था और उन्हें पुलिस थाने में अवैध रूप से बंद करके निरुद्ध किया गया था । इसलिए, उसने यह अनुरोध किया कि उसके आवेदन में किए गए अभिकथनों के सत्यापन के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की जाए । तद्नुसार, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने श्री बचन सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया था और पुलिस थाने जाने के लिए उनसे अपेक्षा की गई थी तथा इस आवेदन में किए गए अभिकथन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । श्री बचन सिंह पुलिस थाना चाकिया पर गया और तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात् उन्होंने तारीख 27 मार्च, 2001 को अपनी रिपोर्ट (उपाबंध सं. 6) पेश की । श्री बचन सिंह की रिपोर्ट के अनुसार तारीख 27 मार्च, 2001 को लगभग 1.10 बजे अपराह्न उपरोक्त राम विलास चौहान और गिरधर चौहान पूर्वोक्त पुलिस थाने में पुलिस हवालात में पाए गए थे ।

5. श्री बचन सिंह अधिवक्ता द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को ध्यान में

रखते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 190(1)(ग) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले में संज्ञान लिया और दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों के बारे में प्रत्यर्थी सं. 3 के लिए आदेशिका जारी की गई क्योंकि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया था कि पूर्वोक्त दो व्यक्तियों को पुलिस हवालात में अवैध रूप से निरुद्ध किए जाने के कारण और उनके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों के लिए मिथ्या मामले का रजिस्ट्रीकरण प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 3 ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में पूर्वोक्त दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया था जिसने उक्त पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करके मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त कर दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि तारीख 26 मार्च, 2001 के आवेदन में कथित तथ्यों के सत्यापन के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए कोई उपबंध नहीं था, इसलिए, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश उचित नहीं है ।

6. श्री सी. के. पारिख ने यह भी दलील दी कि जब मजिस्ट्रेट ने यह सूचना प्राप्त की है कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और उसके पिता को तारीख 25 मार्च, 2001 को उनके घरों से पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुलिस हवालात में अवैध रूप से निरुद्ध किया गया था तब मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह मामले में संज्ञान ले और आवेदन में कथित तथ्यों के सत्यापन के लिए किसी अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करें । इसलिए, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तकनीकी आधार पर पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करके न्यायसंगत कार्य नहीं किया है । श्री सी. के. पारिख ने यह भी निवेदन किया है कि वास्तव में 2001 के अपराध मामला सं. 33 को पुलिस द्वारा पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और उसके पिता और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और उसके पिता को अवैध निरोध में रखने के विरुद्ध बचाव करते हुए पुलिस द्वारा मामला बनाया गया था । इसलिए, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतया सही था और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उस आदेश को अभिखंडित करके न्यायसंगत कार्य नहीं किया था । अंत में, श्री सी. के. पारिख ने यह दलील दी कि इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश (माननीय आर. के. दास न्यायमूर्ति) ने पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और उसके पिता के अवैध निरोध किए जाने के संबंध में टिप्पणी की है और 2001 की याचिका सं. 1962 (उपाबंध सं. 15) में तारीख 24 अप्रैल, 2001 को

आदेश पारित किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली को यथाशीघ्र जमानत की प्रार्थना पर विनिश्चय करने के लिए निदेश दिए गए । इसलिए पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा तारीख 26 मार्च, 2001 को अपने आवेदन में किए गए अभिकथन किसी भी तरह आधारहीन नहीं हैं ।

7. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अंगीकार किए गए तर्कों को समर्थन देने के बजाय यह निवेदन किया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पर्याप्त सामग्री एकत्र किए बिना समन आदेश पारित किया गया था, इसलिए, मामले को अभिकथनों के समर्थन में सुसंगत सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जाए ।

8. संहिता की धारा 190 में इस बारे में उपबंध किया गया है कि अपराधों का संज्ञान मजिस्ट्रेटों द्वारा कैसे लिया जाएगा । संहिता की धारा 190 का सुसंगत भाग निम्नलिखित रूप में है :–

> "190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान – (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है –
>
> (क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर ;
>
> (ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर ;
>
> (ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है ।
>
> (2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है ।"

9. पूर्वोक्त उपबंधों का परिशीलन करने से पूर्णतया यह प्रकट है कि मजिस्ट्रेट उपरोक्त तीन रीतियों में से किसी को ग्रहण करके किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है । उसके पास अपराध को गठित करने वाले तथ्यों

के परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है । उसके पास ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की शक्ति है । परिवाद और पुलिस रिपोर्ट से अलग मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति या अपनी स्वयं की जानकारी से प्राप्त सूचना पर संहिता की धारा 190(1)(ग) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है कि ऐसा अपराध किया गया, इसलिए, मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध को किए जाने के संबंध में कोई सूचना जो लिखित या मौखिक में हो सकती है या स्वयं की जानकारी होने पर किसी अपराध का संज्ञान लेने हेतु व्यापक शक्ति है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए तारीख 26 मार्च, 2001 और तारीख 27 मार्च, 2001 का आवेदन जिसे पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों के किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना है । इसलिए, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 190(1)(ग) के अधीन ऐसी सूचना पर दंड संहिता की धारा 219 और 342 के अधीन अपराधों का संज्ञान लेकर पूरी तरह न्यायसंगत कार्य किया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट का उस सीमा तक का आदेश न केवल पूर्णतया सही है बल्कि संहिता की धारा 190(1)(ग) की परिधि के अंतर्गत भी आता है ।

10. जहां तक समन आदेश को पारित किए जाने का संबंध है संहिता की धारा 204 के उपबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए, समन आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए कि क्या मामले पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं । यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि मामले पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तब वह संहिता की धारा 204 के अधीन समन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है । इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि क्या मामले पर कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं या नहीं । मजिस्ट्रेट के पास अपने द्वारा प्राप्त की गई सूचना के समर्थन में सामग्रियों (साक्ष्य) पर विचार करना चाहिए । अतः, समन आदेश पारित करने के पूर्व विद्वान् मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यता है कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा किए गए अभिकथनों में सच्चाई का पता लगाने तथा ऐसे अभिकथनों की पुष्टि हेतु सुसंगत सामग्रियों के बारे में निष्कर्ष निकालने हेतु जांच करनी चाहिए । अतः, सूचना की पुष्टि के लिए सुसंगत सामग्रियों को प्राप्त किए बिना समन आदेश पारित करना उचित नहीं है । जहां तक अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट की सुसंगतता का संबंध है, उस पर यह दलील नहीं दी जा सकती कि उसकी कोई

सुसंगतता नहीं है । अधिवक्ता आयुक्त तारीख 27 मार्च, 2001 को संबंधित पुलिस थाने पर गया और यह निष्कर्ष निकाला कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और 2 और पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के पिता पुलिस हवालात में थे और इस तथ्य की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी । इस तरह पूर्वोक्त अधिवक्ता आयुक्त पुलिस हवालात में पूर्वोक्त व्यक्तियों के अभिकथित निरोध का महत्वपूर्ण साक्षी है । इस प्रकार, विद्वान् सेशन न्यायाधीश का मत है कि विद्वान् अधिवक्ता आयुक्त रिपोर्ट असंगत है, सही प्रतीत नहीं होती है । अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने से पूर्व विद्वान् मजिस्ट्रेट से क्या अपेक्षा की गई थी, अधिवक्ता आयुक्त के कथन में अभिलिखित किया गया था और ऐसी रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या सच्चाई प्रकट हुई है । ऐसा न करके विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट का अवलंब लेकर समन आदेश पारित करके न्यायसंगत कार्य नहीं किया था । अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट मामले में साक्ष्य का एक तात्विक टुकड़ा है, उसको इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं है । यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट की ओर से अभिकथनों की सच्चाई का सत्यापन करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त को तैनात किया जाना केवल पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा अपने आवेदनों में किए गए अभिकथनों की पुष्टि के लिए सुसंगत साक्ष्य को एकत्रित करने का कार्य था । इस प्रकार, विद्वान् मजिस्ट्रेट का पूर्वोक्त अधिवक्ता को आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का विनिश्चय पूर्णतः सही है, इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश की मताभिव्यक्तियां विधि में तर्कसंगत नहीं हैं ।

11. जैसाकि उपरोक्त कारणों पर चर्चा की गई उनके आधार पर पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है और पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश तारीख 10 मई, 2001 को अभिखंडित किया जाता है । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए समन आदेश को भी अभिखंडित किया जाता है । तथापि, विद्वान् मजिस्ट्रेट को पुनरीक्षणकर्ता सं. 3 द्वारा तारीख 26 मार्च, 2001 और 27 मार्च, 2001 को पेश किए गए आवेदनों की पुष्टि के लिए सुसंगत सामग्रियों की जांच करने और उन्हें एकत्रित करने के लिए निदेश दिया जाता है तथा उन्हें विधि के अनुसरण में नए सिरे से समुचित आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

---

## राघवेन्द्र सिंह

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 3 मार्च, 2011

**न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 349 – साक्षी या दस्तावेज पेश कराने की दंड न्यायालय की शक्तियां – यदि अभियुक्त के पास न्यायालय में समय से चालान रिपोर्ट न पेश करने और न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होने का भी समाधानप्रद स्पष्टीकरण है और यह स्पष्टीकरण धारा 349 में उपबंधित युक्तियुक्त प्रतिहेतु के प्रवर्ग में आता है तो अभियुक्त को उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध करना और दंडादिष्ट करना न्यायोचित नहीं है ।**

यह प्रकट है कि पुलिस थाना पन्नुगंज के पुलिस द्वारा इस आधार पर यान सं. यूएचएक्स-450 का अभिग्रहण किया था कि इस यान को चलाने से मोटर यान अधिनियम के उपबंधों का भंग हुआ है । यान का स्वामी गोपाल पांडे ने थाना भारसाधक अधिकारी पन्नुगंज से चालान रिपोर्ट मंगाने के लिए समन भेजने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष आवेदन (उपाबंध 1) प्रस्तुत किया है । तद्नुसार विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालान रिपोर्ट भिजवाने के लिए समन जारी किया किंतु पुनरीक्षणकर्ता जो पुलिस थाना पन्नुगंज पर भारसाधक अधिकारी था, ने इस न्यायालय को चालान रिपोर्ट भेजने के बजाय तारीख 19 अप्रैल, 2001 की अपनी रिपोर्ट (उपाबंध 2) द्वारा यह सूचना दी कि सरकार के निदेशों के अनुसार तारीख 11 अप्रैल, 2001 को ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से न्यायालय को चालान रिपोर्ट भेज दी गई थी ताकि यान के संबंध में संदेय योग्य कर आदि की वसूली की जा सके और इस बारे में स्पष्ट किया कि रिपोर्ट पूर्व में क्यों नहीं भेजी जा सकी । पुनरीक्षणकर्ता के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता को संहिता की धारा 349 के अधीन तारीख 5 मई, 2001 को कारण बताओ नोटिस (उपाबंध 4) जारी किया जिसके अनुसरण में पुनरीक्षणकर्ता ने तारीख 18 अप्रैल, 2001 को अपना विस्तृत स्पष्टीकरण (उपाबंध 7) प्रस्तुत करते हुए

यह दलील दी कि पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश दिया था कि मोटर यान अधिनियम के अधीन चालान रिपोर्ट ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से न्यायालय में भेजी जाएगी । पुलिस अधीक्षक के इस विनिश्चय को इस संबंध में नीतिगत मामले के रूप में लिया गया था कि यदि यान पर संदेय योग्य कोई कर है तो उसका निर्धारण करने और वसूली करने के लिए ए. आर. टी. ओ. को समर्थ बनाया जाए । संबंधित पुलिस भारसाधक अधिकारी ने न्यायालय को यह भी उत्तर दिया कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए हैदराबाद गया हुआ था इसलिए वह न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया और तद्नुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता को सात दिनों के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया । पुनरीक्षणकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर पूर्वोक्त अपील फाइल की परंतु विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपील को गुणागुण पर खारिज कर दिया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि संहिता की धारा 349 ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोज्य है जो या तो दांडिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में साक्षी है या अन्यथा उससे साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा की गई है । संहिता की धारा 349 में उल्लिखित कोई दस्तावेज या चीज को आरोप पत्र या चालान रिपोर्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि चालान रिपोर्ट/आरोप पत्र कोई साक्ष्य नहीं है । वर्तमान वाले मामले में पुनरीक्षणकर्ता ने तारीख 11 अप्रैल, 2001 को ए. आर. टी. ओ. के कार्यालय में पहले ही चालान रिपोर्ट भेजी थी जो कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के बहुत पहले भेजी गई थी । इसलिए, यह दलील नहीं दी जा सकती है कि उसने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करके चालान रिपोर्ट को विपरीत दिशा में मोड़ दिया था । उसने ऐसा पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अनुसार किया क्योंकि ए. आर. टी. ओ. को इस बात के लिए समर्थ बनाना था कि वह यान पर संदेय योग्य किसी कर का निर्धारण करें या उसकी वसूली करें । यह प्रकट हुआ है कि निचले न्यायालयों ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर पर गंभीर टिप्पण किया है कि चालान रिपोर्ट सरकारी आदेश के कारण ए. आर. टी. ओ. के कार्यालय पर भेजी गई थी किंतु ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं था । इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी स्थिति के बारे में अति स्पष्ट रूप से

स्पष्टीकरण दिया था और पश्चात्वर्ती उत्तर में यह अभिकथन किया कि लिपिकीय गलती की वजह से उसने अपने पूर्ववर्ती उत्तर में सरकारी आदेश के निर्देश के बारे में बताया और यह भी कथन किया कि पुलिस अधीक्षक का कोई आदेश ऐसा था जो ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से मोटर यान अधिनियम के अधीन न्यायालय में चालान रिपोर्ट फाइल की जाए किंतु निचले न्यायालयों ने पुनरीक्षणकर्ता के इस स्पष्टीकरण को सम्यक् रूप से किसी प्रकार विचार में नहीं लिया । यह ध्यान देने योग्य तथ्य भी है कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपने उत्तर में यह भी प्रकट किया था कि कर के रूप में 1,27,000/- रुपए की राशि यान पर संदेय योग्य थी, इसलिए, मामले को कर की वसूली के लिए ए. आर. टी. ओ. को भेजा गया था । यान के स्वामी द्वारा कर की संदेय योग्य अत्यधिक बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए चालान रिपोर्ट ए. आर. टी. ओ. के पास भेजी गई इसलिए, इस बात को अन्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह उचित था । पुलिस/प्रशासनिक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे इस बारे में विनिश्चय करें कि चालान रिपोर्ट/आरोप पत्र न्यायालय के पास सही मार्ग से क्यों न भेजी जाए और यदि ऐसा कोई विनिश्चय किसी अधिकारी के माध्यम से चालान रिपोर्ट/आरोप पत्र को सही रास्ते से भेजने का है तब यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि पुलिस/प्रशासनिक प्राधिकारियों के निदेश विधि में तर्कसंगत नहीं हैं । पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी स्थिति के बारे में पुनः यह स्पष्टीकरण दिया है कि जहां तक न्यायालय में उसके उत्तर देने में विलंब या उसकी गैर-हाजिरी का संबंध है । उसने यह स्पष्ट किया था कि वह प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस एकेडमी, हैदराबाद के लिए जाने की उससे अपेक्षा की गई थी और तद्नुसार वह पूर्व में उत्तर नहीं दे सका । इसलिए, यदि उसकी ओर से उत्तर देने में कोई विलंब हुआ है या न्यायालय में हाजिर होने में व्यतिक्रम हुआ है तो इसे जानबूझकर न समझा जाए । अभिलेख पर पुनरीक्षणकर्ता के इस स्पष्टीकरण को त्यक्त करने के लिए कोई सामग्री नहीं है । ऊपर बताए गए कारणों पर मेरा यह मत है कि पुनरीक्षणकर्ता ने समय के अंदर न्यायालय में चालान रिपोर्ट पेश न करने के लिए तथा न्यायालय में वैयक्तिक रूप से हाजिर न होने के लिए समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया है । पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संहिता की धारा 349 में उपबंधित युक्तियुक्त सफाई देने के प्रवर्ग के भीतर आता है, इसलिए, निचले न्यायालयों ने संहिता की धारा 349 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट करना न्यायसंगत नहीं था । (पैरा 10, 11 और 12)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2002] | 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 3422 : **मिठ्ठन लाल** बनाम **राज्य** । | 7 |

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2004 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 823.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

**पुनरीक्षणकर्ता की ओर से** सर्वश्री अश्विनी कुमार अवस्थी और मनीष तिवारी

**राज्य/विरोधी पक्षकार की ओर से** अपर सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी** – पुनरीक्षकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. 2001 की दांडिक अपील सं. 9 में अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय सोनभद्र द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2004 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है जिस पर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता' कहा गया है) की धारा 349 के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा तारीख 18 मई, 2001 को अभिलिखित की गई दोषसिद्धि के आदेश को कायम रखा था ।

3. यह प्रकट है कि पुलिस थाना पन्नुगंज के पुलिस द्वारा इस आधार पर यान सं. यूएचएक्स-450 का अभिग्रहण किया था कि इस यान को चलाने से मोटर यान अधिनियम के उपबंधों का भंग हुआ है । यान का स्वामी गोपाल पांडे ने थाना भारसाधक अधिकारी पन्नुगंज से चालान रिपोर्ट मंगाने के लिए समन भेजने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष आवेदन (उपाबंध 1) प्रस्तुत किया है । तद्नुसार विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालान रिपोर्ट भिजवाने के लिए समन जारी किया किंतु पुनरीक्षणकर्ता जो पुलिस थाना पन्नुगंज पर भारसाधक अधिकारी था, ने इस न्यायालय को चालान रिपोर्ट भेजने के बजाय तारीख 19 अप्रैल, 2001 की अपनी रिपोर्ट (उपाबंध 2) द्वारा यह सूचना दी कि सरकार के निदेशों के

अनुसार तारीख 11 अप्रैल, 2001 को ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से न्यायालय को चालान रिपोर्ट भेज दी गई थी ताकि यान के संबंध में संदेय योग्य कर आदि की वसूली की जा सके और इस बारे में स्पष्ट किया कि रिपोर्ट पूर्व में क्यों नहीं भेजी जा सकी । पुनरीक्षणकर्ता के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता को संहिता की धारा 349 के अधीन तारीख 5 मई, 2001 को कारण बताओ नोटिस (उपाबंध 4) जारी किया जिसके अनुसरण में पुनरीक्षणकर्ता ने तारीख 18 अप्रैल, 2001 को अपना विस्तृत स्पष्टीकरण (उपाबंध 7) प्रस्तुत करते हुए यह दलील दी कि पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश दिया था कि मोटर यान अधिनियम के अधीन चालान रिपोर्ट ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से न्यायालय में भेजी जाएगी । पुलिस अधीक्षक के इस विनिश्चय को इस संबंध में नीतिगत मामले के रूप में लिया गया था कि यदि यान पर संदेय योग्य कोई कर है तो उसका निर्धारण करने और वसूली करने के लिए ए. आर. टी. ओ. को समर्थ बनाया जाए । संबंधित पुलिस भारसाधक अधिकारी ने न्यायालय को यह भी उत्तर दिया कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए हैदराबाद गया हुआ था इसलिए वह न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया और तद्नुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता को सात दिनों के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया । पुनरीक्षणकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर पूर्वोक्त अपील फाइल की परंतु विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपील को गुणागुण पर खारिज कर दिया ।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पुनरीक्षण-कर्ता की ओर से न तो किसी तरह इनकार किया गया है और न उसने न्यायालय के आदेश की किसी भी तरह जानबूझकर अवज्ञा की । वास्तव में, पुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय को चालान रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त हो जाने के पूर्व उसने तारीख 11 अप्रैल, 2001 को ए. आर. टी. ओ. के कार्यालय पर पहले ही उक्त चालान रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी । पुनरीक्षणकर्ता ने इस तथ्य का यह कारण बताया था कि पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को यह निदेश दिया था कि वे मोटर यान अधिनियम के अधीन चालान रिपोर्ट ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से न्यायालय को प्रस्तुत करें ताकि ए. आर. टी. ओ. यान पर संदेय कोई भी कर का निर्धारण करने और उनकी वसूली करने के लिए समर्थ बनें । पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि

पुनरीक्षणकर्ता ने लिपिकीय गलती के कारणों का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सरकारी आदेश यह था कि ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से चालान रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि पुनरीक्षणकर्ता ने प्रशिक्षु भारतीय पुलिस अधीक्षक अधिकारियों को पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण देने के लिए उसे हैदराबाद में तैनात किया था और वह 19 अप्रैल, 2001 को वहां गया था । पुनरीक्षणकर्ता की बातों पर ध्यान दिया जाए तो वह न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय के अंतर्गत उत्तर नहीं दे सका और न वह वैयक्तिक रूप से हाजिर हो सका इसलिए आक्षेपित आदेश जो बहुत कठोर है पारित नहीं किया जाना चाहिए था । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने अंत में यह दलील दी कि पुलिस इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से चालान रिपोर्ट फाइल करे या ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से न्यायालय में इसे पेश करे ।

5. दूसरी ओर विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि जब मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता से चालान रिपोर्ट मंगवाई थी तब पुनरीक्षणकर्ता के लिए यह न्यायसंगत नहीं था कि रिपोर्ट को अपने पास रोके रखे । तत्पश्चात् मजिस्ट्रेट ने यान के स्वामी द्वारा दिए गए आवेदन पर ऐसा आदेश पारित किया था क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपनाए गए ऐसे दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना हुई है जो कि प्रशंसनीय नहीं हो सकता है, इसलिए, निचले न्यायालयों ने संहिता की धारा 349 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किए जाने पर पूरी तरह न्यायसंगत कार्य किया था ।

6. संहिता की धारा 349 में यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ति जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया जाता है, उन प्रश्नों का, जो उससे पूछे जाएं, उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में कि किसी दस्तावेज या चीज को जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करता है, पेश करने से इनकार करता है और ऐसे इनकार किए जाने का कोई उचित कारण पेश करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने पर ऐसा नहीं करता है तो ऐसा न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसे सात दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकेगा अथवा पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा, जब

तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा किए जाने और उत्तर देने के लिए या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए सहमत नहीं हो जाता और उसके इनकार पर डटे रहने की दशा में उसके बारे में धारा 345 या धारा 346 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

7. हम यह उल्लेख करने के लिए इस संदर्भ को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने **मिठ्ठन लाल** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में संहिता की धारा 349 की परिधि पर विचार किया और निर्णय के पैरा 8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 में न्यायालय को (कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्) किसी व्यक्ति को दंडादेश देने के लिए सशक्त किया गया है जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए या उन प्रश्नों का जो उससे किए जाएं उत्तर देने से इनकार करता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 को प्रयोग में लाए जा सकने से पूर्व न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि –
>
> (क) साक्षी को किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष किसी दस्तावेज या किसी चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया हो ;
>
> (ख) साक्षी ऐसे दस्तावेज या चीज को जो उसके कब्जे या शक्ति के अंतर्गत है जिसे पेश करने से इनकार करता है जिसे न्यायालय उससे पेश किए जाने की अपेक्षा करता है ; और
>
> (ग) साक्षी को युक्तियुक्त अवसर देने के बावजूद भी यदि वह ऐसे इनकार किए जाने के बारे में कोई युक्तियुक्त कारण देने में विफल होता है और केवल इन शर्तों पर समाधान होने के पश्चात् न्यायालय कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् साक्षी को सात दिन के साधारण कारावास जो उससे अधिक न हो दंडादेश दे सकता है जब तक कि उसी बीच में साक्षी ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश न कर दे । और उसके ऐसे इनकार करने की दशा में न्यायालय इस बात के लिए सशक्त है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अवमान का कार्यवाहियां प्रारंभ करें जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 में प्रक्रिया

---

[1] 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 3422.

अधिकथित की गई है । इस प्रकार, धारा 349 में पहले ही यह माना गया है कि किसी साक्षी की शक्ति और कब्जे में कोई दस्तावेज जिसे उस साक्षी द्वारा पेश किया जाना अपेक्षित है । अभिलेख पर ऐसी सामग्री के न होने की दशा में कि साक्षी के कब्जे में दस्तावेज है और वह जानबूझकर उसे पेश नहीं कर रहा है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती । इस दंड उपबंध का कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए ।"

8. इसलिए, संहिता की धारा 349 के अधीन कार्यवाही करने के लिए आवश्यक अध्यपेक्षाओं में से एक यह है कि व्यक्ति जिसे दांडिक न्यायालय द्वारा बुलाया जाना अपेक्षित है कि वह ऐसे प्रश्न का उत्तर दें या ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करें जो उसके कब्जे में है, वह न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए विधितः बाध्यता के अधीन है । परंतु वह ऐसा करने से मना करता है । इसलिए, ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज या चीज को पेश करने से इनकार किए जाने पर संहिता की धारा 349 का अवलंब लेने की पूरोभाव्य शर्त है । कभी-कभी जानबूझकर लोप करना या बचना भी हो सकता है । इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत ऐसा लोप या बचने की कार्यवाही की गई है, इनकार करने का कारण हो सकता है । यदि ऐसा व्यक्ति इनकार करने का कोई युक्तियुक्त कारण/या माफी दर्शित करता है कि वह ऐसे दस्तावेज या चीज को या प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है तब ऐसी परिस्थिति में संहिता की धारा 349 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पारित नहीं किया जाना चाहिए । यदि उसी बीच में न्यायालय के आदेश का संबंधित व्यक्ति द्वारा अनुपालन कर दिया जाता है या अनुपालन करने के लिए सहमत हो जाता है तब न्यायालय को ऐसी स्थिति में कार्यवाही को समाप्त कर देना चाहिए । यह निष्कर्ष "जब तक कि उस बीच में ऐसा व्यक्ति संहिता की धारा 349 में प्रयुक्त किसी प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज या चीज पेश करने की परीक्षा देने के लिए सहमति न दे देता हो" अभिव्यक्ति से सुस्पष्ट है ।

9. जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, संहिता की धारा 349 के उपबंध प्रकृति में दंडात्मक हैं, इसलिए, इसे हल्के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल ऐसे मामले में संयम से प्रवर्तन में लाना

चाहिए जहां किसी दांडिक न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज या कोई चीज पेश करने जो उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसे उन्हें पेश करने के लिए बुलाया गया था और उसने जानबूझकर इनकार कर दिया और उसने ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त सफाई देने में विफल हुआ है । यदि ऐसा व्यक्ति अपने आधार के संबंध में न्यायसंगत कोई युक्तियुक्त सफाई (स्पष्टीकरण) देता है और उससे यह उपदर्शित होता है कि उसका न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने का कभी भी कोई आशय नहीं था तब उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाना चाहिए । यदि ऐसा स्पष्टीकरण संहिता की धारा 349 के अधीन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान भी सामने आता है तो उसे भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए और यह दलील नहीं दी जा सकती कि प्रारंभिक प्रक्रम पर वह कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते समय पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ ।

10. यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि संहिता की धारा 349 ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोज्य है जो या तो दांडिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में साक्षी है या अन्यथा उससे साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा की गई है । संहिता की धारा 349 में उल्लिखित कोई दस्तावेज या चीज को आरोप पत्र या चालान रिपोर्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि चालान रिपोर्ट/आरोप पत्र कोई साक्ष्य नहीं है ।

11. वर्तमान वाले मामले में पुनरीक्षणकर्ता ने तारीख 11 अप्रैल, 2001 को ए. आर. टी. ओ. के कार्यालय में पहले ही चालान रिपोर्ट भेजी थी जो कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के बहुत पहले भेजी गई थी । इसलिए, यह दलील नहीं दी जा सकती है कि उसने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करके चालान रिपोर्ट को विपरीत दिशा में मोड़ दिया था । उसने ऐसा पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अनुसार किया क्योंकि ए. आर. टी. ओ. को इस बात के लिए समर्थ बनाना था कि वह यान पर संदेय योग्य किसी कर का निर्धारण करें या उसकी वसूली करें । यह प्रकट हुआ है कि निचले न्यायालयों ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर पर गंभीर टिप्पण किया है कि चालान रिपोर्ट सरकारी आदेश के कारण ए. आर. टी. ओ. के कार्यालय पर भेजी गई थी किंतु ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं था । इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी स्थिति के बारे में अति स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया था और पश्चात्वर्ती उत्तर में यह अभिकथन किया कि लिपिकीय गलती की वजह से उसने अपने पूर्ववर्ती उत्तर में सरकारी आदेश के निर्देश

के बारे में बताया और यह भी कथन किया कि पुलिस अधीक्षक का कोई आदेश ऐसा था जो ए. आर. टी. ओ. के माध्यम से मोटर यान अधिनियम के अधीन न्यायालय में चालान रिपोर्ट फाइल की जाए किंतु निचले न्यायालयों ने पुनरीक्षणकर्ता के इस स्पष्टीकरण को सम्यक् रूप से किसी प्रकार विचार में नहीं लिया । यह ध्यान देने योग्य तथ्य भी है कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपने उत्तर में यह भी प्रकट किया था कि कर के रूप में 1,27,000/- रुपए की राशि यान पर संदेय योग्य थी, इसलिए, मामले को कर की वसूली के लिए ए. आर. टी. ओ. को भेजा गया था । यान के स्वामी द्वारा कर की संदेय योग्य अत्यधिक बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए चालान रिपोर्ट ए. आर. टी. ओ. के पास भेजी गई इसलिए, इस बात को अन्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह उचित था । पुलिस/प्रशासनिक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे इस बारे में विनिश्चय करें कि चालान रिपोर्ट/आरोप पत्र न्यायालय के पास सही मार्ग से क्यों न भेजी जाए और यदि ऐसा कोई विनिश्चय किसी अधिकारी के माध्यम से चालान रिपोर्ट/आरोप पत्र को सही रास्ते से भेजने का है तब यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि पुलिस/प्रशासनिक प्राधिकारियों के निदेश विधि में तर्कसंगत नहीं हैं । पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी स्थिति के बारे में पुनः यह स्पष्टीकरण दिया है कि जहां तक न्यायालय में उसके उत्तर देने में विलंब या उसकी गैर-हाजिरी का संबंध है । उसने यह स्पष्ट किया था कि वह प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस एकेडमी, हैदराबाद के लिए जाने की उससे अपेक्षा की गई थी और तद्नुसार वह पूर्व में उत्तर नहीं दे सका । इसलिए, यदि उसकी ओर से उत्तर देने में कोई विलंब हुआ है या न्यायालय में हाजिर होने में व्यतिक्रम हुआ है तो इसे जानबूझकर न समझा जाए । अभिलेख पर पुनरीक्षणकर्ता के इस स्पष्टीकरण को त्यक्त करने के लिए कोई सामग्री नहीं है ।

12. ऊपर बताए गए कारणों पर मेरा यह मत है कि पुनरीक्षणकर्ता ने समय के अंदर न्यायालय में चालान रिपोर्ट पेश न करने के लिए तथा न्यायालय में वैयक्तिक रूप से हाजिर न होने के लिए समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया है । पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संहिता की धारा 349 में उपबंधित युक्तियुक्त सफाई देने के प्रवर्ग के भीतर आता है, इसलिए, निचले न्यायालयों ने संहिता की धारा 349 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट करना न्यायसंगत नहीं था ।

13. अतः पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है । मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा तारीख 18 मई, 2001 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश तथा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2004 को पारित आदेश अभिखंडित किए जाते हैं । परिणामस्वरूप, पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध संहिता की धारा 349 के अधीन प्रारंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

---

**(2012) 1 दा. नि. प. 88** **इलाहाबाद**

## राजवीर

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 3 मार्च, 2011

**न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनिस**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 अपवाद 4 और 304 भाग II – यदि अचानक झगड़ा होने पर धैर्य खोने के कारण पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कोई अपराध किया गया हो तो अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध होगा न कि हत्या का अपराध ।**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग I और भाग II – यदि हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है तो यह अपराध उक्त धारा के भाग I के अंतर्गत आएगा किंतु यदि अपराध मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया जाता है तो यह भाग II के अधीन आएगा चाहे इस बात की जानकारी हो कि कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है ।**

मृतक का अपीलार्थी राजवीर के साथ रास्ते के संबंध में कुछ समय पूर्व विवाद हुआ था जिसपर गांववासियों के कहने पर समझौता हो गया था । तारीख 25 दिसंबर, 2005 को मृतक योगेन्द्र सिंह जाटव **उर्फ** दंगाली

अपीलार्थी राजवीर और कुछ अन्य व्यक्ति "जामुन" के पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे, यह वृक्ष ग्राम बरगवा में धानु के "कंधार" के सामने था । लगभग 5.00 बजे अपराह्न इत्तिला देने वाली श्रीमती रानी और उसका छोटा पुत्र दिलीप जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष थी और उसके पिता रामनाथ उसके पति को बुलाने के लिए वहां पहुंचे और उसने देखा कि अपीलार्थी और मृतक ताश के खेल में जीत और हार के लिए झगड़ा कर रहे थे । उस समय अपीलार्थी राजवीर ने मृतक को गालियां देने के पश्चात् उसकी छाती की बांईं ओर चाकू घोंप दिया । इत्तिला देने वाली तत्काल अपने पति के पास पहुंची और उसे ट्रैक्टर पर डा. सुभाष अस्पताल ले गई । उसके पश्चात् वह अपने गांव वापस लौट आई किंतु उसके पति की हालत बिगड़ती गई जिस पर वह अपने पति को "मार्शल जीप" से कानपुर ले गई । किंतु रास्ते पर ही उसकी मृत्यु हो गई और मृतक के शव को अपने गांव ले आई । शव को वहां छोड़ने के पश्चात् वह पुलिस थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज गई जहां उसने तारीख 26 दिसंबर, 2005 को दंड संहिता की धारा 302/504 के अधीन 2005 का अपराध सं. 1350 मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दर्ज की थी । पुलिस द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर सेशन न्यायाधीश (न्यायालय सं. 2) कन्नौज द्वारा निर्णय पारित करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा जहां तक अनुकल्प दलील दिए जाने का संबंध है, न्यायालय ने इस दलील में कुछ सार पाया है । न्यायालय ने यह विचार किया है कि अपीलार्थी द्वारा मृतक पर दोहराए बिना या बिना पूर्व चिंतन के चाकू से केवल एक प्रहार किया था । यह झगड़ा तब हुआ जब अपीलार्थी घटनास्थल पर पहुंचा और पैसे की मांग करने लगा, शायद उनके बीच ताश खेला जा रहा था । अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा होने के पश्चात् उसी क्षण अपीलार्थी ने अपना विवेक खो दिया और मृतक के वक्ष पर बिना दोहराए चाकू से एक घाव कर दिया । यह प्रकट है कि यह अपराध बिना पूर्व चिंतन किया गया था । ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का कोई पूर्व आशय था । इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि घातक प्रहार आकस्मिक रूप से दाहिने चूचुक के पार्श्व भाग पर 11.00 से. मी. नीचे किया गया था जिससे उसके दाहिने फुफ्फुसावरण कट गए थे जिसके परिणामस्वरूप अगले दिन योगेन्द्र की

मृत्यु हो गई । दंड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद को भी ध्यान में रखा जाए जैसाकि अचानक झगड़ा होने पर धैर्य खोने के कारण बिना पूर्व चिंतन के कोई अपराध होना प्रकट होता है, अपराधी का बिना किसी सम्यक् फायदा या क्रूरता से या अप्रायिक रीति में कार्य किए जाने से अपराध सदोष मानव वध का होगा न कि हत्या की कोटि में आएगा और न हत्या का अपराध बनेगा, इसलिए इन परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 302 से दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को प्रतिस्थापित किया जाना उचित होगा । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से दंड संहिता की धारा 304 के भाग II के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को परिवर्तित करता है । न्यायालय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन आजीवन कारावास का दंड प्रतिस्थापित करते हैं और 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित आठ वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश देता है । (पैरा 18 और 20)

विचार के लिए एक प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या अपराध दंड संहिता की धारा भाग I या भाग II के अंतर्गत आएगा । हमने यह विचार किया है कि इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा मृतक को पहुंचाई गई क्षति या तो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई थी या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से की गई थी जिससे संभवतया मृत्यु हो जाए । इस पर अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि यह कार्य जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसे कार्य से संभवतया मृत्यु हो जाए किंतु मृत्यु कारित किए जाने का बिना किसी आशय या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय जिससे संभवतया मृत्यु हो जाए । इन तथ्यों से दंड संहिता की धारा 304 के भाग II की परिधि के अंतर्गत मामला आएगा । (पैरा 19)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 6252.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री ओ. पी. द्विवेदी और विश्वा रतन द्विवेदी

**राज्य की ओर से** अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अमर सरन ने दिया ।

**न्या. सरन** – यह दांडिक अपील तारीख 20 अगस्त, 2008 को अपर सेशन न्यायाधीश (न्यायालय सं. 2) कन्नौज द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई है जिसमें अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए जुर्माने का दंडादेश दिया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अपीलार्थी को छह मास का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री ओ. पी. द्विवेदी तथा विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. अभियोजन वृत्तांत जैसाकि मृतक योगेन्द्र **उर्फ** दंगाली की पत्नी श्रीमती रानी (अभि. सा. 1) द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जिसे तारीख 26 दिसंबर, 2005 को 4.10 बजे अपराह्न पुलिस थाना गुरसहायगंज, जिला कन्नौज में दर्ज किया गया था उसमें यह उल्लेख किया गया है कि मृतक का अपीलार्थी राजवीर के साथ रास्ते के संबंध में कुछ समय पूर्व विवाद हुआ था जिसपर गांववासियों के कहने पर समझौता हो गया था । तारीख 25 दिसंबर, 2005 को मृतक योगेन्द्र सिंह जाटव **उर्फ** दंगाली अपीलार्थी राजवीर और कुछ अन्य व्यक्ति "जामुन" के पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे, यह वृक्ष ग्राम बरगवा में धानु के "कंधार" के सामने था । लगभग 5.00 बजे अपराह्न इत्तिला देने वाली श्रीमती रानी और उसका छोटा पुत्र दिलीप जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष थी और उसके पिता रामनाथ उसके पति को बुलाने के लिए वहां पहुंचे और उसने देखा कि अपीलार्थी और मृतक ताश के खेल में जीत और हार के लिए झगड़ा कर रहे थे । उस समय अपीलार्थी राजवीर ने मृतक को गालियां देने के पश्चात् उसकी छाती की बाईं ओर चाकू घोंप दिया । इत्तिला देने वाली तत्काल अपने पति के पास पहुंची और उसे ट्रैक्टर पर डा. सुभाष अस्पताल ले गई । उसके पश्चात् वह अपने गांव वापस लौट आई किंतु उसके पति की हालत बिगड़ती गई जिस पर वह अपने पति को "मार्शल जीप" से कानपुर ले गई । किंतु रास्ते पर ही उसकी मृत्यु हो गई और मृतक के शव को अपने गांव ले आई । शव को वहां छोड़ने के पश्चात् वह पुलिस थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज गई जहां उसने तारीख 26 दिसंबर, 2005 को दंड संहिता की धारा 302/504 के अधीन 2005 का अपराध सं. 1350 मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दर्ज की थी ।

4. डा. बृजेश सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा तारीख 27 दिसंबर, 2005 को 3.00 बजे अपराह्न मृतक के शव की शव परीक्षा की गई थी । उसने मृतक पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व क्षति पाई थी :–

> "1. पार्श्व दाहिना चूचुक जो 8.00 बजे की स्थिति में है उसके 11 से. मी. नीचे छाती के दाहिने पार्श्व को वक्ष गुहिका की गहराई तक वेदन घाव 2.5 से. मी. x 1.00 से. मी. । उपान्त स्पष्ट कटे हुए, दाहिने फुप्फुसावरण के विच्छेदन पर एक कोण नुकीला, दाहिने ओर पूर्ववर्ती भाग कटे हुए, वक्ष गुहिका रक्त से पूरी तरह भरी हुई थी ।
>
> डाक्टर के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व क्षति के परिणामस्वरूप आघात और रक्तस्राव है ।"

5. केवल दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती रानी (अभि. सा. 1) और उसका 8 वर्ष का पुत्र कुलदीप **उर्फ** दिलीप (अभि. सा. 2) की अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने के लिए परीक्षा की गई । उक्त दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से अलग डाक्टर बृजेश सिंह (अभि. सा. 3) जिन्होंने शव-परीक्षण किया था, कांस्टेबल फूल सिंह (अभि. सा. 4) जिन्होंने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की और साधारण डायरी प्रविष्टि बनाई, उप-निरीक्षक मान सिंह यादव (अभि. सा. 5) और उप-निरीक्षक ओंकार नाथ शुक्ला (अभि. सा. 6) जिन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की, उनकी अभियोजन पक्ष द्वारा औपचारिक साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई । उप-निरीक्षक मान सिंह यादव (अभि. सा. 5) जो मोहल्ले में दूसरा अन्वेषक अधिकारी हैं, उन्होंने अपीलार्थी के कहने पर चाकू की बरामदगी की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया । उनकी भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराई गई ।

6. एक साक्षी बड़कऊ (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षा कराई गई जिन्होंने अभिकथित घटनास्थल पर किसी प्रकार के ताश खेले जाने से इनकार किया ।

7. श्रीमती रानी (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित अपने वृत्तांत को दोहराया है । उसने यह भी कथन किया है कि उसने ग्राम प्रधान राजापूर्वा के कर्ण सिंह द्वारा लिखी गई रिपोर्ट प्राप्त की और उस पर पुलिस ने घटना के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन अभिलिखित किए थे ।

8. उसके 8 वर्ष के पुत्र कुलदीप **उर्फ** दिलीप के साक्ष्य देने की सामर्थ्य से संतुष्ट होकर उसके द्वारा सच्चा अभिसाक्ष्य देने के लिए उसकी

अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई जिसने यह कथन किया कि उसके पिता और अपीलार्थी जामुन के पेड़ के नीचे लड़ रहे थे । उसके पिता ने उसकी माता से कुछ पैसे लाने के लिए कहा था किंतु उसकी माता ने इनकार कर दिया तब उसके पिता घटनास्थल पर पहुंचे जहां मकुवा, राजवीर और बर्कु ताश खेल रहे थे और उन्होंने पैसे की मांग की । उस समय 5.00 बजे थे । यह घटना उसके मकान के नजदीक घटी थी । इस साक्षी और उसकी माता और नाना उसके पिता को बुलाने के लिए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे । उसने देखा कि अपीलार्थी राजवीर ने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था जिसे उसने उसके पिता के उदर में घोंप दिया । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ है कि उसके पिता ने उस तारीख को शराब पी रखी थी जब उन्हें चाकू घोंपा गया था । उसकी माता और पिता के बीच प्रायः झगड़ा होता था । उसने यह भी कथन किया कि राजवीर द्वारा उसके पिता को चाकू घोंपने के पश्चात् उसका पिता जमीन पर गिर गया और अगले दिन उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था किंतु उनकी क्षति के कारण मृत्यु हो गई ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस साक्षी के कथन के अनुसार उसकी माता बाद में घटनास्थल पर पहुंची, इसलिए, वह इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त, बालक साक्षी के साक्ष्य का बिना सम्पुष्टि के अवलंब नहीं लिया जा सकता है । कोई अन्य साक्षी इस मामले में अभिसाक्ष्य देने के लिए नहीं पहुंचा और बालक साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा जो कुछ सिखाया-पढ़ाया गया उसके आधार पर उसका साक्ष्य देना हो सकता है ।

10. यह भी दलील दी गई कि इन हितबद्ध साक्षियों के अलावा कोई अन्य साक्षी अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने नहीं पहुंचा है और यह असुरक्षित होगा कि पक्षपाती साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जाए ।

11. अनुकल्पतः अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई थी कि सभी भांति यह संभावना प्रकट होती है कि मृतक और अपीलार्थियों के बीच अचानक झगड़े के पश्चात् यह घटना घटी जो जीतने और हारने के लिए ताश खेल रहे थे । इसलिए यह मामला अधिक से अधिक दंड संहिता की धारा 304 भाग II से परे नहीं बनता है ।

12. दूसरी ओर, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है

कि इस मामले में श्रीमती रानी देवी (अभि. सा. 1) मृतक की पत्नी और मृतक का छोटा पुत्र कुलदीप (अभि. सा. 2) का साक्ष्य विश्वसनीय है । इस बालक साक्षी के कथन की सत्यता और विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है । ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है कि मृतक की पत्नी और पुत्र इस घटना में वास्तविक हमलावर को छोड़कर अपीलार्थी को मिथ्या रूप से क्यों फंसाते । इन दो साक्षियों के परिसाक्ष्य का सम्पूर्ण अवलंब लिया जा सकता है । यदि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन के समर्थन में अन्य साक्षियों को पेश करने में असमर्थ हुआ है, तो यह बात अतात्विक है ।

13. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि उप-निरीक्षक मान सिंह (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी के कहने पर तालाब के पानी से चाकू की बरामदगी के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है और बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-6 तारीख 2 जनवरी, 2006 को 0.05 बजे पूर्वाह्न तैयार किया गया था । यह भी एक अगली परिस्थिति है जो इस अपराध में अपीलार्थी की सहापराधिता के साक्ष्य की सम्पुष्टि होती है । चाकू के प्रहार की गंभीरता को देखते हुए जो मृतक के वक्ष में किया गया था उससे केवल दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध प्रकट होता है ।

14. हम अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की जहां तक अपीलार्थी की सहापराधिता का संबंध है उनकी दलीलों से सहमत नहीं हैं । इस मामले में केवल अपीलार्थी को ही अभियुक्त बनाया गया है और उसे मिथ्या रूप से फंसाए जाने का कोई कारण नहीं है । जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक योगेन्द्र सिंह को चाकू न घोंपा गया हो । रास्ते के इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में पूर्ववर्ती विवाद का गांववासियों द्वारा पहले ही निराकरण करा लिया गया था जिससे पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था । इस तथ्य का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है ।

15. यह भी अति तात्विक नहीं है कि क्या श्रीमती रानी देवी जब मृतक पर चाकू घोंपा जा रहा था, उस समय घटनास्थल पर पहुंची थी या वह कुछ समय के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी और इस तथ्य के बारे में पता चला है कि उसके बच्चे द्वारा अपीलार्थी को मृतक पर चाकू घोंपते हुए देखा गया था । इसलिए, उक्त साक्षी के साक्ष्य पर बिना किसी सम्पुष्टि के भी सुरक्षित रूप से कार्यवाही की जा सकती है । अभियोजन पक्ष द्वारा बालक साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा किए जाने पर भी उसके परिसाक्ष्य को बाहर नहीं किया जा सकता जिसकी साक्ष्य देने की योग्यता और सच्ची

बात कहने के अनुभव पर ध्यान देते हुए न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई थी ।

16. यह भी सामान्य जानकारी है कि तीसरे व्यक्ति पक्षकारों के बीच किसी विवाद के बारे में साक्ष्य देने में अति अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि वे उन मामलों से संबंधित नहीं हैं और वे दूसरे लोगों के बीच विवाद में फंसना नहीं चाहते और उनकी विशुद्ध रूप से निजी विवादों पर अलग सोच होती है । यद्यपि, ऐसा स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है किंतु दुर्भाग्यवश आज के समय में ऐसा सामान्य रूप से हो रहा है । अतः, अन्य स्वतंत्र साक्षियों का उपस्थित न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक होना नहीं कहा जा सकता है और यह न्यायालय पक्षपाती या नातेदार साक्षियों के परिसाक्ष्य पर भी सुरक्षित रूप से कार्यवाही कर सकता है । यदि वह यह देखता है कि उनके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता और सच्चाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । यहां पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीमती रानी देवी (अभि. सा. 1) और कुलदीप **उर्फ** दिलीप (अभि. सा. 2) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और उनके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है ।

17. अपीलार्थी के कहने पर तालाब के पानी से चाकू की बरामदगी किया जाना श्रीमती रानी और कुलदीप के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए महत्वपूर्ण परिस्थिति है तथा इस अपराध में अपीलार्थी का अंतर्वलन उपदर्शित होता है ।

18. अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा जहां तक अनुकल्प दलील दिए जाने का संबंध है, हम इस दलील में कुछ सार पाते हैं । हमने यह विचार किया है कि अपीलार्थी द्वारा मृतक पर दोहराए बिना या बिना पूर्व चिंतन के चाकू से केवल एक प्रहार किया था । यह झगड़ा तब हुआ जब अपीलार्थी घटनास्थल पर पहुंचा और पैसे की मांग करने लगा, शायद उनके बीच ताश खेला जा रहा था । अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा होने के पश्चात् उसी क्षण अपीलार्थी ने अपना विवेक खो दिया और मृतक के वक्ष पर बिना दोहराए चाकू से एक घाव कर दिया । यह प्रकट है कि यह अपराध बिना पूर्व चिंतन किया गया था । ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का कोई पूर्व आशय था । इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि घातक प्रहार आकस्मिक रूप से दाहिने चूचुक के पार्श्व भाग पर 11.00 से. मी. नीचे किया गया था जिससे उसके दाहिने फुप्फुसावरण कट गए थे जिसके परिणामस्वरूप अगले दिन योगेन्द्र की मृत्यु हो गई । दंड संहिता की धारा

300 के चौथे अपवाद को भी ध्यान में रखा जाए जैसाकि अचानक झगड़ा होने पर धैर्य खोने के कारण बिना पूर्व चिंतन के कोई अपराध होना प्रकट होता है, अपराधी का बिना किसी सम्यक् फायदा या क्रूरता से या अप्रायिक रीति में कार्य किए जाने से अपराध सदोष मानववध का होगा न कि हत्या की कोटि में आएगा और न हत्या का अपराध बनेगा, इसलिए इन परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 302 से दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को प्रतिस्थापित किया जाना उचित होगा ।

19. विचार के लिए एक प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या अपराध दंड संहिता की धारा भाग I या भाग II के अंतर्गत आएगा । हमने यह विचार किया है कि इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा मृतक को पहुंचाई गई क्षति या तो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई थी या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से की गई थी जिससे संभवतया मृत्यु हो जाए । इस पर अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि यह कार्य जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसे कार्य से संभवतया मृत्यु हो जाए किंतु मृत्यु कारित किए जाने के आशय के बिना किया जाए या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है । इन तथ्यों से दंड संहिता की धारा 304 के भाग II की परिधि के अंतर्गत मामला आएगा ।

20. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से दंड संहिता की धारा 304 के भाग II के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को परिवर्तित करते हैं । हम दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन आजीवन कारावास का दंड प्रतिस्थापित करते हैं और 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित आठ वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश देते हैं ।

21. पूर्वोक्त उपांतरणों सहित अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

---

## विक्रांत और अन्य

बनाम

## उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 8 मार्च, 2011

**न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 और 190(1)(ख) – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां – जहां मजिस्ट्रेट मृत्युकालिक कथन सहित अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है वहां उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों परअपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता ।**

मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका श्रीमती रेखा आवेदक सं. 1 विक्रांत की पत्नी है । उसे तारीख 10 मार्च, 2010 को लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न आवेदकों के मकान पर गंभीर जली हुई क्षतियां पहुंची थीं और तारीख 2 अप्रैल, 2010 को चिकित्सा महाविद्यालय, मेरठ में उसकी मृत्यु हुई । प्रारंभ में उसे उपचार हेतु जियो नाथ अस्पताल, द्वारिकापुरी, मुजफ्फरनगर ले जाया गया था किंतु उसे तारीख 27 मार्च, 2010 को चिकित्सा महाविद्यालय, मेरठ भेज दिया गया था । जली हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु पूतिजीवरक्तता की वजह से हुई । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका का मृत्युकालिक कथन उपखंड मजिस्ट्रेट, सदर श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा जियो नाथ अस्पताल, मुजफ्फरनगर में अभिलिखित किया गया था । मृतका ने उस कथन में यह कहा है कि उसे दुर्घटनावश जली हुई क्षतियां पहुंचीं । अन्वेषक अधिकारी ने उसके द्वारा प्रकट कहानी के समर्थन में कई साक्षियों की परीक्षा की कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश घटित हुई थी और यह मानववध प्रकृति का मामला नहीं है । शिकायतकर्ता और उसके साक्षियों की संहिता की धारा 161 के अधीन भी पूछताछ की गई थी जिन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए वृत्तांत का समर्थन किया है । अन्वेषक अधिकारी ने साक्षियों के कथनों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश की । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदकों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री पाई थी इसलिए उन्होंने अंतिम रिपोर्ट

अस्वीकार कर दी तथा अभियुक्तों को समन जारी किए । आवेदकों ने उक्त आक्षेपित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण आवेदन खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं था कि अपराध का संज्ञान लेने के प्रक्रम पर निर्णय को अभिलिखित करें । उसके लिए यह आवश्यक था कि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री का यह सुनिश्चित करने के लिए केवल परिशीलन करें कि क्या आवेदकों के लिए समन जारी करने हेतु कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है या नहीं । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न तो परिवाद के रूप में विरोध आवेदन पर विचार किया और न परिवाद मामले में कार्यवाही करने का विनिश्चय किया, इसलिए, उन्होंने संहिता के अध्याय XV में विहित की गई प्रक्रिया को ग्रहण करना अपेक्षित नहीं समझा । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर संहिता की धारा 190(1)(ख) के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और इस प्रकार, आवेदकों को समन जारी करने के पूर्व प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो कुछ अपेक्षा की गई थी, यह थी कि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री का परिशीलन करे । यदि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता था तो मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र था कि अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करे तथा अपराध का संज्ञान ले । पुलिस रिपोर्ट के बारे में क्या यह आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट से सृजित है । मजिस्ट्रेट की शक्ति सुस्थिर है । मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है । जब कभी कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तब मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से सहमत हो सकता है और उसे स्वीकार कर सकता है । वह वर्णित स्थिति में पुलिस द्वारा निकाले निष्कर्षों से असहमत भी हो सकता है और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है । अंतिम रिपोर्ट के मामले में भी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से असहमति व्यक्त कर सकता है, अपराध का संज्ञान ले सकता है, यदि वह अन्वेषण के प्रकट हुए तथ्यों को अपने विवेक में लेकर अभियुक्तों को समन जारी कर सकता है यदि उसका यह मत है कि अभियुक्तों को समन भेजने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रकट हुई है तब वह मामले पर कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा । दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करने

के लिए सक्षम है यदि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या कोई मामला बनता है तो अपराध का संज्ञान ले सकता है । विरोध आवेदन के संबंध में विधि भी सुस्थापित है । किसी विरोध आवेदन जिसे अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध फाइल किया गया है, मजिस्ट्रेट अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों के आधार पर मामले की परीक्षा करने के लिए अग्रसर हो सकता है और उसे यह विचार करना चाहिए कि क्या अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर कोई अपराध बनता है, जिस अपराध का किसी भी तरह संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं । यदि प्रथमदृष्ट्या कोई मामला बनता है तब मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख) के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है और अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकता है । किंतु यदि ऐसी सामग्रियों से अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई मामला नहीं बनता है तब मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में परिवाद के रूप में विरोध आवेदन पर विचार करेगा । यदि किसी विरोध आवेदन पर परिवाद के रूप में विचार किया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के अनुसरण में उस पर विचार किया जाना चाहिए । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शपथपत्रों के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था । उसे मामले के सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने आदेश में केवल शपथपत्रों का उल्लेख किया जाना चाहिए था तथा उन्हें अतिस्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालने चाहिएं थे कि प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके साक्षियों ने संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए अपने कथनों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के वृत्तांत का समर्थन किया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मृत्युकालिक कथन सहित अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सम्पूर्ण सामग्रियों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्यों पर अपने निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश को पारित करते समय कोई अतिरिक्त सामग्री संज्ञान में लेना प्रतीत नहीं होता है । (पैरा 5, 6, 7 और 9)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2006] (2006) 4 एस. सी. सी. 359 :
**मीनू कुमारी** बनाम **बिहार राज्य** ; 6

| | | |
|---|---|---|
| [2006] | (2006) 7 एस. सी. सी. 296 :<br>**पापुलर मुथैय्या** बनाम **राज्य** ; | 6 |
| [2004] | (2004) 7 एस. सी. सी. 768 :<br>**गंगाधर जनार्दन महात्रे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 6 |
| [1968] | ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 117 :<br>**अभिनन्दन झा** बनाम **दिनेश मिश्रा** । | 6 |

**प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2011 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 3665.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

**आवेदकों की ओर से** श्री अरविन्द श्रीवास्तव

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी** – आवेदकों के विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

2. यह प्रकट हुआ है कि 2010 का अपराध मामला सं. 130 में जिला मुजफ्फरनगर के पुलिस थाना मंसूरपुर में अन्वेषक अधिकारी द्वारा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने शपथपत्र के साथ विरोध आवेदन फाइल किया तथा साक्षी श्रीमती रेखा और श्रीमती बेदी के शपथपत्रों को भी फाइल किया था । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 1, मुजफ्फरनगर ने अंतिम रिपोर्ट तथा विरोध आवेदन में एक साथ विचार किया और तारीख 25 नवंबर, 2010 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसके द्वारा विद्वान् मजिस्ट्रेट ने विरोध आवेदन स्वीकार किया और अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार कर दी तथा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध का संज्ञान लिया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आवेदकों के मामले में आदेशिका जारी करने का निदेश भी किया ।

3. मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका श्रीमती रेखा आवेदक सं. 1 विक्रांत की पत्नी है । उसे तारीख 10 मार्च, 2010 को लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न आवेदकों के मकान पर गंभीर जली हुई क्षतियां पहुंची थीं और तारीख 2 अप्रैल, 2010 को चिकित्सा महाविद्यालय, मेरठ में उसकी मृत्यु हुई । प्रारंभ में उसे उपचार हेतु जियो नाथ अस्पताल,

द्वारिकापुरी, मुजफ्फरनगर ले जाया गया था किंतु उसे तारीख 27 मार्च, 2010 को चिकित्सा महाविद्यालय, मेरठ भेज दिया गया था । जली हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु पूतिजीवरक्तता की वजह से हुई । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका का मृत्युकालिक कथन उपखंड मजिस्ट्रेट, सदर श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा जियो नाथ अस्पताल, मुजफ्फरनगर में अभिलिखित किया गया था । मृतका ने उस कथन में यह कहा है कि उसे दुर्घटनावश जली हुई क्षतियां पहुंचीं । अन्वेषक अधिकारी ने उसके द्वारा प्रकट कहानी के समर्थन में कई साक्षियों की परीक्षा की कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश घटित हुई थी और यह मानववध प्रकृति का मामला नहीं है । शिकायतकर्ता और उसके साक्षियों की संहिता की धारा 161 के अधीन भी पूछताछ की गई थी जिन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए वृत्तांत का समर्थन किया है । अन्वेषक अधिकारी ने साक्षियों के कथनों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश की । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदकों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री पाई थी इसलिए उन्होंने अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार कर दी तथा अभियुक्तों को समन जारी किए ।

4. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह बाध्यकर दायित्व था कि संहिता की धारा 200 के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 के कथनों को अभिलिखित करें तथा समन आदेश पारित करने से पूर्व संहिता की धारा 202 के अधीन मामले की जांच भी करें, अतः समन आदेश जारी करना विधि में गलत है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि मजिस्ट्रेट ने मृत्युकालिक कथन की उपेक्षा की है, साक्षी के कथन जो आवेदकों के पड़ोसी हैं, उनके साक्ष्य के आधार पर अंतिम रिपोर्ट पर विचार किया ।

5. मेरी यह राय है कि विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं था कि अपराध का संज्ञान लेने के प्रक्रम पर निर्णय को अभिलिखित करें । उसके लिए यह आवश्यक था कि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री का यह सुनिश्चित करने के लिए केवल परिशीलन करें कि क्या आवेदकों के लिए समन जारी करने हेतु कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है या नहीं । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न तो परिवाद के रूप में विरोध आवेदन पर विचार किया और न परिवाद मामले में कार्यवाही करने का विनिश्चय किया, इसलिए, उन्होंने संहिता के अध्याय XV में विहित की गई प्रक्रिया को ग्रहण करना अपेक्षित नहीं समझा । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर संहिता की धारा 190(1)(ख) के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और इस प्रकार, आवेदकों

को समन जारी करने के पूर्व प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो कुछ अपेक्षा की गई थी, यह थी कि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री का परिशीलन करे । यदि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता था तो मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र था कि अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करे तथा अपराध का संज्ञान ले ।

6. पुलिस रिपोर्ट के बारे में क्या यह आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट से सृजित है । मजिस्ट्रेट की शक्ति सुस्थिर है । मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है । जब कभी कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तब मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से सहमत हो सकता है और उसे स्वीकार कर सकता है । वह वर्णित स्थिति में पुलिस द्वारा निकाले निष्कर्षों से असहमत भी हो सकता है और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है । अंतिम रिपोर्ट के मामले में भी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से असहमति व्यक्त कर सकता है, अपराध का संज्ञान ले सकता है, यदि वह अन्वेषण के प्रकट हुए तथ्यों को अपने विवेक में लेकर अभियुक्तों को समन जारी कर सकता है यदि उसका यह मत है कि अभियुक्तों को समन भेजने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रकट हुई है तब वह मामले पर कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा । दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए सक्षम है यदि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या कोई मामला बनता है तो अपराध का संज्ञान ले सकता है । इन समुचित मामलों में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए आगे अन्वेषण के लिए निदेश कर सकता है । इन सिद्धांतों को कई मामलों में तथा उनमें से कुछ **मीनू कुमारी** बनाम **बिहार राज्य**[1], **पापुलर मुथैय्या** बनाम **राज्य**[2], **अभिनन्दन झा** बनाम **दिनेश मिश्रा**[3] और **गंगाधर जनार्दन महात्रे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[4] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित किया गया है ।

7. विरोध आवेदन के संबंध में विधि भी सुस्थापित है । किसी विरोध आवेदन जिसे अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध फाइल किया गया है, मजिस्ट्रेट

---

[1] (2006) 4 एस. सी. सी. 359.

[2] (2006) 7 एस. सी. सी. 296.

[3] ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 117.

[4] (2004) 7 एस. सी. सी. 768.

अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों के आधार पर मामले की परीक्षा करने के लिए अग्रसर हो सकता है और उसे यह विचार करना चाहिए कि क्या अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर कोई अपराध बनता है, जिस अपराध का किसी भी तरह संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं । यदि प्रथमदृष्ट्या कोई मामला बनता है तब मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख) के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है और अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकता है । किंतु यदि ऐसी सामग्रियों से अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई मामला नहीं बनता है तब मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में परिवाद के रूप में विरोध आवेदन पर विचार करेगा । यदि किसी विरोध आवेदन पर परिवाद के रूप में विचार किया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के अनुसरण में उस पर विचार किया जाना चाहिए ।

8. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं. 2 तथा उसके साक्षी द्वारा फाइल किए गए शपथपत्रों पर संज्ञान लिया है, उन्होंने अतिरिक्त सामग्रियों को संज्ञान में लेकर अपनी अधिकारिता के परे कार्य किया है और इस प्रकार, समन आदेश गलत है ।

9. मेरी यह राय है कि विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शपथपत्रों के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था । उसे मामले के सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने आदेश में केवल शपथपत्रों का उल्लेख किया जाना चाहिए था तथा उन्हें अतिस्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालने चाहिएं थे कि प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके साक्षियों ने संहिता की धारा 161 के अधीन किए गए अपने कथनों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के वृत्तांत का समर्थन किया है । मेरी यह राय है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मृत्युकालिक कथन सहित अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सम्पूर्ण सामग्रियों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्यों पर अपने निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । मेरी यह राय है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश को पारित करते समय कोई अतिरिक्त सामग्री संज्ञान में लेना प्रतीत नहीं होता है ।

10. इसलिए, आवेदन में कोई गुणागुण नहीं है, तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

प्रकीर्ण आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

---

**(2012) 1 दा. नि. प. 104** **इलाहाबाद**

**जग्गू और अन्य**

बनाम

**उत्तर प्रदेश राज्य**

तारीख 19 अप्रैल, 2011

**न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनिस**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और 342 – बलात्संग – सदोष परिरोध – यदि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त रूप से यह साबित किया है कि अभियुक्तों द्वारा सदोष परिरोध कर पीड़िता के साथ संभोग किया गया है तो अपराध की गंभीरता और ऐसी रीति, जिसमें पीड़िता की सर्वाधिक कीमती और अमूल्य प्रतिष्ठा को लूटा गया जो उसके सतीत्व पर अमिट दाग छोड़ देता है, को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दस वर्ष का दंडादेश न्यायसंगत और उचित है ।**

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि प्रेमपाल जो पप्पू की पत्नी पीड़िता कमलेश का जेठ है, द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2002 को 8.00 बजे अपराह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह वृत्तांत दिया गया है कि तारीख 23 दिसंबर, 2002 को अपराह्न 6.00 से 7.00 बजे के बीच पीड़िता कमलेश शिकायतकर्ता की माता के साथ थी जो उसके बड़े भाई की पत्नी है और वह दीनदयाल के खेत में शौच करने के लिए गई थी । अपीलार्थी श्याम और जग्गू और एक अज्ञात व्यक्ति वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसके छोटे भाई की पत्नी कमलेश को बलपूर्वक घसीटा । शिकायतकर्ता की माता द्वारा टार्च के प्रकाश में कुकर्मियों की सम्यक् रूप से पहचान की गई है । पीड़िता सहायता के लिए चीखी-चिल्लाई थी किंतु अपीलार्थी और अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को लेकर गायब हो गए थे । पीड़िता की सिसकियां और चिल्लाने की आवाजें सुनकर सह-गांववासी एकत्रित हो गए और उन्होंने

पीड़िता को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया किंतु पीड़िता का पता नहीं चल सका । तारीख 24 दिसंबर, 2002 को शिकायतकर्ता की माता ने उक्त घटना के बारे में दूरभाष से बताया था और परिवादी तारीख 24 दिसंबर, 2002 को शाम के समय अपने मकान पर वापस लौटा । तारीख 24 दिसंबर, 2002 को पीड़िता इन्द्रपाल के मकान के नजदीक बेहोश हालत में पाई गई । पीड़िता जब होश में आई तो उसने यह वृत्तांत सुनाया कि उसके साथ जग्गू, श्याम और एक अज्ञात बदमाश द्वारा कई बार बलात्संग किया गया है । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से दर्ज की गई थी, इससे सम्पूर्ण अभियोजन वृत्तांत में गिरावट नहीं आएगी । घटनास्थल पर कोई प्रकाश नहीं था किंतु आहत की सास जो उसके साथ थी और शौच करने के लिए टार्च लेकर गई हुई थी और टार्च के प्रकाश में बदमाशों की पूरी तरह से पहचान की गई थी, किसी भी रीति में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती । चिकित्सा साक्ष्य में व्यापक रूप से यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता से कई बार संभोग हुआ था जिस बात की डा. वी. पी. सिंह और डा. पूनम शर्मा से पूर्ण रूप से संपुष्टि हुई है । ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी गृहिणी के सम्मान को दाव में लगाकर मिथ्या आरोप मढ़कर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया गया हो । अभियोक्त्री के क्षति चिह्न अधिक समय तक उसे बंदी बनाकर भरे नहीं जा सकते हैं । अपीलार्थियों ने एक महिला को बलपूर्वक घसीटकर उससे अति गंभीर अपराध कारित किया है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे बलात्संग किया गया जो उसके सम्पूर्ण जीवन पर एक दाग लगाया है । अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने को स्वयं उसके कथन से साबित किया गया है । अपीलार्थियों ने ऐसी सम्मानित महिला की लज्जाभंग की जो उस समय असहाय थी अतः वे कृपा के योग्य नहीं थे । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण सामग्री पर विचार किया था जिसके आधार पर अपीलार्थी को ठीक ही 10 वर्ष के कठोर कारावास से दोषसिद्ध किया गया था । न्यायालय को न केवल अपराधियों के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि अपराध से आहत के अधिकारों तथा समाज के हित को ध्यान में रखते हुए रक्षोपायों पर विचार करना चाहिए । दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (1) और (2) में न्यूनतम दंड 10 वर्ष का विहित किया गया है । दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (1) और (2) में न्यायालय के

पास पर्याप्त और विशेष कारण होने पर विनिर्दिष्ट रूप से न्यूनतम कारावास के दंड को अधिरोपित करने का विवेक है । यदि न्यायालय निर्णय में किसी ऐसे कारण का उल्लेख नहीं करता है तब दंड की विहित की गई अवधि से न्यूनतम दंड अधिनिर्णीत करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । पर्याप्त या विशेष परिस्थितियां क्या हैं ये बातें मामले की प्रकृति तथा अपराध की गुरूता सहित कई कारकों पर निर्भर होती है । ऐसे मामलों में कोई कठोर सूत्र लागू नहीं हो सकता है । विचारण न्यायालय को क्या बातें लागू करनी चाहिए इसके लिए दंड को कम करने हेतु विधिमान्य कारणों को अभिलिखित करना चाहिए । यह बात समान रूप से इस न्यायालय के लिए भी लागू है । अपीलार्थियों के लिए 10 वर्ष का कारावास अधिनिर्णीत करते हुए निचले न्यायालय ने कोई अवैधता या दोषपूर्ण रवैया बरता है, इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील कि अपीलार्थी पहले ही आधे दंड से अधिक दंड भोग चुका है, इस बात में कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है । हालांकि, शारीरिक क्षति चिह्न भर जाते हैं किंतु मानसिक आघात कभी भी भरते नहीं हैं जब किसी स्त्री से बलात्कार किया गया हो । अपीलार्थी को 10 वर्ष का न्यूनतम दंड दिया गया है जो अपराध की गुरूता को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित है और वह रीति जिसमें पीड़िता से उसकी अमूल्य प्रतिष्ठा को छीना गया हो और जिससे उसके सतीत्व पर अमिट दाग लगा है । (पैरा 6 और 7)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2009] (2009) 3 एस. सी. सी. 501 :
**मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **बसोदी** । 7

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 1054.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** सर्वश्री नसिरउज्जमन, आर. बी. शर्मा, अखिलेश श्रीवास्तव, एम. के. यादव, प्रदीप चन्द्र, आर. सी. यादव, राज सिंह, सुनील कुमार, सुरेन्द्र सिंह और अभिशेख मयंक

**प्रत्यर्थियों की ओर से** अपर सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनिस** – अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान अपील दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित धारा 342 के अधीन 2003 के सेशन विचारण सं. 394 में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 3, अलीगढ़ द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थी जग्गू और श्याम को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए अलग-अलग 10,000/- रुपए के जुर्माने सहित 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया, उन्हें दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को अलग-अलग छह मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत किए गए सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था ।

2. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि प्रेमपाल द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2002 को 8.00 बजे अपराह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जो पप्पू की पत्नी पीड़िता कमलेश का जेठ है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह वृत्तांत दिया गया है कि तारीख 23 दिसंबर, 2002 को शाम को 6.00 से 7.00 बजे अपराह्न के बीच पीड़िता कमलेश शिकायतकर्ता की माता के साथ थी जो उसके बड़े भाई की पत्नी है और वह दीनदयाल के खेत में शौच करने के लिए गई थी । अपीलार्थी श्याम और जग्गू और एक अज्ञात व्यक्ति वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसके छोटे भाई की पत्नी कमलेश को बलपूर्वक घसीटा । शिकायतकर्ता की माता द्वारा टार्च के प्रकाश में कुकर्मियों की सम्यक् रूप से पहचान की गई है । पीड़िता सहायता के लिए चीखी-चिल्लाई थी किंतु अपीलार्थी और अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को लेकर गायब हो गए थे । पीड़िता की सिसकियां और चिल्लाने को सुनकर सह-गांववासी इकट्ठा हो गए और उन्होंने पीड़िता को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया किंतु पीड़िता का पता नहीं चल सका । तारीख 24 दिसंबर, 2002 को शिकायतकर्ता की माता ने उक्त घटना के बारे में दूरभाष से बताया था और परिवादी तारीख 24 दिसंबर, 2002 को शाम के समय पर अपने मकान पर वापस लौटा । तारीख 24 दिसंबर, 2002 को पीड़िता इन्द्रपाल के मकान के नजदीक बेहोश हालत में पाई गई । पीड़िता जब होश में आई तो उसने यह वृत्तांत सुनाया कि उसके साथ जग्गू, श्याम और एक अज्ञात बदमाश द्वारा कई बार बलात्संग किया गया ।

3. शिकायतकर्ता के रिपोर्ट करने पर दंड संहिता की धारा 376/342 के अधीन 2002 का अपराध मामला सं. 365 दर्ज किया गया था और मामले का अन्वेषण उप-निरीक्षक जसवीर सिंह (अभि. सा. 6) को सौंपा गया था । पीड़िता को मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां उसकी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों का कथन अभिलिखित किया था और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था । अन्वेषक अधिकारी ने विश्वसनीय साक्ष्य को इकट्ठा करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । ये आरोप दंड संहिता की धारा 376/342 के अधीन अपीलार्थी जग्गू और श्याम के विरुद्ध विरचित किए गए थे । अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए परिवादी प्रेमपाल (अभि. सा. 1), श्रीमती कमलेश (अभि. सा. 2) जो पीड़िता है, श्रीमती बृजेश (अभि. सा. 3) जो आहत की जेठानी है, डा. वी. पी. सिंह (अभि. सा. 4), कांस्टेबल राम रतन (अभि. सा. 5), उप-निरीक्षक जगबीर सिंह (अभि. सा. 6) और डा. पूनम शर्मा (अभि. सा. 7) की परीक्षा की गई । अभियुक्त-अपीलार्थियों की भी परीक्षा की गई थी । उनके कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए थे जिसमें उन्होंने अभियोजन वृत्तांत से इनकार किया और यह कथन किया कि उन्हें गांव की प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी के कारण वर्तमान अपराध में दुर्भावपूर्ण अभियोजित किया गया था । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में श्रीमती द्रुपा (प्रतिरक्षा साक्षी 1) जो पीड़िता की सास है की परीक्षा कराई थी ।

4. विचारण न्यायालय ने अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य का पूरी तरह विश्लेषण करने के पश्चात् और अभिलेख पर प्रकट सम्पूर्ण सामग्री को भी ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थियों ने पीड़िता की इच्छाशक्ति के विरुद्ध उससे बलात्संग किया था । इसलिए अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 376/342 के अधीन सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया ।

5. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अभिशेख मयंक ने केवल यह दलील दी कि अपीलार्थी उनकी दोषसिद्धि की तारीख अर्थात् 18 फरवरी, 2006 से कारागार में हैं । अपीलार्थी दंड की पर्याप्त अवधि भोग चुके हैं, इसलिए उन्हें उनके द्वारा पहले भोगे गए

कारावास की अवधि की संगणना करके उन्हें मुक्त किया जाए । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण अभियोजन वृत्तांत के आधार पर 10 वर्ष का दंडादेश अधिनिर्णीत करके न्यायसंगत कार्य नहीं किया है और मामले में अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं । इसलिए, अपीलार्थियों के दंडादेश को कम करने के पर्याप्त कारण हैं ।

6. इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री आर. के. सिंह ने यह दलील दी कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री के कथन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं जिन्होंने उससे बलात्संग किया था और मामले में आगे सम्पुष्टि की कोई जरूरत नहीं है । मामले में एक अन्य परिस्थितियां ये हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से दर्ज की गई थी, इससे सम्पूर्ण अभियोजन वृत्तांत में गिरावट नहीं आएगी । घटनास्थल पर कोई प्रकाश नहीं था किंतु आहत की सास (प्रतिरक्षा साक्षी 1) जो उसके साथ थी और शौच करने के लिए टार्च लेकर गई हुई थी और टार्च के प्रकाश में बदमाशों की पूरी तरह से पहचान की गई थी, किसी भी रीति में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती । चिकित्सा साक्ष्य में व्यापक रूप से यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता से कई बार संभोग हुआ था जिस बात की डा. वी. पी. सिंह (अभि. सा. 4) और डा. पूनम शर्मा (अभि. सा. 7) से पूर्ण रूप से संपुष्टि हुई है । ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी गृहणी के सम्मान को दाव में लगाकर मिथ्या आरोप मढ़कर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया गया हो । अभियोक्त्री के क्षति चिह्न अधिक समय तक उसे बंदी बना करके भरे नहीं जा सकते हैं । अपीलार्थियों ने एक महिला को बलपूर्वक घसीटकर उससे अति गंभीर अपराध कारित किया है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे बलात्संग किया गया जो उसके सम्पूर्ण जीवन पर एक दाग लगाया है । अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने को स्वयं उसके कथन से साबित किया गया है । अपीलार्थियों ने ऐसी सम्मानित महिला की लज्जाभंग की जो उस समय असहाय थी अतः वे कृपा के योग्य नहीं थे । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण सामग्री पर विचार किया था जिसके आधार पर अपीलार्थी को ठीक ही 10 वर्ष के कठोर कारावास से दोषसिद्ध किया गया था ।

7. इस अपराध के लिए दंड अधिनिर्णीत किए जाने तथा न्यायोचित और समुचित दंड का विनिश्चय किए जाने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचार किए जाने के पश्चात् ऐसे अपराधों

में गरीबी, अशिक्षा या कोई अन्य आधार पर एकमात्र उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाकर अपर्याप्त दंड अधिरोपित किया जाना समाज के हित के प्रतिकूल होगा । उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **बसोदी**[1] वाले इसी तरह के मामले में युक्तियुक्त रूप से विचार किया है जिसमें दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराकर, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया था । पूर्वोक्त मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए पहले ही इस आधार पर दंडादेश को कम कर दिया था कि अभियुक्त अशिक्षित, श्रमिक और अनुसूचित जन-जाति का है । उच्चतम न्यायालय ने ऐसे अपराधों के लिए अधिनिर्णीत समुचित दंडादेशों के संबंध में कई विनिश्चयों को भी उद्धृत किया है । न्याय में यह अपेक्षा की गई है कि न्यायालय अपराध की गुरूता को समझते हुए समुचित दंड अधिरोपित करने चाहिए ताकि इससे ऐसे अपराधों को किए जाने पर लोगों की घृणा से देखा जा सके । न्यायालय को न केवल अपराधियों के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि अपराध से आहत के अधिकारों तथा समाज के हित को ध्यान में रखते हुए रक्षोपायों पर विचार करना चाहिए । दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (1) और (2) में न्यूनतम दंड 10 वर्ष का विहित किया गया है । दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (1) और (2) में न्यायालय के पास पर्याप्त और विशेष कारण होने पर विनिर्दिष्ट रूप से न्यूनतम कारावास के दंड को अधिरोपित करने का विवेक है । यदि न्यायालय निर्णय में किसी ऐसे कारण का उल्लेख नहीं करता है तब दंड की विहित की गई अवधि से न्यूनतम दंड अधिनिर्णीत करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । पर्याप्त या विशेष परिस्थितियां क्या हैं ये बातें मामले की प्रकृति तथा अपराध की गुरूता सहित कई कारकों पर निर्भर होती है । ऐसे मामलों में कोई कठोर सूत्र लागू नहीं हो सकता है । विचारण न्यायालय को क्या बातें लागू करनी चाहिए इसके लिए दंड को कम करने हेतु विधिमान्य कारणों को अभिलिखित करना चाहिए । यह बात समान रूप से इस न्यायालय के लिए भी लागू है । अपीलार्थियों के लिए 10 वर्ष का कारावास अधिनिर्णीत करते हुए निचले न्यायालय ने कोई अवैधता या दोषपूर्ण रवैया नहीं बरता है, इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील कि अपीलार्थी पहले ही आधे दंड से अधिक दंड भोग चुका है, इस बात में कोई औचित्य प्रकट

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. 501.

नहीं होता है । हालांकि, शारीरिक क्षति चिन्ह भर जाते हैं किंतु मानसिक आघात कभी भी भरते नहीं हैं जब किसी स्त्री से बलात्कार किया गया हो । अपीलार्थी को 10 वर्ष का न्यूनतम दंड दिया गया है जो अपराध की गुरूता को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित है और वह रीति जिसमें पीड़िता से उसकी अमूल्य प्रतिष्ठा को छीना गया हो और जिससे उसके सतीत्व पर अमिट दाग लगा है ।

8. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा पहले भोगी गई सजा के आधार पर उसके दंड को कम करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता है ।

9. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई परस्पर दलीलों पर विचार किया गया क्योंकि मामले के गुणागुण पर कोई नया आधार प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए, यह न्यायालय अपीलार्थियों के दंड को कम करने के लिए कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता है जो केवल लगभग 6-1/2 वर्ष की कैद भुगत चुका है । इसलिए, दंड को कम करने की प्रार्थना नामंजूर की जाती है । अपीलार्थी 2003 के सेशन विचारण सं. 394 में दंड संहिता की धारा 376/342 के अधीन अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 3 अलीगढ़ द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2006 के आदेश के निबंधनों के अनुसार दंड की बाकी अवधि भोगेगा ।

10. परिणामस्वरूप यह अपील असफल है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

**मुकेश नट**

बनाम

**राज्य**

तारीख 13 मई, 2011

**न्यायमूर्ति एफ. आई. रिबेलो और न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – हत्या – यदि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहता है कि अपराध कारित किए जाने के ठीक पूर्व अभियुक्त और मृतका को साथ-साथ देखा गया और अभियुक्त ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसकी पत्नी (मृतका) को कैसे क्षतियां पहुंची और न ही मृत्यु के हेतुक के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया तो यह ठोस परिस्थिति गठित करता है कि अभियुक्त अपराध (हत्या) करने का दायी था ।**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी बाल साक्षी का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित नहीं किया गया है तो उसके विश्वासोत्पादक और विश्वसनीय परिसाक्ष्य को इस एक मात्र आधार पर खुल्लम-खुल्ला अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उस साक्षी का नाम नहीं है ।**

अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता और उसके भाई किरोली में कबाड़ की सामग्री का लेन-देन करते थे और वे इटावा से स्थानान्तरण करने के पश्चात् किरोली पर रहने लगे थे । घटना के एक सप्ताह पूर्व अभियुक्त मुकेश और उसका साला तथा मृतका संजू और उसकी बहन इटावा से किरोली पर पहुंचे थे और वे किरोली में एक किराए के कमरे में रहने लगे । यह अभिकथन किया गया है कि मुकेश शराब पीने का आदी था तथा प्रायः जुआ खेलने में लगा रहता था और उसने इस वजह से संजू को तंग करना और सताना प्रारंभ किया कि वह विवाह के चार-पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी बच्चे पैदा करने में असमर्थ रही है । घटना के दिन अभियुक्त ने रवि नामक व्यक्ति के मोबाइल से यह कहते हुए शिकायतकर्ता को दूरभाष से बुलाया था कि वह

बहुत दूर है और वह उसके घर जाए ताकि यह सुनिश्चित करे कि वहां पर सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा है । दूरभाष से बुलाने पर शिकायतकर्ता अपने भाई मनोज के साथ घर पर गया और उसने यह देखा कि बाहर से दरवाजा बंद किया गया था । जब बलपूर्वक दरवाजा खोला गया तब उसने यह देखा की मृतका जमीन पर पड़ी हुई है और उसका गला पीली रंग की साड़ी के टुकड़े से घोंटा गया था और उसके नाक से रक्त टपक रहा था । यह भी अभिकथन किया गया कि उसके पश्चात् अभियुक्त को ढूंढा गया था किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चला । लिखित रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । मामले का अन्वेषण संयुक्त रूप से उप-निरीक्षक सी. बी. सिंह और थाना अधिकारी श्याम सिंह द्वारा किया गया था । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था तथा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था । अभियुक्त ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने के दावा किया । अपर जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया गया । अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – विद्वान् काउंसेल ने मोना के परिसाक्ष्य पर पुनः आक्षेप किया है । विद्वान् काउंसेल ने इस दलील में यह तर्क दिया है कि मोना के अभिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ था कि गोदाम से उसके वापस आने पर उसने दरवाजे की दरार से यह देखा था कि अपीलार्थी मृतका की छाती पर बैठकर उसकी पिटाई कर रहा था । आगे उसने यह दलील दी कि यदि ऐसा हुआ था तब साक्षी के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह अपीलार्थी द्वारा मृतका को पीटे जाने के बारे में अभि. सा. 2 को बताती जबकि वह उसे खाना देने के लिए गोदाम पर जा चुकी थी । इस दलील के संबंध में हमने साक्ष्य की हर प्रकार से पुनः संवीक्षा की है । अभि. सा. 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब मोना भोजन देने के पश्चात् लौट गई थी तब वह गोदाम पर पुनः पहुंची और घटना के बारे में बताया । ऊपर उल्लिखित परिसाक्ष्य अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों के उत्तर में दिया गया है । इसकी गणना करते हुए हमारा यह मत है कि इस विषय पर जो भी निवेदन किया गया है उसका कोई सार नहीं है । यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मोना द्वारा

हमले की रीति का वृत्तांत दिया गया है, जिसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट से पूरी तरह सम्पुष्टि होती है । उसके अभिसाक्ष्य के छुपे हुए पहलू का यहां पर पुनः स्मरण किया जा सकता है । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि उसकी बहन की हत्या क्या मुकेश द्वारा की गई थी और उसने अपनी बहन को उससे पिटते हुए देखा था । उसने यह भी कथन किया है कि मृतका पर ईंट से हमला किया गया था और उसका गला भी घोंटा गया था तब उसकी बहन मदद के लिए चिल्लाई थी और अपीलार्थी उसकी छाती पर बैठा हुआ था । इस संबंध में, हम डा. हंसराज सिंह के परिसाक्ष्य का भी उल्लेख करेंगे जिन्होंने शव की शव परीक्षा की । पूर्वोक्त डाक्टर ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की है कि क्षति सं. 1, 2, 3, और 4 ईंट से हमला करके कारित की जा सकती हैं यदि ईंट नुकीला है तब क्षति सं. 5 भी कारित की जा सकती है । मृतका के मृत्यु के कारण के बारे में गला घोंटने से उसकी मृत्यु होने की राय व्यक्त की गई है । न्यायालय मामले के एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति का भी उल्लेख करेगा । मोना के परिसाक्ष्य के अनुसार केवल मृतका और अपीलार्थी कमरा/मकान के अंदर थे जब अपीलार्थी द्वारा मृतका पर हमला किया गया था । अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि कमरा बाहर से बंद पाया गया था । न्यायालय ने रिन्कू के साक्ष्य का उल्लेख किया । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने गोदाम के स्वामी रवि के मोबाइल पर अपीलार्थी द्वारा उसे बुलाए जाने के लिए सूचना प्राप्त की थी जिसमें अपीलार्थी ने रिन्कू से मकान पर जाने तथा वहां की देख-रेख करने के लिए कहा था क्योंकि वह किरोली से दूर था । जब अभि. सा. 2 और उसका भाई कमरे पर पहुंचे तब यह कमरा बाहर से बंद पाया गया था । जब ताले को तोड़ा गया तब उसने यह देखा कि उसकी बहन चारपाई पर निष्क्रिय हालत में पड़ी हुई है और उसके नाक और कान से रक्त टपक रहा है तथा पीली साड़ी से उसके गले के चारों ओर फंदा लगा हुआ था । अभि. सा. 2 के साक्ष्य को अभि. सा. 4 के साक्ष्य से सिद्ध किया गया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई अपराध मकान के एकांत में किया जाता है तब निःसंदेह रूप से मामले को सिद्ध करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पर होता है किंतु साक्ष्य की प्रकृति और उसकी कोटि आरोप को साबित करने के लिए एक समान डिग्री नहीं हो सकती जैसाकि पारिस्थितिक साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित है, तब आरोप को सिद्ध करने का भार तुलनात्मक रूप से हल्के लक्षण का होगा । इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें यह परिकल्पित किया गया है कि मकान

में रहने वालों पर इस बारे में अकाट्य स्पष्टीकरण देने का समरूप भार होगा कि अपराध कैसे कारित किया गया था । मकान में रहने वाले लोगों को केवल शांत रहने या उन आधार वाक्यों पर कोई स्पष्टीकरण न देने से दूर नहीं किया जा सकता कि मामले को सिद्ध करने का भार सम्पूर्ण रूप से अभियोजन पक्ष का है । इस बारे में अभियुक्त का तनिक भी यह कर्तव्य नहीं है कि वह स्पष्टीकरण दे । वर्तमान मामले में पुनः विचार करने पर उसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि अभियोजन पक्ष ने यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य देकर सफलता प्राप्त की है कि संक्षेप में अपराध किए जाने से पूर्व अपीलार्थी और मृतका एकसाथ देखे गए थे और अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि उसकी पत्नी को क्षतियां कैसे पहुंचीं और न ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया कि मृत्यु का कारण क्या रहा । न्यायालय का विचारित मत यह है कि इससे प्रबल परिस्थिति एकत्र हुई है जिससे यह दर्शित हुआ है कि अपीलार्थी अपराध किए जाने के लिए उत्तरदायी था । (पैरा 30, 31, 32, 33 और 35)

प्रारंभ में विद्वान् काउंसेल ने इस आधार पर मोना के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को आक्षेपित किया कि उसका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नाम नहीं है और उसे बाद में अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता को साबित करने के लिए मामले में लाया गया था । उपरोक्त निवेदन के संबंध में हमने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा साक्षियों के परिसाक्ष्य पर भी विचार किया । इस तथ्य पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि मोना का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं था और न यह उल्लेख किया गया है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसके परिसाक्ष्य की संवीक्षा करने से न्यायालय का यह मत है कि उसका परिसाक्ष्य अपने आप में विश्वसनीय है तथा इस तथ्य के रहते हुए भी विश्वास प्रेरित होता है कि वह बालक साक्षी है । न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि बालक साक्षी एक खतरनाक साक्षी होता है क्योंकि उसे आसानी से प्रभाव में लिया जा सकता है । इसलिए, ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर काफी सावधानीपूर्वक संवीक्षा करके कार्य किया जाना चाहिए । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता का अवलंब लिया है क्योंकि उसने सच्चाई प्रकट की है । न्यायालय पुनः उसके परिसाक्ष्य की गहराई पर विचार करेगा और यह प्रकट होता है कि उसने अपीलार्थी द्वारा मृतका पर हमला किए जाने के बारे में रिन्कू और मनोज को बताया था । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय का मत यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में

मोना के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है । शिकायतकर्ता मृतका का सगा भाई था और न्यायालय सुसंगत समय पर शिकायतकर्ता की दशा के बारे में उसकी परेशानी और विक्षिप्तता अच्छी तरह जान सकता था । न्यायालय का विचारित मत यह है कि यदि मोना के नाम का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था तब इस आधार पर केवल उसके परिसाक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । (पैरा 27 और 29)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2007] | (2007) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 80 :<br>**त्रिमुख मुरोठी क्रिकन** ; | 34 |
| [2003] | (2003) 6 एस. सी. सी. 397 :<br>**छुट्टन लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** । | 28 |

**अपीली दांडिक अधिकारिता : 2007 की दांडिक कारागार अपील सं. 7422.**

यह कारागार अपील श्री महेन्द्र दयाल, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री कामेश्वर सिंह

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री अरुनेन्द्र प्रताप सिंह, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा ने दिया ।

**न्या. मुर्तजा** – उपरोक्त कारागार अपील 2006 के सेशन विचारण सं. 72 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, आगरा द्वारा तारीख 15 सितंबर, 2007 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास तथा चूक होने की दशा में 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया ।

2. अभियुक्त पति है जिसके बारे में तारीख 26 नवंबर, 2006 को 2.00 बजे अपराह्न किरोली तहसील, जिला आगरा में अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का अभिकथन किया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतका

संजू के भाई रिन्कू द्वारा दर्ज कराई गई थी ।

3. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता और उसके भाई किरोली में कबाड़ की सामग्री का लेन-देन करते थे और वे इटावा से स्थानान्तरण करने के पश्चात् किरोली पर रहने लगे थे । घटना के एक सप्ताह पूर्व अभियुक्त मुकेश और उसका साला तथा मृतका संजू और उसकी बहन इटावा से किरोली पर पहुंचे थे और वे किरोली में एक किराए के कमरे में रहने लगे । यह अभिकथन किया गया है कि मुकेश शराब पीने का आदी था तथा प्रायः जुआ खेलने में लगा रहता था और उसने इस वजह से संजू को तंग करना और सताना प्रारंभ किया कि वह विवाह के चार-पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी बच्चे पैदा करने में असमर्थ रही है । घटना के दिन अभियुक्त ने रवि नामक व्यक्ति के मोबाइल से यह कहते हुए शिकायतकर्ता को दूरभाष पर बुलाया था कि वह बहुत दूर है और वह उसके घर जाए ताकि यह सुनिश्चित करे कि वहां पर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है । दूरभाष से बुलाने पर शिकायतकर्ता अपने भाई मनोज के साथ घर पर गया और उसने यह देखा कि बाहर से दरवाजा बंद किया गया था । जब बलपूर्वक दरवाजा खोला गया तब उसने यह देखा की मृतका जमीन पर पड़ी हुई है और उसका गला पीली रंग की साड़ी के टुकड़े से घोंटा गया था और उसके नाक से रक्त टपक रहा था । यह भी अभिकथन किया गया कि उसके पश्चात् अभियुक्त को ढूंढा गया था किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चला । लिखित रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

4. मामले का अन्वेषण संयुक्त रूप से उप-निरीक्षक सी. बी. सिंह और थाना अधिकारी श्याम सिंह द्वारा किया गया था । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था तथा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था । अभियुक्त ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा की जिसमें से पंकज वर्मा (अभि. सा. 1), नायब तहसीलदार, शिकायतकर्ता रिन्कू (अभि. सा. 2) जो मृतका का भाई है, मृतका की बहन कुमारी मोना (अभि. सा. 3), मृतका का भाई मनोज (अभि. सा. 4), अन्वेषक अधिकारी, चन्द्र भूषण सिंह (अभि. सा. 5), रूप बंसत, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 6) जिसने

लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया, डा. हंसराज सिंह (अभि. सा. 7) जिन्होंने शव की शव-परीक्षा की, कांस्टेबल राकेश कुमार (अभि. सा. 8) जिसने मृत्यु-समीक्षा की कार्यवाहियां पूरी कीं और तत्पश्चात् शव को मोहरबंद करने की कार्यवाही की तथा शव को शवपरीक्षण भेजने हेतु कांस्टेबल अशोक कुमार के सुपुर्द किया था, घनश्याम सिंह (अभि. सा. 9) जिसे तारीख 15 दिसंबर, 2005 को अन्वेषण सौंपा गया था, की परीक्षा की ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष ने मामला होने से इनकार किया है तथा यह वृत्तांत किया है कि वह मृतका के मृत्यु के समय पर मौजूद नहीं था और उसे मामले में मिथ्या रूप से नामित किया गया है । तथापि, अभियुक्त ने अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

7. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का पूर्वोक्त रूप में अधिनिर्णय पारित किया और इसलिए, यह अपील फाइल की गई ।

8. जैसाकि ऊपर कथन किया गया है क्योंकि यह अपील कारागार से फाइल की गई है और अभियुक्त ने अपनी ओर से मामले में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है, न्यायालय द्वारा श्री कामेश्वर सिंह, अधिवक्ता को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था । श्री कामेश्वर सिंह ने अति विस्तृत रूप से दलील दी है । हमने सरकारी अधिवक्ता श्री डी. आर. चौधरी जिनकी सहायता श्री अरुनेन्द्र प्रताप सिंह, अपर सरकारी अधिवक्ता ने की के साथ सुना ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अपने निवेदन में यह दलील दी है कि मामले में पेश किया गया साक्ष्य पर्याप्त नहीं है इसलिए, दोषसिद्धि पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए । उन्होंने यह दलील देते हुए विचारण न्यायालय के अभिलिखित निष्कर्ष को भी चुनौती दी है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है और साथ ही यह निवेदन किया कि इस मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी न तो पेश किया गया न उसकी परीक्षा की गई । उन्होंने यह भी दलील दी कि यह अभिकथन कि मृतका को तंग किया गया था और संतान पैदा न होने के कारण प्रताड़ित किया गया था यह बात पूर्ण रूप से मिथ्या है । अभिलेख पर फंसाने का ऐसा कुछ भी तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि मृतका को किसी तरह से तंग किया गया था और वास्तव में, उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों में

कोई कमी नहीं थी । मृतका के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने स्वयं आत्महत्या की क्योंकि वह अत्यधिक तनाव में चल रही थी । विद्वान् काउंसेल ने इस बात से भी इनकार किया है कि अभियुक्त व्यसनी था । अंततः, उन्होंने यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनिर्णीत किया गया दंडादेश अत्यधिक कठोर होने का कारण गलत है ।

10. इसके विपरीत, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए मत की सत्यता पर विश्वास किया है और साथ ही साथ यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश किया गया था और सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके ठीक ही किया था ।

11. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की पूर्वोक्त परस्पर दलीलों का मूल्यांकन करके हमने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की स्वतंत्रतापूर्वक संवीक्षा की है ।

12. पंकज वर्मा (अभि. सा. 1) नायब तहसीलदार है । घटना के दिन उसे उपखंड मजिस्ट्रेट, किरोली द्वारा यह अनुदेश दिया गया कि वह घटनास्थल पर जाए । इस साक्षी के अनुसार, सम्पूर्ण मृत्यु-समीक्षा कार्यवाही उसके सक्रिय पर्यवेक्षण के अधीन पुलिस उप-निरीक्षक श्री सी. बी. सिंह के द्वारा की गई थी । वह जब तक शव को मोहरबंद कर शवपरीक्षण के लिए सुपुर्द नहीं कर दिया गया था तब तक घटनास्थल पर मौजूद रहा ।

13. रिन्कू (अभि. सा. 2) शिकायतकर्ता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग 4-5 वर्ष पूर्व मृतका का विवाह हुआ था किंतु उसकी कोई संतान नहीं हुई थी उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त रमेश नामक व्यक्ति के साथ काम करता था और जुआ खेलने और शराब पीने का आदी था । मृतका प्रायः उसके जुए खेलने और शराब पीने की आदत पर आपत्ति करती थी जिसपर वह उसे पीटा करता था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त मृतका के साथ रहता था और वे लोग इटावा से किरोली आए थे तथा किराए के कमरे में रह रहे थे । तारीख 26 नवंबर, 2005 को जब वह अपने भाई मनोज के साथ था और गोदाम में कार्य कर रहा था तब उसकी बहन मोना खाना देने के लिए वहां पहुंची और उसने बताया कि अभियुक्त ने मृतका को पीटा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने इस सूचना की उपेक्षा की क्योंकि अभियुक्त

द्वारा मृतका को पीटा जाना रोजमर्रा की घटना थी । कुछ समय पश्चात् अभियुक्त द्वारा रवि नामक व्यक्ति जो गोदाम का स्वामी था के मोबाइल पर उसे बुलाया गया था, जिस पर अभियुक्त ने रवि से कहा कि वह उससे कमरे में जाने के लिए कह रहा है क्योंकि वह स्वयं किरोली से काफी दूर है, जब वह और उसका भाई कमरे पर पहुंचे तो उन्होंने कमरे को बाहर से बंद पाया । जब उन्होंने ताला तोड़ा तब उसने यह देखा कि उसकी बहन चारपाई पर निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई है और उसके नाक और कान से रक्त टपक रहा है और मृतका के गले को चारों तरफ से पीली साड़ी के टुकड़े से फंदा लगाया गया था ।

14. प्रतिपरीक्षा में उसने जो कुछ कथन किया उसका सार यह है कि उसने रवि नामक व्यक्ति के मोबाइल फोन से सूचना प्राप्त की जो गोदाम का स्वामी था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त रमेश नामक व्यक्ति के साथ काम कर रहा था । उसने यह भी कथन किया कि घटना के दिन को वह काम पर नहीं गया था और घर पर था । उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि मोना उनके लिए 7.30 बजे पूर्वाह्न खाना लाई थी और उस समय उसने किसी अप्रिय घटना के बारे में शिकायत नहीं की । उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि 11.00 बजे पूर्वाह्न जब मोना खाना लेकर गोदाम पर पहुंची तब वह रो रही थी और उसने मनोज को यह बताया कि अभियुक्त ने मृतका को पीटा था किंतु मनोज ने उसे यह बात नहीं बताई । उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि मामले की रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई थी इसलिए, उसने लिखित रिपोर्ट में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि घटना के दिन को अभियुक्त उस स्थान पर गया था जहां उसने काम किया और मृतका की किसी अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की गई थी और इसके अतिरिक्त मिथ्या रिपोर्ट पुलिस के लिखवाने पर दर्ज की गई थी ।

15. अभि. सा. 3 मृतका की बहन कुमारी मोना है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अभियुक्त से मृतका को पीटते हुए देखा था और उसने ईंट के टुकड़े से अभियुक्त को हमला करते हुए भी देखा था । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी बहन मदद के लिए चिल्लाई थी जब अभियुक्त उसकी छाती पर बैठा हुआ था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दरवाजे की दरार से पीटने की घटना देखी थी । उसने इस बारे में गोदाम पर अपने भाइयों को भी बतलाया था ।

16. उसने प्रतिपरीक्षा में इस वृत्तांत को दोहराया है कि भोजन देने के

पश्चात् जब वह वापस लौट रही थी तब उसने अभियुक्त से अपनी बहन को पिटते हुए देखा था । उसके पश्चात् उसकी बहन चीखी-चिल्लाई थी तब अभियुक्त उसकी छाती पर बैठा हुआ था । कमरा अंदर से बंद था उसने दरवाजे की दरार से घटना देखी थी । तथापि, उसने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त को अपनी बहन की हत्या करते हुए नहीं देखा था । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह अपने भाइयों के सिखाने-पढ़ाने पर मिथ्या वृत्तांत दे रही है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जैसाकि वह कथन कर रही है ।

17. मनोज (अभि. सा. 4) ने रिन्कू (अभि. सा. 2) के साक्ष्य की सामग्री को हर तरह से सिद्ध किया है ।

18. उसने प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 के वृत्तांत को दोहराया है । उसकी लंबी प्रतिपरीक्षा किए जाने से अपराध में कुछ भी फंसाने वाली बात प्रकट नहीं हुई है । उसने यह कथन किया कि मोना गोदाम पर लगभग 12.00 बजे पूर्वाह्न भोजन लेकर पहुंची थी और उस समय उसने उसे मृतका को अभियुक्त द्वारा पीटे जाने के बारे में बताया था । उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि मोना ने उससे जो कुछ भी कहा उस बारे में रिन्कू को बताने में चूक हुई है । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा 2.30 बजे अपराह्न टेलीफोन से उसे बुलाया गया था । उसने यह भी कथन किया कि बुलाने की सूचना को प्राप्त करने के पश्चात् वह कमरे की ओर गया जो बंद था और इसलिए वह वापस लौटा और उसने यह देखने का किसी भी तरह प्रयास नहीं किया कि क्या उसकी बहन कमरे के अंदर थी या नहीं । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि मोना से अंकित रेखा पर साक्ष्य देने के लिए कहा गया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि मुकेश घटना के दिन स्टेशन पर मौजूद नहीं था ।

19. चन्द्रभूषण सिंह (अभि. सा. 5) जिन्होंने प्रारंभ में मामले का अन्वेषण किया था, यह अभिसाक्ष्य दिया कि मामला उनके समक्ष रजिस्ट्रीकृत किया गया था और इसके पश्चात् वह घटनास्थल, जहां उसने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे, चला गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अभियुक्त को ढूंढा किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चला । उसने सभी अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् बरामदगी ज्ञापन आदि तैयार किए ।

20. उसने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि अन्वेषण

लापरवाही से किया गया था और मोना को अभियोजन पक्षकथन साबित करने के लिए साक्षी के रूप में पेश किया गया था ।

21. अभि. सा. 6 रूप बंसत, हैड कांस्टेबल है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने तारीख 16 नवंबर, 2005 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न रिन्कू की लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया है ।

22. डा. हंसराज सिंह (अभि. सा. 7) जिन्होंने तारीख 27 नवंबर, 2005 को शवपरीक्षण किया था, निम्नलिखित मृत्युपूर्व क्षतियों का उल्लेख किया है :–

"1. ऊपरी होंठ पर 1.5 से. मी. x 1 से. मी. खरोंच

2. 1 x 0.5 से. मी. खरोंच

3. निचले होंठ के अंदर की ओर 0.5 से. मी. x 0.5 से. मी. खरोंच

4. निचले होंठ पर 0.5 से. मी. x 0.5 से. मी. खरोंच

5. निचले उदर की ओर 4 x 1 से. मी. की खरोंच ।"

23. डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी । डाक्टर ने यह भी राय व्यक्त की है कि ये क्षतियां ईंट से भी कारित हो सकती हैं ।

24. अभि. सा. 8 कांस्टेबल राकेश है जिसने यह कथन किया है कि शव को मृत्यु-समीक्षा कागजातों के साथ कांस्टेबल अशोक कुमार के पास शवपरीक्षण के लिए ले जाने हेतु सौंप दिया था तथा शव-परीक्षा के पश्चात् शव को शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया था ।

25. अभि. सा. 9 घनश्याम सिंह है जिसने तारीख 15 दिसंबर, 2005 को अन्वेषण का जिम्मा लिया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषण का भार लेने के पश्चात् उसने तत्काल साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने तारीख 23 दिसंबर, 2005 को न्यायालय में अभ्यर्पण किया था । उसने तारीख 4 जनवरी, 2006 को अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने शेष कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

26. उसने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने

न्यायालय में किसी विधिमान्य आधार के बिना आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

27. प्रारंभ में विद्वान् काउंसेल ने इस आधार पर मोना अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को आक्षेपित किया कि उसका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नाम नहीं है और उसे बाद में अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता को साबित करने के लिए मामले में लाया गया था । उपरोक्त निवेदन के संबंध में हमने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा साक्षियों के परिसाक्ष्य पर भी विचार किया । इस तथ्य पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि मोना अभि. सा. 3 का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं था और न यह उल्लेख किया गया है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसके परिसाक्ष्य की संवीक्षा करने से हमारा यह मत है कि उसका परिसाक्ष्य अपने आप में विश्वसनीय है तथा इस तथ्य के रहते हुए भी विश्वास प्रेरित होता है कि वह बालक साक्षी है । हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि बालक साक्षी एक खतरनाक साक्षी होता है क्योंकि उसे आसानी से प्रभाव में लिया जा सकता है । इसलिए, ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर काफी सावधानीपूर्वक संवीक्षा करके कार्य किया जाना चाहिए । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता का अवलंब लिया है क्योंकि उसने सच्चाई प्रकट की है । हम पुनः उसके परिसाक्ष्य की गहराई पर विचार करेंगे और यह प्रकट होता है कि उसने अपीलार्थी द्वारा मृतका पर हमला किए जाने के बारे में रिन्कू (अभि. सा. 2) और मनोज (अभि. सा. 4) को बताया था ।

28. हम सर्वप्रथम इस निवेदन पर विचार करेंगे कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में मोना (अभि. सा. 3) के नाम का उल्लेख न किए जाने के मात्र कारण से अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है । इस दलील के संबंध में हम **छुट्टन लाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख करना चाहेंगे जिसका सुसंगत भाग का सार नीचे दिया जा रहा है :–

> "ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसका नाम विवशता से नहीं दिया गया है, तथा संदेहास्पद हो गया हो । ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता कि सभी साक्षियों के नाम खासतौर पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट किए जाने चाहिएं, जैसाकि श्री

[1] (2003) 6 एस. सी. सी. 397.

भगवान **बनाम** राजस्थान राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 296 में इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया था, किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के नाम का मात्र उल्लेख न किया जाना अभियोजन पक्षकथन के वृत्तांत को कमजोर नहीं करता है ।"

29. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा मत यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में मोना (अभि. सा. 3) के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है । शिकायतकर्ता मृतका का सगा भाई था और न्यायालय सुसंगत समय पर शिकायतकर्ता की दशा के बारे में उसकी परेशानी और विक्षिप्तता अच्छी तरह जान सकता था । हमारा विचारित मत यह है कि यदि मोना के नाम का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था तब इस आधार पर केवल उसके परिसाक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ।

30. विद्वान् काउंसेल ने मोना (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य पर पुनः आक्षेप किया है । विद्वान् काउंसेल ने इस दलील में यह तर्क दिया है कि मोना (अभि. सा. 3) के अभिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ था कि गोदाम से उसके वापस आने पर उसने दरवाजे की दरार से यह देखा था कि अपीलार्थी मृतका की छाती पर बैठकर उसकी पिटाई कर रहा था । आगे उसने यह दलील दी कि यदि ऐसा हुआ था तब साक्षी के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह अपीलार्थी द्वारा मृतका को पीटे जाने के बारे में अभि. सा. 2 को बताती जबकि वह उसे खाना देने के लिए गोदाम पर जा चुकी थी । इस दलील के संबंध में हमने साक्ष्य की हर प्रकार से पुनः संवीक्षा की है । अभि. सा. 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब मोना भोजन देने के पश्चात् लौट गई थी तब वह गोदाम पर पुनः पहुंची और घटना के बारे में बताया । ऊपर उल्लिखित परिसाक्ष्य अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों के उत्तर में दिया गया है । इसकी गणना करते हुए हमारा यह मत है कि इस विषय पर जो भी निवेदन किया गया है उसका कोई सार नहीं है ।

31. यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मोना (अभि. सा. 3) द्वारा हमले की रीति का वृत्तांत दिया गया है, जिसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट से पूरी तरह सम्पुष्टि होती है । उसके अभिसाक्ष्य के छुपे हुए पहलू का यहां पर पुनः स्मरण किया जा सकता है । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि उसकी बहन की हत्या क्या मुकेश द्वारा की गई थी और उसने अपनी बहन को उससे पिटते हुए देखा था । उसने यह भी कथन किया है कि मृतका

पर ईंट से हमला किया गया था और उसका गला भी घोंटा गया था तब उसकी बहन मदद के लिए चिल्लाई थी और अपीलार्थी उसकी छाती पर बैठा हुआ था । इस संबंध में, हम डा. हंसराज सिंह (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य का भी उल्लेख करेंगे जिन्होंने शव की शवपरीक्षा की । पूर्वोक्त डाक्टर ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की है कि क्षति सं. 1, 2, 3 और 4 ईंट से हमला करके कारित की जा सकती हैं यदि ईंट नुकीला है तब क्षति सं. 5 भी कारित की जा सकती है । मृतका के मृत्यु के कारण के बारे में गला घोंटने से उसकी मृत्यु होने की राय व्यक्त की गई है ।

32. हम मामले के एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति का भी उल्लेख करेंगे । मोना (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य के अनुसार केवल मृतका और अपीलार्थी कमरा/मकान के अंदर थे जब अपीलार्थी द्वारा मृतका पर हमला किया गया था । अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि कमरा बाहर से बंद पाया गया था । हम रिन्कू (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का उल्लेख करेंगे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने गोदाम के स्वामी रवि के मोबाइल पर अपीलार्थी द्वारा उसे बुलाए जाने के लिए सूचना प्राप्त की थी जिसमें अपीलार्थी ने रिन्कू से मकान पर जाने तथा वहां की देख-रेख करने के लिए कहा था क्योंकि वह किरोली से दूर था । जब अभि. सा. 2 और उसका भाई कमरे पर पहुंचे तब यह कमरा बाहर से बंद पाया गया था । जब ताले को तोड़ा गया तब उसने यह देखा कि उसकी बहन चारपाई पर निष्क्रिय हालत में पड़ी हुई है और उसके नाक और कान से रक्त टपक रहा है तथा पीली साड़ी से उसके गले के चारों ओर फंदा लगा हुआ था । अभि. सा. 2 के साक्ष्य को अभि. सा. 4 के साक्ष्य से सिद्ध किया गया है ।

33. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई अपराध मकान के एकांत में किया जाता है तब निःसंदेह रूप से मामले को सिद्ध करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पर होता है किंतु साक्ष्य की प्रकृति और उसकी कोटि आरोप को साबित करने के लिए एक समान डिग्री नहीं हो सकती जैसाकि पारिस्थितिक साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित है, तब आरोप को सिद्ध करने का भार तुलनात्मक रूप से हलके लक्षण का होगा । इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें यह परिकल्पित किया गया है कि मकान में रहने वालों पर इस बारे में अकाट्य स्पष्टीकरण देने का समरूप भार होगा कि अपराध कैसे कारित किया गया था । मकान में रहने वाले लोगों को केवल शांत रहने या उन आधार वाक्यों पर कोई स्पष्टीकरण न देने से दूर नहीं किया जा सकता कि

मामले को सिद्ध करने का भार सम्पूर्ण रूप से अभियोजन पक्ष का है । इस बारे में अभियुक्त का तनिक भी यह कर्तव्य नहीं है कि वह स्पष्टीकरण दें ।

34. उपरोक्त बातों के संबंध में हम **त्रिमुख मरोठी क्रिकन**[1] वाले मामले के पैरा 14 में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख करना अपेक्षित समझते हैं, उक्त विनिश्चय के सुसंगत भाग का निम्नलिखित रूप से उल्लेख करते हैं :–

> "यदि कोई अपराध किसी मकान के अंदर और एकांत में किया जाता है और ऐसी परिस्थिति में जहां हमलावर के पास ऐसे सभी अवसर होते हैं कि वह उन परिस्थितियों में अपनी इच्छा से कोई षड्यंत्र रचकर कोई अपराध कारित करता है तब अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यधिक कठिन होगा कि वह अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दें । यदि पारिस्थितिक साक्ष्य के कठोर सिद्धांत जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालयों द्वारा उन पर जोर दिया जाएगा । कोई न्यायाधीश केवल यह विचार करने के लिए दांडिक विचारण को संचालित नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाए । न्यायाधीश दांडिक विचारण पर यह विचार करने के लिए उसे संचालित करेगा कि कोई दोषी व्यक्ति छूट न जाए, दोनों लोक कर्तव्य हैं । (देखिए स्टिरलैंट **बनाम** निदेशक लोक अभियोजक, 1944 एसी 315 वाला मामला में पंजाब राज्य **बनाम** करनैल सिंह (2003) 11 एस. सी. सी. 271 वाले मामले में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत के अनुमोदन से उत्कथित किया गया है) । विधि में अभियोजन पर यह कर्तव्य अधिरोपित नहीं किया गया है कि वह ऐसे लक्षण के बारे में साक्ष्य दें जिसके बारे में अधिकांशतः साक्ष्य असंभव हो या साक्ष्य देने में हर प्रकार से अत्यधिक कठिनाई हो । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा साक्ष्य दें जिसे देने में वह समर्थ हों । यहां पर यह आवश्यक है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखा जाए जिसमें यह कहा गया है कि जब कोई तथ्य खासतौर पर किसी व्यक्ति की जानकारी में हो तब उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उस पर है । इस धारा के परिशिष्ट पर दृष्टांत (ख) इस उपबंध की अंतर्वस्तु और क्षेत्र पर प्रकाश डालता है

[1] (2007) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 80.

और इसका परिशीलन करने पर :

(ख) एक व्यक्ति पर बिना टिकट के रेल से यात्रा करने का आरोप लगाया गया था । उस बात को साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है ।"

35. वर्तमान मामले में पुनः विचार करने पर उसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि अभियोजन पक्ष ने यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य देकर सफलता प्राप्त की है कि संक्षेप में अपराध किए जाने से पूर्व अपीलार्थी और मृतका एकसाथ देखे गए थे और अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि उसकी पत्नी को क्षतियां कैसे पहुंचीं और न ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया कि मृत्यु का कारण क्या रहा । हमारा विचारित मत यह है कि इससे प्रबल परिस्थिति एकत्र हुई है जिससे यह दर्शित हुआ है कि अपीलार्थी अपराध किए जाने के लिए उत्तरदायी था ।

36. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारी दृढ़ राय यह है कि सेशन न्यायाधीश ने मोना (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य के विश्वास का अवलंब लेकर तथा दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित करके ठीक ही किया है । हम उनके निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं और हमारा विचारित मत यह है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए मत की अभिपुष्टि की जानी चाहिए । तद्नुसार, इसकी अभिपुष्टि की गई ।

37. उपरोक्त सारांश को ध्यान में रखते हुए, अपील असफल रहती है और उसे खारिज किया जाता है । अपीलार्थी कारागार में कैद है । वह विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश को भोगेगा जैसाकि हमारे द्वारा अभिपुष्टि की गई है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

# एन. डी. नायर

बनाम

# जार्ज मार्टिन और एक अन्य

तारीख 16 अक्तूबर, 2009

**न्यायमूर्ति ए. के. बशीर**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 [सपठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21] – अधिनिर्णय की विधिमान्यता – लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश में डिक्री की सभी बातें और लक्षण होते हैं, इसलिए मात्र इस कारण कि विपक्षी पक्षकार आदेश का पालन करने में असफल रहता है, लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय अस्तित्वहीन नहीं हो जाएगा ।**

आवेदक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियोजन में परिवादी है । इसमें प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध आवेदक द्वारा फाइल परिवाद को पक्षकारों की सहमति के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया था । मामले को सुलझाया गया और अधिनिर्णय पारित किया गया । आवेदक का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुपालन में संदाय नहीं किया । यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने मामले की सूचना प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट-2, एर्नाकुलम को दी जिसके द्वारा मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है पक्षकारों ने लोक अदालत के समक्ष मामले को सुलझा लिया था, यद्यपि प्रत्यर्थी सं. 1/अभियुक्त ने अपने वादे का सम्मान नहीं किया और लोक अदालत के समक्ष उसके द्वारा किए गए सहमति के अनुसार 3 किस्तों में चैक के अधीन रकम का संदाय नहीं किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल इस आवेदन में विचारार्थ एक रुचिकर प्रश्न उद्‌भूत हुआ है । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के परिशीलन से सुस्पष्टतः यह दर्शित होता है कि लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्ध होगा । लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का

आदेश समझा जाएगा । अधिनिर्णय का निष्पादन इस प्रकार किया जा सकता है मानो यह सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट रूप से आदेश किया गया था कि समझौता/मिलन को ध्यान में रखते हुए मामले के अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था । आवेदक का यह पक्षकथन नहीं है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय किसी भी तरह से कपट, दुर्व्यपदेशन आदि द्वारा दूषित था । आवेदक का यह भी पक्षकथन नहीं है कि लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही किसी भी तरह से अनियमित थी । आवेदक की मात्र यह शिकायत है कि प्रत्यर्थी सं. 1 लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय के निबंधनों का पालन करने में असफल रहा । आवेदक द्वारा उठाई गई दलील का सुस्पष्ट उत्तर यह है कि ऐसी अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश की सभी बातें और लक्षण हैं, का निष्पादन बीच में रोक दिया गया यद्यपि यह सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । कल्पनात्मकतः क्या यह कहा जा सकता है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय विपक्षी पक्षकार द्वारा इसका पालन करने की असफलता के कारण अस्तित्वहीन हो जाएगा । इस दृष्टि से उपाबंध 3 के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार, उपाबंध 2 अधिनिर्णय जिसमें सिविल डिक्री की सभी बातें हैं, की कभी चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक यह कपट या ऐसे अन्य कारणों से दोषपूर्ण न हो । (पैरा 9, 11 और 13)

**अवलंबित निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2005] | (2005) 6 एस. सी. सी. 478 :<br>**पी. टी. थामस** बनाम **थामस जोब** । | 10 |

**दांडिक (आरंभिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1038.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

**आवेदक की ओर से** श्रीमती मिनि एलिजाबेथ जार्ज, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री पी. रवीन्द्र बाबू, लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति ए. के. बशीर** – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल इस आवेदन में विचारार्थ एक रुचिकर प्रश्न उद्भूत हुआ है ।

2. आवेदक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियोजन में परिवादी है । इसमें प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध आवेदक द्वारा फाइल परिवाद को पक्षकारों की सहमति के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया था । मामले को सुलझाया गया और अधिनिर्णय पारित किया गया ।

3. उपाबंध 2 अधिनिर्णय यह साबित करेगा कि आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाद हो निम्नलिखित शब्दों में सुलझाया गया :–

> "1,50,000/- रुपए में सुलझाया गया । 50,000/- रुपए 31 मई, 2005 के पहले संदत्त किया जाएगा, 50,000/- रुपए 30 सितंबर, 2005 तक संदत्त किया जाएगा और 50,000/- रुपए 31 दिसंबर, 2005 तक संदत्त किया जाएगा । 30 जून, 2005 को बुलाया जाए ।"

4. आवेदक का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुपालन में संदाय नहीं किया । यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने मामले की सूचना प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 2, एर्नाकुलम को दी जिसके द्वारा मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया ।

5. विद्वान् मजिस्ट्रेट ने तारीख 31 जनवरी, 2006 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि परिवाद में आगे कोई कार्यवाही "चलाई नहीं" नहीं जा सकती क्योंकि मामले को पहले ही लोक अदालत के समक्ष पक्षकारों द्वारा सुलझाया जा चुका है और अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(8) के अधीन दोषमुक्त कर दिया गया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रति अभिलेख पर उपाबंध 3 के रूप में है ।

6. इस आवेदन में उपाबंध 2 और 3 को अभिखंडित करने और विधि के अनुसार इसे निपटान करने का निदेश देने के साथ निचले न्यायालय के फाइल के परिवाद को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

7. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है पक्षकारों ने लोक अदालत के समक्ष मामले को सुलझा लिया था, यद्यपि प्रत्यर्थी सं. 1/अभियुक्त ने अपने वादे का सम्मान नहीं किया और लोक अदालत के समक्ष उसके द्वारा किए गए सहमति के अनुसार 3 किस्तों में चैक के अधीन रकम का संदाय नहीं किया ।

8. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 इस प्रकार है :–

> "(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा या यथास्थिति किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट मामले में लोक अदालत द्वारा कोई समझौता या समाधान किया जाता है वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस का प्रतिसंदाय न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित रीति में किया जाएगा ।
>
> (2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा और अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी ।"

9. उपरोक्त धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के परिशीलन से सुस्पष्टतः यह दर्शित होता है कि लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्ध होगा । लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा । अधिनिर्णय का निष्पादन इस प्रकार किया जा सकता है मानो यह सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो ।

10. **पी. टी. थामस** बनाम **थामस जोब**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय को पक्षकारों द्वारा की गई सहमति के अनुसार लोक अदालत द्वारा किए गए अधिनिर्णय के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला । माननीय न्यायमूर्तियों ने इस प्रकार मत व्यक्त किए :–

> "हमारी राय में लोक अदालत के अधिनिर्णय को कल्पनात्मकतः न्यायालय की डिक्री समझी जाएगी अतः न्यायालयों को उसके संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जैसा उसके पास उसके द्वारा पारित डिक्री के संबंध में है । हमारी राय में इसके अंतर्गत समुचित मामलों में समय बढ़ाने की शक्ति भी है । हमारी राय में लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय स्वयं न्यायालय का विनिश्चय है यद्यपि न्यायालय में तर्कों की प्रक्रिया के बजाय सुलह के सामान्य तरीके द्वारा निकाला गया है । इसका प्रभाव एक जैसा है । इस संबंध में उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में असफल रहा कि अधिनिर्णय द्वारा जिसका समापन

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 478.

किया गया है, जिला न्यायालय में अपील है और तद्द्वारा भाइयों के बीच मुकदमेबाजी समाप्त हो गई । हमारे मतानुसार उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजनों को पूर्णतया विफल कर देगा और लोक अदालत के विनिश्चय को निरर्थक बना देगा । न्यायालयों का प्रयास समझौतागत अधिनिर्णय को जीवन और प्रवर्तनीयता प्रदान करनी चाहिए न कि तकनीकी आधारों पर इसे विफल करना चाहिए ।"

(रेखांकित भाग पर बल दिया गया)

11. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट रूप से आदेश किया गया था कि समझौता/मिलन को ध्यान में रखते हुए मामले के अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था । आवेदक का यह पक्षकथन नहीं है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय किसी भी तरह से कपट, दुर्व्यपदेशन आदि द्वारा दूषित था । आवेदक का यह भी पक्षकथन नहीं है कि लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही किसी भी तरह से अनियमित थी । आवेदक की मात्र यह शिकायत है कि प्रत्यर्थी सं. 1 लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय के निबंधनों का पालन करने में असफल रहा ।

12. विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट कर दिया था इसलिए यह सुनिश्चित करना उस न्यायालय का आबद्ध कर्तव्य और उत्तरदायित्व था कि अदालत द्वारा पारित आदेश कागज का एक व्यर्थ टुकड़ा बनकर न रह जाए ।

13. आवेदक द्वारा उठाई गई दलील का सुस्पष्ट उत्तर यह है कि ऐसी अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश की सभी बातें और लक्षण हैं, का निष्पादन बीच में रोक दिया गया यद्यपि यह सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । कल्पनात्मकतः क्या यह कहा जा सकता है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय विपक्षी पक्षकार द्वारा इसका पालन करने की असफलता के कारण अस्तित्वहीन हो जाएगा । इस दृष्टि से उपाबंध 3 के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार, उपाबंध 2 अधिनिर्णय जिसमें सिविल डिक्री की सभी बातें हैं, की कभी चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक यह कपट या ऐसे अन्य कारणों से दोषपूर्ण न हो ।

आपराधिक प्रकीर्ण मामला सारहीन है अतः खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पां.

---

**(2012) 1 दा. नि. प. 133** **पंजाब-हरियाणा**

## राम सिंह और अन्य

बनाम

## हरियाणा राज्य

तारीख 13 जुलाई, 2011

**न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति ए. एन. जिंदल**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, अभियुक्तों के बताने पर आक्रामक आयुधों की बरामदगी तथा मृतक की हत्या कारित करने के लिए अभियुक्तों का हेतु होने की बात युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो जाने पर अभियुक्तों को दोषी ठहराना न्यायसंगत और उचित है ।**

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त और मृतक स्वापक ओषधि के धंधे में लगे हुए थे । अभियुक्तों को यह संदेह था कि महाबीर (मृतक) अभियुक्त राम सिंह के पुत्र नरेश को गिरफ्तार करवाना चाहता है । पुलिस ने नरेश का पीछा किया था, किंतु वह भाग गया था और भागते हुए एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई । इसलिए अभियुक्त, महाबीर **उर्फ** टुण्डा (मृतक) के प्रति वैमनस्य रखते थे । तारीख 5 जुलाई, 2000 को शिकायतकर्ता-पिरथी सिंह अपने पुत्र के साथ अपने खेत में जा रहा था । पूर्वाह्न में लगभग 6.30 बजे उसका पुत्र महाबीर **उर्फ** टुण्डा (मृतक) भी वहां आते हुए जैसे ही नाथी नामक व्यक्ति की भूमि के निकट पहुंचा, तो सभी तीनों अभियुक्त गांव बरी की ओर से लोहे के 'दॉव' (एक धारदार काटने का औजार) से लैस होकर वहां आए और उन्होंने महाबीर का साइकिल रोक लिया । उसके बाद राम सिंह ने इस बात के लिए उकसाया कि मृतक ने नरेश की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता की थी, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाए । यह सुनकर महाबीर अपना साइकिल छोड़कर

स्वयं को बचाने के लिए गांव की ओर भागने लगा किंतु तीनों अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और 'दॉव' से उसके चेहरे, माथे और नाक पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी । जब साक्षियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो अभियुक्तों ने उन्हें भी समाप्त करने की धमकी दी । मामले की रिपोर्ट किसी विलंब के बिना पुलिस को की गई । मामले का अन्वेषण किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे आक्रामक आयुध बरामद किए गए । अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्तों ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित –** दोनों ही पक्षकार अपराधी प्रतीत होते हैं जो कि स्वापक औषधियों के धंधे में आलिप्त हैं । साक्ष्य में यह बात आई है कि अपराध करने के पीछे यह भी हेतु था कि पुलिस मृतक महाबीर की प्रेरणा पर अभियुक्त राम सिंह के पुत्र नरेश को गिरफ्तार करना चाहती थी । महाबीर के विरुद्ध कुछ मामले भी लंबित थे । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों का महाबीर के विरुद्ध हेतु था क्योंकि नरेश की मृत्यु उसी के कारण हुई थी । जहां तक स्वतंत्र साक्षियों को सहयुक्त न करने का संबंध है, साक्षी साम्प्रदायिक समुदाय के थे और एक दूसरे को देखना तक पसन्द नहीं करते थे, इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी पक्ष का समर्थन करने पर हत्या हो जाने या अन्यथा नुकसान होने के भय से अभियोजन अभिकरण की सहायता के लिए आगे नहीं आया । ऐसे पक्षकारों के बीच कोई विवाद होने की दशा में लोग अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं और किसी भी पक्ष की तरफदारी नहीं करते । अन्यथा भी, अभिलेख पर ऐसी कोई बात नहीं आई है कि क्या निकटवर्ती खेतों के मालिक या जिनके खेतों में घटना घटी थी, घटना के समय मौजूद थे, किंतु साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कुछ लोग घटना के पश्चात् वहां आ गए थे और जब राम सिंह घटनास्थल पर वापस आया था तो उस समय ये लोग देखे गए थे । अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिकथित बरामदगी ज्ञापनों को साबित किए जाने और अभियुक्तों से बरामद आक्रामक आयुधों से, जो डाक्टर को दिखाए गए थे, बरामदगी ज्ञापन अधिप्रमाणित हो गए हैं । चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत से पूर्णतः संगत है । डाक्टर ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि क्षतियां अभियुक्तों से यथा बरामद 'दॉवों' से कारित की जा सकती थीं । साथ ही, यह बात उल्लेखनीय है कि

जब अन्वेषक अधिकारी का सामना स्वतंत्र साक्षियों को सहयुक्त न करने के तथ्य से कराया गया, तो उसने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया कि गांव के सरपंच और अन्य सम्माननीय व्यक्तियों को अन्वेषण में सहायता करने के लिए कहा गया था किंतु उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की । अभियुक्तों से 'दॉव' साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामद किए गए थे । उक्त आयुध विनिर्दिष्ट किस्म के हैं और इन्हें अभियुक्तों से ऐसे एकांत स्थानों से बरामद किया गया था जो जनसाधारण की पहुंच से बाहर थे । ऐसे स्थानों पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता था जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से इन्हें प्रकट न किया जाए । प्रकटन कथनों और बरामदगियों को दूषित ठहराने के लिए कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी । जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब का संबंध है, यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ है जिससे कि अभियोजन के वृत्तांत में कोई अतिरंजन, जोड़-तोड़ या बनावट की गई हो । ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पुलिस द्वारा कोई जोड़-तोड़ किया गया हो । इस मामले में घटना पूर्वाह्न में 6.30 बजे घटी थी । पिरथी सिंह (शिकायतकर्ता) राम सिंह को शव के पास छोड़कर ग्रामवासियों और नातेदारों को सूचित करने के लिए गांव में आया । उसके पश्चात् वे सभी घटनास्थल पर गए और उसके बाद पिरथी सिंह पुलिस थाने गया तो उसे जी. टी. रोड पर गन्नौर चौक पर पुलिस चौकी के बाहर अन्वेषक अधिकारी मिला । उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी । पूर्वाह्न में 11.30 बजे शिकायतकर्ता का कथन अभिलिखित किया गया और उसके आधार पर तुरंत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराह्न में 4.45 बजे इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहुंची । अन्यथा भी, दोनों ही साक्षी घटना घटने के समय, स्थान और रीति के संबंध में अपने कथनों में पूर्णतः अविचल रहे हैं । डाक्टर ने यह शनाख्त की है कि मृतक के शव पर की क्षतियां अभियुक्तों से यथा बरामद किए गए 'दॉवों', प्रदर्श पी1, पी2 और पी3 से कारित की जा सकती थीं । इतनी सारी क्षतियां (अर्थात् पंद्रह) एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता था । अब यह सुस्थापित है कि जहां किसी मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अविचल परिसाक्ष्य हैं और चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन होता है, तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में यदि कोई विलंब हुआ है, तो वह मायने नहीं रखता । इस मामले में हुए विलंब को सम्यक् रूप से स्पष्ट किया गया है । घटना के समय साक्षी पिरथी सिंह और राम सिंह की मौजूदगी के संबंध में यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि परिसाक्ष्यों का अवलोकन करने पर

न्यायालय इस दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इन साक्षियों को संयोगी साक्षी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है । उस दिशा में इन साक्षियों के खेत थे । ग्रीष्म ऋतु का मौसम था । यह सामान्य अनुभव की बात है कि गांवों में लोग बुआई के ऐसे मौसम में अपनी भूमि को बुआई योग्य बनाने के लिए अपने खेतों में जाते हैं । साक्षियों ने बड़ी सरलता से यह कथन किया है कि वे निहत्थे थे इसलिए अभियुक्तों द्वारा दी गई धमकी से वे पीछे हट गए क्योंकि अभियुक्त घातक आयुधों से लैस थे । इस दलील में भी कि यदि साक्षी वहां होते तो वे सही सलामत नहीं बचते, कोई बल नहीं है, क्योंकि अभियुक्त यह गंभीर संदेह होने के कारण महाबीर से वैमनस्य रखते थे कि नरेश पुत्र राम सिंह-अभियुक्त की मृत्यु उसके दोष के कारण हुई थी । वे यह संदेह कर रहे थे कि महाबीर ने पुलिस को नरेश के विरुद्ध शिकायत की थी और वह उसे गिरफ्तार कराना चाहता था, किंतु नरेश भागने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई । इसलिए अभियुक्त क्रोधान्ध होकर महाबीर का खून पीने के लिए उसके पीछे पड़े थे और उन्होंने उसे अपना निशाना बनाया । निहत्थे होने कारण साक्षियों ने डर के मारे बीच-बचाव नहीं किया और अभियुक्तों का महाबीर के प्रति वैमनस्य था और उन्होंने उसका पीछा किया और आक्रामक आयुधों से उस पर हमला किया । जहां तक अन्य इस फर्क का संबंध है कि अभि. सा. 6 पिरथी सिंह ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों ने महाबीर के सिर, गर्दन और चेहरे पर उस समय क्षतियां कारित की थीं जब वह गिर पड़ा था, किंतु अभि. सा. 1 राम सिंह ने यह कथन किया है कि महाबीर के शरीर पर दो क्षतियां तब कारित की गई थीं जब वह भाग रहा था, जबकि अभि. सा. 6 पिरथी सिंह ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि महाबीर को दो क्षतियां उस समय पहुंची थीं जब वह अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था और अभियुक्तों द्वारा शेष क्षतियां तब कारित की गईं जब महाबीर भूमि पर गिर पड़ा था । अभि. सा. 6 पिरथी सिंह ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों ने क्षतियां माईधन के खेत में कारित की थीं, किंतु अभि. सा. 7 राम सिंह ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों ने क्षतियां महाबीर के खेत में कारित की थीं, किंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि घटना माईधन के खेत में घटी थी । इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी रणबीर के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है । (पैरा 18, 19, 20, 21, 22, 24 और 29)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 701.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** सर्वश्री आर. एस. चीमा और अर्शीप सिंह चीमा

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एस. एस. रंधावा, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एन. जिंदल ने दिया ।

**न्या. जिंदल –** इस निर्णय से 2002 की दांडिक अपील सं. 701-खं. न्या. और 2002 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 2266 का निपटारा किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही निर्णय से उद्भूत हुए हैं । संदर्भ के लिए, तथ्य 2002 की दांडिक अपील सं. 701-खं. न्या. से लिए जा रहे हैं ।

2. महाबीर **उर्फ** टुण्डा की नृशंसता से की गई हत्या का कारण अभिकथित रूप से पक्षकारों के बीच की परस्पर दुश्मनी थी और इसके लिए अभियुक्त-अपीलार्थी राम सिंह, रणबीर सिंह और विरेन्द्र **उर्फ** काला (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) को अभियोजित किया गया और अन्ततोगत्वा उन्हें तारीख 8 अगस्त, 2002 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास भोगने और दो-दो हजार रुपए का संदाय करने का दंडादेश दिया गया ।

3. राम सिंह और विरेन्द्र **उर्फ** काला की मृत्यु हो चुकी है । इसलिए उनके संबंध में अपील का उपशमन हो गया है और केवल अभियुक्त रणबीर के संबंध में ही अपील बची हुई है ।

4. मामले के वास्तविक तथ्य यह है कि अभियुक्त और मृतक स्वापक ओषधि के धंधे में लगे हुए थे । अभियुक्तों को यह संदेह था कि महाबीर (मृतक) नरेश पुत्र राम सिंह-अभियुक्त को गिरफ्तार करवाना चाहता था । पुलिस ने नरेश का पीछा किया था किंतु वह भाग गया और एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई । इसलिए अभियुक्त, महाबीर **उर्फ** टुण्डा के प्रति वैमनस्य रखते थे ।

5. तारीख 5 जुलाई, 2000 को शिकायतकर्ता-पिरथी सिंह अपने पुत्र राम सिंह के साथ गांव बरी की पश्चिमी दिशा में अवस्थित अपने खेत में जा रहा था । पूर्वाह्न में लगभग 6.30 बजे जब वे करण सिंह पंडित की

भूमि के निकट पहुंचे तो उसका पुत्र महाबीर **उर्फ** टुण्डा भी वहां आ गया । जैसे ही वह नाथी की भूमि के निकट पहुंचा, तो सभी तीनों अभियुक्त गांव बरी की ओर से लोहे के 'दॉव' (एक धारदार काटने का औजार) से लैस होकर एक स्कूटर पर आए और स्कूटर से उतरने के पश्चात् उन्होंने महाबीर का साइकिल रोका । उसके बाद राम सिंह ने इस बात के लिए उकसाया कि मृतक ने नरेश की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता की थी, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाए । यह सुनकर महाबीर अपना साइकिल छोड़कर स्वयं को बचाने के लिए गांव की ओर भागने लगा, किंतु तीनों अभियुक्तों ने उसका पीछा किया । जब महाबीर ने लखी की भूमि में प्रवेश किया तो विरेन्द्र ने उसकी गर्दन को निशाना बनाकर 'दॉव' से वार किया किंतु महाबीर ने वार से बचने के लिए गर्दन पर अपना बायां हाथ रख लिया । इसलिए उसे उसके बाएं हाथ की हथेली पर क्षति पहुंची । साक्षियों ने मृतक को बचाने की कोशिश की, किंतु अन्य दो अभियुक्तों द्वारा उन्हें यह धमकी दी गई कि यदि वे निकट आए तो उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा । महाबीर क्षति पहुंचने के पश्चात् भी भागता रहा और माईधन के खेत के निकट पहुंच गया, जहां विरेन्द्र ने पुनः उसकी गर्दन पर 'दॉव' से वार किया । परिणामस्वरूप, महाबीर नीचे गिर गया और उसके उपरांत विरेन्द्र ने उसके सिर के पीछे कई क्षतियां कारित कीं । रणबीर और राम सिंह ने भी 'दॉव' से उसके चेहरे, माथे और नाक पर वार किए । अभियुक्त यह उपधारणा करने के पश्चात् कि महाबीर की मृत्यु हो गई है, वे उसे खींचकर नाथी सिंह की ज्वार और मक्की की फसल तक ले गए और फिर उसे वहां छोड़कर वे अपने स्कूटर पर गांव बरी की ओर भाग गए । उसके बाद साक्षी महाबीर के पास पहुंचे और उसे मृत पाया । पिरथी सिंह उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए गांव चला गया जबकि राम सिंह वहीं रुका रहा । किंतु पिरथी सिंह पुनः घटनास्थल पर गया और फिर पुलिस थाने गया । तथापि, अन्वेषक अधिकारी उसे जी. टी. रोड पर गन्नौर के निकट मिल गया जहां उसने उसका कथन, प्रदर्श पीए, अभिलिखित किया और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीए/1 रजिस्ट्रीकृत की गई । मामले का अन्वेषण किया गया । अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर गया और मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की तथा शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा उनसे आक्रामक आयुध बरामद किए । अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया ।

6. मामला सुपुर्द किए जाने पर सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड

संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया, जिसके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल दस साक्षियों की परीक्षा कराई ।

8. हैड कांस्टेबल जयपाल सिंह (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 5 जुलाई, 2000 को रुक्का, प्रदर्श पीए, प्राप्त होने पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीए/1, रजिस्ट्रीकृत की गई । उसी दिन निरीक्षक जगदीश प्रसाद ने चार मुहरबंद पार्सल उसके पास जमा किए और उसके बाद तारीख 14 जुलाई, 2000 को उसने उक्त चारों पार्सल कांस्टेबल हरज्ञान सिंह के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला, मधुबन भेजे । तारीख 15 जुलाई, 2000 को जगदीश चन्द्र, थाना भारसाधक अधिकारी ने उसके पास एक मुहरबंद पार्सल, जिसमें 'दॉव' थे, जमा किया । उसके बाद उसने तारीख 21 अगस्त, 2000 को तीनों पार्सल, जिनमें 'दॉव' थे, न्यायालयिक प्रयोगशाला, मधुबन भेजे ।

9. हैड कांस्टेबल धर्मबीर सिंह (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि वह तारीख 21 अगस्त, 2000 को मुहरबंद पार्सलों को न्यायालयिक प्रयोगशाला, मधुबन ले गया था और उन्हें अविकल मुद्राओं सहित जमा किया था ।

10. हैड कांस्टेबल हरज्ञान सिंह (अभि. सा. 3) ने भी सम्यक् रूप से शपथयुक्त शपथपत्र, प्रदर्श पीबी, प्रस्तुत करके जयपाल (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य का समर्थन किया ।

11. डा. ए. एस. अहलावत, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल, सोनीपत (अभि. सा. 4) ने तारीख 5 जुलाई, 2000 को अपराह्न में 5.00 बजे महाबीर के शव की शव-परीक्षा की थी और निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

> "1. गर्दन का सी-1 कशेरूकी स्तर पर आंशिक विच्छेदन । घाव के किनारे तेज धार वाले थे । गर्दन के अग्र भाग में केवल त्वचा और मांसपेशी ही बचे थे । कशेरूकीय कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ग्रासनली, श्वासनली, रक्त वाहिनी नाड़ियों का पूरी तरह विच्छेदन था । गर्दन के अग्र भाग में केवल कुछ मांसपेशी और त्वचा ही बचे थे । घाव के चारों ओर जमा हुआ रक्त मौजूद था ।

2. शिरोवल्क पर सर्वत्र बहुसंख्यक (सात) घाव मौजूद । घाव 4 से. मी. से 7 से. मी. लम्बाई और 0.5 से. मी. चौड़ाई के विभिन्न आकार के घाव । जमा हुआ रक्त मौजूद था ।

3. चेहरे के दाईं ओर 7 से. मी. x 1 से. मी. आकार के छिन्न घाव मौजूद । घाव दाएं कान के सामने क्षितिजीय रूप में था ।

4. नाक के नासापृष्ठ पर और दाएं पार्श्विक सतह पर छिन्न घाव मौजूद । घाव का आकार 5 से. मी. x 0.5 से. मी. था ।

5. बाईं भौंह के मध्यवर्ती एक तिहाई भीतरी भाग पर 3 से. मी. x 0.5 से. मी. का छिन्न घाव मौजूद ।

6. बाईं भौंह के ऊपर माथे पर 2.5 से. मी. x 0.25 से. मी. का उर्ध्वाधर रूप में स्थित छिन्न घाव मौजूद ।

7. बाएं हाथ की हथेली पर 6 से. मी. x 0.5 से. मी. का छिन्न घाव मौजूद ।

8. बाएं हाथ के पृष्ठ पर 3 से. मी. x 0.5 से. मी. का छिन्न घाव मौजूद ।

9. बाएं अंगूठे पर 4 से. मी. x 2 से. मी. का छिन्न घाव मौजूद । छानबीन करने पर अन्तःस्थ हड्डी का अस्थिभंग पाया गया ।''

12. डाक्टर ने यह भी मत व्यक्त किया कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी स्वस्थ थे । अन्य अंग भी स्वस्थ पाए गए थे । हृदय का बायां भाग खाली था, जबकि दायां भाग रक्त से भरा था । उदर के सभी अंग स्वस्थ थे । तथापि, बृहत आंत, यकृत, प्लीहा, गुर्दे, मूत्राशय और जननांग स्वस्थ और पीले थे । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित क्षतियों के परिणामस्वरूप हुआ रक्तस्राव और सदमा था । उसने यह भी कथन किया कि क्षतियां पहुंचने पर तत्काल मृत्यु हो गई थी तथा मृत्यु होने और मरणोत्तर परीक्षा के बीच व्यतीत हुआ समय 6 से 36 घंटे था । उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट की प्रति, प्रदर्श पी 3, को साबित करते समय इस पर डा. पूर्णिमा और डा. वर्षा, जो शव-परीक्षा करते समय उसके साथ दल की सदस्य थी, के हस्ताक्षरों की शनाख्त की । डाक्टर को आक्रामक आयुध, प्रदर्श पी 1, पी 2 और पी 3 भी दिखाया गया था । उसने यह राय व्यक्त की कि महाबीर को क्षतियां संभवतः उसे दिखाए गए उक्त आयुधों, प्रदर्श पी 1, पी 2 और पी 3, से कारित की जा

सकती थीं । भोजन के बारे में एक प्रश्न पूछने और उसके सुझाव के सिवाय इस साक्षी की कोई प्रभावी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी ।

13. मेद सिंह, पटवारी (अभि. सा. 5) ने लम्बाई-चौड़ाई में स्थल नक्शा तैयार किया था ।

14. अभि. सा. 6 पिरथी सिंह शिकायतकर्ता है और अभि. सा. 7 राम सिंह उसका पुत्र और घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है । इन दोनों ने अभियोजन के वृत्तांत को दोहराया ।

15. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों की परीक्षा की गई तो उन्होंने अपने विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली सभी परिस्थितियों से इनकार किया और उन्हें मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । उन्होंने यह भी कथन किया कि मृतक महाबीर एक बदमाश और तस्कर था तथा स्वापक ओषधि और अवैध शराब का कार्य करता था । उसकी किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि में हत्या कर दी गई थी और इसके बारे में उन्हें खेत के मालिक, जहां शव पड़ा हुआ था, द्वारा सूचित किया गया था । शिकायतकर्ता ने वहां पहुंचने के पश्चात् अभियोजन के वृत्तांत को गढ़ा और उन्हें मिथ्या रूप से अंतर्वलित किया गया । अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा में 12 दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् अपनी प्रतिरक्षा को समाप्त कर दिया । विचारण के पश्चात् दोषसिद्धि की गई ।

16. दलीलें सुनी गईं । अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

17. अपीलार्थी-अभियुक्तों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि घटना ग्रीष्म ऋतु में, जो धान की फसल बोने का मौसम था, लखी, नाथी सिंह और माईधन के खेतों में घटित हुई थी । अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन करने के लिए खेतों के मालिकों की परीक्षा नहीं कराई गई थी । यहां तक कि मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट और बरामदगी ज्ञापनों, प्रदर्श पीएफ, प्रदर्श पीजी, प्रदर्श पीएच, प्रदर्श पीजे, प्रदर्श पीके और प्रदर्श पीके/1 पर राम सिंह और उसके पुत्रों के हस्ताक्षर हैं, किंतु बरामदगी ज्ञापनों को प्रमाणित करने के लिए इनमें से कोई नहीं आया, जिससे यह उपदर्शित होता है कि उनमें से कोई भी मामले से परिचित नहीं था और साक्षी उन्हें मामले में मिथ्या रूप से फंसाने के लिए अत्यधिक हितबद्ध थे । शव-काठिन्य की मौजूदगी से यह उपदर्शित होता है कि घटना उस समय घटित नहीं हुई थी जो समय अभियोजन पक्ष द्वारा उपदर्शित किया गया है ।

18. हम गंभीरता से विचार करने के पश्चात् विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. चीमा द्वारा दी गई दलीलों का अनुमोदन करने के लिए तैयार नहीं हैं । दोनों ही पक्षकार अपराधी प्रतीत होते हैं जो कि स्वापक ओषधियों के धंधे में आलिप्त हैं । साक्ष्य में यह बात आई है कि अपराध करने के पीछे यह भी हेतु था कि पुलिस मृतक महाबीर की प्रेरणा पर अभियुक्त राम सिंह के पुत्र नरेश को गिरफ्तार करना चाहती थी । महाबीर के विरुद्ध कुछ मामले भी लंबित थे । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों का महाबीर के विरुद्ध हेतु था क्योंकि नरेश की मृत्यु उसी के कारण हुई थी ।

19. जहां तक स्वतंत्र साक्षियों को सहयुक्त न करने का संबंध है, साक्षी साम्प्रदायिक समुदाय के थे और एक दूसरे को देखना तक पसन्द नहीं करते थे, इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी पक्ष का समर्थन करने पर हत्या हो जाने या अन्यथा नुकसान होने के भय से अभियोजन अभिकरण की सहायता के लिए आगे नहीं आया । इसलिए, ऐसे पक्षकारों के बीच कोई विवाद होने की दशा में लोग अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं और किसी भी पक्ष की तरफदारी नहीं करते । अन्यथा भी, अभिलेख पर ऐसी कोई बात नहीं आई है कि क्या निकटवर्ती खेतों के मालिक या जिनके खेतों में घटना घटी थी, घटना के समय मौजूद थे, किंतु साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कुछ लोग घटना के पश्चात् वहां आ गए थे और जब राम सिंह घटनास्थल पर वापस आया था तो उस समय ये लोग देखे गए थे । अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिकथित बरामदगी ज्ञापनों को साबित किए जाने और अभियुक्तों से बरामद आक्रामक आयुधों से, जो डाक्टर को दिखाए गए थे, बरामदगी ज्ञापन अधिप्रमाणित हो गए हैं । चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत से पूर्णतः संगत है । डाक्टर ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि क्षतियां अभियुक्तों से यथा बरामद 'दॉव', प्रदर्श पी 1 से पी 3, से कारित की जा सकती थीं । साथ ही, यह बात उल्लेखनीय है कि जब अन्वेषक अधिकारी का सामना स्वतंत्र साक्षियों को सहयुक्त न करने के तथ्य से कराया गया, तो उसने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया कि गांव के सरपंच और अन्य सम्मानीय व्यक्तियों को अन्वेषण में सहायता करने के लिए कहा गया था किंतु उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की । अभियुक्तों से 'दॉव' साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामद किए गए थे । उक्त आयुध विनिर्दिष्ट किस्म के हैं और इन्हें अभियुक्तों से ऐसे एकांत स्थानों से बरामद किया गया था जो जनसाधारण की पहुंच से बाहर थे । ऐसे स्थानों पर तब

तक नहीं पहुंचा जा सकता था जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से इन्हें प्रकट न किया जाए । प्रकटन कथनों और बरामदगियों को दूषित ठहराने के लिए कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी ।

20. जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब का संबंध है, यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ है जिससे कि अभियोजन के वृत्तांत में कोई अतिरंजन, जोड़-तोड़ या बनावट की गई हो । ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पुलिस द्वारा कोई जोड़-तोड़ किया गया हो । इस मामले में घटना पूर्वाह्न में 6.30 बजे घटी थी । पिरथी सिंह (शिकायतकर्ता) राम सिंह को शव के पास छोड़कर ग्रामवासियों और नातेदारों को सूचित करने के लिए गांव में आया । उसके पश्चात् वे सभी घटनास्थल पर गए और उसके बाद पिरथी सिंह पुलिस थाने गया तो उसे जी. टी. रोड पर गन्नौर चौक पर पुलिस चौकी के बाहर अन्वेषक अधिकारी मिला । उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी । पूर्वाह्न में 11.30 बजे शिकायतकर्ता का कथन अभिलिखित किया गया और उसके आधार पर तुरंत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराह्न में 4.45 बजे इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहुंची । अन्यथा भी, दोनों ही साक्षी घटना घटने के समय, स्थान और रीति के संबंध में अपने कथनों में पूर्णतः अविचल रहे हैं । डाक्टर ने यह शनाख्त की है कि मृतक के शव पर की क्षतियां अभियुक्तों से यथा बरामद किए गए 'दॉवों', प्रदर्श पी 1, पी 2 और पी 3 से कारित की जा सकती थीं । इतनी सारी क्षतियां (अर्थात् पंद्रह) एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता था ।

21. अब यह सुस्थापित है कि जहां किसी मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अविचल परिसाक्ष्य हैं और चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन होता है, तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में यदि कोई विलंब हुआ है, तो वह मायने नहीं रखता । इस मामले में हुए विलंब को सम्यक् रूप से स्पष्ट किया गया है ।

22. घटना के समय साक्षी पिरथी सिंह और राम सिंह की मौजूदगी के संबंध में यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि परिसाक्ष्यों का अवलोकन करने पर हम इस दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और इन साक्षियों को संयोगी साक्षी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है । उस दिशा में इन साक्षियों के खेत थे । ग्रीष्म ऋतु का मौसम था । यह सामान्य अनुभव की बात है कि गांवों में लोग बुआई के ऐसे

मौसम में अपनी भूमि को बुआई योग्य बनाने के लिए अपने खेतों में जाते हैं । साक्षियों ने बड़ी सरलता से यह कथन किया है कि वे निहत्थे थे इसलिए अभियुक्तों द्वारा दी गई धमकी से वे पीछे हट गए क्योंकि अभियुक्त घातक आयुधों से लैस थे । इस दलील में भी कि यदि साक्षी वहां होते तो वे सही सलामत नहीं बचते, कोई बल नहीं है, क्योंकि अभियुक्त यह गंभीर संदेह होने के कारण महाबीर से वैमनस्य रखते थे कि नरेश पुत्र राम सिंह-अभियुक्त की मृत्यु उसके दोष के कारण हुई थी । वे यह संदेह कर रहे थे कि महाबीर ने पुलिस को नरेश के विरुद्ध शिकायत की थी और वह उसे गिरफ्तार कराना चाहता था, किंतु नरेश भागने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई । इसलिए अभियुक्त क्रोधान्ध होकर महाबीर का खून पीने के लिए उसके पीछे पड़े थे और उन्होंने उसे अपना निशाना बनाया । निहत्थे होने के कारण साक्षियों ने डर के मारे बीच-बचाव नहीं किया और अभियुक्तों का महाबीर के प्रति वैमनस्य था और उन्होंने उसका पीछा किया और आक्रामक आयुधों से उस पर हमला किया ।

23. अभियोजन पक्ष ने भी अभियुक्तों द्वारा कारित की गई क्षतियों को सम्यक् रूप से स्पष्ट किया है । साक्षियों द्वारा सभी क्षतियों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक या दो क्षति नहीं थी अपितु अभियुक्तों द्वारा 15 क्षतियां कारित की गई थीं और उन सभी के बारे में वर्णन करना बहुत ही कठिन था । घटनास्थल पर साक्षियों की मौजूदगी को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कुछ छुट-पुट फर्कों को उपदर्शित किया गया है । यह दलील दी गई है कि पिरथी सिंह ने यह साक्ष्य दिया है कि महाबीर-मृतक की हत्या करने के लिए राम सिंह ने उकसाया था क्योंकि महाबीर ने नरेश **उर्फ** टुण्डा को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस की सहायता की थी, जबकि राम सिंह ने यह कथन किया है कि महाबीर की प्रेरणा पर पुलिस द्वारा नरेश को पकड़ा गया था । इस फर्क के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह फर्क इन अनपढ़ और देहाती साक्षियों के बात करने के तरीके के कारण आया है । वास्तव में, राम सिंह का आशय यह कहना था कि पुलिस नरेश को गिरफ्तार करना चाहती थी, क्योंकि पिरथी सिंह ने कथन के पश्चात्वर्ती भाग में यह स्पष्ट किया है कि जब पुलिस नरेश का पीछा कर रही थी तब वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई ।

24. जहां तक अन्य इस फर्क का संबंध है कि अभि. सा. 6 पिरथी

सिंह ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों ने महाबीर के सिर, गर्दन और चेहरे पर उस समय क्षतियां कारित की थीं जब वह गिर पड़ा था, किंतु अभि. सा. 1 राम सिंह ने यह कथन किया है कि महाबीर के शरीर पर दो क्षतियां तब कारित की गई थीं जब वह भाग रहा था, जबकि अभि. सा. 6 पिरथी सिंह ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि महाबीर को दो क्षतियां उस समय पहुंची थी जब वह अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था और अभियुक्तों द्वारा शेष क्षतियां तब कारित की गईं जब महाबीर भूमि पर गिर पड़ा था । अभि. सा. 6 पिरथी सिंह ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों ने क्षतियां माईधन के खेत में कारित की थीं, किंतु अभि. सा. 7 राम सिंह ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों ने क्षतियां महाबीर के खेत में कारित की थीं, किंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि घटना माईधन के खेत में घटी थी ।

25. इन फर्कों का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि ये फर्क इतने तात्विक नहीं हैं जिससे कि मामले का सार प्रभावित होता हो । वास्तव में, दो क्षतियां विरेन्द्र-अभियुक्त द्वारा उस समय कारित की गई थीं जब मृतक भाग रहा था और शेष क्षतियां सभी तीनों अभियुक्तों ने उस समय कारित की थीं जब वह माईधन के खेत में गिर पड़ा था । राम सिंह का यह परिसाक्ष्य कि अभियुक्तों ने महाबीर के खेत में क्षतियां कारित की थीं, जबान फिसल जाने के कारण दिया गया प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि मृतक को क्षतियां महाबीर के खेत में कारित की गई थीं । समय बीतने के साथ-साथ पूर्वोक्त छुट-पुट फर्क आने लाजिमी हैं और बल्कि इससे उनके अभिसाक्ष्यों की सत्यता और स्वाभाविकता उपदर्शित होती है । साक्षियों से तोते की तरह रटा-रटाया वृत्तांत देने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है ।

26. हम अभियुक्तों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की इस दलील का अनुमोदन करने में भी असमर्थ हैं कि घटना अभियोजन द्वारा यथा उपदर्शित समय पर घटित नहीं हुई थी । इस बाबत यह बात उल्लेखनीय है कि घटना, जैसाकि कथन किया गया है, पूर्वाह्न में 6.30 बजे घटी थी जबकि मरणोत्तर परीक्षा उसी दिन अपराह्न में 5.00 बजे की गई थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श पीसी, से यह प्रकट होता है कि शव में शव-काठिन्य मौजूद था । चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार, शव-काठिन्य मृत्यु होने के दो/तीन घंटे के भीतर आरंभ हो जाता है और बारह घंटे के भीतर आपूर्ण हो जाता है और उसके बाद अपसरण होना आरंभ हो जाता है तथा अगले

बारह घंटों में पूर्णतः समाप्त हो जाता है ।

27. जहां तक प्रतिरक्षा का संबंध है, अपीलार्थी-अभियुक्तों के काउंसेल ने हमारा ध्यान आवेदन, प्रदर्श डी-8 से प्रदर्श डी-11, तथा तारीख 18 जुलाई, 2000, 21 अगस्त, 2000 और 21 सितम्बर, 2000 की डाक रसीदों, प्रदर्श डी-12 से प्रदर्श डी-18 की ओर दिलाया । ये आवेदन विधि के अनुसार साबित नहीं किए गए हैं । किसी भी दशा में, ये आवेदन और डाक रसीदें घटना घटने के बहुत बाद के हैं और पश्च-विचार का वृत्तांत हो सकता है । यह तथ्य कि महाबीर कुछ मामलों में अंतर्ग्रस्त था, इस बात से अभियोजन के वृत्तांत पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि घटनास्थल पर साक्षियों की मौजूदगी साबित हो गई है और उन्होंने घटना का सूक्ष्म ब्यौरा दिया है । वास्तविक अपराधियों के स्थान पर अभियुक्तों को नामित करने का उनके पास कोई कारण नहीं था । इसलिए, अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा का अवलंब नहीं लिया जा सकता है ।

28. कोई अन्य दलील नहीं दी गई है ।

29. इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी रणबीर के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है । इसलिए रणबीर से संबंधित 2002 की दांडिक अपील सं. 701-डीबी में कोई गुणागुण नहीं है और यह अपील खारिज की जाती है ।

30. चूंकि अपीलार्थी रणबीर जमानत पर है, उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उसे निदेशित किया जाता है कि शेष दंडादेश को पूर्ण करने के लिए वह तुरंत कारागार प्राधिकारियों के समक्ष स्वयं को अभ्यर्पित कर दे और ऐसा न करने पर संबंधित प्राधिकारी विधि के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

31. शिकायतकर्ता पिरथी सिंह और अन्य द्वारा फाइल किए गए 2002 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 2266 में कोई गुणागुण नहीं पाए जाने पर इसे भी खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

## मोहम्मद मुर्तजा मोहम्मद मोसिन शेख

बनाम

## महाराष्ट्र राज्य

तारीख 7 जून, 2011

**न्यायमूर्ति नरेश एच. पाटिल और न्यायमूर्ति सुश्री मृदुला आर. भटकर**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 361 और 363 – विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण – जहां अभियुक्त स्वयं को बालक के पिता के कारखाने का कर्मकार बताकर बालक को घर से ले जाता है और तलाशी के दौरान अभियुक्त द्वारा बालक की पहचान की जाती है वहां अभियुक्त के विरुद्ध अप्राप्तवय को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध साबित होने के कारण वह धारा 363 के अधीन दोषी ठहराए जाने का दायी है ।**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 364क – फिरौती के लिए व्यपहरण – यदि अभियोजन के पास यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा फिरौती की मांग की गई या भुगतान के तरीके या भुगतान के स्थान के बारे में बताया गया तो अभिलेख पर किसी साक्ष्य के आशय में अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।**

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि श्रीमती जुबैदा खातून गफ्फार राईन (अभि. सा. 1) और अब्दुल गफ्फार मोहम्मद मुस्लिम राईन (अभि. सा. 2) कमरा सं. 15, द्वितीय तल, ब्लाक बी, नागपाड़ा, मुम्बई-400008 में एकसाथ रह रहे थे । अब्दुल गफ्फार मोहम्मद मुस्लिम राईन (अभि. सा. 2) विद्यालय के लिए बैगों का निर्माण करता था । उसका कारखाना शुक्ला गली, डेडगली, कामाथीपुरा पर स्थित था । अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) सामान्यतया लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न अपने घर से जाया करता था और लगभग 6.00 बजे अपराह्न घर वापस लौटता था । उसके कारखाने में लगभग 10 से 15 श्रमिक कार्य करते थे । अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 11 अप्रैल, 2002 को अभि. सा. 2 के घर से जाने के पश्चात् अपीलार्थी मोहम्मद मुर्तजा शेख शिकायतकर्ता के घर पर पहुंचा और जुबैदा (अभि. सा. 1) से कहा कि उसका पति भवन के

नजदीक खड़ा है और अपने पुत्र अब्दुल रहमान को बुला रहा है । यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी उसके पति के कारखाने में अपने को कारीगर होना बता रहा था । अभियोजन साक्षी जुबैदा (अभि. सा. 1) द्वारा विद्यालय के लिए बैग निर्माण की कुछ सामग्री के साथ अपीलार्थी को देखा भी गया था और यह अभिकथन किया गया है कि उसी दिन लगभग 11.15 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 1 का पति अपनी डायरी लेने के लिए उनके मकान पर पहुंचा था जिसे वह भूल गया था । उस समय (अभि. सा. 1) ने इस बारे में पूछताछ की क्या उनका पुत्र कारखाने में पहुंच गया था । (अभि. सा. 2) पति ने यह उत्तर दिया कि पुत्र अब्दुल रहमान उसके साथ नहीं है । उस समय अभि. सा. 1 ने उसके पति को बताया था कि कारखाने का एक श्रमिक उनके पुत्र को कारखाने पर ले गया था । अभि. सा. 1 के पति ने इस बात से इनकार किया है कि उसने कारखाने पर अपने पुत्र को बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था । उन्होंने भवन में तथा उसके आस-पास अपने पुत्र को ढूंढने की कोशिश की । अभियोजन पक्ष ने यह अभिकथन किया है कि उसी दिन दोपहर में लगभग 1.15 बजे अपराह्न अभि. सा. 1 के पति ने अपने सेलोफोन से काल प्राप्त की थी । वह व्यक्ति जो मोबाइल से फोन कर रहा था, उसने पुत्र को सौंपने के लिए एक लाख रुपए की मांग की थी । उसके पश्चात् दोनों पति-पत्नी उसी पुलिस थाने पर गए और उन्होंने शिकायत दर्ज की । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अगले दिन प्रातः पुलिस ने पुलिस थाने पर दोनों पति-पत्नी को बुलाया । पुलिस ने उनको यह सूचना दी कि उन्होंने एक व्यक्ति को एक बच्चे के साथ मीरादत्ता दरगा दरुखान शिवरी से गिरफ्तार किया है । पुलिस ने बच्चे को भी पेश किया था जिसे दोनों पति-पत्नी ने उसे अपने पुत्र के रूप से पहचान की जिसकी पुलिस ने शिकायतकर्ता के पुत्र के कपड़े ले लिए । उसे दूसरे कपड़े दिए गए थे । उन्होंने पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त को देखा था । तारीख 9 मई, 2002 को पुलिस ने अभियुक्त की शिनाख्त करने के लिए जुबैदा (अभि. सा. 1) को बुलाया था । अभियुक्त की शिनाख्त परेड में पहचान की गई थी जिसे ऐसे कमरे में रखा गया था जहां 15 व्यक्ति मौजूद थे । अभियुक्त की अभि. सा. 1 द्वारा शिनाख्त की गई थी । इसके पश्चात्, पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ किया । अन्वेषण की कार्यवाहियों के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के कपड़े तथा शिकायतकर्ता के कपड़े अभिगृहीत किए तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था । विचारण

न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 120ख और दंड संहिता की धारा 363 और 364क के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए । मूल अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । यह अपील 2002 के सेशन मामला सं. 563 में अपर सेशन न्यायाधीश, मुम्बई द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2003 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 363, 364क के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया है । उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – न्यायालय ने अभिलेख और साक्ष्य का परिशीलन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य के विद्वान् सहायक अभियोजक की दलीलों पर विचार किया । न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए अच्छा साक्ष्य है कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अर्थात् विधिपूर्ण संरक्षण से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के लिए दंड का दोषी है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी मकान पर पहुंचा था और स्वयं उसने अपने को इस तरह पेश किया कि वह उसके पति के कारखाने में काम करता है और उसके पति द्वारा बच्चे को बुलाया गया था ऐसा कहते हुए वह बच्चे को उठा ले गया । दोपहर में बच्चे के पिता घर पर पहुंचे और इसके पश्चात् उनकी जानकारी में यह आया कि एक व्यक्ति जिसने अपने को कारीगर बताया था, उसके बच्चे को उठा ले गया और बच्चे को ढूंढने के पश्चात् वे पुलिस थाने पर गए । यह सही है कि शिकायतकर्ता ने शीघ्रता से पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की थी । हम यह नहीं पाते हैं कि शिकायतकर्ता की ओर से अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि पक्षकारों के बीच कोई पूर्व शत्रुता थी । पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस थाने पर लाया गया था । अभियुक्त द्वारा बच्चे की पहचान की गई थी । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन को अभिलिखित करवाने के दौरान कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उसने केवल यह कथन किया है कि उसके विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया गया है । सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करके न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चे के व्यपहरण का आरोप साबित किया गया है

और अपीलार्थी द्वारा दंड संहिता की धारा 363 के अधीन कारित किए गए अपराध के बारे में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है । (पैरा 18)

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की दलील का सार यह है कि अभियोजन पक्ष इस बारे में साबित करने में विफल हुआ कि अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) के सेलोफोन पर किसने काल की थी । इस साक्षी के मात्र कथन को छोड़कर सेलोफोन पर किए गए काल के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से कारित किए जाने वाले अपराध के बारे में अतिस्पष्ट साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए था जिस अपराध के संबंध में धारा 364क के दंड उपबंध लागू होते हैं । हमने यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी उस क्षेत्र के आस-पास उपलब्ध था जहां वह जूस सेंटर चला रहा था । काल करने वाले के बारे में साक्ष्य में अभाव है जिसने निष्कृति धन की मांग की थी । न्यायालय ने धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने में कठिनाई पाता है । प्रतिरक्षा पक्ष ने मामले के इस पहलू पर अभियोजन पक्षकथन में संदेह प्रकट किया है । अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने के भार को निर्वहन करने में विफल हुआ है । इस तथ्य से अलग कि अपीलार्थी बच्चे के साथ घूमते हुए देखा गया था ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाया था । प्रतिरक्षा में यह सार प्रकट हुआ है कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि काल करने वाले ने सेलोफोन से निष्कृति धन की मांग की थी और संदाय करने का तरीका या संदाय किए जाने का स्थान काल करने वाले द्वारा प्रदर्शित किया गया था । (पैरा 21 और 22)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 700 =<br>ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2597 :<br>**पी. लियाकत अली खांन** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ; | 23 |
| [2010] | 2010 आल. एम. आर. (क्रिमिनल) 2971 =<br>ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 184 :<br>**मकबूल** उर्फ **जुबीर** उर्फ **सहनवाज और अन्य**<br>बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ; | 24 |

[2010] 2010 आल. एम. आर. (क्रिमिनल) 3326 (एस. सी.) = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5510 : **विजय** उर्फ **चीनी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 24

[2009] 2009 (1) मुम्बई सी. आर. (क्रिमिनल) 38 = 2008 (6) ए. आई. आर. मुम्बई आर. 165 : **फिलिप्स फैडरिक डिसूजा और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ; 23

[1995] 1995 क्रिमिनल ला जर्नल 4048 : **आर. बी. गुप्ता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 23

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 266.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री गजेन्द्र जाधव

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री पी. सी. हिंगोरानी, सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति नरेश एच. पाटिल ने दिया ।

**न्या. पाटिल** – यह अपील 2002 के सेशन मामला सं. 563 में अपर सेशन न्यायाधीश, मुम्बई द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2003 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 363, 364क के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया है ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि श्रीमती जुबैदा खातुन गफ्फार राईन (अभि. सा. 1) और अब्दुल गफ्फार मोहम्मद मुस्लिम राईन (अभि. सा. 2) कमरा सं. 15, द्वितीय तल, ब्लाक बी, नागपाड़ा, मुम्बई-400008 में एकसाथ रह रहे थे । अब्दुल गफ्फार मोहम्मद मुस्लिम राईन (अभि. सा. 2) विद्यालय के लिए बैगों का निर्माण करता था । उसका कारखाना शुक्ला गली, डेडगली, कामाथीपुरा पर स्थित था । अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) सामान्यतया लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न अपने घर से जाया करता था और लगभग 6.00 बजे अपराह्न घर वापस लौटता था । उसके कारखाने में लगभग 10 से 15 श्रमिक कार्य करते थे ।

3. अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 11 अप्रैल, 2002 को

अभि. सा. 2 के घर से जाने के पश्चात् अपीलार्थी मोहम्मद मुर्तजा शेख शिकायतकर्ता के घर पर पहुंचा और जुबैदा (अभि. सा. 1) से कहा कि उसका पति भवन के नजदीक खड़ा है और अपने पुत्र अब्दुल रहमान को बुला रहा है । यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी उसके पति के कारखाने में अपने को कारीगर होना बता रहा था । अभियोजन साक्षी जुबैदा (अभि. सा. 1) द्वारा विद्यालय के लिए बैग निर्माण की कुछ सामग्री के साथ अपीलार्थी को देखा भी गया था और यह अभिकथन किया गया है कि उसी दिन लगभग 11.15 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 1 का पति अपनी डायरी लेने के लिए उनके मकान पर पहुंचा था जिसे वह भूल गया था । उस समय (अभि. सा. 1) ने इस बारे में पूछताछ की क्या उनका पुत्र कारखाने में पहुंच गया था । (अभि. सा. 2) पति ने यह उत्तर दिया कि पुत्र अब्दुल रहमान उसके साथ नहीं है । उस समय अभि. सा. 1 ने उसके पति को बताया था कि कारखाने का एक श्रमिक उनके पुत्र को कारखाने पर ले गया था । अभि. सा. 1 के पति ने इस बात से इनकार किया है कि उसने कारखाने पर अपने पुत्र को बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था । उन्होंने भवन में तथा उसके आस-पास अपने पुत्र को ढूंढने की कोशिश की ।

4. अभियोजन पक्ष ने यह अभिकथन किया है कि उसी दिन दोपहर में लगभग 1.15 बजे अपराह्न अभि. सा. 1 के पति ने अपने सेलोफोन से काल प्राप्त की थी । वह व्यक्ति जो मोबाइल से फोन कर रहा था, उसने पुत्र को सौंपने के लिए एक लाख रुपए की मांग की थी ।  उसके पश्चात् दोनों पति-पत्नी उसी पुलिस थाने पर गए और उन्होंने शिकायत दर्ज की ।

5. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अगले दिन प्रातः पुलिस ने पुलिस थाने पर दोनों पति-पत्नी को बुलाया । पुलिस ने उनको यह सूचना दी कि उन्होंने एक व्यक्ति को एक बच्चे के साथ मीरादत्ता दरगा दरुखान शिवरी से गिरफ्तार किया है । पुलिस ने बच्चे को भी पेश किया था जिसे दोनों पति-पत्नी ने उसे अपने पुत्र के रूप से पहचान की जिसकी पुलिस ने शिकायतकर्ता के पुत्र के कपड़े ले लिए । उसे दूसरे कपड़े दिए गए थे । उन्होंने पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त को देखा था ।

6. तारीख 9 मई, 2002 को पुलिस ने अभियुक्त की शिनाख्त करने के लिए जुबैदा (अभि. सा. 1) को बुलाया था । अभियुक्त की शिनाख्त परेड में पहचान की गई थी जिसे ऐसे कमरे में रखा गया था जहां 15 व्यक्ति मौजूद थे । अभियुक्त की अभि. सा. 1 द्वारा शिनाख्त की गई थी ।

इसके पश्चात्, पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ किया । अन्वेषण की कार्यवाहियों के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के कपड़े तथा शिकायतकर्ता के कपड़े अभिगृहीत किए तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था ।

7. विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 120-ख और दंड संहिता की धारा 363 और 364क के साथ पठित धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए । मूल अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

8. अभियोजन पक्ष ने सात साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्षियों के साक्ष्य से अलग अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य सहित बच्चे के माता-पिता के साक्ष्य का अवलंब लिया, जुबैदा अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 1) जो बच्चे की माता है ने अपीलार्थी को जो उसके घर पर आया था देखे जाने का दावा किया और यह सूचना दी थी कि अब्दुल रहमान के पिता ने कारखाने पर बच्चे को बुलाया है । उसने अपने को उक्त कारखाने में कारीगर होना बताया था । मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने यह वृत्तांत दिया है कि अपीलार्थी कारखाने में कारीगर के रूप में अपने को पेश करके बच्चे को ले गया था । दोपहर में बच्चे के पिता घर पर पहुंचे और उसने अपने पति से बातचीत की तब उसे यह पता चला कि कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन उनके बच्चे को ले गया था । उन्होंने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की किंतु वे उसे पा नहीं सके । पति-पत्नी दोनों पुलिस थाने पर गए और तद्नुसार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी ।

9. अभि. सा. 1 का पति अब्दुल गफ्फार मोहम्मद मुस्लिम राईन (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से अभि. सा. 2 की पत्नी जुबैदा अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को समर्थन मिलता है । अपीलार्थी द्वारा निष्कृति धन की मांग की मात्रा के बारे में कुछ विभेद हैं । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में मांगी गई रकम के बारे में दो लाख रुपए की मांग के बारे में कहा गया है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य में यह कहा गया है कि उसी दिन लगभग 1.30 बजे अपराह्न उसके सेलोफोन पर काल आई थी । काल करने वाले ने उससे यह कहा था कि उसका पुत्र उसके कब्जे में है और वह एक लाख रुपए अदा करने के लिए तैयार रहें ।

10. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए सैय्यद

जफरुल हसन (अभि. सा. 3) के साक्ष्य को त्यक्त कर दिया । यह मताभिव्यक्ति इस निर्णय के पैरा 10 में प्रकट किया जाना कहा गया है । अभि. सा. 3 ने फरसा रोड, बच्चूभाई वाडी, नागपाडा का निवासी होने का दावा किया । जब वह घर की ओर जा रहा था उसने दो व्यक्तियों की बातचीत सुनी और वे निष्कृति धन के लिए पांच वर्ष के बच्चे का व्यपहरण करना चाह रहे थे । उक्त बातचीत के चार दिन के पश्चात् इस साक्षी ने यह देखा कि अपीलार्थी द्वारा जो जूस की दुकान चलाई जा रही थी, वह बंद थी । उसने शिनाख्त परेड में अपीलार्थी की पहचान किए जाने का दावा किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अपीलार्थी उक्त क्षेत्र में ठेले पर जूस की दुकान चला रहा था और उसने उस समय भीड़-भाड़ न होने की वजह से उनकी बातचीत सुनी थी । अभि. सा. 3 के साक्ष्य की गुणता पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा अभि. सा. 3 के साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में की गई मताभिव्यक्ति को अपास्त किया जाना आवश्यक है ।

11. मोहम्मद नौशाद अब्दुल हजीफ शेख (अभि. सा. 4) है जो इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्य कर रहा था । वह मीरा दत्तार दरगा का निवासी है । इस साक्षी के अनुसार वहां पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को भक्तों की भीड़-भाड़ रहती है । तारीख 11 अप्रैल, 2002 को 11.30 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न के बीच वह दरगा परिक्षेत्र के बीच मौजूद था । उस समय उसने अपीलार्थी को एक छोटे बच्चे के साथ घूमते हुए देखा था । उसने यह भी देखा कि अपीलार्थी काल करने के लिए एस. टी. डी. बूथ की ओर जा रहा था । उस समय उसने देखा कि बच्चा चिल्ला रहा था । उसने इस बारे में अपीलार्थी से पूछा कि यह बालक क्यों चिल्ला रहा है । अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह प्रार्थना किए जाने के आयोजनों हेतु दरगा पर ले जाने के लिए उक्त बालक को खरीद कर लाया था । इसके पश्चात् वह उस स्थान से चला गया । दोहपर में उसने देखा कि अपीलार्थी उक्त बालक के साथ एस. टी. डी. बूथ पर सोया हुआ था । अगले दिन अर्थात् 12 अप्रैल, 2002 को अपीलार्थी उक्त बालक के साथ वहां पर मौजूद था और उन्हें देखकर साक्षियों ने अपीलार्थी से यह पूछा कि उक्त बालक के माता-पिता कौन हैं जिसपर अपीलार्थी ने यह बताया कि उक्त बालक की माता नगोरी अस्पताल, नागपाड़ा में भर्ती है । साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किए गए थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इसके पश्चात् वह अस्पताल में इस बात का पता लगाने के लिए गया था कि क्या बालक की माता वास्तव में अस्पताल में

भर्ती हुई है किंतु उसने यह बताया कि अस्पताल में कोई ऐसी महिला भर्ती नहीं हुई थी । इसके पश्चात् वह नागपाड़ा पुलिस थाने पर गई और पुलिस को इस बारे में बताया जो कुछ घटित हुआ था । इस साक्षी के अनुसार एक पुलिस अधिकारी और दो-तीन कांस्टेबल उसके साथ दरगा पर पहुंचे और अपीलार्थी और बालक फिर भी वहीं पर थे । इस साक्षी द्वारा उस बालक के बारे में बताया गया और इसके पश्चात् दो व्यक्ति उसके साथ वहां पर आए थे उन्होंने बालक की पहचान की । इसके पश्चात् पुलिस ने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी दुकान उसके निवास के स्थान के बगल में थी । मीरा दत्तार दरगा उसके मकान से 200 फीट की दूरी पर थी । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करना चाहता था कि घटनास्थल पर इस साक्षी की मौजूदगी स्वाभाविक थी ।

12. संतोष प्रकाश चौहान (अभि. सा. 5) जो तारीख 9 मई, 2002 को शिनाख्त परेड किए जाने के लिए विशेष कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था । उसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि जुबैदा अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त की शिनाख्त की और प्रक्रिया के अनुसार शिनाख्त परेड संचालित की गई थी । परेड पंचनामा बनाया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसके पिता पुलिस विभाग की सेवा में थे और वे पुलिस क्वाटर्स में रुके थे । शिनाख्त कार्यवाहियां प्रारंभ किए जाने से पूर्व इस साक्षी ने शिकायतकर्ता से इस बारे में पूछा था कि क्या पुलिस ने परेड से पूर्व अभियुक्त को देखा था जिसपर शिकायतकर्ता ने तत्काल नकारात्मक उत्तर दिया था ।

13. तस्लीम खान सबाज खान पठान (अभि. सा. 6) अभियुक्त की गिरफ्तारी का तथा अभियुक्त के कपड़ों को अभिगृहीत किए जाने का पंच है । उसने पंचनामे की अंतर्वस्तु को साबित किया था जिसपर प्रदर्श-17 चिह्नित किया गया था ।

14. लक्ष्मण पुंजाजी गोरे (अभि. सा. 7) अन्वेषण अधिकारी है । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 31 मई, 2002 को दोनों अभियुक्तों की दूसरी शिनाख्त परेड विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी ।

15. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि दोनों अभियुक्तों का विचारण न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था किंतु साक्ष्य

के अभाव में अभियुक्त सं. 2 को दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियुक्त सं. 2 की दोषमुक्ति के बारे में मामले में बताया गया है और अभियोजन पक्षकथन पर विचार करते हुए अपीलार्थी को फायदा देने के लिए उस पर सोच-विचार किया जाए । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्षकथन से विश्वास प्रेरित नहीं होता है और सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन माता-पिता के साक्ष्य पर आधारित है जिन्होंने निःसंदेह यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी मकान पर पहुंचा था और उसने कारीगरों में अपने को एक कारीगर बताकर बच्चे को ले गया था । किंतु अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को बच्चे को सौंपने के लिए निष्कृति धन की मांग की थी ।

16. अभियुक्त के आचरण, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की गुणता पर विचार करते हुए अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यह सुरक्षित रूप से यह अर्थान्वयन किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में विफल हुआ है और शिकायतकर्ता द्वारा शिनाख्त परेड में अपीलार्थी के पहचानने के बारे में किया गया साक्ष्य, इस तथ्य के दृष्टिकोण से संदेहास्पद प्रतीत होता है कि तारीख 12 अप्रैल, 2002 को पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता को अभियुक्त को दिखाया गया था । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि अपीलार्थी नजदीकी परिक्षेत्र पर जूस सेंटर का कारोबार चला रहा था । अभियोजन साक्षियों में से कुछ साक्षी उसी परिक्षेत्र के निवासी भी हैं । साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी एस. टी. डी. बूथ के बगल में बालक के साथ सोया हुआ देखा गया था । अभिलेख के साक्ष्य की माता-पिता के साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है कि अपीलार्थी ने बालक का व्यपहरण किया था और निष्कृति धन की मांग की थी जिसपर दंड संहिता की धारा 364क का दंडनीय अपराध बनता है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने के समय पर 20 वर्ष की युवा आयु का था और अपराध और साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए अपीलार्थी के अभिवाक् पर विचार किया जाना चाहिए ।

17. विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि माता-पिता का साक्ष्य स्पष्ट है जो कहीं भी विचलित नहीं हुआ है । अपीलार्थी की शिकायतकर्ता द्वारा शिनाख्त की गई थी । शिकायतकर्ता ने बिना विचार-विमर्श के शीघ्र शिकायत दर्ज की थी । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि शिकायतकर्ता जुबैदा अब्दुल गफ्फार राईन

(अभि. सा. 1) और अब्दुल गफ्फार मोहम्मद मुस्लिम राईन (अभि. सा. 2) जो बालक का पिता है, के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । बालक के पिता (अभि. सा. 2) के सेलोफोन पर काल प्राप्त हुई थी और काल करने वाला केवल अपीलार्थी था क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति शिकायतकर्ता के मकान पर नहीं पहुंचा था और कारीगर के रूप में अपने को बताकर दुर्व्यपदेशन करके बालक को ले गया था । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने यह दलील दी कि शिनाख्त परेड के संबंध में उठाया गया आक्षेप उचित नहीं था । शिनाख्त परेड उचित रूप से रखी गई थी और शिकायतकर्ता द्वारा शिनाख्त परेड में अपीलार्थी की शिनाख्त की गई थी ।

18. हमने अभिलेख और साक्ष्य का परिशीलन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य के विद्वान् सहायक अभियोजक की दलीलों पर विचार किया । हमने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए अच्छा साक्ष्य है कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अर्थात् विधिपूर्ण संरक्षण से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के लिए दंड का दोषी है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी मकान पर पहुंचा था और स्वयं उसने अपने को इस तरह पेश किया कि वह उसके पति के कारखाने में काम करता है और उसके पति द्वारा बच्चे को बुलाया गया था ऐसा कहते हुए वह बच्चे को उठा ले गया । दोपहर में बच्चे के पिता घर पर पहुंचे और इसके पश्चात् उनकी जानकारी में यह आया कि एक व्यक्ति जिसने अपने को कारीगर बताया था, उसके बच्चे को उठा ले गया और बच्चे को ढूंढने के पश्चात् वे पुलिस थाने पर गए । यह सही है कि शिकायतकर्ता ने शीघ्रता से पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की थी । हम यह नहीं पाते हैं कि शिकायतकर्ता की ओर से अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि पक्षकारों के बीच कोई पूर्व शत्रुता थी । पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस थाने पर लाया गया था । अभियुक्त द्वारा बच्चे की पहचान की गई थी । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन को अभिलिखित करवाने के दौरान कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उसने केवल यह कथन किया है कि उसके विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया गया है । सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करके हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चे के व्यपहरण का आरोप साबित किया गया है और अपीलार्थी द्वारा

दंड संहिता की धारा 363 के अधीन कारित किए गए अपराध के बारे में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है ।

19. अब प्रश्न यह उद्‌भूत होता है कि क्या अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है । धारा 364क का उपबंध कठोर है । धारा 364क का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "**364क. फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण** – जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या [किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति] को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

इस उपबंध को विरचित करने के उद्देश्य पर विचार करते हुए हमने यह उल्लेख किया है कि जुबैदा राईन (अभि. सा. 1) और अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से अलग, साक्षियों के माध्यम से अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के बारे में पूर्ण विश्वास प्रेरित नहीं होता है कि अपीलार्थी धारा 364क के अधीन दोषी पाया गया । इस पहलू पर हमने अभियोजन पक्षकथन में कुछ विभेद पाए हैं । जुबैदा (अभि. सा. 1) और अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) के साक्ष्य में हम अपीलार्थी द्वारा निष्कृति धन की रकम के बारे में कुछ विभेदों का उल्लेख करते हैं । जुबैदा (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने दो लाख रुपए की मांग करते हुए काल की थी जबकि अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसने एक लाख रुपए की मांग के लिए काल किया था । बच्चे को किसी गुप्त स्थान में नहीं रखा गया था । अपीलार्थी बच्चे के साथ घूम रहा था और उस क्षेत्र के आस-पास अपीलार्थी जूस सेंटर चला रहा था । उसे दरगा के नजदीक बच्चे सहित देखा गया था । इससे यह संकेत मिलता है कि अपीलार्थी सुलभ था । इन साक्षियों सहित उसके साथ कई व्यक्ति देखे गए होंगे । उसे बच्चे के साथ सोए हुए भी देखा गया था ।

किसी भी साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अपीलार्थी का आचरण संदेहास्पद था और उसने बच्चे पर हमला किया था या बच्चे के साथ विचित्र व्यवहार किया था जिससे मामले में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

20. सैय्यद जफूर हसन (अभि. सा. 3) और मोहम्मद नौशाद अब्दुल हफीज शेख (अभि. सा. 4) के साक्ष्य की गुणता पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालने में कठिनाई महसूस करते हैं कि उनके साक्ष्य से बच्चे के माता के साक्ष्य को समर्थन मिलता है या उसकी सम्पुष्टि होती है । अपीलार्थी द्वारा अकेले पैसों की मांग की गई थी और बच्चे को अभिरक्षा में सौंपने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था ।

21. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की दलील का सार यह है कि अभियोजन पक्ष इस बारे में साबित करने में विफल हुआ कि अब्दुल गफ्फार राईन (अभि. सा. 2) के सेलोफोन पर किसने काल की थी । इस साक्षी के मात्र कथन को छोड़कर सेलोफोन पर किए गए काल के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से कारित किए जाने वाले अपराध के बारे में अतिस्पष्ट साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए था जिस अपराध के संबंध में धारा 364क के दंड उपबंध लागू होते हैं । हमने यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी उस क्षेत्र के आस-पास उपलब्ध था जहां वह जूस सेंटर चला रहा था । काल करने वाले के बारे में साक्ष्य में अभाव है जिसने निष्कृति धन की मांग की थी । हम धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने में कठिनाई पाते हैं । प्रतिरक्षा पक्ष ने मामले के इस पहलू पर अभियोजन पक्षकथन में संदेह प्रकट किया है । अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने के भार को निर्वहन करने में विफल हुआ है ।

22. इस तथ्य से अलग कि अपीलार्थी बच्चे के साथ घूमते हुए देखा गया था ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाया था । प्रतिरक्षा में यह सार प्रकट हुआ है कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि काल करने वाले ने सेलोफोन से निष्कृति धन की मांग की थी और संदाय करने का तरीका या संदाय किए जाने का स्थान काल करने वाले द्वारा प्रदर्शित किया गया था ।

23. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने **फिलिप्स फैडरिक डिसूजा**

**और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले के निर्णय का अवलंब लिया है । उक्त मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने निर्णय के पैरा 18 में यह मत व्यक्त किया है जो निम्नलिखित है :–

> "धारा 364क की भांति कोई कानूनी उपबंध निःसंदेह रूप से दंड विधायन की भांति होना चाहिए कि जिसका कठोरता से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । किंतु धारा 364क के ऐसे उपबंध का अर्थान्वयन करते हुए न्यायालय को इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए न कि ऐसी रीति में निर्वचन नहीं करना चाहिए जिससे इसका विधायी प्रभावोत्पादकता निरावृत्त हो जाए । इसके अतिरिक्त जब संसद् का कथित उद्देश्य अपराध के प्रकार पर गंभीरता से विचार करना था अन्यथा जिसका प्रभाव सिविल सोसाइटी की स्थिरता को गंभीर रूप से नष्ट करेगा ।"

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने **आर. बी. गुप्ता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले का भी अवलंब लिया तथा प्रशांत दन्याराज थोरट **बनाम** महाराष्ट्र राज्य वाले मामले जिसका तारीख 11 अप्रैल, 2005 को 1995 की दांडिक अपील सं. 405 में इस निर्णय द्वारा विनिश्चय किया गया था, तथा **पी. लियाकत अली खान** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले का भी अवलंब लिया ।

24. विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने **मकबूल** उर्फ **जुबीर** उर्फ **शाहनवाज और अन्य** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[4] तथा **विजय** उर्फ **चीनी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[5] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

25. ऊपर कथित पैराओं से निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

आदेश

1. अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

---

[1] 2009 (1) मुम्बई सी. आर. (क्रिमिनल) 38 = 2008 (6) ए. आई. आर. मुम्बई आर. 165.

[2] 1995 क्रिमिनल ला जर्नल 4048.

[3] (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 700 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2597.

[4] 2010 आल. एम. आर. (क्रिमिनल) 2971 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 184.

[5] 2010 आल. एम. आर. (क्रिमिनल) 3326 (एस. सी.) = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5510.

2. विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश की अभिपुष्टि की जाती है ।

3. विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अपीलाथा-अभियुक्त मोहम्मद मुर्तजा मोहम्मद मोसिन शेख को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि जुर्माने की रकम का संदाय किया गया है तो अपीलार्थी को वापस किया जाए ।

4. अपीलार्थी मोहम्मद मुर्तजा मोहम्मद मोसिन शेख को तत्काल निर्मुक्त किया जाए यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

---

**(2012) 1 दा. नि. प. 161** **हिमाचल प्रदेश**

## बलजिन्दर सिंह

बनाम

## हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 14 मार्च, 2011

### न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा समर्थित अभिलेखों से यह प्रतीत होता हो कि कुछ गलतफहमी के कारण दोनों पक्षकार एक दूसरे से वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर अलग-अलग रह रहे थे और अभियोजन क्रूरता के अपराध के आवश्यक तत्वों को साबित करने में असफल रहा हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।**

संक्षेप में मामले के स्वीकृत तथ्य ये हैं कि परिवादी वीना का विवाह अपीलार्थी बलजिन्दर सिंह (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा

गया है) के साथ तारीख 4 मई, 2001 को संपन्न हुआ था । इस विवाह बंधन के दौरान उसने एक बालक को जन्म दिया । अभियुक्त-पति हाईस्कूल उत्तीर्ण है । उसका पिता बैंक का कर्मचारी था जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई थी । उसकी मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त को स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई जहां वह कैशियर के रूप में कार्य कर रहा है । परिवादी की पत्नी स्नातक है जिसका पिता पुलिस अधिकारी है । यह अभिकथित है कि पारिवादी को आरंभ में ठीक तरह से रखा गया था किंतु कुछ मामलों के पश्चात् ससुराल में विवाद उत्पन्न हो गया । उसने बताया कि अभियुक्त के माता, बहन और भाई द्वारा बुरा बरताव किया गया । उन्होंने यह अभिकथन किया कि उसके माता-पिता द्वारा विवाह में उसे दी गई कान की बाली सोने की नहीं थी बल्कि किसी सस्ती धातु की थी । यह भी अभिकथित किया गया कि उसके विवाह में "मिलनी" मोहिन्दर नामक व्यक्ति के साथ ठीक से पूरा नहीं की गई थी । अभियुक्त के पूर्वोक्त नातेदारों ने उसे उकसाया जिसके परिणामस्वरूप उसने परिवादी को पीटना आरंभ कर दिया । परिवादी का पिता उस समय पुलिस थाना जुब्बल में थाना प्रभारी के रूप में तैनात था । चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए परिवादी ने अपने पति से पृथक् होकर नाला गढ़ में अपने माता-पिता के मकान में रहना आरंभ कर दिया । उसने संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण का आवेदन भी फाइल किया और अभियुक्त ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन फाइल किया । भरणपोषण के आवेदन का अंत समझौते से हुआ । परिणामत: दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की अर्जी को वापस ले लिया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 506 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दर्ज तारीख 14 मार्च, 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 32/04 से उद्भूत पुलिस चालान में विचारण समाप्त करने के पश्चात् अभियुक्तों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 6 नवंबर, 2007 के अपने निर्णय द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसके विरुद्ध राज्य ने सेशन न्यायालय के समक्ष अपील की जिसका विनिश्चय विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किया गया । सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति कायम रखते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने 2008 की दांडिक अपील संख्या 2-एनएल/10 में पारित तारीख 18 जुलाई, 2009 के अपने निर्णय द्वारा अपीलार्थी बलजिन्दर सिंह की दोषमुक्ति के निर्णय को उलट दिया । उक्त निर्णय की चुनौती इस अपील में की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते

हुए,

**अभिनिर्धारित** – इस मामले में अभियोजन "क्रूरता" के अपराध के आवश्यक तत्वों को साबित करने में सफल रहा । वह काफी समय से अपने पति से पृथक् रह रही है । पहले पीटे जाने की बाबत यहां मात्र अभिकथन है किंतु किसी अधिक प्रामाणिक अभिलेख से समर्थित नहीं है । यह प्रतीत होता है कि कुछ गलतफहमी के कारण दोनों पक्षकार एक दूसरे से वैवाहिक बंधन से हट गए और अलग-अलग रहने लगे । चूंकि परिवादी का पिता पुलिस अधिकारी था इसलिए उसने विलंबित प्रक्रम पर परिवाद फाइल कर अपनी पुत्री के हेतु को समर्थन करने का प्रयास किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अन्य सह-अभियुक्त से संबंधित साक्ष्य के उसी सेट पर अविश्वास करते हुए अकस्मात उसके विरुद्ध एकमात्र अभिकथन के आधार पर ही अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य पर विश्वास किया कि उसके सह-अभियुक्त के उकसाने पर उसने परिवादी को पीटा था । साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलेख से सही प्रतीत होता है । यह स्थापित विधि है कि यदि अभिलेख से दोषमुक्ति का निष्कर्ष निकलता है चाहे साक्ष्य के उसी सेट से अभियुक्त के विरुद्ध अन्य मत निकलता हो तो उस दशा में भी, अभिलेख के साक्ष्य से निकाले गए अभियुक्त के अनुकूल वाले मत को स्वीकार किया जाना चाहिए । न्यायालय की राय में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विप्रतीपता नहीं है जिसके कारण विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में संपरिवर्तन करने के लिए प्रेरित हुआ था । (पैरा 16, 17, 18 और 19)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2009] | 2009 (2) एस. एल. जे. (एस. सी.) 1036 : **मंजू राम कालिता** बनाम **असम राज्य** ; | 15 |
| [2002] | ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2078 : **गिरधर शंकर तावडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 14 |
| [2000] | ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3559 : **श्रीमती राज रानी** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** । | 14 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 398.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री संजीव कुठियाला, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री ए. के. बंसल, अपर महाधिवक्ता

**न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह** – भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 506 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दर्ज तारीख 14 मार्च, 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 32/04 से उद्भूत पुलिस चालान में विचारण समाप्त करने के पश्चात् अभियुक्तों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 6 नवंबर, 2007 के अपने निर्णय द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसके विरुद्ध राज्य ने सेशन न्यायालय के समक्ष अपील की जिसका विनिश्चय विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किया गया । सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति कायम रखते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने 2008 की दांडिक अपील संख्या 2-एनएल/10 में पारित तारीख 18 जुलाई, 2009 के अपने निर्णय द्वारा अपीलार्थी बलजिन्दर सिंह की दोषमुक्ति के निर्णय को उलट दिया । उक्त निर्णय की चुनौती इस अपील में की गई है ।

2. मामले के स्वीकृत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी वीना का विवाह अपीलार्थी बलजिन्दर सिंह (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) के साथ तारीख 4 मई, 2001 को संपन्न हुआ था । इस विवाह बंधन के दौरान उसने एक बालक को जन्म दिया । अभियुक्त-पति हाईस्कूल उत्तीर्ण है । उसका पिता बैंक का कर्मचारी था जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई थी । उसकी मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त को स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई जहां वह कैशियर के रूप में कार्य कर रहा है । परिवादी की पत्नी स्नातक है जिसका पिता पुलिस अधिकारी है । यह अभिकथित है कि पारिवादी को आरंभ में ठीक तरह से रखा गया था किंतु कुछ मामलों के पश्चात् ससुराल में विवाद उत्पन्न हो गया । उसने बताया कि अभियुक्त के माता, बहन और भाई द्वारा बुरा बरताव किया गया । उन्होंने यह अभिकथन किया कि उसके माता-पिता द्वारा विवाह में उसे दी गई कान की बाली सोने की नहीं थी बल्कि किसी सस्ती धातु की थी । यह भी अभिकथित किया गया कि उसकी विवाह "मिलनी" का मोहिन्दर नामक व्यक्ति के साथ ठीक से नहीं की गई थी । अभियुक्त के पूर्वोक्त नातेदारों ने उसे उकसाया जिसके परिणामस्वरूप उसने परिवादी को पीटना आरंभ कर दिया । परिवादी का

पिता उस समय पुलिस थाना जुब्बल में थाना प्रभारी के रूप में तैनात था । चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए परिवादी ने अपने पति से पृथक् होकर नाला गढ़ में अपने माता-पिता के मकान में रहना आरंभ कर दिया । उसने संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण का आवेदन भी फाइल किया और अभियुक्त ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन फाइल किया । भरणपोषण के आवेदन का अंत समझौते से हुआ । परिणामत: दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की अर्जी को वापस ले लिया गया ।

3. श्रीमती वीना देवी द्वारा फाइल कि यह अभियुक्त ने उसके भाई के विवाह में भाग नहीं लिया और आमंत्रण देने के बावजूद भी नहीं आए । उसने अकेले विवाह में भाग लिया । इस प्रकार यह पक्षकारों के बीच परस्पर नाराजी पैदा करने का एक अन्य कारण था ।

4. परिवाद प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/डी के आधार पर पूर्वोक्त धाराओं के अधीन तारीख 14 मार्च, 2004 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए तारीख 18 सितंबर, 1993 तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/बी तारीख 23 अगस्त, 2003 की फोटो स्टेट प्रतियां कब्जे में लीं । परिवादी के पिता का कथन भी अभिलिखित किया और अभियुक्त, उसकी माता, भाई और बहन के विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया । तद्नुसार उन्हें विद्वान् विचारण के लिए इस आधार पर आरोपित किया गया, और विचारित किया गया, दोषमुक्त किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406/506 के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन क्रूरता की बाबत कोई साक्ष्य नहीं है । यह अभिकथित किया गया कि परिवाद में किया गया अभिकथन और साक्ष्य उक्त धाराओं के तत्वों की अपेक्षा को पूरा नहीं करते और आगे विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि पक्षकार पिछले 5 महीनों से पृथक्-पृथक् रह रहे हैं । इस प्रकार अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराध को साबित करने में सफल रहा ।

5. अपील में बलजिन्दर सिंह के सिवाय अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति को कायम रखते हुए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य की चर्चा करने और परिवादी और उसके पिता के कथन के साथ क्रमश: समझौता प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त

को दोषसिद्ध किया किंतु उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-क, 406 और 506 के अधीन परिवीक्षा पर उन्मुक्त कर दिया ।

6. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री संजीव कुठालिया ने मुझे अभिलेख के साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया और इस ओर आकर्षित किया कि स्वयं परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से दहेज की वस्तुएं प्राप्त की थीं और आगे अभिलेख पर साक्ष्य के प्रतिनिर्देश किया कि अभियुक्त द्वारा उसे पूर्णत: किसी प्रकार का आपराधिक अभित्रास नहीं किया गया । उसने यह तर्क किया कि क्रूरता की बाबत साक्ष्य असंगत है और परिवादी के पिता द्वारा प्रेरित है जो स्वयं पुलिस अधिकारी है तथा क्रूरता की बाबत परिवाद में किया गया अभिकथन ऐसे तरीके से नहीं है जैसी अपेक्षा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के उपबंधों के अधीन है । चूंकि अभिलेख के साक्ष्य से दो मत निकाले जा सकते हैं इसलिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने यह ध्यान नहीं दिया कि विचार करते समय अभियुक्त के अनुकूल वाला मत लिया जाना चाहिए ।

7. दूसरी ओर विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री ए. के. बंसल ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और बलपूर्वक यह तर्क किया कि अभिलेख पर समझौता विलेख द्वारा सम्यक् रूप से उसके पिता के परिसाक्ष्य के साथ-साथ परिवादी का कथन क्रूरता का अभिकथन साबित करता है अत: किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. मैंने पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों पर सम्यक् रूप से विचार किया और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया ।

9. अभि. सा. 2 परिवादी वीना देवी के परिसाक्ष्य के परिशीलन से स्पष्टत: यह प्रदर्शित होता है कि वह यह परिवाद फाइल करने से पिछले लगभग 5 मास से अपने पति के साथ नहीं रह रही है । अन्यथा भी यह साक्ष्य में आया है कि पिछले पांच वर्षों से अपने पति-अभियुक्त के साथ उसका निवास बहुत कम था । अपने कथन में उसने यह स्वीकार किया कि उसने मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/सी अभियुक्त से दहेज की सभी वस्तुएं वापस ले ली थीं और उस पर उसने अपने हस्ताक्षर की स्वीकृति दी किंतु उसके अनुसार वह वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई थीं । एक बार जब उसने दहेज वस्तुओं को स्वीकार करने की स्वीकृति दे दी है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 कतई लागू नहीं होती ।

10. जहां तक आपराधिक अभित्रास का संबंध है न तो उस पर न ही

उसके पिता ने मामले के विचारण के दौरान इसके बारे में कोई बात की । दूरभाष के माध्यम से धमकाने की बाबत अभिकथन भी महत्वपूर्ण अकाट्य साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हुआ । इस आशय को उसके निजी बयान को वेद वाक्य नहीं माना जा सकता ।

11. इसके अतिरिक्त क्रूरता के अपराध के संबंध में परिवादी और अन्य साक्षियों के कथन इस प्रकार हैं कि उसके पति को उसकी माता, भाई और बहिन द्वारा उसे पीटने के लिए उकसाया जाया करता था । उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसके पति ने कम दहेज लाने या दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए उसे पीटा करता था या प्रताड़ित किया करता था । यह भी अभिकथित है कि उसे नाला गढ़ में अभियुक्त-पति द्वारा पीटा जाया करता था किंतु यह साबित करने करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने पुलिस या पंचायत से कोई परिवाद किया था या इस अभिकथन को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है ।

12. साक्ष्य का अगला भाग जिस पर अभियोजन अवलंब लेता है, समझौता विलेख प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/बी । इन दस्तावेजों को लिखने वालों की कोई परीक्षा नहीं की गई है । दोनों दस्तावेज फोटो प्रतियां हैं । तर्क की दृष्टि से यदि इन दस्तावेजों को विधिक साक्ष्य माना जाए तो फिर भी ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अपर्याप्त है ।

13. वस्तुत: "क्रूरता" शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उक्त धारा से जुड़ा स्पष्टीकरण "क्रूरता" के तत्वों का वर्णन करता है जिसे निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है :—

"(i) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है ; या

(ii) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जिससे स्त्री को गंभीर क्षति कारित होना संभव है ; या

(iii) जानबूझकर किया गया कोई कार्य जिससे स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य चाहे शारीरिक या मानसिक हो, को खतरा कारित होना संभव है ; या

(iv) किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से स्त्री को तंग किया जा रहा है या इस आशय का मामला बनाया जाता है कि ऐसी मांग को पूरा करने में वह या उससे संबंधित कोई व्यक्ति असफल रहा है ।"

14. उच्चतम न्यायालय ने **श्रीमती राज रानी** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के उपबंधों के संदर्भ में क्रूरता के मामले पर विचार करते समय न्यायालय को यह परीक्षा करनी चाहिए कि अभिकथन/अभियोग बहुत गंभीर प्रकृति का होना चाहिए और युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना चाहिए तथा **गिरधर शंकर तावडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "क्रूरता" को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क में उपबंधित विनिर्दिष्ट कानूनी अर्थ रखने वाला समझा जाना चाहिए और एक द्वारा दूसरे को प्रताड़ना की सतत परिस्थिति का मामला होना चाहिए ।

15. उच्चतम न्यायालय ने **मंजू राम कालिता** बनाम **असम राज्य**[3] के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों को ध्यान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के प्रयोजन के लिए "क्रूरता" भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के संदर्भ में सिद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि यह अन्य कानूनी उपबंधों से भिन्न हो सकता है । यह व्यक्ति के आचरण उसके कार्यों की क्रूरता या गंभीरता पर ध्यान देते हुए और यह पता लगाते हुए कि क्या यह किसी स्त्री को आत्महत्या आदि करने के लिए प्रेरित करने हेतु संभाव्य है, पर विचार करते हुए अवधारित/अनुमानित किया जाना चाहिए । यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि स्त्री के साथ लगातार/बार-बार कम से कम सन्निकट समय के दौरान क्रूरता या परिवाद फाइल करने के दौरान क्रूरता बरती गई है । तथापि, छोटे झगड़ों उपरोक्त धारा के उपबंधों को लागू करने के लिए "क्रूरता" के रूप में नहीं माना जा सकता ।

16. इस मामले में अभियोजन "क्रूरता" के अपराध के आवश्यक तत्वों

---

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3559.

[2] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2078.

[3] 2009 (2) एस. एल. जे. (एस. सी.) 1036.

को साबित करने में सफल रहा । वह काफी समय से अपने पति से पृथक् रह रही है । पहले पीटे जाने की बाबत यहां मात्र अभिकथन है किंतु किसी अधिक प्रामाणिक अभिलेख से समर्थित नहीं है । यह प्रतीत होता है कि कुछ गलतफहमी के कारण दोनों पक्षकार एक दूसरे से वैवाहिक बंधन से हट गए और अलग-अलग रहने लगे । चूंकि परिवादी का पिता पुलिस अधिकारी था इसलिए उसने विलंबित प्रक्रम पर परिवाद फाइल कर अपनी पुत्री के हेतु को समर्थन करने का प्रयास किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अन्य सह-अभियुक्त से संबंधित साक्ष्य के उसी सेट पर अविश्वास करते हुए अकस्मात उसके विरुद्ध एकमात्र अभिकथन के आधार पर ही अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य पर विश्वास किया कि उसके सह-अभियुक्त के उकसाने पर उसने परिवादी को पीटा था ।

17. साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् मेरी यह राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलेख से सही प्रतीत होता है ।

18. यह स्थापित विधि है कि यदि अभिलेख से दोषमुक्ति का निष्कर्ष निकलता है चाहे साक्ष्य के उसी सेट से अभियुक्त के विरुद्ध अन्य मत निकलता हो तो उस दशा में भी, अभिलेख के साक्ष्य से निकाले गए अभियुक्त के अनुकूल वाले मत को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

19. मेरी विचारित राय में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विप्रतीपता नहीं है जिसके कारण विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में संपरिवर्तन करने के लिए प्रेरित हुआ था ।

20. पूर्वगामी कारणों से अपील मंजूर की जाती है । परिवीक्षा पर अभियुक्त को छोड़े जाने के दंडादेश के बदले में दोषसिद्धि का निर्णय वैध नहीं है । अत: यह अपास्त किया जाता है । परिणामत:, अभियुक्त-अपीलार्थी उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से उसे संदेह का फायदा देने के कारण भी दोषमुक्त हो जाता है ।

21. अभियुक्त-अपीलार्थी को मामले की कार्यवाहियों के दौरान किसी समय उसके द्वारा किए गए उसके जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है । अभिलेख को वापस भेजा जाए ।

अपील मंजूर की जाती है ।

पां.

**सोमा राम**

बनाम

**हिमाचल प्रदेश राज्य**

तारीख 15 मार्च, 2011

**न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह**

**स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 50 – व्यक्तियों की तलाशी – जहां विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी किसी थैले, ब्रीफकेस या आधान से होती है वहां किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं से हुई बरामदगी को मानव शरीर से हुई बरामदगी के रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि इन्हें अलग नाम दिया गया है और ये उसी रूप में पहचानने योग्य हैं और ऐसी स्थिति में धारा 50 लागू नहीं होगी ।**

**स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 20(ख)(ii)(बी) – विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी – दोषसिद्धि – न्यायालयिक प्रयोगशाला की सकारात्मक विश्लेषण रिपोर्ट और शासकीय साक्षियों के विश्वासप्रद कथनों से अभियुक्त से बरामद विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी साबित हो जाने पर उसकी दोषसिद्धि उचित है और उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।**

मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त-अपीलार्थी कंबल ओढ़े हुए भुट्टी चौक पर बैठा है और उसके कब्जे में विनिषिद्ध पदार्थ, चरस है । पुलिस के छापामार दल ने स्वतंत्र साक्षियों को साथ लेकर और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त की तलाशी ली और उसके कब्जे से 500 ग्राम कैनेबिस पदार्थ बरामद किया जिसमें 209.06 ग्राम चरस थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । बरामद पदार्थ का नमूना परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया और रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय ने शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्यों का अलंब लेकर अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20(ख)(ii)(बी) के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित

होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – निर्विवाद रूप से, जहां किसी व्यक्ति की तलाशी का मामला है, धारा 50 निश्चित रूप से लागू होगी और इसका अननुपालन अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगा । किंतु जहां बरामदगी थैले, ब्रीफकेस या आधान आदि से हुई है वहां किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं को मानव शरीर के रूप में न समझा जाए । इन्हें अलग नाम दिया गया है और ये उसी रूप में पहचानने योग्य हैं । उपरोक्त स्थिति में, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील में कि अभियोजन वृत्तांत के अनुसार चूंकि अपीलार्थी द्वारा पीठू-थैले को अपनी गोदी में रखा हुआ था, इसलिए अधिनियम की धारा 50 लागू होगी, कोई बल नहीं है । यदि केवल दलील के लिए इस मामले में अधिनियम की धारा 50 लागू की जाती है, तब भी इसका पूरी तरह से पालन किया गया है । क्योंकि अपीलार्थी को दिए गए विकल्प, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, द्वारा उसे किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था और अपीलार्थी ने इसके लिए अपनी लिखित सम्मति दी थी । अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था और उसने उसके (इस साक्षी) द्वारा तलाशी लिए जाने का विकल्प चुना था । इसलिए पूर्वोक्त परिस्थितियों में, यहां तक कि अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षा, जो कि अन्यथा न्यायालय की राय में लागू नहीं होती है, का भी पूरी तरह पालन किया गया है । (पैरा 24 और 25)

यह सही है कि अभि. सा. 1 हेम चंद ने अभियोजन पक्षकथन का पूर्णतः समर्थन नहीं किया और रंजन कुमार को अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष में कर लेने के कारण, जैसाकि अभियोजक द्वारा कथन किया गया है, उसकी परीक्षा नहीं कराई गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पक्षद्रोही साक्षी (अभि. सा. 1) का कथन अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास, जैसाकि उसने कथन किया है, द्वारा अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 1 हेम चंद, जिसने अभिकथित रूप से अभिकथित कथन किया था, का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(3) के अधीन उसकी विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त करने के लिए उसके उस कथन से सामना कराया गया था । निश्चित रूप से, अभि. सा. 1 हेम चंद, जो धालपुर में

एक सब्जी विक्रेता है, ने मामले के अन्वेषण में भुट्टी चौक पर पुलिस द्वारा सहयुक्त किए जाने की बात स्वीकार की है । उसने यह स्वीकार किया है कि विकल्प ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने एक अन्य ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी पर भी अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है जिसके द्वारा अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास की अभियुक्त द्वारा तलाशी लेने पर कोई फंसाने वाली सामग्री नहीं पाई थी । इसके अतिरिक्त, उसने कपड़े के एक टुकड़े पर मुद्रा के नमूने, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी, विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के बरामदगी-ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई), गिरफ्तारी के आधारों के ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी) के साथ-साथ पार्सल, प्रदर्श पी 1, और एक अन्य पार्सल, प्रदर्श पी 9, पर भी अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है । इस साक्षी ने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है । उसके अनुसार, उसने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस के इस दबाव में किए थे कि यदि वह हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा तो उसका चालान कर दिया जाएगा । उसका यह कथन बिल्कुल मिथ्या है । वह उच्च प्राधिकारियों को भी इस बात की रिपोर्ट कर सकता था किंतु उसने इसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया । अभि. सा. 1 हेम चंद के उपरोक्त वृत्तांत और आचरण से यह दर्शित होता है कि छापामार दल में उसके सम्मिलित होने से लेकर अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार करने तक वह मौजूद था और उसने स्पष्ट कारणों से अभियुक्त का पक्ष लेकर सच्चाई को छिपाया है । उपरोक्त सारांश से यह प्रकट होता है कि यहां तक कि दांडिक अभियोजन में भी जब किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जाती है और विद्वान् अभियोजक द्वारा न्यायालय की इजाजत से खण्डन किया जाता है, तो ऐसे साक्षी के साक्ष्य को विधि की दृष्टि से पूर्णतया अभिलेख से हटाए गए साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है । इसलिए पूर्वोक्त तथ्यों के विरुद्ध अभि. सा. 1 हेम चंद की पक्षद्रोहिता और एक अन्य साक्षी की परीक्षा न कराए जाने की बात से शासकीय साक्षियों के कथनों को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है । इसलिए अब न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या शासकीय साक्षियों के कथन विरोधाभासी हैं और अभियोजन के पक्षकथन की तह को डगमगाते हैं । अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि करते हुए अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने अभियुक्त द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प और उससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी को प्रमाणित किया । उल्लिखित विरोधाभास ये हैं कि अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि प्रश्नगत सूचना (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए) नगर पंचायत, कुल्लू के भवन में अवस्थित

यातायात कार्यालय में लेखबद्ध की गई थी और छापामार दल उस स्थान से 50 मीटर पहले गठित किया गया था जहां अपीलार्थी बैठा हुआ था । जबकि अभि. सा. 8 खूब राम ने कथन किया कि उक्त सूचना को टैक्सी-स्टैंड की ओर पगडंडी के अलावा मेड़ पर लेखबद्ध किया गया था और अन्वेषण बरामदगी के पश्चात् यातायात कार्यालय में किया गया था । उसने यह कथन किया कि भुट्टी चौक और यातायात कार्यालय के बीच की दूरी 300 मीटर है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 7 तरसेम लाल ने सूचना को अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपे जाने की बात कही है किंतु उसका रीडर (अभि. सा. 6) मौजूद नहीं था । जबकि अभि. सा. 6 निरत सिंह ने यह कथन किया कि वह अपराह्न में 6.30 बजे उस समय कार्यालय में मौजूद था जब सूचना दी गई थी । न्यायालय की राय में, उपरोक्त विरोधाभास अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने ठीक ही मत व्यक्त किया है कि साक्ष्य में का प्रत्येक विरोधाभास तात्विक नहीं होता है । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन बोधगम्यता होने, स्मरण नहीं रहने और तथ्यों को समरूप रीति में दोहराने में असफल रहने के कारण कमियां आनी लाजिमी हैं । मानव स्मरणशक्ति भी वीडियो रिकार्डर की भांति काम नहीं करती जिससे कि तथ्यों को हू-ब-हू रीति में पुनः प्रस्तुत किया जा सके । सच्चाई यह है कि कुल मिलाकर किसी साक्षी से फोटोग्राफिक स्मरण-शक्ति रखने और अपने स्मृति-पटल पर किसी घटना के सभी ब्यौरों को पुनः स्मरण करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है । अवलोकन करने की शक्ति भी हर व्यक्ति की भिन्न-भिन्न होती है । कुल मिलाकर लोग किसी बातचीत को हू-ब-हू और उनके द्वारा प्रयोग किए गए या उनके द्वारा सुने गए उन्हीं शब्दों को पुनःस्मरण नहीं कर सकते । मोटे तौर पर उनके पास इसकी एक मानसिक-रूपरेखा ही रहती है । इस प्रकार यह वास्तविकता से परे है कि किसी साक्षी से मानवीय टेप-रिकार्डर होने की प्रत्याशा की जाए । अन्यथा भी, जब घटनाओं का क्रम जो देखते ही देखते या क्षण भर में घटित हो जाता है, तब कोई साक्षी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर जब विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी विस्तार से प्रतिपरीक्षा की जाती है, दिग्भ्रमित हो सकता है । जटिल प्रतिपरीक्षा के कारण साक्षियों के कथनों में यदाकदा प्रतीत होने वाली ये कमियां आनी लाजिमी हैं । अब यह सुस्थापित है कि छुट-पुट कमियां, जिनसे अभियोजन पक्षकथन नहीं डगमगाता हो, त्यक्त की जा सकती हैं और ऐसी कमियां जो प्रसामान्य गलतियों या अनुभूति या अवलोकन के कारण आती हैं, को असम्यक् महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । समान रूप से यह बात भी

अनावश्यक है कि मामला संपत्ति विनिषिद्ध पदार्थ के बरामदगी स्थल पर तोली गई थी या यातायात कार्यालय में, जो कि घटनास्थल से मुश्किल से 15 मीटर दूर था, किंतु यह बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि अभिकथित विनिषिद्ध पदार्थ अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था और अपीलार्थी-अभियुक्त सारे समय अर्थात् बरामदगी के समय से लेकर उसे गिरफ्तार करने तक वहां मौजूद था और बिल्कुल कोई ऐसा अभिकथन नहीं किया गया है या सुझाव नहीं दिया गया है कि पुलिस पदधारियों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई थी । यह भी एक सुस्थापित विधि है कि पुलिस पदधारी के परिसाक्ष्य को किसी अन्य साक्षी के परिसाक्ष्य के समान समझा जाना चाहिए और उस पर किसी स्वतंत्र संपुष्टि के बिना कार्यवाही की जा सकती है । बरामदगी और उपबंधों के अनुपालन की बाबत शासकीय साक्षियों के कथनों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य विश्वासप्रद हैं । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् यह साबित होता है कि नमूने, शेष प्रपुंज और थैला पूर्वोक्त अनुसार घटनास्थल पर ही मुहरबंद किए गए थे और उन्हें अभिग्रहण ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी, द्वारा कब्जे में लिया गया था तथा मामला संपत्ति को अभि. सा. 4 मुहर्रिर हैड कांस्टेबल मनोज कुमारी के पास जमा कराया गया था । उसने मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि की थी और मामला संपत्ति के साथ नमूना मुहरें और अन्य दस्तावेज भी थे तथा एक नमूना एन. सी. बी. प्ररूपों, नमूना मुहर और अन्य दस्तावेजों सहित, जो जमा कराए गए थे, अभि. सा. 5 कांस्टेबल प्रदीप कुमार के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे और उसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि इनके साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और आर. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/बी पर रसीद प्राप्त की गई थी जो वापसी पर मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास जमा कराई गई थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में, ऊपर कथित अनुसार, चरस की पुष्टि की गई थी । यहां तक कि शेष प्रपुंज, जो कि न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा गया था, जांच करने पर ऊपर उल्लिखित प्रतिशत की सीमा तक कैनेबिस के रेजिन दर्शित करते हुए सकारात्मक पाया गया था । मामले के विचारण के दौरान अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने प्रपुंज, प्रदर्श पी-1 और नमूना पार्सल, प्रदर्श पी-9 की शनाख्त की थी और बाद में न्यायालयिक प्रयोगशाला में भी यह पता लगाने के लिए इसका परीक्षण किया गया था कि यह वही पदार्थ है जो घटनास्थल पर अपीलार्थी से बरामद किया गया था । न्यायालयिक

प्रयोगशाला की ये रिपोर्टें अपीलार्थी से बरामद पदार्थ के साथ संसक्त होती हैं । प्रस्तुत मामले में श्रृंखला पूर्ण है । इसलिए न्यायालय की विचारित राय में, उपरोक्त उल्लिखित कारणों से अपीलार्थी को 209.06 ग्राम चरस अर्थात् बरामद पदार्थ में कैनेबिस पौधे के रेजिन अपने कब्जे में रखने के लिए ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । (पैरा 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 और 34)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2011] | (2011) 1 एस. सी. सी. 609 :<br>**विजय सिंह चंदुभाई जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य** ; | 23 |
| [2010] | (2010) 3 एस. सी. सी. 746 :<br>**अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ; | 22 |
| [2007] | 2007 एच. एल. जे. 827 :<br>**धर्म पाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; | 34 |
| [2005] | (2005) 4 एस. सी. सी. 350 :<br>**हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पवन कुमार** ; | 24 |
| [1999] | (1999) 6 एस. सी. सी. 172 :<br>**पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह** ; | 22 |
| [1999] | (1999) 9 एस. सी. सी. 525 :<br>**लीला राम** बनाम **हरियाणा राज्य** । | 32 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 473.**

2009 के सेशन विचारण सं. 34 में विचारण न्यायालय द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री वाई. पी. एस. दौलता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री ए. के. बंसल, अपर महाधिवक्ता

**न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह** – अपीलार्थी को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा 2009 के सेशन विचारण सं. 34, जिसका विनिश्चय पहली अक्तूबर, 2010 को किया गया था, में चरस के बरामद किए गए 500 ग्राम पदार्थ में

209.06 ग्राम चरस को अभिकथित रूप से कब्जे में रखने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20(ख) (ii)(बी) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और तीन वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और 30,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन मास का और साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है, इसलिए उसके द्वारा यह अपील फाइल की गई है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 15 दिसम्बर, 2008 को अपराह्न में लगभग 6.20 बजे निरीक्षक प्रेम दास (अभि. सा. 2), सहायक उप निरीक्षक रत्तन चंद, कांस्टेबल तरसेम लाल (अभि. सा. 7) और कांस्टेबल खूब राम (अभि. सा. 8) धालपुर चौक पर मौजूद थे । पूर्वोक्त अभि. सा. 2 को यह सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी कंबल ओढ़े हुए भुट्टी चौक पर बैठा है और उसके कब्जे में कैनेबिस है । इस सूचना को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए द्वारा लेखबद्ध किया गया और इसे अभि. सा. 7 तरसेम लाल के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक के पास भेजा गया और इसे अपराह्न में लगभग 6.30 बजे परिदत्त किया गया । अपर पुलिस अधीक्षक ने इस रिपोर्ट पर पृष्ठांकन किया और इसे अपने रीडर अभि. सा. 6 हैड कांस्टेबल निरत सिंह को सौंप दिया । उसने सुसंगत रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की । इस प्रविष्टि का सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/बी है । उसके पश्चात् अभि. सा. 1 हेम चंद तथा रंजन कुमार (जिनकी परीक्षा नहीं कराई गई है) को छापामार दल में स्वतंत्र साक्षियों के रूप में सहयुक्त किया गया और अपीलार्थी को पगडंडी पर एक कंबल ओढ़कर बैठे हुए पाया । उसकी पहचान के बारे में पूछा गया ।

3. अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने उससे कहा कि उसे संदेह है कि उसके पास स्वापक ओषधि है और उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने का अधिकार है । अपीलार्थी ने वहां मौजूद पुलिस दल द्वारा तलाशी लिए जाने की सम्मति दी और उसने इस आशय का सम्मति ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, निष्पादित किया । अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने स्वयं को अपीलार्थी द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए प्रस्तुत किया और उसके कब्जे से कोई अपराध में फंसाने वाली चीज नहीं पाई । इस आशय का ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी तैयार किया गया । इसके पश्चात् अपीलार्थी की तलाशी ली गई । उसके पास गोदी में एक पीठू-थैला (प्रदर्श पी 2) था और उसने अपने चारों ओर कंबल लपेटा हुआ था । थैले की तलाशी ली गई । इसमें एक कमीज (प्रदर्श पी 3), एक अन्य

आधी बाजू की कमीज (प्रदर्श पी 4), पेंट (प्रदर्श पी 5) और कपड़ों के नीचे रखा हुआ एक नीली और सफेद धारीदार कपड़े का थैला (प्रदर्श पी 6) था । कपड़े के थैले को खोलने पर एक पोलिथीन की थैली (प्रदर्श पी 7) निकली जिसमें पालिथीन में लिपटा हुआ काले रंग का कैनेबिस (प्रदर्श पी 8) था । वहां से बरामद पदार्थ तथा अपीलार्थी को धालपुर स्थित नजदीक के यातायात कार्यालय में लाया गया और वहां पर चरस को तोला गया ।

4. बरामद पदार्थ में से 25-25 ग्राम के नमूने विश्लेषण के लिए अलग किए गए और 'ए' छाप की मुद्रा से मुहरबंद किए गए । शेष बचे पदार्थ को भी मुहरबंद किया गया । पोलिथीन की थैली को उसी कपड़े के थैले में रखा गया । कपड़े और कपड़े का थैला भी पीठू-थैले में वापस रखे गए और एक कपड़े के टुकड़े में लपेटे गए और एक पार्सल बनाया गया और उसे भी उसी मुद्रा से मुहरबंद किया गया ।

5. घटनास्थल पर ही तीन प्रतियों में एन. सी. बी. प्ररूप भरे गए । प्ररूप में के उचित स्तंभ के सामने मुद्रा की प्रतिकृति भी ली गई थी और एक ऐसा प्ररूप प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/8 है । अलग से एक कपड़े के टुकड़े पर मुद्रा का नमूना भी लिया गया और ऐसी एक छाप प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी है । मुद्रा प्रयोग करने के पश्चात् अभि. सा. 1 हेम चंद को सौंप दी गई थी ।

6. मामला संपत्ति को साक्षियों की मौजूदगी में अभिग्रहण ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई, द्वारा कब्जे में लिया गया ।

7. रूक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/सी, तैयार किया गया और कांस्टेबल खूब राम के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने में भेजा गया, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए, दर्ज की गई ।

8. निरीक्षक प्रेम दास ने बरामदगी स्थल का स्थल नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ई, भी तैयार किया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए ।

9. अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी का ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी, घटनास्थल पर ही तैयार किया गया ।

10. एन. सी. बी. प्ररूपों, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की फोटो प्रति और अभिग्रहण ज्ञापन सहित मामला संपत्ति अभि. सा. 4 मुहर्रिर हैड कांस्टेबल मनोज कुमारी को मालखाने में जमा करने के लिए सौंपे गए और उनकी सुसंगत रजिस्टर में प्रविष्टि की गई जिसका सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए है । पूर्वोक्त मुहर्रिर हैड कांस्टेबल द्वारा तारीख 16 दिसम्बर, 2008 को एक

नमूना उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा में विश्लेषण के लिए जमा कराने के लिए कांस्टेबल प्रदीप कुमार (अभि. सा. 5) के माध्यम से आर. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/बी द्वारा भेजा गया । उसने पूर्वोक्त पार्सल जमा कराने के पश्चात् आर. सी. पर रसीद अभिप्राप्त की और वापसी पर यह रसीद पूर्वोक्त मुहर्रिर हैड कांस्टेबल को सौंप दी गई ।

11. अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास द्वारा विशेष रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/जी, तैयार की गई और उसे कानूनी अवधि के भीतर अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भेजा गया ।

12. प्रयोगशाला में नमूना पार्सल का परीक्षण करने के पश्चात् विश्लेषण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/एच, जारी की गई और रिपोर्ट के अनुसार भेजा गया नमूना जांच करने पर सकारात्मक पाया गया और इसमें कैनेबिस पौधे के भार का 41.92 प्रतिशत रेजिन था ।

13. पुलिस ने चरस का शेष प्रपुंज भी इसका विश्लेषण करने के लिए भेजा जिसे प्रयोगशाला, जुंगा के मालखाने में इसका विश्लेषण करने के लिए रखा गया ।

14. रिपोर्ट, प्रदर्श पीए, द्वारा इस प्रपुंज में कैनेबिस पौधे का 40.9 प्रतिशत रेजिन पाया गया । इस प्रकार न्यायालय में एक पूरक चालान प्रस्तुत किया गया ।

15. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । तद्नुसार अपीलार्थी को पूर्वोक्त अपराध के लिए आरोप-पत्रित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

16. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । अभि. सा. 1 हेम चंद ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया, जबकि अन्य शासकीय साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास (अन्वेषक अधिकारी, जिसने बरामदगी की थी), अभि. सा. 3 विद्या चंद, अभि. सा. 4 मुहर्रिर हैड कांस्टेबल मनोज कुमारी, अभि. सा. 5 कांस्टेबल प्रदीप कुमार, अभि. सा. 6 कांस्टेबल निरत सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक का रीडर, अभि. सा. 7 तरसेम लाल और अभि. सा. 8 कांस्टेबल खूब राम ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया ।

17. अपीलार्थी की जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन

परीक्षा की गई तो उसने अपराध की बात से पूरी तरह से इनकार किया और मिथ्या आलिप्त किए जाने का भी अभिकथन किया । उसे प्रतिरक्षा पेश करने के लिए कहा गया किंतु उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया ।

18. विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्यों का अवलंब लेकर अपीलार्थी को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया और यह अभिनिर्धारित किया कि स्वतंत्र साक्षी, जो अभियोजन के पक्षकथन से पक्षद्रोही हो गया है, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए अपने पूर्ववर्ती कथन के बिल्कुल विपरीत कथन किया है और उसका संपूर्ण परिसाक्ष्य अधिक्षिप्त हो जाता है और इस प्रकार इसे साक्ष्य के रूप में पूर्णतया त्यक्त किया जाता है ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री वाई. पी. एस. दौलता ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि इस मामले में अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक उपबंध का अननुपालन किया गया है । एकमात्र स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और एक अन्य साक्षी रंजन कुमार की परीक्षा नहीं कराई गई, इसलिए शासकीय साक्षियों के कथन, जो बरामदगी स्थल के संबंध में विरोधाभासी प्रकृति के हैं, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस मामले में पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश विधि की दृष्टि में दूषित है ।

20. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री बंसल ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अति सावधानीपूर्वक साक्ष्य पर विचार किया है और कारणों को निर्णयज विधि द्वारा समर्थित किया गया है और इस प्रकार आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

21. मैंने पक्षकारों की विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू विधि की पृष्ठभूमि में अभिलेख पर के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया है ।

22. उच्चतम न्यायालय के अनेक विनिश्चयों में अधिनियम की धारा 50 का उद्देश्य, प्रयोजन और व्याप्ति चर्चा की विषयवस्तु रहा है । **अजमेर**

**सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की सांविधानिक न्यायपीठ के निर्णय पर विचार किया था, जिसके द्वारा विनिश्चयों पर संपूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला : -

(i) जब अधिनियम के उपबंधों के अधीन तलाशी ली जानी हो और अभिग्रहण किया जाना हो, सशक्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि संबंधित व्यक्ति को तलाशी देने के लिए निकटवर्ती राजपत्रित अधिकारी या निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे ।

(ii) अभियुक्त को ऐसे अधिकार के बारे में सूचित नहीं करने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(iii) पूर्व जानकारी के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अभियुक्त को ऐसे अधिकार की सूचना दिए बिना ली गई तलाशी से विचारण दूषित नहीं हो सकेगा, किंतु अवैध वस्तु की बरामदगी संदेहास्पद हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश वहां दूषित हो जाएंगे जहां दोषसिद्धि एकमात्र रूप से ऐसी तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध वस्तु पर आधारित हो ।

(iv) अन्वेषक अभिकरण के लिए कानून द्वारा यथा परिकल्पित प्रक्रिया का अति सावधानीपूर्वक पालन करना आवश्यक है और ऐसा करने में असफल रहने पर विचारण अऋजु हो जाएगा जो न्याय की धारणा के विपरीत है ।

(v) इस प्रश्न को कि अधिनियम की धारा 50 में उपबंधित रक्षोपायों का सम्यक् पालन किया गया है या नहीं, न्यायालय द्वारा विचारण में के साक्ष्य के आधार पर अवधारित किया जाएगा और यह अवधारण अभियोजन पक्ष को अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन सिद्ध करने के लिए अवसर दिए बिना किया जाना अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं करना दांडिक विचारण को संक्षिप्त करना होगा ।

(vi) प्रक्रिया के अननुपालन से अर्थात् अभियुक्त को धारा 50

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 746.

[2] (1999) 6 एस. सी. सी. 172.

की उपधारा (1) के अधीन अधिकार को सूचित नहीं करने से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी संदेहास्पद और अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि की दृष्टि में दूषित और असंधार्य हो सकते हैं ।

(vii) धारा 50 के अधीन प्रक्रिया का पालन किए बिना ली गई तलाशी के दौरान अभियुक्त से अभिगृहीत अवैध वस्तु का अवलंब विनिषिद्ध पदार्थ के विधिविरुद्ध कब्जे को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है ।

23. **विजय सिंह चंदुभाई जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में भी उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठ ने उसे किए गए निर्देश पर इसी प्रकार के प्रश्न पर अन्य निर्णयों के साथ-साथ **बलदेव सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले पर विचार किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 50(1) के अधीन जिस उद्देश्य से संदिग्ध व्यक्ति को एक रक्षोपाय के द्वारा अधिकार अर्थात् शक्ति का दुरुपयोग रोकने, निर्दोष व्यक्तियों को हानि से बचाने और विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा मिथ्या मामले गढ़ने या थोपने के अभिकथनों को कम से कम करने के लिए प्रदत्त किया गया है, सशक्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि तलाशी लिए जाने के लिए आशयित व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे । यह धारा आज्ञापक है और कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है और उक्त उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहने पर अवैध वस्तु की बरामदगी संदेहास्पद और दोषसिद्धि दूषित हो जाएगी । दूसरे शब्दों में, विहित प्रक्रिया का पालन और धारा 50 की अपेक्षा को पूरा किया गया है या नहीं, यह विचारण का विषय है ।

24. निर्विवाद रूप से, जहां किसी व्यक्ति की तलाशी का मामला है, धारा 50 निश्चित रूप से लागू होगी और इसका अननुपालन अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगा । किंतु जहां बरामदगी थैले, ब्रीफकेस या आधान आदि से हुई है, **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पवन कुमार**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं को मानव शरीर के रूप में न समझा जाए । इन्हें अलग नाम दिया गया है और ये उसी रूप में पहचानने योग्य हैं ।

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

[2] (2005) 4 एस. सी. सी. 350.

25. उपरोक्त स्थिति में, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन वृत्तांत के अनुसार चूंकि अपीलार्थी द्वारा पीठू-थैले को अपनी गोदी में रखा हुआ था, इसलिए अधिनियम की धारा 50 लागू होगी । प्रस्तुत परिस्थितियों में इस दलील में कोई बल नहीं है । यदि केवल दलील के लिए इस मामले में अधिनियम की धारा 50 लागू की जाती है, तब भी इसका पूरी तरह से पालन किया गया है । क्योंकि अपीलार्थी को दिए गए विकल्प, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, द्वारा उसे किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था और अपीलार्थी ने इसके लिए अपनी लिखित सम्मति दी थी । अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था और उसने इस साक्षी द्वारा तलाशी लिए जाने का विकल्प चुना था । इसलिए पूर्वोक्त परिस्थितियों में, यहां तक कि अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षा, जो कि अन्यथा मेरी राय में लागू नहीं होती है, का भी पूरी तरह पालन किया गया है ।

26. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील का अगला भाग यह है कि अभि. सा. 1 हेम चंद ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अन्य साक्षी रंजन कुमार की परीक्षा नहीं कराई गई है जिससे अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है ।

27. यह सही है कि अभि. सा. 1 हेम चंद ने अभियोजन पक्षकथन का पूर्णतः समर्थन नहीं किया और रंजन कुमार को अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष में कर लेने के कारण, जैसाकि अभियोजक द्वारा कथन किया गया है, उसकी परीक्षा नहीं कराई गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पक्षद्रोही साक्षी (अभि. सा. 1) का कथन अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास, जैसाकि उसने कथन किया है, द्वारा अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 1 हेम चंद, जिसने अभिकथित रूप से अभिकथित कथन किया था, का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(3) के अधीन उसकी विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त करने के लिए उसके उस कथन से सामना कराया गया था । निश्चित रूप से, अभि. सा. 1 हेम चंद, जो धालपुर में एक सब्जी विक्रेता है, ने मामले के अन्वेषण में भुट्टी चौक पर पुलिस द्वारा सहयुक्त किए जाने की बात स्वीकार की है । उसने यह स्वीकार किया है कि विकल्प ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने

एक अन्य ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी पर भी अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है जिसके द्वारा अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास की अभियुक्त द्वारा तलाशी लेने पर कोई फंसाने वाली सामग्री नहीं पाई थी । इसके अतिरिक्त, उसने कपड़े के एक टुकड़े पर मुद्रा के नमूने, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी, विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के बरामदगी-ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई), गिरफ्तारी के आधारों के ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी) के साथ-साथ पार्सल, प्रदर्श पी 1, और एक अन्य पार्सल, प्रदर्श पी 9, पर भी अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है । इस साक्षी ने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है । उसके अनुसार, उसने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस के इस दबाव में किए थे कि यदि वह हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा तो उसका चालान कर दिया जाएगा । उसका यह कथन बिल्कुल मिथ्या है । वह उच्च प्राधिकारियों को भी इस बात की रिपोर्ट कर सकता था किंतु उसने इसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया । अभि. सा. 1 हेम चंद के उपरोक्त वृत्तांत और आचरण से यह दर्शित होता है कि छापामार दल में उसके सम्मिलित होने से लेकर अभियुक्त/अपीलार्थी को गिरफ्तार करने तक वह मौजूद था और उसने स्पष्ट कारणों से अभियुक्त का पक्ष लेकर सच्चाई को छिपाया है ।

28. उपरोक्त सारांश से यह प्रकट होता है कि यहां तक कि दांडिक अभियोजन में भी जब किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जाती है और विद्वान् अभियोजक द्वारा न्यायालय की इजाजत से खण्डन किया जाता है, तो ऐसे साक्षी के साक्ष्य को विधि की दृष्टि से पूर्णतया अभिलेख से हटाए गए साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है ।

29. इसलिए पूर्वोक्त तथ्यों के विरुद्ध अभि. सा. 1 हेम चंद की पक्षद्रोहिता और एक अन्य साक्षी की परीक्षा न कराए जाने की बात से शासकीय साक्षियों के कथनों को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है । इसलिए अब मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या शासकीय साक्षियों के कथन विरोधाभासी हैं और अभियोजन के पक्षकथन की तह को ढगमगाते हैं ।

30. अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि करते हुए अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने अभियुक्त द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प और उससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी को प्रमाणित किया । उल्लिखित विरोधाभास ये हैं कि अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि प्रश्नगत सूचना (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए) नगर पंचायत, कुल्लू के भवन में अवस्थित

यातायात कार्यालय में लेखबद्ध की गई थी और छापामार दल उस स्थान से 50 मीटर पहले गठित किया गया था जहां अपीलार्थी बैठा हुआ था । जबकि अभि. सा. 8 खूब राम ने कथन किया कि उक्त सूचना को टैक्सी-स्टैंड की ओर पगडंडी के अलावा मेड़ पर लेखबद्ध किया गया था और अन्वेषण बरामदगी के पश्चात् यातायात कार्यालय में किया गया था । उसने यह कथन किया कि भुट्टी चौक और यातायात कार्यालय के बीच की दूरी 300 मीटर है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 7 तरसेम लाल ने सूचना को अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपे जाने की बात कही है किंतु उसका रीडर (अभि. सा. 6) मौजूद नहीं था । जबकि अभि. सा. 6 निरत सिंह ने यह कथन किया कि वह अपराह्न में 6.30 बजे उस समय कार्यालय में मौजूद था जब सूचना दी गई थी ।

31. मेरी राय में, उपरोक्त विरोधाभास अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने ठीक ही मत व्यक्त किया है कि साक्ष्य में का प्रत्येक विरोधाभास तात्विक नहीं होता है । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन बोधगम्यता होने, स्मरण नहीं रहने और तथ्यों को समरूप रीति में दोहराने में असफल रहने के कारण कमियां आनी लाजिमी हैं । मानव स्मरणशक्ति भी वीडियो रिकार्डर की भांति काम नहीं करती जिससे कि तथ्यों को हू-ब-हू रीति में पुनः प्रस्तुत किया जा सके । सच्चाई यह है कि कुल मिलाकर किसी साक्षी से फोटोग्राफिक स्मरण-शक्ति रखने और अपने स्मृति-पटल पर किसी घटना के सभी ब्यौरों को पुनः स्मरण करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है । अवलोकन करने की शक्ति भी हर व्यक्ति की भिन्न-भिन्न होती है । कुल मिलाकर लोग किसी बातचीत को हू-ब-हू और उनके द्वारा प्रयोग किए गए या उनके द्वारा सुने गए उन्हीं शब्दों को पुनः स्मरण नहीं कर सकते । मोटे तौर पर उनके पास इसकी एक मानसिक-रूपरेखा ही रहती है । इस प्रकार यह वास्तविकता से परे है कि किसी साक्षी से मानवीय टेप-रिकार्डर होने की प्रत्याशा की जाए । अन्यथा भी, जब घटनाओं का क्रम जो देखते ही देखते या क्षण भर में घटित हो जाता है, तब कोई साक्षी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर जब विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी विस्तार से प्रतिपरीक्षा की जाती है, दिग्भ्रमित हो सकता है । जटिल प्रतिपरीक्षा के कारण साक्षियों के कथनों में यदाकदा प्रतीत होने वाली ये कमियां आनी लाजिमी हैं ।

32. अब यह सुस्थापित है कि छुट-पुट कमियां, जिनसे अभियोजन पक्षकथन नहीं ढगमगाता हो, त्यक्त की जा सकती हैं और ऐसी कमियां जो

प्रसामान्य गलतियों या अनुभूति या अवलोकन के कारण आती हैं, को असम्यक् महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा उजागर की गई उपरोक्त कमियां, मेरी राय में, ऐसे तात्विक विरोधाभास नहीं हैं जिससे कि साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता हो (कृपया **लीला राम** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाला मामला भी देखिए) । समान रूप से यह बात भी अनावश्यक है कि मामला संपत्ति विनिषिद्ध पदार्थ के बरामदगी स्थल पर तोली गई थी या यातायात कार्यालय में, जो कि घटनास्थल से मुश्किल से 15 मीटर दूर था, किंतु यह बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि अभिकथित विनिषिद्ध पदार्थ अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था और अपीलार्थी/अभियुक्त सारे समय अर्थात् बरामदगी के समय से लेकर उसे गिरफ्तार करने तक वहां मौजूद था और बिल्कुल कोई ऐसा अभिकथन नहीं किया गया है या सुझाव नहीं दिया गया है कि पुलिस पदधारियों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई थी ।

33. यह भी एक सुस्थापित विधि है कि पुलिस पदधारी के परिसाक्ष्य को किसी अन्य साक्षी के परिसाक्ष्य के समान समझा जाना चाहिए और उस पर किसी स्वतंत्र संपुष्टि के बिना कार्यवाही की जा सकती है । बरामदगी और उपबंधों के अनुपालन की बाबत शासकीय साक्षियों के कथनों पर विचार करने के पश्चात्, जैसीकि ऊपर चर्चा की गई है, मेरा यह निष्कर्ष है कि शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य विश्वासप्रद हैं ।

34. इसके अतिरिक्त, साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् यह साबित होता है कि नमूने, शेष प्रपुंज और थैला पूर्वोक्त अनुसार घटनास्थल पर ही मुहरबंद किए गए थे और उन्हें अभिग्रहण ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी, द्वारा कब्जे में लिया गया था तथा मामला संपत्ति को अभि. सा. 4 मुहर्रिर हैड कांस्टेबल मनोज कुमारी के पास जमा कराया गया था । उसने मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि की थी और मामला संपत्ति के साथ नमूना मुहरें और अन्य दस्तावेज भी थे तथा एक नमूना एन. सी. बी. प्ररूपों, नमूना मुहर और अन्य दस्तावेजों सहित, जो जमा कराए गए थे, अभि. सा. 5 कांस्टेबल प्रदीप कुमार के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे और उसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि इनके साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और आर. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/बी पर रसीद

[1] (1999) 9 एस. सी. सी. 525.

प्राप्त की गई थी जो वापसी पर मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास जमा कराई गई थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में, ऊपर कथित अनुसार, चरस की पुष्टि की गई थी । यहां तक कि शेष प्रपुंज, जो कि न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा गया था, जांच करने पर ऊपर उल्लिखित प्रतिशत की सीमा तक कैनेबिस के रेजिन दर्शित करते हुए सकारात्मक पाया गया था । मामले के विचारण के दौरान अभि. सा. 2 निरीक्षक प्रेम दास ने प्रपुंज, प्रदर्श पी-1 और नमूना पार्सल, प्रदर्श पी-9 की शनाख्त की थी और बाद में न्यायालयिक प्रयोगशाला में भी यह पता लगाने लिए इसका परीक्षण किया गया था कि यह वही पदार्थ है जो घटनास्थल पर अपीलार्थी से बरामद किया गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला की ये रिपोर्टें अपीलार्थी से बरामद पदार्थ के साथ संसक्त होती हैं । प्रस्तुत मामले में श्रृंखला पूर्ण है । इसलिए मेरी सुविचारित राय में, उपरोक्त उल्लिखित कारणों से अपीलार्थी को 209.06 ग्राम चरस अर्थात् बरामद पदार्थ में कैनेबिस पौधे के रेजिन अपने कब्जे में रखने के लिए **धर्म पाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है ।

35. हमारे समक्ष किसी अन्य मुद्दे पर दलील या दबाव नहीं दिया गया है ।

36. अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई इस अपील में कोई गुणता नहीं है, इसलिए तद्नुसार खारिज की जाती है ।

37. अपील की खारिजी को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को तद्द्वारा निदेशित किया जाता है कि तारीख 18 अप्रैल, 2011 को विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा यथा पारित दंडादेश को भोगने के लिए अभ्यर्पण करें और विद्वान् विचारण न्यायालय अपीलार्थी के अभ्यर्पण करने में असफल रहने पर उसे कारागार के सुपुर्द करने के लिए प्रपीड़क कार्यवाही करेगा ।

अपील का निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

[1] 2007 एच. एल. जे. 827.

# संसद् के अधिनियम

## मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952
## (1952 का अधिनियम संख्यांक 58)

**[12 अगस्त, 1952]**

**मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों का**
**उपबन्ध करने के लिए**
**अधिनियम**

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1. संक्षिप्त नाम** – यह अधिनियम मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 कहा जा सकेगा ।

**2. परिभाषा** – इस अधिनियम में, 'मंत्री' से मंत्रिपरिषद् का सदस्य अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, और इसके अंतर्गत उपमंत्री आता है ।

[1][**3. सम्बलम् तथा दैनिक और निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता** – (1) प्रत्येक मंत्री, ऐसे मंत्री के रूप में अपनी संपूर्ण पदावधि के दौरान प्रतिमास संबलम् और प्रत्येक दिन के लिए भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद् सदस्यों की बाबत संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है ।

(2) प्रत्येक मंत्री निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद् सदस्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट है ।]

**4. मंत्रियों के निवास-स्थान** – [2][(1)] हर एक मंत्री भाटक के संदाय के बिना अपने पद की अवधि भर तथा उसके अव्यवहित पश्चात् [3][एक मास] की कालावधि पर्यन्त एक सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 76 की धारा 2 द्वारा (26.12.1985 से) धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1969 के अधिनियम सं. 47 की धारा 2 द्वारा (1.11.1966 से) धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[3] 1969 के अधिनियम सं. 47 की धारा 2 द्वारा (1.11.1966 से) "पंद्रह दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

हकदार होगा और ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण के बारे में कोई प्रभार मंत्री पर वैयक्तिक तौर पर नहीं पड़ेगा ।

[1][(2) मंत्री की मृत्यु हो जाने पर उसका कुटुम्ब इस बात का हकदार होगा कि उस सुसज्जित निवास-स्थान का, जो मंत्री के अधिभोग में था –

(क) उसकी मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् की एक मास की कालावधि तक उपयोग, भाटक दिए बिना करे और मंत्री के कुटुम्ब पर ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कोई प्रभार नहीं पड़ेगा, तथा

(ख) एक मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए उपयोग, ऐसी दरों पर भाटक देकर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं और ऐसी अतिरिक्त कालावधि के दौरान उस निवास-स्थान में उपभुक्त बिजली और पानी की बाबत प्रभार देकर करे ।

**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निवास-स्थान" के अंतर्गत कर्मचारिवृन्द के क्वार्टर और उससे अनुलग्न अन्य निर्माण और उसका उद्यान आते हैं और निवास-स्थान के संबंध में "अनुरक्षण" के अंतर्गत स्थानीय रेटों और करों का संदाय और बिजली और पानी का उपबंध आते हैं ।

5. [2][**मंत्रियों को संपचुअरी भत्ता** – प्रत्येक मंत्री को निम्नलिखित दरों पर संपचुअरी भत्ता दिया जाएगा, अर्थात् : –

| | |
|---|---|
| (क) प्रधानमंत्री | तीन हजार रुपए प्रतिमास |
| (ख) प्रत्येक अन्य मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य है | दो हजार रुपए प्रतिमास |
| (ग) राज्य मंत्री | एक हजार रुपए प्रतिमास |
| (घ) उपमंत्री | छह सौ रुपए प्रतिमास ।] |

[1] 1969 के अधिनियम सं. 47 की धारा 2 द्वारा (1.11.1966 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (17.9.2001 से) प्रतिस्थापित ।

**6. मंत्रियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते** – (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए मंत्री –

(क) अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुम्ब की चीजवस्त के परिवहन के लिए यात्रा भत्ते –

(i) पदग्रहण करने के लिए दिल्ली से बाहर के अपने प्रायिक निवास-स्थान से दिल्ली तक की यात्रा के बारे में, और

(ii) पद-मुक्त होने पर दिल्ली से बाहर के अपने प्रायिक निवास-स्थान तक की यात्रा के बारे में तथा

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में के अपने द्वारा किए गए दौरों के बारे में, वे चाहे समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा हों, यात्रा और दैनिक भत्ते,

पाने का हकदार होगा ।

[1][(1क) कोई मंत्री, भारत के भीतर प्रत्येक वर्ष के दौरान या तो अकेले या पति अथवा पत्नी या उसके साथ रह रहे और उस पर पूर्णत: आश्रित धर्मज या सौतेली सन्तानों या किसी भी संख्या में साथियों या नातेदारों के साथ उसके द्वारा की गई एकल यात्रा के लिए यात्री किराए के बराबर रकम का, उन्हीं दरों पर जिन पर उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दौरों के संबंध में, उस खंड के अधीन ऐसे मंत्री को यात्रा भत्ता संदेय है, प्रतिवर्ष अधिकतम ऐसे अड़तालीस यात्री किराए के अधीन रहते हुए, हकदार होगा :

परन्तु यथास्थिति, पति अथवा पत्नी या मंत्री के साथ रह रहे और उस पर पूर्णत: आश्रित धर्मज या सौतेली संतान अकेले ऐसी यात्रा कर सकेंगी ।]

(2) इस धारा के अधीन कोई भी यात्रा भत्ता नकद संदत्त किया जा सकेगा या उसके बदले में नि:शुल्क शासकीय परिवहन का उपबंध किया जा सकेगा ।

**7. मंत्रियों का चिकित्सीय उपचार आदि** – केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए मंत्री और उसके कुटुम्ब के सदस्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में बिना चार्ज वास-सुविधा और चिकित्सीय उपचार के भी हकदार होंगे ।

---

[1] 2010 के अधिनियम सं. 2 की धारा 2 द्वारा (5.2.2010 से) प्रतिस्थापित ।

**8. मोटर-कारें खरीदने के लिए मंत्रियों को अभिदाय** – किसी भी मंत्री को मोटर-कार खरीदने के लिए प्रतिसंदेय अभिदाय के तौर पर ऐसी धनराशि जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी, जिससे वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधानुसार तथा दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके ।

**9. मंत्री, संसद् सदस्यों के रूप में, सम्बलम् या भत्ते नहीं लेंगे** – इस अधिनियम के अधीन सम्बलम् या भत्ता प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति संसद् द्वारा उपबंधित निधियों में से संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की अपनी सदस्यता के बारे में कोई धनराशि, सम्बलम् या भत्ते के तौर पर प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

**10. मंत्रियों की नियुक्ति आदि के बारे में अधिसूचना उसकी निश्चायक साक्ष्य होगी** – वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति मंत्री बना हो या जिस तारीख को उसका मंत्री रहना समाप्त हो गया हो, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य की निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस तारीख को वह मंत्री बना था, या उसका मंत्री रहना समाप्त हो गया था ।

[1][**10क. किसी मंत्री द्वारा प्राप्त कुछ परिलब्धियों पर आय-कर के संदाय के दायित्व से छूट** – आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को दिए गए भाटक के संदाय के बिना सुसज्जित निवास-स्थान का मूल्य (जिसके अंतर्गत उसका रखरखाव है) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय को संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।]

[2][**11. नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[3] बना सकेगी ।

(2) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारंभ के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 76 की धारा 5 द्वारा (26.12.1985 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं. 37 की धारा 2 द्वारा धारा 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] इस तरह के नियमों के लिए देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, 1952, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 803, 835, 837, 849 और भारत का राजपत्र, असाधारण, 1953, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 101, 528, 2269, 3467.

नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और ऐसा कोई नियम तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि संसद् का प्रत्येक सदन उसका अनुमोदन, चाहे उपान्तरों के साथ या उनके बिना नहीं कर देता है और केन्द्रीय सरकार उसे राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर देती है ।]

**12. कतिपय संदायों का नियमितीकरण** – 1952 के मई के चौदहवें दिन को प्रारम्भ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ के साथ समाप्त होने वाली कालावधि के लिए ऐसे मंत्रियों का, जो मंत्रिमंडल पंक्ति के मंत्रियों के रूप में वर्णित थे (किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे) संदत्त या संदेय सब सम्बलम्, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी अस्पताल में किसी मंत्री या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के लिए उपबंधित वास-सुविधा के बारे में या चिकित्सीय उपचार पर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व उपगत सब प्रभार और किसी भी उपमंत्री को यात्रा या दैनिक भत्ते के तौर पर ऐसे प्रारम्भ से पूर्व किए गए सब संदायों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उचित रूप से संदत्त किए गए, संदेय या उपगत किए गए या दिए गए हैं ।

**13. [1947 के अधिनियम सं. 53 का निरसन]** – निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।